अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Friday, 31st March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B....60....
Date....5/3/90....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 31 मार्च, 1989/10 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
24	5	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
67	19	"जगदीश अस्थी" के स्थान पर "जगदीश अवस्थी" पढ़िये।
77	10	"(ग)" और (ङ)" के स्थान पर "(ग) से (ङ)" पढ़िये।
86	नीचे से 9	"राज्य व्यापार निनम" के स्थान पर "राज्य व्यापार निगम" पढ़िये।
114	नीचे से 8	प्रश्न संख्या "6260" के स्थान पर "4260" पढ़िये।
131	12	"रघुवा रेड्डी" के स्थान पर "रघुमा रेड्डी" पढ़िये।
135	5	उत्तर के आरंभ में "(क)" अंतःस्थापित करिये।
149	14	"खोजना" के स्थान पर "खोलना" पढ़िये।
157	3	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
286	2	"राज्य सभा में संदेश" के स्थान पर "राज्य सभा से सन्देश" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 48, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 31 मार्च, 1989/10 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
नियम सम्बन्धी उल्लेख		1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2—21
* तारांकित प्रश्न संख्या :	431, 432, 435 से 437, 441, 443 और 446	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21—196
तारांकित प्रश्न संख्या :	433, 434, 438, से 440, 442, 444 445 और 447 से 450	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4149 से 4184, 4186, 4187, 4189 से 4279, 4281 से 4333, 8335 से 4341 और 4343 से 4382	
सभा पटल पर रखे गए पत्र		196—202
राज्य सभा से संदेश		202—203
संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक		203
राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त		
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति		203
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति		204
कार्यवाही-सारांश		
सभा का कार्य		204—207
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		208—250
श्री बी० आर० भगत		208—214
श्री० एन० वी० एन० सोमू		214—219
डा० जी० एस० ढिल्लों		219—222
श्री दिनेश गोस्वामी		222—229

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 229—231

श्री आर० जीवरत्नम 231—233

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 233—238

प्रो० सैफुद्दीन सोज 238—241

डा० गौरी शंकर राजहंस 231—243

श्री पी० कुलनदईवेलू 243—250

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 250

62वां प्रतिवेदन

जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किए जाने के लिए उपायों के बारे में संकल्प 250—285

डा० कृपा सिन्धु भोई 250—259

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 256—262

डा० जी० विजय रामा राव 262—263

डा० फूलरेणु गुहा 263—265

श्री सैयद शाहबुद्दीन 265—269

श्री एन० टोम्बी सिंह 269—272

कुमारी ममता बनर्जी 272—275

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव 275—280

श्री गिरधारी लाल व्यास 280—284

श्री अजीज कुरेशी 284—285

लोक-सभा

शुक्रवार, 31 मार्च, 1989/10 चैत्र, 1911 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं सदन को अत्यंत दुःख के साथ अपने दो पुराने साथियों श्री विनय कृष्ण दासचौधरी और डा० पी० श्रीनिवासन के निधन की सूचना देता हूं।

श्री विनय कृष्ण दास चौधरी 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री दासचौधरी पेशे से एक वकील थे और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्होंने देश-विदेश की अनेक यात्रायें की थीं। श्री दास चौधरी राष्ट्रमंडल संसदीय संस्था की भारतीय शाखा के आजीवन सदस्य रहे और 1970 में आस्ट्रेलिया में केनबरा में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

एक योग्य संसदविद् श्री दास चौधरी सभा की कार्यवाहियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे और उसमें उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया था। वर्ष 1974-76 में वह सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे।

श्री विनय कृष्ण दास चौधरी का निधन 59 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 1989 को कलकत्ता में हुआ।

डा० पी० श्रीनिवासन 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह मद्रास-उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे।

व्यवसाय से चिकित्सक, डा० श्रीनिवासन एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और वह अनेकों संस्थाओं से संबद्ध रहे। वे अनाथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। डा० श्रीनिवासन 1962 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सदस्य रहे।

डा० श्रीनिवासन का निधन 81 वर्ष की आयु में 12 मार्च, 1989 को मद्रास में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ समय के लिए मौन धारण करेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं का आयात

*431. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का चालू वित्त वर्ष के दौरान अलौह धातुओं का और अधिक आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का किन-किन देशों से अलौह धातुओं का आयात करने का विचार है; और

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को इससे कितना वित्तीय लाभ होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। बहरहाल मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि वर्ष 1988-89 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम को तांबे तथा जस्ते के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई थी। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, दि कानफेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री तथा इंडियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार से विदेशी मुद्रा का आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम मांग के अनुसार आवंटन करे।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : भुगतान की स्थिति असंतोषजनक होने के कारण अलौह धातुओं के आयात के लिए वास्तविक अनुमत लक्ष्य के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन नहीं किया जा सका था। इसलिए हमें आयात में कमी करनी पड़ी। आधारभूत व्यवस्था के बावजूद खनिज एवं धातु व्यापार निगम विदेशी मुद्रा आवंटन कार्यक्रम के अभाव में आयात नहीं कर सका। हमें उद्योग से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किंतु तथ्य यह है कि इस वर्ष भुगतान की स्थिति के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। किंतु साथ ही इससे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या यह सत्य है कि विभिन्न निर्माताओं तथा अन्य व्यक्तियों में यह भावना है कि देश के विभिन्न भागों में धातुएं पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि कुछ कम्पनियों एवं एसोसिएशनें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत तांबे का आयात कर रही हैं और उसे भारत में पहुंचने के बाद छड़ों तथा पुर्जों के रूप में बेचा जाता है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : तांबे का ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति नहीं है। तांबे का आयात खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। किंतु तांबे के स्क्रैप का ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है। यदि हमें कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम दोबारा जांच करेंगे।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : उन शिकायतों का, कि पत्तनों पर धातु सही समय पर नहीं पहुंच रही क्या होगा ?

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : यदि हमें किसी विशिष्ट मामले के बारे में शिकायत प्राप्त होगी तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे।

नर्मदा परियोजना

+

*432 **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (घ) परियोजना पर कार्य नवम्बर, 1987 से शुरू कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 1988 तक लगभग 74 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। इस परियोजना को समय पर क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (घ) का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना पर कार्य मूल समय सारणी के अनुसार हो रहा है; यदि नहीं, तो प्रारंभिक बजट अनुमान क्या था और कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण इसमें कितनी वृद्धि हुई है और इस समय निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ किये हैं। इन्होंने कहा है कि प्रश्न संख्या बी० और सी० का उत्तर नहीं दिया गया है। बी० के उत्तर में मैंने कहा है कि दिसम्बर, 1988 तक लगभग 74 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इसके साथ इन्होंने यह भी पूछा है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इसके उत्तर में मैंने कहा है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि अभी इसका प्रिलिमिनरी वर्क शुरू हुआ है। प्रीकंस्ट्रक्शन वर्क जैसे—बिल्डिंग, स्कूल, अस्पताल, आफिस बिल्डिंग, एप्रोच रोड और रेलवे साइडिंग यह सब प्रगति पर हैं। प्रीपैरेटरी वर्क जो एक्सावेशन का है अर्थात जो मेन डैम का है, वह भी अभी प्रगति पर है। इसके अलावा इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि वह कब पूरा होगा। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि पूरी योजना 2006 से 2007 के बीच में पूरी होने की संभावना है। इसमें से अगर कोई और प्रश्न छूट गया हो, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, मैंने अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में यह जानना चाहा था कि इस बांध के निर्माण के लिए प्रारंभिक बजट अनुमान क्या था। प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, इसकी एप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है।

अध्यक्ष महोदय : तीसरा सवाल और करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : महोदय, वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञों द्वारा नर्मदा घाटी परियोजना का काफी विरोध किया जा रहा है और यह समाचार मिला है कि नर्मदा घाटी में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो कुछ काल के उपरान्त पूरी परियोजना पर कुप्रभाव डाल सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि एक बार बांध बना दिया जाता है तो काफी मात्रा में पानी जमा होने से नदी के मुहाने पर भूगर्भीय ढांचा और कमजोर हो जाएगा। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या महत्वाकांक्षापूर्ण नर्मदा घाटी विकास परियोजना से प्रभावित समूचे क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्र में कुछ समाचार आया है, उसके आधार पर माननीय सदस्य सम्भवतया यह जानना चाहते हैं लेकिन मैं इन्हें यह बताना चाहती हूं कि एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के लिए नर्मदा कण्ट्रोल एथॉरिटी ने दो सब-कमेटियां बनाई हैं, उनमें से एक सब-कमेटी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के लिए ही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन का प्लान किया है। इसमें आर्कोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया भी अपना सर्वे का काम कर

रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के साथ सम्पर्क स्थापित कर उस एरिया में जो फ्लोरा है उसके लिए भी उन्होंने कार्यवाही शुरू की है। ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने फौसिल्स के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

इस तरह से सभी दृष्टिकोणों से एनवायरमेंट की सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है और संसाधनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए दूर-संवेदन तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भी इस तकनीक को अपनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

+

*435. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1987 में आयोजित राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति के सम्बन्ध में कई सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री सहित सदस्यों द्वारा दिए गए अनेक सुझावों पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था तथा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया था।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय जलनीति सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई थी। मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने 75 प्रतिशत निर्भरता की अपेक्षा 50 प्रतिशत निर्भरता पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया है। इस बात को देखते हुए कि सभी क्षेत्र निरंतर सूखा ग्रस्त हो रहे हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य से एक अंतरराज्यीय नदी के समान जल विभाजन के लिए किन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि उन सारे बिन्दुओं का राष्ट्रीय जल नीति के तहत प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने 50 प्रतिशत डिपेंडेबिलिटी प्लानिंग की जो बात कही है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि राष्ट्रीय पालिसी के पैरा-9 में इसका जवाब दिया जा चुका है। यदि इसको मैं पढ़ने लगूंगी तो सदन का काफी समय लगेगा, माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको यह दे सकती हूं। उनके दूसरे प्रश्न का जवाब पैरा-4 (4) में दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न का जवाब पैरा-10.1 में दिया हुआ है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह पुस्तक मैं उनको दे सकती हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट जानकारी मांगी थी। उन्होंने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करने तथा 50 प्रतिशत निर्भरता के बारे में पूछा था।

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्री श्री बी० शंकरानंद : महोदय, जब राष्ट्रीय जल नीति पर चर्चा की जा रही थी तो परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया था। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 50 प्रतिशत निर्भरता के बारे में बात उठाई थी। किंतु आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री इस पर सहमत नहीं थे। न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार कृष्णा जल घाटी के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय देते समय उन्होंने 75 प्रतिशत निर्भरता मानी थी। तत्पश्चात् न्यायाधिकरण ने भी अपना अंतिम प्रतिवेदन देते हुए भी कहा था कि 2000 ईस्वी तक समीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर जल दिया जा सकता है। मुझे याद है कि परिषद के सदस्यों द्वारा जो कि मुख्य मंत्री हैं, इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। अतः इस पर व्यापक विचार किया गया था और अंत में जल-नीति पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था तथा 50 प्रतिशत निर्भरता स्वीकार की गई थी।

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए जल के समान वितरण के बारे में क्या हुआ ?

श्री बी० शंकरानंद : जल विभाजन अनेक कारकों के आधार पर किया जाता है जैसे कि खेती योग्य भूमि, सतही जल, भू-जल, जल का उपयोग तथा जनसंख्या। कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा ये बातें उठाई गई थीं। जब भी राज्यों में जल विभाजन के सम्बन्ध में विवाद उठा है, न्यायाधिकरणों द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया गया है और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है और जल विभाजन के सम्बन्ध में सभी न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखा गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा सही ही कहा गया है कि सरकार ने अंतर्राज्यीय जल-विवाद के निपटान हेतु अनेक अवसरों पर अनेक न्यायाधिकरण गठित किए हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में बछावत न्यायाधिकरण गठित किया गया था तथा इस न्यायाधिकरण ने काफी पहले अपना निर्णय दे दिया था, किंतु इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि बछावत न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन इस प्रश्न से सम्बन्धित जो कुछ मुद्दे कर्नाटक चीफ मिनिस्टर ने उठाए हैं, उन पर नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउन्सिल में विचार हुआ है और उसका उत्तर दे दिया गया था। एक मत से पारित राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद में इन मुद्दों पर विचार हुआ है। एक मत से इसे मान लिया गया है, जो बिन्दु उसमें उठाये गए। अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि संसद में राष्ट्रीय जल नीति को दो वर्ष पूर्व पेश किये जाने के बावजूद भी, बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि इस परियोजना के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने की गति बहुत धीमी है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विचाराधीन सिंचाई योजनाओं में एक श्वेत पत्र जारी करेगी। ताकि सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के तुरन्त बाद राज्य या केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किये जाने से इनका लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।

दूसरी बात यह है, कि जैसा कि मेरे मित्र श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ने कहा है कि जल को एक मुहाने से दूसरे मुहाने में ले जाने से कुछ हद तक एक समान न्याय की व्यवस्था होगी और इस सम्बन्ध में स्वर्गीय डा० के० एल० राव ने गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। तकनीकी दृष्टि से भी यह व्यावहारिक पाया गया था। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस परियोजना को भविष्य में क्रियान्वित करने का विचार रखती है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो इनका प्रश्न है, वह आज के प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है। पहले जो इन्होंने कहा कि जो योजनाएं राज्य सरकार से आती हैं, तो उनकी भारत सरकार से कब स्वीकृति मिलती है। इसका भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जब राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से तकनीकी सलाह मांगी जाती है, तो उन्हें फिर कुछ आबजरवेशन के साथ वापिस किया जाता है तो यह इस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता दिखाती है उत्तर में। फिर उसके अनुसार भारत सरकार कार्यवाही करती है। (व्यवधान)

डा० प्रभात कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स का उसमें शेयर रहता है लेकिन होता यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करके सिंचाई योजनाओं के लिए हम कोलोनीज बना देते हैं और आफिसेज खोल देते हैं। वह पैसा अनप्रोडक्टिव वहां पर कई सालों तक पड़ा रहता है और उन योजनाओं पर कार्यवाही नहीं होती है। हमारे यहां मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में अरपा में योजना है और बहुत सी दूसरी योजनाएं हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार से क्या राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिये जाते हैं कि आगे कार्यवाही की जाए। हजारों, करोड़ों रुपये परिणाम-विहीन कार्यों पर खर्च हो जाते हैं। इसके लिए क्या कोई कार्यवाही की जाती है ?

श्रीमती कृष्णा साही : मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ·· (व्यवधान)··· जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसको पढ़ा जाए। वे कहते है कि मुख्य मन्त्री जो कर्नाटक के थे, उन्होंने सेवरल सजेशन्स भेजी थी नेशनल वाटर पालिसी के लिए। बस इतना ही मुख्य मुद्दा है प्रश्न का। ये जो पूछना चाहते हैं कि गाइडलाइन्स भेजी जाती हैं या नहीं, तो गाइडलान्स तो देते ही हैं। गाइडलाइन्स के बिना हमारे कार्यक्रम कैसे चलेंगे। सिंचाई राज्य सरकारों का विषय है लेकिन भारत सरकार हमेशा गाइडलाइन्स भेजती है।

हिन्दुस्तान लीवर की सेवड़ी फैक्टरी में तालाबंदी

[अनुवाद]

+

436. डा० दत्ता सामंत :

श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की सेवड़ी फैक्टरी में लम्बे समय से चल रही ताला-बंदी के कारण सरकार को कुल कितने उत्पाद-शुल्क की हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अन्य कम्पनियों से ठेके पर उत्पाद तैयार कराने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उत्पाद-शुल्क की कितनी धनराशि वसूल की है?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 40 करोड़ रुपये।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के अन्तर्गत ऐसी अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, यह ठोस उदाहरण है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में कार्य करती हैं और सरकार उनके इशारे पर बिना किसी जांच-पड़ताल के काम करती है।

महोदय, मुद्दे पर आते हुए, बम्बई में हिन्दुस्तान लीवर की फैक्टरी में आज 10 महीने से तालाबंदी है और इससे सरकार को प्रतिदिन 15 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस समय हिन्दुस्तान लीवर फैक्टरी की कुल बिक्री बढ़कर 88 करोड़ रुपये हो गई थी, अर्थात् 1987 से 1988 तक 934 करोड़ रुपये से बढ़कर 1022 करोड़ रुपये हो गई थी। लाभ की राशि बढ़ कर 94 करोड़ रुपये तक हो गई थी।

महोदय, यूनी लीवर फैक्टरी जो कि मात्र 28 लाख की लागत से 20 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी, आज इसकी परिसम्पत्तियां 334 करोड़ रुपये की है। जिसमें से 58 करोड़ रुपये की राशि रायल्टी के रूप में ब्रिटेन को स्थानांतरित की गई थी। सेवरी फैक्टरी में तैयार किए गये लाइफब्वॉय की लागत 3 रुपया प्रति टिकिया है जबकि मजदूरी 3.08 पैसा है और रेक्सोना पर मजदूरी बिल 3.09 पैसा है। महोदय आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मजदूरी कितनी कम है। इन मजदूरों को 5 प्रतिशत मजदूरी भी नहीं मिलती है जबकि मजदूरी बिल 6.4 प्रतिशत है और लाभ 32 प्रतिशत। महोदय, इस ब्यौरे के बाद, मैं यह जानता हूं कि माननीय मन्त्री क्या कहने जा रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह सब कुछ जानते हैं।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि······

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मन्त्री आश्वस्त कर दिया है कि आप सब कुछ जानते है।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, यह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां कहती हैं—मैं 4000 कामगारों का नेता हूं कि सरकार की किसी पहल के पहले, "मैं एक समझौते द्वारा समग्र मजदूरी, मंहगाई भत्ता और, मकान किराया को उत्पादकता के साथ जोड़ना चाहता हूं।" श्रम आयोग के अनुसार यह युक्तिसंगत नहीं है। और वे इसे कार्यान्वित नहीं करना चाहते हैं। वे यौक्तिकीकरण और नई मशीनों के कारण को प्रबंधकों की इच्छानुसार मजदूरों को नियोजित करना चाहते हैं। मजदूरों और मचाई मंडल को लिखित में सरकार को सूचित करना चाहिए कि वे प्रबंधकों के अनुसार काम करेंगे इसीलिए यह तालाबंदी की गई है। उन्होंने 9 शर्तें रखीं हैं। सरकार 50 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। क्या आप हिन्दुस्तान लीवर को यह सलाह देंगे कि वे ठीक ढंग से कार्य करें और इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति न होने दें।

श्री बी० के० गढ़वी : हमें मजदूरों के साथ पूरी सहानुभूति है और हम यह नहीं चाहते कि वहां तालाबंदी हो। अगर प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हों तो एक उपयुक्त स्थिति होगी। तालाबंदी को हटाना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैंने राज्य सरकार के श्रम मन्त्री को सूचित किया है और वह अनेक बैठकें कर रहे हैं पर प्रबन्धक और मजदूर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं।

डा० दत्ता सामंत : प्रबन्धकों ने मजदूरों से वार्ता के लिये, मजदूरी को उत्पादन के साथ जोड़ने पुन: नियोजन आदि की शर्तें रखी हैं जिसका जिम्मा सरकार को लेना होगा।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि वे शर्तें क्या हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम लोग भी इस तालाबंदी से खुश नहीं हैं क्योंकि इससे हमें राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिये, मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस यूनियन के नेता होने के नाते व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें।

डा० दत्ता सामंत : वे मजदूरों को उत्पादन से जोड़ना चाहते हैं और [illegible] के रूप में 3 पैसे देना चाहते हैं। ये उनकी नीति है। आप उस नीति को नहीं अपना सकते हैं। आप बैठक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बातचीत पहले 9 शर्तें रखी हैं अन्यथा वे बातचीत नहीं करेंगे।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं यह नहीं जानता कि वे क्या शर्तें रखेंगे। लेकिन मैं आपसे मजदूरों के ज्यादा लाभ के लिये आग्रह करूंगा, जिसके लिये हम यहां हैं। हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है। (व्यवधान) ठेकेदारों द्वारा विनिर्माण के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून यही है। आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि कड़ा रुख तालाबंदी समाप्त हो। आप इसके लिए ज्यादा कड़ा रुख न अपनाएं।

डा० दत्ता सामंत : मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। इससे यह पता चलता है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कानून कैसे हैं। मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। केन्द्रीय उत्पाद कानूनों के अनुसार ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। रेक्सोना कम्पनी विदेशों से उप-ठेके प्राप्त कर रही है। इसी प्रकार दूसरी कम्पनियां हैं जैसे—अल्ट्रा मेरिन पिगमेंट्स और प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मद्रास और केरल राज्य डिटरजेंट और केमिकल लिमिटेड, कट्टीपुरम, प्रोकेम इंडस्ट्री लिमिटेड, विम्पल शिवो, लिमिटेड, बंगलौर और बम्बई सोप रेक्सोना। ऐसी आठ कम्पनियां हैं मेरा कहना यह है कि वे उसी प्रकार का माल विदेशों से ठेके पर प्राप्त कर रही हैं। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि इसके बावजूद भी उनकी बिक्री बढ़कर

88 करोड़ रुपये हो गई है। इस फैक्टरी में तालाबंदी के कारण उत्पाद शुल्क का नुकसान हो रहा है। इसकी बिक्री में 30 करोड़ रुपये तक की कमी हुई है। ये प्रबन्धक या सह-प्रबन्धक जहां से ये माल मंगाते हैं, वहां वे उप-संविदा के द्वारा ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। यह अनेक कम्पनियों की सूची है। ये प्रबन्धक अपनी वस्तुओं का उत्पादन उप-संविदा द्वारा करवाते हैं और उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कर रही है और अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो आप उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते और विस्तृत रूप से जांच क्यों नहीं करवाते?

श्री बी० के० गढ़वी : हमारी सूचना के अनुसार, अगर वे कोई वस्तु का उत्पादन किसी ठेकेदार द्वारा या किसी दूसरी इकाइयों के द्वारा करवाते हैं तो भी उत्पाद शुल्क जहां देय है, वहां यह दिया जा रहा है।

डा० दत्ता सामंत : एम० आर० टी० पी० के बारे में क्या विचार है?

श्री बी० के० गढ़वी : बहरहाल, किसी भी तरह हम यह नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति उत्पाद शुल्क का अपवंचन करे और इसलिए, यह सुझाव को ध्यान में रखकर हमें कड़ी जांच करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि सेवड़ी की फैक्ट्री बंद होने से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बारे में दत्ता सामंत जी ने भी अपनी दलील पेश की है। यह 40 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसमें 10 करोड़ का नुकसान महाराष्ट्र सरकार का हुआ है और 30 करोड़ का देश का नुकसान हुआ है। इसमें न तो दत्ता सामंत जी का नुकसान हुआ है, न ही हिन्दुस्तान लीवर का नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है मजदूरों का, जो दस महीने से हड़ताल चल रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हड़ताल नहीं लाक-आउट है।

श्री विलास मुत्तेमवार : हां लाक-आउट है, हिन्दुस्तान लीवर क्लेम करता है कि हम सबसे ज्यादा तनख्वाह देते हैं, जिससे बम्बई के दूसरे यूनिट्स में असंतोष बढ़ रहा है, मैं दत्ता सामंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे तैयार हों और वित्त मन्त्रालय के साथ बैठकर बात करें ताकि जल्दी लाक-आउट खुले, मजदूरों का भला हो और इनकी यूनियन भी चलती रहे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज जवाब देंगे क्या?

(व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : इसका जवाब मेरे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : महोदय, दूसरी इकाई में क्या भिन्न प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके बारे में मैं नहीं जानता। हो सकता है वहां कुछ भिन्न प्रणाली हो और हिन्दुस्तान लीवर इस भिन्न प्रणाली द्वारा अपने वस्तुओं का विनिर्माण करवा रहा हो। हो सकता है वहां उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया जाता हो। मुझे स्थिति की जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर हो रही है जिसके लिये मैं डा० दत्ता सामन्त का आभारी हूं। इस फैक्टरी में तालाबन्दी के कारण वे अपने उत्पादन का कुछ भाग मेरे

जिले में करवा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से एक सवाल करना चाहता हूं। (व्यवधान) अपने बुद्धि-कौशल और निपुणता के कारण के कामगारों का वेतन बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। यह एक अच्छी बात है और मैं अपने जिले के लिए भी इसकी मांग करता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा सवाल उत्पादन की भिन्न प्रणाली के कारण उठता है। उत्पादन का विपणन बम्बई की फैक्टरी में तालाबन्दी के कारण किया गया हो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस उत्पादन से छिन्दवाड़ा जिले के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। क्या मन्त्री मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अभी तथ्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों का फैसला तो मैं करवा सकता हूं, आप अपने यहां जारी रखें और यहां का लाक-आउट भी हटवा दें।

श्री कमल नाथ : हमारे यहां फैक्टरी नहीं है, वहां पर बना दी जाए।

श्री विलास मुत्तेमवार : जो 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसके लिए दत्ता सामंत जी को कहा जाए, यह सब उनकी वजह से हो रहा है। (व्यवधान)

दिल्ली में निचली अदालतों में विचाराधीन मामले

[अनुवाद]

437. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निचली अदालतों में आज तक तलाक के तथा तलाक के मामलों में पत्नी तथा बच्चों को भरण-पोषण भत्ता देने के कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान ऐसे मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इन विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) सबसे पुराना मामला किस वर्ष से लम्बित पड़ा है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) तारीख 1-3-1989 को विवाह-विच्छेद सम्बन्धी 2596 मामले लंबित थे, जिनमें से 494 मामले वर्ष 1987 से और 1269 मामले वर्ष 1988 से संबंधित हैं।

दिल्ली के निचले न्यायालयों में विवाह विच्छेद के मामलों में पति/पत्नी और बच्चों को निर्वाह भत्ते देने से सम्बन्धित मामलों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मामले अनिर्णीत रहने के कई जटिल कारण हैं, जैसे कि वर्ष प्रति वर्ष संस्थित किए जाने वाले मामलों में वृद्धि।

(घ) न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त, वर्ष 1985 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों मुख्य मंत्रियों और राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में पारित सिफारिशें तथा विधि आयोग की 77 वीं रिपोर्ट में इस संबंध में की गई सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली प्रशासन को भेजा दी गई हैं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के लिए दस कुटुम्ब न्यायालयों के लिए भी स्वीकृति दी गई है।

(ङ) वर्ष 1980 से।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मन्त्री जी द्वारा रखे गये विवरण में प्रश्न का मूल पहलू उत्तर में नहीं है। इसका कारण वह भली प्रकार जानते हैं। उन्होंने बताया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जायेगा। इसलिए प्रश्न रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तथापि मैं मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं विवाह विच्छेद के मामलों की संख्या के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया है कि हमारे देश में ऐसे सभी मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। लेकिन यह हमारे रीति रिवाजों, संस्कृति परम्पराओं के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हमारे देश में विवाह विच्छेद के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों और तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां तो ब्यौरा क्या है ?

श्री बी० शंकरानंद : हमने विवाह-विच्छेद के मामलों में हुई वृद्धि और न्यायालय में भरण-पोषण के विचाराधीन मामलों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी प्रभाव से शिक्षा और शहरीकरण संबंधित विकासात्मक गतिविधियों के साथ रहने के ढंग में भी परिवर्तन हो रहा है। ये कारण है जिससे लोगों के जीवन-स्तर जीवन-चर्या और जीवन व्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : ऐसे कई मामलों में जिनमें भरण व पोषण नहीं दिया गया है अथवा अत्यधिक देरी की गई है, उस पहलू को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी, प्रश्न के दूसरे हिस्से में, मन्त्री जी ने बताया है कि 1985 में मुख्य मन्त्रियों मुख्य न्यायाधीशों विधि मन्त्रियों से परामर्श लेकर की गई कतिपय सिफारिशें और विधि आयोग की सिफारिशें भी दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली प्रशासन के पास इस पर शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए भेज दी गई है जिससे कि बहुत से विवाह-विच्छेद मामलों विशेषतया भरण पोषण के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि वे सिफारिशें क्या थीं और क्या वास्तव में उन्हें लागू किया गया है या नहीं ? उन सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ा है उन सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद वास्तव में मामलों में कमी हुई है या नहीं।

श्री बी० शंकरानंद : मामलों को कम करने की सिफारिशें विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है यह मामलों की प्रवृत्ति पार्टी, मुवक्किल, वकील और उनकी न्यायालय में मामला पेश करने के ढंग आदि पर निर्भर करता है मामलों में कमी करने के लिए विभिन्न सुझाव दिये गये है। हमने सभी उच्च न्यायालयों को सिफारिशों को लागू करने और उनका अनुसरण करने के लिये लिखा है। अभी तक इन मामलों में कोई विचारणीय कमी नहीं हुई है।

श्री महेश्वर तांती : मन्त्री जी सहमत हैं कि हमारे देश में विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है जिससे विवाह-विच्छेद के मामलों में वृद्धि हुई है और न्यायालय इन मामलों से भर गये हैं और इन मामलों को लगभग न के बराबर निपटाया जाता है सरकार बार-बार सदन में और सदन से बाहर विश्वास दिला रही है कि इस विषय पर किया जायेगा। कानूनों में भी तेजी से परिवर्तन हुए हैं। लेकिन कार्यान्वियन न के बराबर है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं, क्योंकि वे भी विदेशी संस्कृति से प्रभावित हुए हैं जहां तक इन सब बातों का संबंध है न्यायालयों में इन मामलों को कम करने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय जहां तक मुख्य प्रश्न का संबंध है यह भरण-पोषण के मामलों के बारे में है अन्य सब मामलों के बारे में नहीं है जो न्यायालयों के विचाराधीन है उसके लिए मुझे कहना चाहिए कि भरण-पोषण मामलों के लिये कानूनों में संशोधन किया गया है जिससे कि मामलों को दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जाये और स्थगन अधिक न हो क्योंकि इससे मुवक्किलों को हानि होती है उस उद्देश्य के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है और हिन्दू विवाह अधिनियम में भी संशोधन किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि मामलों की सुनवाई हो सके और छ: महीनों के भीतर निर्णय लिया जाये और यदि कोई अपील होती है तो उस पर तीन महीने के अन्दर निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : विवाह विच्छेद के मामलों में विवाह विच्छेद के मामलों का निर्णय निचली अदालतों और जिला न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। विवाह विच्छेद के मामले जिला मुंसिफ के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। यह भी एक कारण जिससे विवाह विच्छेद के मामले लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार का इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था जिससे जिला मुंसिफ को विवाह विच्छेद के मामलों पर भी निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार हो क्योंकि जो ग्राम निवासी तलाक लेना चाहते हैं वे निम्न वर्ग के हैं और वे आसानी से मुंसिफ न्यायालयों में जा सकते है। यह सुझाव आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बहुत पहले किया गया था। क्या सरकार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी जिससे कि मुंसिफ न्यायाधीशों को विवाह विच्छेद मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सके ?

श्री बी० शंकरानन्द : निस्संदेह यह सुझाव कियान्वयन के लिए किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं सदन को सूचित करना चाहता हू कि प्रश्न मुख्यत दिल्ली न्यायालयों से सम्बन्ध रखता है।

क्या मैं सदन को सूचित कर सकता हू केवल संबंधित परिवारों के मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम को अधिनियमित किया गया है और यह राज्यों के लिए बाध्य है कि जहां दस मिलियन जनसंख्या हो वहां परिवार न्यायालय स्थापित करने चाहिये। मैं केवल यह सुझाव दे सकता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार परिवार न्यायालय अधिनियम का इस्तेमाल कर सकती है जो लोग न्यायालयों में मुकदमे लड़ रहे है उनकी सहायता कर सकती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : दिल्ली में विवाह विच्छेद मामलों का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आता है।

श्री बी० शंकरानन्द : दिल्ली में दस परिवार न्यायालयों को मंजूरी दी गई है और दिल्ली प्रशासन उन पर कार्य कर रहा है।

ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

+

*441. श्री शांति लाल पटेल :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फरवरी, 1989 में भारत आए थे;

(ख) क्या ब्रिटेन का एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी संयुक्त सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु भारत के दौरे पर आया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) दोनों देशों के बीच यदि कोई समझौता हुआ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) ब्रिटेन के व्यापार तथा उद्योग राज्य मन्त्री के नेतृत्व में वहां के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें वहां के कुछ व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से फरवरी, 1989 में भारत का दौरा किया। उस बैठक के समापन पर सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गये। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार तथा व्यापार संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग, बहुपक्षीय मुद्दे तथा औद्योगिक सहयोग की मदें शामिल थीं। संयुक्त समिति की बैठक में हुए विचार-विमर्श मुख्यत: दोनों सरकारों में परामर्श के रूप में थे और इन विचार विमर्श के क्रियान्वयन हेतु कोई समय-सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शान्ति लाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन का जो प्रतितिदिन मंडल यहां पर आए उन्होंने किस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की और हमारा मुद्दा क्या था ? क्या इन दोनों मुद्दों में किसी पर समझौता हुआ है या कोई कार्यवाही चल रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हमने पहले ही विवरण में बताया है कि ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग सचिव के नेतृत्व में वहां का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें वहां के कुछ व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे भारत ब्रिट्रिश आर्थिक समिति की आवधिक रूप से होने वाली बैठकों में भाग लेने के उद्देश्य से फरवरी 1989 में भारत के दौरे पर आया था। उस बैठक में हमने व्यापार से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर विचार किया था जैसे कि हम इस व्यापार घाटे को कैसे कम कर सकते है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनमें कोटा आइटमों के अलावा हम बाजार मे प्रवेश कर सकते है उन्हें विश्वास दिलाया ताकि वे ई०ई०सी० देशों में हमारे कोटे में वृद्वि के लिए हमारे मामले को आगे बढ़ा सके, संयुक्त सहयोग निष्पादन समीक्षा व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों पर चर्चा की गई जो 1983 में भारत और ब्रिटन

के बीच शुरू किये गये थे प्रथम व्यापार संवर्धन कार्यक्रम 1983-1986 के बीच समाप्त हुए थे और दूसरा टी० पी० पी० हाल ही में शुरू हुआ है। हमने इन सब बातों पर आपस में चर्चा की है। आम-तौर पर हमने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में आने वाले सभी क्षेत्रों पर चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 442 श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल अनुपस्थित है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरा एक निवेदन है। प्रश्न 442 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न का संबंध लाखों किसानों से है। अतः क्या आप मन्त्री जी से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप भी इसमें रुचि रखते हो।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, ऐसा पहले भी हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछिये। मैं इसकी अनुमति दे दूगा। प्रश्न 443

मद्रास में शिपिंग क्लियरिंग एजेंटों का तस्करी गतिविधियों और उत्पाद शुल्क अपवंचन में हाथ होना

*443. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में शिपिंग क्लियरिंग एजेन्टों की तस्करी की गतिविधियों और उत्पाद शुल्क के अपवंचन में सांठ-गांठ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है; और

(ग) क्लियरिंग एजेन्टों की इस तरह से तस्करी की गतिविधियों और उत्पाद शुल्क के अपवंचन में सांठ-गांठ रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) हाल ही में केवल दो ऐसे मामले जानकारी में आये हैं जिनमें मद्रास सीमाशुल्क गृह के एक सीमाशुल्क गृह एजेन्ट/शिपिंग एजेन्ट अथवा उसके कर्मचारी को सीमाशुल्क की चोरी और तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाया गया है।

(ख) और (ग) दोनों मामलों की जांच-पड़ताल की गई थी। जनवरी, 1986 में दर्ज किये गये एक मामले में, विभागीय न्यायनिर्णयन में सीमाशुल्क गृह एजेन्ट पर 5,000/- रुपये का अर्थ-दण्ड लगाया गया था। उक्त एजेन्ट ने सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय अधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की है। यह अपील निर्णयाधीन पड़ी है। सीमाशुल्क गृह एजेन्ट का लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया गया था। तथापि, मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने इस निलम्बन आदेश को लागू करने के सिलसिले में स्थगनादेश दिये हैं।

एक अन्य मामले में जो जून, 1986 में दर्ज किया गया था और जिसमें लगभग 1.96 करोड़ रुपये मूल्य के 750 स्वर्ण बिस्कुटों का अभिग्रहण कोयम्बटूर में एक कार से किया गया था उसमें एक शिपिंग एजेन्ट के प्रबन्ध निदेशक के ग्रस्त होने का पता चला था। इस व्यक्ति को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत गिरफ्तार और नजरबन्द भी किया गया

है। न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं और विभागीय न्यायनिर्णयन सीमा-शुल्क समाहर्ता, मद्रास के समक्ष विचाराधीन है।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमाशुल्क गृह अभिकर्ता लाइसेंसिंग विनियमन, 1984 के तहत उस सीमाशुल्क गृह एजेन्ट और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध कारंवाई की जाती है जो तस्करी की गतिविधियों और सीमाशुल्क की चोरी में ग्रस्त पाये जाते हैं। इस कारंवाई में विभागीय कार्य-वाहियों के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाना, उपयुक्त मामलों में गिरफ्तारियां करना और अभियोजन चलाना और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन, यदि आवश्यक समझा जाये तो, नजरबन्द करना भी शामिल है।

श्री एन० डेनिस : विवरण में, मद्रास में कर-अपवंचन के केवल दो मामले ध्यान में लाये गये हैं; लेकिन कर अपवंचन और तस्करी के बहुत से मामले ध्यान में नहीं लाये गये हैं। इन मामलों की हमें समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है। पोत अधिकारी माल का संरक्षण करते हैं और शिपिंग एजेन्ट पोत अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में होते हैं। वे कस्टम अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में नहीं होते। यदि वे एक दूसरे के साथ सांठ-गांठ करें तो कर-अपवंचन और तस्करी का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में कर-अपवंचन और तस्करी को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों ने कौन से कारगर कदम उठाये हैं?

श्री बी० के० गढ़वी : मैंने उत्तर दिया था कि दो मामले हमारे ध्यान में आये थे और उस पर हमने कारंवाई की है। जैसा कि सदस्य कहते हैं ऐसे कई मामले हैं जो नोटिस में नहीं लाये गये हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जो हमारे ध्यान में न लाया गया हो।

लेकिन जहां तक शिपिंग एजेन्ट का सम्बन्ध है यदि वे किसी तस्करी के कार्य में शामिल होते हैं या वे किसी प्रकार के कर को बचाना चाहते हैं या वे कस्टम के दृष्टिकोण से कोई गैर-कानूनी कार्य करते हैं तो निश्चय ही उनके खिलाफ कार्यवाही करना हमारा अधिकार है।

माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एक मामले में हमने लाइसेंस रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है हमने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था अन्य मामले में एक व्यक्ति सोने की तस्करी में पकड़ा गया उसे 'फेरा' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया तथा सभी प्रकार कारंवाई की गई।

श्री एन० डेनिस : शिपिंग एजेन्ट वर्गीकरण और श्रेणीकरण को गलत दर्शा कर गड़बड़ी करते हैं। कर-योग्य मदों को गैर-कर-योग्य मदों में वर्गीकृत किया जाता है तथा गलत विवरण दिया जाता है क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि सरकार ने उनके गलत श्रेणीकरण और वर्गीकरण के खिलाफ क्या कदम उठाये हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : अगर झूठे दस्तावेज भरे जाते हैं अथवा गलत विवरण दिया जाता है तो उनके खिलाफ कारंवाई की जाती है। पहले मामले में झूठे दस्तावेजों के आधार पर बिल आफ एन्टरी तैयार की गई थी इसलिए कार्यवाई की गई। हम उनकी समीक्षा करते हैं कि क्या गलत विवरण दिया गया है या सही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं या नहीं।

[अनुवाद]

यदि हमें पता चलता है कि सही दस्तावेज नहीं भरे गये हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्य-वाही की जा सकती है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने टैक्स इवेजन में सहायता की है, रौंग डाक्यूमेंट्स पेश किये हैं, इतने बड़े अपराध के लिये आपने जो सजा दी है, उसका लाइसेंस कैंसल किया है और 5 हजार रुपये जुर्माना किया है, मैं समझता हूं कि यह सजा कुछ भी नहीं है । जो व्यक्ति करोड़ों में कर चोरी करे, स्मगलिंग में सहायक बने, उसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए । आपने जो थोड़ी सी सजा दी उससे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं । आपके छोटी-मोटी सजा देने से लोगों को ऐसे काम आगे भी करते रहने की हिम्मत मिलेगी, ऐसे काम बराबर होते रहेंगे । हमारे देश में रौंग ग्रेडेशन या क्लासिफिकेशन का मामला बड़े पैमाने पर हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसे देखने की आवश्यकता है । ये लोग मिलकर सरकार का अरबों रुपया हड़प कर रहे हैं । गृह एजेन्ट, शिपिंग एजेन्ट्स और दूसरे लोगों के रौंग ग्रेडेशन से राजस्व को भारी लॉस हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी रौंग डिक्लेयरेशन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ताकि सरकारी राजस्व को होने वाली हानि को बचाया जा सके ।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढवी : मैं अपने विद्वान सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों की बहुत सराहना करता हूं । मैं उनकी चिन्ता की सराहना करता हूं । इस मामले में कर अपवंचन 2.20 लाख रुपये मूल्य का था । प्रथम दृष्टया मामले में हमने पाया कि कुछ जाली दस्तावेज बिल की प्रविष्टि के साथ पेश किये गये थे । मैं यह भी महसूस करता हूं कि 5000 रुपये का जुर्माना अपर्याप्त है । अतः आज सुबह ही मैंने विभाग से यह पता करने के लिए कहा है कि क्या मुकदमा चलाया जा सकता है और यदि यह चलाया जा सकता है तो फिर वे मुकदमा चलायेंगे ।

सरकारी विभागों में व्यय

*446. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में बहुत अधिक व्यय किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस गलत तरीके के कारण अनावश्यक खरीद की जाती है, घटिया वस्तुओं की सप्लाई की जाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है; और

(ग) क्या सरकार का इस व्यवस्था को सुचारू बनाने का विचार है ताकि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान संतुलित व्यय व्यवस्था बनी रहे ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन महीने के दौरान अत्यधिक व्यय न किया जाए। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सलाहकारों को कहा गया है कि वे महीना-दर-महीना के आधार पर व्यय की पुनरीक्षा करें ताकि व्यय व्यवस्था वर्ष भर सही बनी रहे और बजट प्रावधानों का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष के अन्त में अत्यधिक व्यय न हो। तुलनात्मक दृष्टि से व्यय की गति वर्ष के उत्तरार्द्ध में अधिक तेज मुख्यत: इस वजह से हो जाती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करने के बाद सरकारी निधियों का आहरण करते हैं और राज्य सरकारों तथा स्वायत्त निकायों को सहायता की अन्तिम किश्त का दिया जाना अनिवार्य रूप से उनके द्वारा व्यय-विवरण प्रस्तुत किये जाने पर आधारित होता है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के न तो भाग (क) नहीं भाग (ख) का उत्तर दिया गया है। वस्तुत: भाग (ग) का आम तरीके से उत्तर दिया गया है। माननीय मंत्री ने प्रश्न को टाला है। क्या मैं आपका संरक्षण प्राप्त कर सकता हूं और उनसे पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा संरक्षण है। मैं न केवल अनुरोध कर सकता हूं बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश भी दे सकता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इसलिए मैं माननीय मंत्री से भाग (क) और (ख) का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं और फिर मैं अपने पूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री बी० के० गढवी : हमने कहा है : "(क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।"

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने एक विशेष विनिर्णय दिया था कि जहां तक संभव हो सके तो मंत्रियों को भाग (क), (ख), (ग) आदि के अलग-अलग उत्तर देने चाहिएं यदि माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय : और हम उस पर कायम हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इस तरह का एक विनिर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय को इसका ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : विनिर्णयों की कोई उपयोगिता नहीं है, यदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जाना है तो किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है। फिर प्रश्न क्यों किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता न कीजिए। प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा। इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। इसका उत्तर दिया जायेगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष के अन्त में व्यय की जल्दी रहती है और कदाचार होते हैं। यह सर्वविदित बात है कि किसी तरह बजट में निश्चित

किये गये धन को खतम कर दिया जाता है और लोग इस धन को निकाल लेते हैं। यह अनिर्धारित आय को सीधे या छिपके कमाने का बहुत लाभकारी तरीका है। हम इसे वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है—विशेष रूप से इस कदाचार के प्रति? हो सकता है कि जो व्यवस्था उन्होंने की है वही गलत हो। उन्हें इसकी प्रत्येक महीने समीक्षा करनी चाहिए। परन्तु दूसरी तरफ उत्तर से पता चलता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस व्यवस्था का पूरी तरह से लाभ हो इसमें सहयोग करती लगती है। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय का क्या रुख है विशेष रूप से कदाचार के प्रति। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विश्लेषण किया गया है कि अन्तिम तीन महीनों के दौरान पहले नौ महीनों की तुलना में किये गये व्यय का प्रतिशत क्या है—आज वित्त वर्ष का अन्तिम दिन है—और क्या उन्होंने इस बात की भी जांच की है कि क्या खरीदारी की गई है और क्या इसमें कोई कदाचार पता चले हैं या उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया है।

श्री बी० के० गढवी : व्यय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय वे ही करते हैं कि दिये गये धन का उपयोग किस प्रकार किया जाये। परन्तु समय-समय पर हम अपने वित्त सलाहकारों पर इस बात के लिए जोर डालते हैं कि जहां तक सम्भव हो सके वर्ष के अन्तिम समय में अधिक व्यय से बचा जाये और इस तरह अनावश्यक व्यय से बचना चाहिए। जहां तक कदाचारों की बात है यदि कोई व्यक्ति इसमें लिप्त है और यदि यह बात हमारे ध्यान में लाई जाती है तो सम्बन्धित मंत्रालय कार्यवाही करेगा। परन्तु यह कहना कि सामान्यत: अन्तिम तीन महीनों में किये गये व्यय की वजह से कदाचार बढ़ते हैं तो यह ठीक बात नहीं है परन्तु साथ ही जैसे कि मैंने पहले ही कहा है हम समय-समय पर इस तरह के अधिक व्यय को रोकने के लिए निर्देश जारी करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रतिशत पूछी है। मैं तो कहूंगा कि 1985-86 में वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में यह 41.26 प्रतिशत थी, 1986-87 में यह 45.21 प्रतिशत थी और 1987-88 में यह 45.86 प्रतिशत थी। मैं उन्हें राशि भी बता सकता हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने केवल व्यय का प्रतिशत पूछा है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, इस पर हमें आधा घंटे की चर्चा की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बी० के० गढवी : परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक सम्भव हो प्रमुख और प्रशासनिक मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में अधिक व्यय न हो क्योंकि ऐसी कई बातें होंगी जिन पर सरसरी तौर पर गौर हो पायेगा क्योंकि हो सकता है कि उसकी ठीक प्रकार से जांच न हो सके।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम घिसी पिटी बातों से संतुष्ट हो ज ते हैं। यह प्रश्न पूछने का यह अर्थ ही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि वह उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हां, काफी हद तक। मैं कह सकता हूं कि जो प्रश्न मैंने पूछा था उससे पता चलता है कि उनके कहने के मुताबिक 41 से 45 प्रतिशत व्यय अन्तिम तीन महीनों में होने से दुरुपयोग और कदाचार होने की पूरी सम्भावना है। क्या मंत्री महोदय इस व्यय की जांच करवायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय उचित ढंग से किया जाये? आखिर व्यय मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय उचित प्रकार से किया जाये। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह आपका काम नहीं है और यह संबंधित मंत्रालयों का कार्य है। अन्यथा मैं समझता हूं कि व्यय मंत्रालय की

आवश्यकता ही नहीं होगी। मेरा कहना है कि इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री इसे करने को इच्छुक हैं। क्या वह पुन: केवल सलाह देने की तकनीक को ही अपनाना चाहता है ?

श्री बी० के० गढवी : मेरा कहना है कि सभी मंत्रालय सक्षम हैं; वे अपने वित्तीय मामलों के संबंध में सतर्क हैं और समय-समय पर हम उन्हें सलाह भी देते हैं। मैं सभी मंत्रालयों की जांच नहीं करवा सकता हूं। यह मेरी सामर्थ्य के अन्दर भी नहीं है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, क्या मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए कह सकता हूं ? यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि आबंटित राशि के चालीस प्रतिशत का उपयोग अन्तिम तीन महीनों में किया जाता है।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया आध घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : जैसे कि माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम ने उल्लेख किया है अन्तिम तीन महीनों में काफी बेतुका व्यय किया जाता है, अधिक व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। व्यर्थ के व्यय को कम करने और घाटे की अर्थव्यवस्था को नीचे लाने की बजाय क्या यह सच नहीं है कि आप एक ऐसी नई परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं जहां सार्वजनिक निधियों जैसे अखिल समन्वय समितियों की निधियों को घाटे की अर्थव्यस्था को कम करने के लिए राजस्व लेखे में डाल दिया जाता है ? अत: जैसे कि कल अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा था आप इस परम्परा को छोड़ देंगे और श्री कुमारमंगलम के व्यय की निगरानी करने के सुझाव का पालन करेंगे ताकि आप अपने लेखों पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख पाये ?

श्री बी० के० गढवी : मैं इस प्रश्न पर असंगत प्रश्नों को पूछने के इस उत्तम तरीके की सराहना करता हूं। यह निसन्देह उनका चातुर्य है। परन्तु अन्तिम तीन महीनों में या पूरे वर्ष भर व्यय के अधिक होने से घाटे की अर्थव्यवस्था को कुछ लेना देना नहीं है। घाटे की अर्थव्यवस्था तो कुल मिला कर एक भिन्न बात है। पूरे वर्ष के लिए एक कुल राशि आबंटित की जाती है। यदि वह पांच-छह महीनों में खर्च नहीं की जाती है और अन्तिम महीनों में खर्च की जाती है तो इससे कोई घाटा नहीं आता है। कुछ मामलों में यह भी होता है कि खरीददारियां पहले की गई हों। लेकिन भुगतान वर्ष के अन्तिम महीनों में किया जाए। ऐसा भी हो जाता है। लेकिन यह कहना कि अन्तिम महीनों में किये व्यय के पीछे कोई उद्देश्य है सही नहीं होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रश्न के मुख्य हिस्से का क्या हुआ ? क्या आप अध्यक्ष महोदय के परसों दिये निदेशों का पालन करेंगे ?

कुमारी ममता बनर्जी : कतिपय सरकारी अधिकारी और मंत्री हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों को सार्वजनिक धन का आपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करने के संबंध में निर्देश जारी करेंगे।

श्री बी० के० गढवी : मैं इस बात का खण्डन करता हूं कि केन्द्र सरकार के मंत्री धन का दुरुपयोग करते हैं। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री धन का दुरुपयोग करते हैं।

कुमारी ममता चक्रवर्ती : मैं आपको कई विशेष उदाहरण दे सकती हूं। (व्यवधान)

प्रो० नारायण चन्द पराशर : माननीय मंत्री ने कहा था कि अन्य प्रमुख मंत्रालय के संबंध में उनकी एक सलाहकार की भूमिका है। परन्तु मेरी शिकायत है कि यह भूमिका बजाय इसके रुकावट पैदा करने वाली है और यह अन्य मंत्रालयों को उचित ढंग से कार्य करने तथा निर्धारित अवधि में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देती है। जहां तक डाक और तार विभाग की बात है—भले ही आज 31 मार्च है लेकिन उन्होंने 3000 डाकघर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। यह उनका कार्य निष्पादन है।

श्री बी० के० गढवी : यह विभेद करना तो बहुत कठिन है, सलाहकार वाली भूमिका और प्रतिबन्धात्मक भूमिका के बीच बहुत थोड़ा फासला है। जब कभी वित्त मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव आता है तो इसको निश्चित रूप से वित्त प्रश्न सहित सभी पक्षों से जांचा परखा जाता है और जब कभी यह सम्भव होता है तो इसे मंजूरी दे दी जाती है।

————

प्रश्नों के लिखित उत्तर

घटिया टीन की प्लेटों का आयात

[अनुवाद]

*433. श्री वाई० एस० महाजन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्य खुले लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के अन्तर्गत घटिया टीन की प्लेटों और कतरनों का भारी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी भारी मात्रा में घटिया टीन की प्लेटों और कतरनों के आयात का अच्छे किस्म के माल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत घटिया टीन की प्लेटों और कतरनों का आयात किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं और ऐसा आयात रोकने हेतु क्या कदम, उठाए गये हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) दोयम दर्जे की प्लेटों का आयात केवल आयात लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सकता है, जब कि टिन प्लेट कतरन ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात की जा सकती है। वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान टिन प्लेट कतरन का आयात अनुमानत: निम्नलिखित रहा :

1986-87	मात्रा मी० टन	1987-88
47,500		60,300

जहां तक दोयम दर्जे की टिन प्लेटों के आयात का सवाल है, ऐसे आयातों के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि यह मद इस्पात के आयात माल की व्यापक श्रेणी में आता है।

दोयम दर्जे की टिन प्लेटों तथा टिन प्लेटों की कतरनों के आयात के फलस्वरूप क्वालिटी की वस्तुओं के उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विदेशी मुद्रा का धंधा

[हिन्दी]

*434. श्री मदन पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विदेशी मुद्रा का अवैध धंधा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस धंधे में शामिल व्यक्ति हाल ही में दिल्ली में गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्तियों से कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है और उसका विदेशी मुद्रावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों में विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे में वृद्धि होने के कोई संकेत नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1989 (15 मार्च तक) के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) वर्ष 1989 (15 मार्च तक) के दौरान दिल्ली में कुल 1.33 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। जब्त की गई विदेशी मुद्रा में, संयुक्त राज्य अमरीकी डालर, हांगकांग डालर, सिंगापुर डालर, कनाडी डालर, थाई भाट, ड्यूशमार्क, पाउंड स्टर्लिंग, कुवैती दीनार, सऊदी रियाल, स्विडिश क्रोन तथा डेनिश क्रोनो सम्मिलित हैं।

(घ) कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित कारंवाई की जाती है।

उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

[अनुवाद]

438. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा उद्योग पतियों तथा विमान यात्रियों से डरा-धमकाकर धन ऐंठने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च, 1989 के पहले सप्ताह में तीन उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को अनधिकृत प्रवेश तथा इस प्रकार डराने-धमकाने के कारण गिरफ्तार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान उत्पाद-शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा उद्योगपतियों अथवा विमान यात्रियों को डरा-धमकाकर धन ऐंठने सम्बन्धी कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के तीन निरीक्षकों से, 26 फरवरी, 1989 को मैसर्स अजय आटो इन्डस्ट्रीज डाबरी की फैक्टरी के किए गए उनके दौरे के सम्बन्ध में 6 मार्च, 1989 को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन, डाबरी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उक्त अधिकारियों को आपराधिक अभित्रास और अनधिकार प्रवेश के कथित आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में इन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

वाराणसी दिल्ली रेलगाड़ी को फैजाबाद से चलने के समय में परिवर्तन

[हिन्दी]

*439. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को एक ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि 949 अप-वाराणसी-दिल्ली रेलगाड़ी का फैजाबाद से चलने का समय जनहित में रात्रि 11 बजे के स्थान पर रात्रि 9 बजे किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ बागानों के लिए बीमा योजना

[अनुवाद]

*440. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रबड़ बागानों का बीमा करने के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने हैक्टेयर रबड़ बागानों का बीमा किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) जी हां। इस समय तीन योजनाएं चलाई जा रही है—एक मै० नेशनल इन्श्यूरेंस कं० लि० द्वारा, दूसरी मै० यूनाइटेड इण्डिया इन्श्यूरेंस कम्पनी लि० द्वारा तीसरी मै० केरल स्टेट इन्श्यूरेंस डिपार्टमेंट द्वारा। ये योजनाएं आग चक्रवात, बाढ़ आदि खतरों का बीमा करती है। लेकिन इनमें सूखे का खतरा शामिल नहीं है। इन तीनों बीमा योजनाओं के अन्तर्गत अब तक लगभग 5564 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

रबड़ का आयात मूल्य

*442. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रबड़ का आयात किस मूल्य पर किया जा रहा है और देश में उसका वर्तमान विक्रय मूल्य कितना है;

(ख) रबड़ पर कितना आयात शुल्क लगाया जाता है;

(ग) क्या देश में रबड़ का मूल्य वर्ष 1982 और 1989 के बीच स्थिर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2000 ई० में रबड़ की भारी कमी होने की आशंका है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) आयातित रबड़ की प्रति मी० टन कीमत (दिसम्बर, 1988 में) आर० एस० एस०-3 और एस० एम० आर०-20 ग्रेडों के क्रमश: 1108 सं० रा० अमरीकी डालर और 1030 प्रति मी० टन सी० एंड एफ० है। राज्य व्यापार निगम ने दिनांक 1-1-1988 और दिनांक 25-11-1988 के बीच विनिर्माताओं को रु० 17,00 से लेकर रु० 20,000 प्रति मी० टन तक (मद्रास गोदाम से) की दरों पर रबड़ रिलीज किया है।

इस रबड़ पर आयात शुल्क 25% की दर से था।

(ग) और (घ) प्राकृतिक रबड़ की कीमतें केवल रबड़ के उत्पादन, कुछ मांग और सप्लाई स्थिति पर ही नहीं निर्भर करती हैं बल्कि कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करती है—जैसे—निश्चित अवधियों में स्वदेशी रबड़ की कुल उपलब्धता अर्थात और उसकी तुलना में इस अवधि के दौरान उद्योग द्वारा मांग/उठान। वर्ष 1982-83 से वर्ष 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) के दौरान प्राकृतिक रबड़ (आर० एम० ए०-4 ग्रेड) की कीमतें रु० 1440 से रु० 1813 प्रति क्विंटल के बीच रहीं।

(ङ) सरकार का प्रयास रहता है कि रबड़ की केवल उतनी ही मात्रा का आयात किया जाए, जितनी मांग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इसके साथ ही सरकार द्वारा जून, 1986 से चलाई जा रही बफर स्टाक रखने की योजना से भी छोटे उपजकर्ताओं के हितों की पूरी तरह रक्षा हो रही है।

(च) प्राकृतिक रबड़ की कृषि/उत्पादन/उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा कार्यान्वित उपायों में निम्नलिखित पहले ही से शामिल हैं :

(1) रबड़ बागान विकास योजना;

(2) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए योजना;

(3) पौध-शालाओं की स्थापना और रोपण-सामग्री का वितरण;

(4) छोटे बागानों के स्वामियों को अर्थ-सहायता प्राप्त दरों पर एस्टेट निविष्टियों की सप्लाई;

(5) सलाह और प्रशिक्षण सेवाएं;

(6) रबड़-बागानों में सिंचाई बढ़ाने की योजनाएं; और

(7) सामुदायिक मार्केटिंग और संसाधन।

बैंकों में वर्ग-1 में पदोन्नति

*444. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी है कि वे बैंकों में श्रेणी-I काडर में पदोन्नति के लिए चयन के आधार पर पदोन्नति की नीति ही अपनाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी पदोन्नति नीतियां तदनुसार तैयार कर ली हैं;

(ग) क्या उपरोक्त पदोन्नति प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) अधिकारी सेवा विनियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि एक वेतनमान अथवा ग्रेड से दूसरे वेतनमान अथवा ग्रेड में पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर की जाएंगी और सम्बन्धित बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर वरिष्ठता, शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताओं आदि के लिए निर्धारित वेटेज, यदि कोई हो, दिया जाएगा। योग्यता के आधार पर पदोन्नति करते समय अधिकांश बैंकों ने "चयन" प्रणाली अपनाई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार के सामान्य निर्देशों के, अनुसार यदि पदोन्नतियां चयन प्रणाली से की जाती हैं, तो उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाता है।

"इंडियन एक्सप्रेस" समूह के भवनों पर छापे

*445. श्री एच० एम० मन्के पतिल :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग अधिकारियों द्वारा मार्च, 1989 के दौरान "इंडियन एक्सप्रेस" समूह के भवनों पर देशव्यापी छापे मारे गए;

(ख) यदि हां, तो छापों के दौरान पकड़े गए अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का "इंडियन एक्सप्रेस" समूह के विरुद्ध आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

राजस्व विभाग में वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) मार्च, 1989 के दौरान आयकर विभाग ने इंडियन एक्सप्रेस समूह की बम्बई में स्थित दो कम्पनियों के कार्यालय-परिसरों की तलाशी ली थी। इसके साथ ही साथ, दिल्ली तथा कलकत्ता में कतिपय ऐसे व्यक्तियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई थी, जिनके बारे में यह बताया गया है कि उनके इंडियन एक्सप्रेस समूह के साथ कारोबारी सम्बन्ध हैं।

(ख) तलाशियों के दौरान अभिगृहीत अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया पर्याप्त मात्रा में कर की चोरी किए जाने के संकेत मिलते हैं। चूंकि जांच-पड़ताल अभी चल रही है, इसलिए इन दस्तावेजों के ब्यौरों को बताना जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा।

(ग) ऐसे मामलों में, प्रत्यक्ष कर अधिनियों के अध्यधीन यथापेक्षित कार्यवाही की जाती है।

शिक्षित बेरोजगारों को पूर्णकालिक बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त करना

[हिन्दी]

*447. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को पूर्णकालिक बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि भारतीय जीवन बीमा निगम के पास एजेंटों की भर्ती के लिए, जो बीमा को अपना पेशा बनाना चाहते हैं, "वृत्तक एजेंट योजना" नामक एक योजना है । जीवन बीमा निगम, निगम के लिए जीवन बीमा कारोबार प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति को एजेंसी देता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और किसी नगर अथवा शहर में नियुक्ति के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख अथवा अधिक हो, मैट्रिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति के मामले में कम से कम आठवीं श्रेणी पास कर ली हो । वृत्तक एजेंटों को एक परीक्षा पास करनी होती है और साक्षात्कार के पश्चात उनका चयन विशेष प्रशिक्षण के लिए किया जाता है । वृत्तक एजेंट योजना के अन्तर्गत एजेंटों को मासिक वृत्ति दी जाती है ताकि शुरू में उन्हें कुछ सहायता मिल सके । वृत्तिका की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात वृत्तक एजेंटों को, अन्य एजेंटों की तरह, उनके द्वारा प्राप्त किए गए जीवन बीमा कारोबार के सम्बन्ध में केवल कमीशन ही दिया जाता है ।

रुग्ण एककों की ओर बैंक ऋण की बकाया राशि

[अनुवाद]

*448. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों की ओर बकाया बैंक ऋण राशि में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण एककों के नाम बैंकों की बकाया रकमों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार किये जाने तक परिचालनों को जारी रखने के लिए सहायता जारी रखी जाती है । इसके अलावा, पुनरुद्धार कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी बैंकों से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के वास्ते अर्थ क्षमता अध्ययन/पोषण कार्यक्रम आरम्भ करें । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भी गैर-लघु उद्योग एककों के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है ।

ब्रिटेन को निर्यात

*449. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन को इस समय किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ब्रिटेन को उन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस मामले पर भारत और ब्रिटेन की आर्थिक मामलों सम्बन्धी समिति की पिछली बैठक में विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारत से ब्रिटेन को निर्यात की जा रही प्रमुख मदों में शामिल हैं : वस्त्र, परिधान, काजू, खली, पटसन उत्पाद, चमड़ा उत्पाद तथा परिधान, परिष्कृत चमड़ा, इंजीनियरी माल, स्वर्ण आभूषण, समुद्री उत्पाद, चाय, मसाले, कालीन, आदि । निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, व्यापार मेलों में सहभागिता, प्रचार आदि व्यापार संवर्धन उपायों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) फरवरी, 1989 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसके विविधीकरण की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया । इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार-स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि द्विपक्षीय व्यापार का संतुलन ठीक किया जा सके ।

बैंकरों और लघु उद्योग एककों की बैठक

*450. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्णता के कारणों तथा उसके विस्तार का पता लगाने तथा इसके उपचारात्मक उपाय ढूंढने की दृष्टि से बैंकरों तथा लघु उद्योग एककों की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण एककों सहित लघु उद्योग एककों को ऋणों आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 28 जनवरी, 1989 को बम्बई में एक बैठक की थी । ऐसे विचार-विमर्श तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य जानकारी के आधार पर, बैंकों को समय-समय पर उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी किए जाते हैं ।

यूरोपीय पूंजी निवेश बैंक

4149. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विकास परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देने वाले यूरोपीय पूंजीनिवेश बैंक की सामान्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना रोम सन्धि के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन के समय 1958 में की गई थी । इसकी स्थापना विभिन्न सदस्य देशों या सम्पूर्ण यूरोपीय आर्थिक समुदाय को, सांझे हित वाली

विकासशील परियोजनाओं के लिए उद्यमों, सरकारी प्राधिकरणों और वित्तीय संस्थाओं को दीर्घावधिक ऋण मंजूर करने और/या गारंटी देने के प्रयोजन से की गई थी। गैर सदस्य देशों को यूरोपीय निवेश बैंक के गवर्नर बोर्ड की विशेष स्वीकृति पर कभी-कभी इन निधियों से ऋण मंजूर किये जाते हैं। स्वीकृतियों का निर्णय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए खास महत्व रखने वाली परियोजनाओं के संबंध में अलग-अलग मामलों में अलग-अलग आधार पर किया जाता है। यूरोपीय निवेश बैंक ने भारत में अभी तक किसी भी परियोजना का वित्त पोषण नहीं किया है।

जल-प्रबन्ध पर भारत-नेपाल वार्ता

4150. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से भारत की ओर प्रवाहित नदियों के जल के बेहतर प्रबन्ध के लिए नेपाल के साथ बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) अन्तिम बार विचार-विमर्श दिसम्बर, 1988 में किया गया था, जबकि नेपाल से भारत की ओर बहने वाली नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों के सम्बन्ध में स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी।

तस्करी के कपड़ों की बिक्री से आय

4151. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तस्करी के कपड़ों की बिक्री से कितनी आय हुई है;

(ख) प्रति वर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत तस्करी का कपड़ा जब्त किया जाता है;

(ग) तस्करी के कपड़े और स्थानीय उत्पादित कपड़े के मूल्य में कितना अन्तर है;

(घ) क्या कपड़ा तैयार करने में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर लगाये जाने वाले अत्यधिक उत्पादन शुल्क के कारण देश में निर्मित कपड़े मंहगे होते हैं; और

(ङ) कुल 200 रुपये मूल्य की पोलिस्टर साड़ी पर कितना उत्पादन शुल्क लगा हुआ होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जब्तशुदा उन वस्त्रों का मूल्य नीचे दिया गया है जिनका निपटान पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया है :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1986	1536.33
1987	1273.90
1988	1718.56 (अनन्तिम)

(ख) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला एक धंधा है, अतः यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं है कि तस्करी द्वारा कितनी मात्रा में वस्त्र देश में लाए जा रहे हैं और इसलिए यह अनुमान लगा पाना भी संभव नहीं है कि तस्करी द्वारा लाए गए उन वस्त्रों का क्या प्रतिशत अनुपात है जिन्हें प्रतिवर्ष जब्त किया गया है।

(ग), (घ) से (ङ) : यद्यपि भारत में निर्मित संश्लिष्ट वस्त्र, आयात किए गए वस्त्रों की तुलना में गुणवत्ता, प्रिन्ट और तन्तु विन्यास में उम्दा होते हैं परन्तु मूल्य भारतीय उत्पाद के प्रतिकूल होते हैं। भारत में संश्लिष्ट वस्त्रों के ऊंचे दाम विभिन्न कारणों की वजह से हैं जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में जो कमी आती है, उसके अभाव के कारण और ऊर्जा की उच्चतर लागत आदि। पालियस्टर वस्त्रों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क वस्त्र की संरचना, वस्त्र का प्रतिवर्ग मीटर मूल्य, वस्त्र का प्रति वर्गमीटर वजन तथा वस्त्र की चौड़ाई जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। अतः उपर्युक्त पैरा मीटरों के बारे में सूचना के अभाव में, यह बात पाना संभव नहीं है कि 200 रुपए मूल्य की पालियस्टर साड़ी के सम्बन्ध में सही उत्पादन शुल्क संघटक कितना है।

सरकार ने अब नए कारखाने लगाए जाने तथा पालियस्टर फाइबर और पालियस्टर यार्न के निर्माताओं के लिए मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के लिए अनुमति दे दी है ताकि विनिर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में जो कमी आती है, उसे प्राप्त कर सकें। इससे स्वदेशी संश्लिष्ट वस्त्रों की लागत में कमी आएगी और इससे इनकी तस्करी किए जाने के प्रलोभन में कमी होगी।

सुजानगढ़ से पिलानी (राजस्थान) तक रेल लाइन

[हिन्दी]

4652. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय में सुजानगढ़ से पिलानी बरास्ता सालासर, लक्ष्मणगढ़, बलारा, मनडेया और चौराला के लिए नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई विशिष्ट परिवहन की मांग नोटिस में नहीं आयी है जिससे सुझायी गयी रेलवे लाइन की व्यवस्था करना जरूरी हो।

उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात और आयात

[अनुवाद]

4153. **श्री परसराम भारद्वाज** :

श्री डाल चन्द्र जैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा और मूल्य क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान आयात की गई उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) : भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु विवरण तथा कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अन्तर्गत उपभोक्ता

वस्तुओं की श्रेणी का अलग से निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है अतः इस वर्गीकरण के अन्तर्गत व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़े तैयार नहीं किये जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर नियमित कर

4154. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर निगमित कर लगाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) निगम-कर सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/कम्पनियों पर पहले से ही आयद किया जा रहा है। निगम-कर की दर में आप तौर पर कमी करने के सम्बन्ध में अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे लेकिन ये अभ्यावेदन विशिष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में नहीं थे। इस सुझाव की जांच-पड़ताल की गई थी तथा इसे स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई

41 5. **श्रीमती पटेल रमाबेन** :

रामजी भाई मावणि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला से दिल्ली तथा बड़ोदा से दिल्ली को रेलवे द्वारा डीजल तेल, लाइट डीजल तेल/अशोधित तेल तथा मिट्टी के तेल की औसतन कितनी मात्रा की प्रतिदिन ढुलाई की जाती है; और

(ख) (1) कांडला से दिल्ली, (2) बड़ोदा से दिल्ली, (3) दिल्ली में से कांडला और (4) दिल्ली से बड़ोदा मार्गों पर ढोये गये अन्य ठोस माल की औसत दैनिक मात्रा कितनी रही ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक के तीन महीने की अवधि में रेल द्वारा ढोये गये पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा दर्शाने वाले औसत दैनिक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(सभी आंकड़े टनों में)

	डीजल तेल (एच. एस. डी.)	हल्का डीजल (एल. डी. ओ.)	कच्चा तेल	मिट्टी का तेल (एस. के. ओ.)
कांडला से दिल्ली	495	70	कुछ नहीं	155
बड़ोदरा से दिल्ली	78	18	कुछ नहीं	160

(ख) विभिन्न बड़ी लाइन खण्डों के चार मार्गों पर चलने वाली ठोस सामान ले जाने वाली माल गाड़ियों की एक महीने की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गई है :

मार्ग :—कांडला से दिल्ली तथा दिल्ली से कांडला

खण्ड	कांडला से दिल्ली	दिल्ली से कांडला
कांडला-वीरम गांव	2.3	1.2
वीरम गांव-अहमदाबाद	5.6	3.2
अहमदाबाद-गोधरा	5.5	4.0
गोधरा-रतलाम	7.1	17.5
रतलाम-कोटा	8.6	7.3
कोटा-गंगापुर सिटी	9.0	7.1
गंगापुर सिटी-तुगलकाबाद (दिल्ली)	7.8	7.0

मार्ग :—बड़ौदरा से दिल्ली और दिल्ली से बड़ौदरा

खण्ड	बड़ौदरा से दिल्ली	दिल्ली से बड़ौदरा
बड़ोदरा-गोधरा	2.5	3.7
गोधरा-रतलाम	7.1	17.5
रतलाम-कोटा	8.6	7.3
कोटा-गंगापुर सिटी	9.0	7.1
गंगापुर सिटी-तुगलकाबाद (दिल्ली)	7.8	7.0

जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर और डोडा जिलों में बैंक शाखाएं खोलना

4156. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बैंक शाखाएं खोलने की घोषणा करने तथा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा ऊधमपुर जिले के इलाका बामहाग में अपनी एक शाखा खोलने की पेशकश किये जाने के बावजूद, ऊधमपुर जिले के 300 वर्गमील क्षेत्र में फैले पहाड़ी क्षेत्र में, जिसके अन्तर्गत पटवार हलगास साहरी, सुजन्धर, सेरमुन्धुबन तहसील रियासी लाली लड्डा तहसील ऊधमपुर और धनोर तहसील गुल गुलाब गढ़ आते हैं, कोई बैंक शाखा नहीं है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर जिले में स्थित बागवर (साहरी) तहसील रियासी में तथा डोडा जिले में स्थित चन्द्रकोट तहसील रम्बान में बैंक शाखाएं खोलने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते अग्रणी बैंक समूह/राज्य सरकार द्वारा ऊधमपुर जिले में पटवार, हलगास साहरी,

सुजन्धर, सरसुन्दुआं (खण्ड रियासी), लाखी नड्डा (खण्ड अखनूर) और घनोर (खण्ड गूल) केन्द्रों का चयन नहीं किया गया। खण्ड गूल जनसंख्या के मानदण्डों के आधार पर बैंकिंग सुविधाओं के मामले में कम बैंक सुविधाओं वाला खण्ड माना जाता है, जबकि खण्ड रियासी अधिक बैंक सुविधाओं वाला खण्ड माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि उसे यूको बैंक से इनमें से किसी भी केन्द्र में शाखा खोलने के वास्ते आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के वास्ते अग्रणी बैंक समूह/राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की जो सूची प्राप्त हुई है उसमें बागदर (साहुरी) तहसील रियासी और चन्द्रकोट तहसील रामबन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को भी इन केन्द्रों में बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कम बैंक सुविधाओं वाले खण्डों में बैंक शाखाएं उपलब्ध कराने के वास्ते तथा सेवा क्षेत्र योजना को कार्यान्वित करने के लिए भी, उसने अग्रणी बैंकों से अतिरिक्त केन्द्रों की सम्मिलित सूची प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

एस० डी० आर० के संदर्भ में रुपए का मूल्य

4157. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस० डी० आर० के संदर्भ में वर्ष 1987-88 और 1988-89 में भारतीय रुपये के मूल्य में कितना ह्रास हुआ है और एस० डी० आर० के उपबंधों के अंतर्गत रुपये का मूल्य बनाये रखने के लिए देश को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ख) सरकार का इस मूल्य ह्रास को किस प्रकार रोकने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करार की शर्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा धारित भारतीय रुपये का मूल्य विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) के अनुसार दर रखना आवश्यक है और रुपये के मूल्य को 30 अप्रैल को रुपया—एस० डी० आर० समता दर के आधार पर उस तारीख को हर वर्ष पुनः मूल्यांकित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अदा किये जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपरक्राम्य और ब्याज रहित प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाते हैं जिसमें कोई नकदी की निकासी अन्तर्ग्रस्त नहीं होती।

इस मूल्य को बनाये रखने के उद्देश्य से 1987-88 और 1988-89 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाते में जमा की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1987-88	1029.33
1988-89	774.74

रुपये की विनिमय दर विशेष रूप से उन देशों की करेंसियों की टासी के मूल्य के संदर्भ में

निर्धारित की जाती है, जो भारत के प्रधान व्यापारिक भागीदार हैं। इन करेंसियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के अधीन रुपये और अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दरें घटती अथवा बढ़ती रहती हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों के इस युग में, विनिमय मूल्यों में इस प्रकार की लगातार घट बढ़ असामान्य बात नहीं है।

तम्बाकू का निर्यात

4158. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वर्ष के लिए देश से तम्बाकू के निर्यात की अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से किन-किन देशों ने तम्बाकू का आयात किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन मुख्य देशों को भारतीय तम्बाकू निर्यात किया जाता है, वे हैं : ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी जनवादी गणराज्य, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, नीदरलैंड, यमन जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य, सऊदी अरब, चीन, मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया तथा सोमालिया।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1985-76	139.98
1986-87	144.87
1987-88	96.98

औषधियों पर बिक्री कर

4159. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों में निर्मित एवं दमन तथा दीव से निर्यात की जाने वाली औषधियों एवं दवाइयों पर कोई केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगाया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण केन्द्रीय सरकार को कितनी राजस्व की हानि होती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) संविधान के अन्तर्गत, भारतीय क्षेत्रीय सीमा में से निर्यात किए जाने अथवा उसमें आयात किए जाने के दौरान माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाने के लिए कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र कानून नहीं बना सकता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) में निर्यात के दौरान बिक्री पर कर

न लगाए जाने का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत किसी माल के निर्यात से पूर्व उसकी बिक्री अथवा खरीद के संबंध में कर न लगाए जाने की व्यवस्था है बशर्ते कि अधिनियम की धारा 5(3) में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाता है। उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाओं में से किसी के भी अन्तर्गत आने वाले सौदों पर केन्द्रीय बिक्री कर लागू नहीं होगा। इसलिए दमन व दीव से होने वाले निर्यात पर केन्द्रीय बिक्री कर लागू नहीं होगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों द्वारा मैले नोट जारी करना

4160. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बैंक असावधान जनता को क्षतिग्रस्त और कटे-फटे करेंसी नोट जारी करते हैं;

(ख) क्या अधिकांश बैंक ऐसे करेंसी नोटों को लेने से इन्कार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि मैले तथा कटे-फटे करेंसी नोटों को प्रचलन से निकाल दिया जाए ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक जनता को क्षतिग्रस्त और कटे-फटे करेंसी नोट जारी नहीं करते हैं। वास्तव में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पुन: जारी करने योग्य तथा जारी न होने योग्य नोटों का छांटने तथा जनता को केवल पुन: जारी होने योग्य नोटों को ही देने के अनुदेश जारी किये हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाओं को मैले तथा कम कटे-फटे नोट स्वीकार करने के लिए कहा है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमों के अन्तर्गत सभी प्रकार के कटे-फटे नोटों को बदलने का पूरा अधिकार है। जब कभी मैले/कटे-फटे नोटों को नामन्जूर किये जाने की कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा संबंधित बैंक से उपचारी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करेंसी चेस्टों में संचित पुन: परिचालन के लिए अनुपयुक्त मैले तथा कटे-फटे नोटों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 15 निर्गम कार्यालयों तथा 2 उप-कार्यालयों में आवधिक रूप से लाया जाता है। नोटों की जांच और सत्यापन के पश्चात जारी न होने योग्य नोटों को नष्ट कर दिया जाता है।

भारत में विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क कार्यालय

4161. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में शाखाएं खोलने के बारे में 3 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1348 के उत्तर के संबंध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय किन-किन विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क कार्यालय हैं;

(ख) वर्तमान तथा भविष्य में खोले जाने वाले सम्पर्क कार्यालयों पर होने वाले व्यय के लिए विदेशी कम्पनियां भारत को कितनी धनराशि का भुगतान करती है; और

(ग) अगर उनके कर्मचारियों की संख्या और राष्ट्रीयता से संबंधित कोई शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 को जिन विदेशी कम्पनियों के भारत में सम्पर्क/प्रतिनिधि/परियोजना कार्यालय है, उनके नाम सलग्न विवरण में दिए गए हैं :

(ख) सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालयों को भारत में अपना समस्त व्यय अपने प्रधान कार्यालयों से प्राप्त होने वाले आंतरिक प्रेषणों में से पूरा करना पड़ता है। स्थापना व्यय कार्यालय के आकार और कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए भारत में ऐसे कार्यालयों की विदेशी मुद्रा देयताओं का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता के संबंध में कोई भी शर्त निर्धारित नहीं की है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1988 का, विदेशी कम्पनियों के सम्पर्क/प्रतिनिधि/परियोजना कार्यालयों के ब्यौरे बताने वाला विवरण जिन्हें भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	सम्पर्क/प्रतिनिधि/परियोजना कार्यालय
1	2	3
1.	एमोको इंडिया इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका	सम्पर्क कार्यालय
2.	अल-ताहिर एंटरप्राइजेज सुलतानेट आफ ओमान	—तदैव—
3.	एसोसियेटेड मर्केंडाइजिंग कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	—तदैव—
4.	आर्म सर्विसेस लि०, यूनाइटेड किंगडम	प्रतिनिधि कार्यालय
5.	अश्विनी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि० नाइजेरिया	—तदैव—
6.	एलफामर्केन्डाइजिंग सर्विसेस इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका	सम्पर्क कार्यालय
7.	अल-फत्तेम, दुबई (यू० ए० ई०)	—तदैव—

1	2	3
8.	अमेरिकन कम्पोनेंट्स, इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
9.	अखिल माइन्स (आस्ट) पी० लि०	—तदैव—
10.	अमेरिकन प्रेजीडेंट लाइन्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
11.	अब्दुल गफूर गरगाश, दुबई	प्रतिनिधि कार्यालय
12.	अनरित्सु इलेक्ट्रिक कं० लि०, जापान	सम्पर्क कार्यालय
13.	एचिट एशिया लि०, सिंगापुर	—तदैव—
14.	आलनसारी एंड मशीन ट्रेडिंग कं०, कुवैत	—तदैव—
15.	एरो इलेक्ट्रानिक्स इंटरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
16.	ए० लांग इन्टरनेशनल, बहरीन	—तदैव—
17.	एरेबियन क्लीनिंग एंटप्राइजेज लि०, सऊदी अरब	—तदैव—
18.	एयोरोसपेटियाला, फ्रांस	—तदैव—
19.	ए० एम० आई० अस्पिटलस लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
20.	ए० टी० एण्ड टी० एण्ड फिलिप्स टेलीकम्यूनिकेशन्स ट्रेडिंग बी० वी० हालैण्ड	सम्पर्क कार्यालय
21.	एयोरोन इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
22.	ए० एण्ड डी० इन्टरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
23.	ए० पी० मोलर, डेनमार्क	प्रतिनिधि कार्यालय
24.	एप्रोमैन लि०, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
25.	आर्य जमीबीट, पश्चिमी जर्मनी	—तदैव—
26.	ए० पी० वी० जैकसम्स लि०, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
27.	एमस्टरडैमस बेलास्ट बागर ई० एन० ग्रोण्ड बी० बी० नीदरलैंड्स	परियोजना कार्यालय
28.	एक्टीसेल्सकावाट नारडिस्का कावलीग ट्रेड फेब्रिक्स, डेनमार्क	सम्पर्क कार्यालय
29.	एलाड सिगनल इन्टर इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
30.	ए० बी० बी० ट्रेक्शन ए० बी०, स्वीडन	परियोजना कार्यालय
31.	ए० टी० एण्ड टी० इण्डिया लि०, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
32.	एमोको इण्डिया पेट्रोलियम कं०, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय

1	2	3
33.	आरगिल डायमण्ड सेल्स लि०, आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
34.	एम्लाइट पावर एशिया पी० टी० एस० लि०, सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
35.	अमीना कलेक्शन कं० लि०, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
36.	बुसीरस इन्टरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
37.	बेक्टल ओवरसीज कारपोरेशन, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
38.	बैक्सियन ब्रदर्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
39.	बेलफूर बीएटी लि०	परियोजना कार्यालय
40.	भूटान बोर्ड प्रोडक्टस लि०, भूटान	सम्पर्क कार्यालय
41.	ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल, यू० के०	—तदैव—
42.	बी० बी मेडिकल इंड, एस० डी० एन० बी० एच० डी०	प्रतिनिधि कार्यालय
43.	बहरीन सिनेमा कं०, बहरीन	—तदैव—
44.	बत्रा एंटरप्राइजेज, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
45.	बक्तियार इनवेस्टमेंट्स लि०, यू० ए० ई०	—तदैव—
46.	ब्रंसविक इन्टरनेशनल, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
47.	बारबरशिप मैनेजमेंट लि०, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
48.	ब्रेमन लेगरहौस गैसशलशाफ्ट, पश्चिम जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय
49.	भवानी स्टोर्स, सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
50.	बीबास ब्रिटेन्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
51.	बी० बी० सी० ब्राउन बोवेरी एंड कम्पनी लि०, स्विटजरलैंड	प्रतिनिधि कार्यालय
52.	ब्राउन एंड रूट इन्टरनेशनल इंक, सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
53.	बिबबा ओवरसीज कं० इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
54.	ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन, यू० के०	—तदैव—
55.	ब्रिटिश एयरोस्पेस, यू० के०	—तदैव—
56.	बनका ओरिएट कं० इंक, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
57.	बी० एम० पी० पेट्रोलियम (आई) लि०, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय
58.	सी० ई० इन्टरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
59.	ब्लूएट पीबोडी एंड कं० इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
60.	कम्पेनाइन फ्रैंकेस डी० एटयूडस, फ्रांस	—तदैव—
61.	सी० इच एंड कं० लि०, जापान	—तदैव—
62.	सेंटर डेल्टा, फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
63.	चेसब्रो पौंडस इंक, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
64.	कांटीनेंटल ओवरसीज कारपोरेशन, न्यूयार्क	सम्पर्क कार्यालय
65.	क्राउन एजेंटस सर्विसेस लि०, यू० के०	—तदैव—
66.	केबट साउथ एशिया इंक, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
67.	कोकोआ मर्चेंटस लि०, यू० के०	—तदैव—
68.	कोटिया इन्टरनेशनल ब्रिटिश पश्चिमी इण्डिया	सम्पर्क कार्यालय
69.	चेरको कम्प्रेसर्स, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
70.	सी० एम० आई०—कोचरिल मेकेनिकल इण्डस्ट्रीज, बेलजियम	सम्पर्क कार्यालय
71.	कौप्टशिप सऊदी नेशनल लाइन्स लि०, गिबरालटर	प्रतिनिधि कार्यालय
72.	चाचा हुम हुम, यू० के०	—तदैव—
73.	कोल डवलपमेंटर सर्विसस पी० लि०, आस्ट्रेलिया	सम्पर्क कार्यालय
74.	सी० जी० ई० ई० एलस्टोम, फ्रांस	—तदैव—
75.	कार्ट्रेड लि०	—तदैव—
76.	कैम्पनी मेरीटाइम डी एफर्स्टेमेंट, फ्रांस	प्रतिनिधि कार्यालय
77.	कनाडियन	सम्पर्क कार्यालय
78.	कूटनहू कारो, यू० के०	—तदैव—
79.	कोआरेटिव यूनियन आफ कनाडा	सम्पर्क कार्यालय
80.	कारगिल साउथ-ईस्ट एशिया लि०, सिंगापुर	—तदैव—
81.	कैरियर इन्टरनेशनल कारपोरेशन, यू० एस० ए०	—तदैव—
82.	चारबानेजिज डी, फ्रांस	प्रतिनिधि कार्यालय
83.	चेरी लेन प्रा० लि०, आस्ट्रेलिया	सम्पर्क कार्यालय
84.	कामनवेल्थ डवलपमेंट कारपोरेशन, यू० के०	—तदैव—

1	2	3
85.	चियोडा केमिकल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कं० लि०, जापान	परियोजना कार्यालय
86.	कम्पेटिबल टेक्नालाजी इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
87.	केमरान आयरन वर्क्स, यू० एस० ए० इंक	—तदैव—
88.	येबारन इन्टरनेशनल लि०, लाइबेरिया	परियोजना कार्यालय
89.	कर्वालिंग (सिंगापुर) पी० टी० ई० लि०, लाइबेरिया	सम्पर्क कार्यालय
90.	कैम्पनी फ्रेंकेयर दी एटल्यूडस एटस्केटरा, फ्रांस	परियोजना कार्यालय
91.	कंस्ट्रटर्स एंडब्रेड गुटीरेज	सम्पर्क कार्यालय
92.	कूटीन्हो कारो एंड कं०, पश्चिमी जर्मनी	—तदैव—
93.	हाओ केमिकल्स इन्टरनेशनल लि०, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
94.	डू पोंट फार ईस्ट इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
95.	डांग-इन-स्टोन इण्डस्ट्रियल कम्पनी लि०, कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
96.	डाएवू कारपोरेशन, कोरिया	—तदैव—
97.	डेगूसा, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
98.	डेग-जर्मन कम्पनी फार इन्वेस्टमेंट इन डिवलपिंग कंट्रीज, वैस्ट जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय
99.	डेका सर्वे ओ/एस लि०, बेहरीन	सम्पर्क कार्यालय
100.	डेहात्सू (डीजल) सिंगापुर	—तदैव—
101.	डेंग्टस्क स्चोष्टबेन, वैस्ट जर्मनी	परियोजना कार्यालय
102.	डोनियर गेम्भ, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
103.	डोव्रावा जी, एम० बी० एच०, कं०	परियोजना कार्यालय
104.	डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
105.	डिक्सिलिन फील्ड ड्रिलिंग कम्पनी, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय
106.	डेंट्सचा टेलीपोर्ड कंसल्टिंग, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
107.	डेंग्रो कार्ल ई० प्रैस के० जी०, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
108.	डोसर मिनरल्स इन्टरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
109.	डिजाइन टैक्सटाइल्स इंट, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
110.	ड्यू एमेरोल्ड सिंगापुर कं० लि०, सिंगापुर	प्रतिनिधि कार्यालय
111.	डेंकलेव मेराइन सर्विसेज लि०, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
112.	डासाल्ट इन्टरनेशनल, फ्रांस	—तदैव—
113.	ड्रेसर यू० के० लि०, यू० के०	—तदैव—
114.	डैल्टाग गठड़ी (मलेशिया) स्टेन बंड	परियोजना कार्यालय
115.	डैवी मिकी (स्टाकटन) लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
116.	डेल नार्ट टैक्नालाजी एक्सपोर्ट कं० लि०	सम्पर्क कार्यालय
117.	डेंडो ड्रिलिंग सिस्टम लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
118.	डोडवैल इन्टरनेशनल बाइंग आफिसेज लि०	सम्पर्क कार्यालय
119.	डूअल ड्रिलिंग कं०, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय
120.	डबैस्का बैंकाक वर्क्स, ए० जी०	सम्पर्क कार्यालय
121.	ऐक्सोन लि०, आस्ट्रेलिया	—तदैव—
122.	इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कं०, लीबिया	—तदैव—
123.	ईमानुल्ला फैशन्स इम्पोर्ट लि०, कनाडा	—तदैव—
124.	ऐक्सान केमिकल ईस्टर्न इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
125.	इल्क-इलैक्ट्रो कंसल्ट, इटली	प्रतिनिधि कार्यालय
126.	एक्सपोर्ट ट्रेड कारपोरेशन, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
127.	इंजीनियरिंग इन्टरनेशनल, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
128.	एक्सर्स इक्सल लि०, आस्ट्रेलिया	—तदैव—
129.	ईस्टर्न कनेक्शन इम्पोर्ट्स, कनाडा	सम्पर्क कार्यालय
130.	ईबा कारपोरेशन, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
131.	अर्संगेसेलसैफ्ट गैम्भ, वैस्ट जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
132.	ऐनीकैम एस० पी० ए०, इटली	—तदैव—
133.	ऐंटरपोज इन्टरनेशनल काऊंसलर II, फ्रांस	—तदैव—
134.	ऐस्टैब्लिशमेंटर बेहर ऐंट सी० आई० ई०, फ्रांस	—तदैव—
135.	अर्ल एम० टरौ कम्पनीज लि०, यू० एस० ए०	—तदैव—
136.	फाइव्ज सेल बाबकॉक ड्रेवाक्स ऐक्सटीरियर्स, फ्रांस	प्रतिनिधि कार्यालय
137.	फिजन्स पी० एल० सी०, इंगलैंड	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
138.	फ्रेंच कनैक्शन लि०, यू० के०	—तदैव—
139.	फलावरकोव शिपिंग कं०, बहरीन	—तदैव—
140.	फोर्टी ए० जी० स्विटजरलैंड	प्रतिनिधि कार्यालय
141.	फ्लोर डी रम, फ्रांस	—तदैव—
142.	फैस्टो के; जी०, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
143.	फूजीत्सु, जापान	सम्पर्क कार्यालय
144.	फूजी डीजल कं०, जापान	—तदैव—
145.	फैरोस्टाल एच० जी० वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
146.	फोर्टर व्हीलर पावर प्रोडक्टस लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
147.	फार्मिटेलिया कार्लो इर्बा (एशिया) लि०, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
148.	फोरमर, फ्रांस	परियोजना कार्यालय
149.	फिट इम्पोर्ट, वैस्ट जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय
150.	फेग किंगफिशर, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
151.	फ्रीमैन शू कं०, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
152.	फोरसाइट लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
153.	फ्लेंट एस० पी० ए०, इटली	सम्पर्क कार्यालय
154.	गैमन कैमिकल कं० (आस्ट्रेलिया) प्राइवेट लि०,	—तदैव—
155.	जार्गिओ कौटान, इटली	प्रतिनिधि कार्यालय
156.	गिआडा वैंगोटरी डी फ्लोरे अम्नामरी इटली	सम्पर्क कार्यालय
157.	जनरल ट्रेडिंग कं०, पी० ओ० बाक्स 84, मास्कट, ओमान	—तदैव—
158.	गोल्डन बैल ट्रेडिंग कं०, कोरिया	—तदैव—
159.	गल्फ कान्सौलिडेटेड कं०, बहरीन	—तदैव—
160.	गल्फ हेलिकापटर एंड एअर सर्विसेज, यू० के०	—तदैव—
161.	गुलिक इंडिया लि०, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
162,	जनरल इलैक्ट्रिक टैक्निकल सर्विसेज कं० इंक, यू० एस० ए०	प्रतिनिनि कार्यालय
163.	जिलेट इंडस्ट्रीज लि०, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
164.	गोल्ड स्टार कं० लि०, कोरिया	—तदैव—
165.	गुड इम्पोर्ट ऐरस्पोर्ट बी० वी० नीदरलैंड्स	—तदैव—
166.	ग्लोब केमिकल्स गेम्भ, वैस्ट जर्मनी	—तदैव—
167.	हिटाची लि०, जापान	—तदैव—
168.	हुटारी इम्पोर्ट्स इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
169.	हुन्वा कं० लि०, जापान	—तदैव—
170.	हैप्पी बर्ल्ड इंक, जापान	—तदैव—
171.	हाल्डोर टोपोज इन्टरनेशनल, डेनमार्क	—तदैव—
172.	हिटाची मेटला लि०, जापान	—तदैव—
173.	हुन्डाई कारपोरेशन कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
174.	हुन्वा एंड कं० आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
175.	हार्टमैन एंड ब्रान ए० जी० पश्चिमी जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
176.	हुश परसेज जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी	—तदैव—
177.	हिन्दुस्तान इम्पोर्ट्स यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
178.	होजसन कैमिकल्स लि० यू० के०	—तदैव—
179.	हुन्डाई हैवी इंडस्ट्रीज लि० कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
180.	होप यिंग इन्टरनेशनल हैल्थ कं० लि०, हांगकांग	प्रतिनिधि कार्यालय
181.	हालबस्टन इण्डिया इंक बहरिन	सम्पर्क कार्यालय
182.	हुन्डाई मीपो डाकयार्ड कं० लि० कोरिया	—तदैव—
183.	हितैची कंस्ट्रक्शन कं० लि०, जापान	—तदैव—
184.	हैम्सन बी० टी० आर० जी० एम० बी० एच०, पश्चिम जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय
185.	हनीवैल हाईटैक ट्रेडिंग इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
186.	ह्यूलेट्ट पैकार्ड के०, यू० एस० ए०	—तदैव—
187.	होलैण्ड एम्नोमिंग नाताबैप्पी बी० वी०, नीदरलैंड	परियोजना कार्यालय
188.	हुन्डाई इंजीनियरिंग एंड कंट्रक्शन कं० लि०, कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
189.	ह्यूग्ज सर्विसेज (फार ईस्ट) प्रा० लि०, सिंगापुर	परियोजना कार्यालय
190.	हाई क्यू० शूज कारपोरेशन ताइवान	प्रतिनिधि कार्यालय

1	2	3
191.	हुतज ए जी पश्चिमी जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
192.	आई० टी० टी० फार ईस्ट एण्ड पैलिफिक इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
193.	इण्डिया इम्पोर्ट्स आफ रोडे आईलैंड इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
194.	इन्टरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगेरेन्स इंक, होलैंड	—तदैव—
195.	इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ इंक, होलैंड	सम्पर्क कार्यालय
196.	इन्टरनेशनल निकल सर्विसिज यू० के० लि०, लन्दन	—तदैव—
197.	इटोमन एण्ड कं० लि०, जापान	—तदैव—
198.	हुम्प्यूल्ज मोन्टाना ट्रेडिंग कं०, हांगकांग	—तदैव—
199.	इन्टरनेशनल मार्किट रिसर्च इंक	प्रतिनिधि कार्यालय
200.	आई० टी० सी० इन्स्ट्रूमेंट्स यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
201.	इन्टर सिटी इन्वेस्टमेंट ग्रुप पी० एल० सी०, यू० के०	—तदैव—
202.	आई० आर० आई० सैन्टर गवर्नमेंट ईरान तेहरान	—तदैव—
203.	इसुज मोटर्स लि०, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
204.	इण्डियन हैण्डलजिज के० जी०, पश्चिमी जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
205.	इन्गरसोल हैण्ड कं० लि०, इंगलैंड	—तदैव—
206.	इन्टरनेशनल टाइम रिसर्च इंस्टीच्यूट फिलिपाइन्स	—तदैव—
207	इम्प्रेसिट गिरोला होडिंगियम इम्प्रिगिलो एस० पी० ए०, इटली	—तदैव—
208.	आइकिया ट्रेडिंग हांगकांग लि०	—तदैव—
209.	इन्टल एशिया इलैक्ट्रोनिक्स इंक यू० एस० ए०	—तदैव—
210.	इन्स्टीच्यूट मेंरिएन्कस फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
211,	इशिहारा ट्रेडिंग कं० लि०, जापान	—तदैव—
212.	इन्टरनेशनल पैट्रोलियम बरबूदा लि०	परियोजना कार्यालय
213.	आई० एच० सी० होलैंड एन वी	सम्पर्क कार्यालय
214.	इम्पेक्स आंकार कारपोरेशन यू० एस० ए०	—तदैव—
215.	जे० टी चाम्राई (एस) प्रा० लि०, सिंगापुर	प्रतिनिधि कार्यालय
216.	जूगोलिनिजा रिजीका युगोस्लाविया	—तदैव—

1	2	3
217.	जैकब (मलेशिया) एस० डी० एन०, मलेशिया	सम्पर्क कार्यालय
218.	जापान इण्डिया ट्रेडिंग कं०, जापान	···तदैव —
219.	जौन हयूरज इस्कायर मिट्सुबिशी, आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
220.	जोविटोन लि०, यू० के०	—तदैव—
221.	जौन लिसाट (आस्ट्रेलिया) लि०	—तदैव—
222.	जे० आई० केस ब्यूरोपेटिड यू० एस० ए०	—तदैव—
223.	जापान ड्रिलिंग कं०, जापान	परियोजना कार्यालय
224.	जैसन्सन्स ओरिएन्ट कोपर्टस होलैंड	—तदैव—
225.	जापान रेडियो कं० लि०, जापान	सम्पर्क कार्यालय
226.	जैम्बपाल फ्रांस	प्रतिनिधि कार्यालय
227.	कोनाट्स गोशो लि०, जापान	सम्पर्क कार्यालय
228.	कलेम्टि हुम्बोट उदश ए जी, पश्चिमी जर्मनी	—तदैव —
229.	कोरिअन एयर लाइन्स, कोरिया	प्रतिनिधि कार्यालय
230.	कैंहित घेली आर्बस इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
231.	कोमात्स लि०, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
232.	के० एच० डी० हम्बोट वैडोग ए० जी० डब्ल्यू०, जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
233.	बर्मा एस. पी. ए., इटली	—तदैव—
234.	कोन्हु एण्ड कं8 इम्पोर्टस एक्सपोर्ट जी. एम. बी. एच.	प्रतिनिधि कार्यालय
235.	क्लोकनट एण्ड कं०, पश्चिमी जर्मनी	—तदैव—
236.	कैशिके कं० लि० 19-3 जापान	—तदैव—
237.	कविता इम्पोर्टस कारपोरेशन, न्यूयार्क	सम्पर्क कार्यालय
238.	कल्पाटू कंस्ट्रेक्शन इन्टरनेशनल लि०, यू. ए. ई.	प्रतिनिधि कार्यालय
239.	कुन्टोप्लास्ट कैमिक जी. एम. बी. एच. पश्चिमी जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
240.	क्वाशो कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
241.	कनांगसिया प्रा. लि. सिंगापुर	—तदैव—
242.	कोरिया प्लास्टिक इण्डस्ट्री कारपोरेशन कोरिया	—तदैव—
243.	कोरिया हैवी इंडस्ट्रीज एण्ड कंस्ट्रक्शन कं. लि., कोरिया	—तदैव—
244.	कन्साई इंजीनियरिंग कं. लि.	—तदैव—

1	2	3
245.	कीस्टोन इन्टरनेशनल इंक टेक्साज यू. एस. ए.	—तदैव—
246.	कोरिया तरोमा पेरीन इंडस्ट्रीज लि., कोरिया	—तदैव—
247.	कोनिका कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
248.	कजीमा कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
249.	कैलोग कम्पनी, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
250.	कावासाकी हैवी इण्ड० लिमिटेड, जापान	परियोजना कार्यालय
251.	कृष्णा कम्प्यूटर्स, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
252.	ला प्रेसेंट्स इंक, यू. एस. ए.	—तदैव—
253.	लार्क इन्टरनेशनल लिमिटेड, हांगकांग	—तदैव—
254.	एल. के. बी. प्रोडक्टर ए. बी. स्वीडन	प्रतिनिधि कार्यालय
255.	लेबोरेटरीज सर्विसेज, 47-गिडी फ्रांस	सम्पर्क अधि कार्यालय
256.	लकी गोल्ड स्टार इन्टरनेशनल कारपोरेशन कोरिया	—तदैव—
257.	लिण्डे ए० जी०	—तदैव—
258.	लिप हाउण्ड इंक, यू. एस. ए.	—तदैव—
259.	लक्की लिमिटेड, कोरिया	—तदैव—
260.	ला टेलिकमकेनिक इलेक्ट्रिक एम. ए. फ्रांस	प्रतिनिधि कार्यालय
261.	लेरिटजन आफशोर, डेन्मार्क	परियोजना कार्यालय
262.	लेवलिन इन्टरनेशनल इंक, कनाडा	सम्पर्क अधि कार्यालय
263.	एल. एम. ऐरिक्सन इन्टरनेशनल ए. बी.	—तदैव—
264.	लेम्पोनेशीन	सम्पर्क कार्यालय
265.	महबेनी कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
266.	कोटएडिसन एस. पी. ए., इटली	—तदैव—
267.	मालशीप्स शिपिंग लिमिटेड, मालवस	—तदैव—
268.	मित्सुई एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जापान	—तदैव—
269.	मे० डिपार्टमेंट स्टोर्स इन्टरनेशनल इंक-यू. एस. ए.	—तदैव—
270.	मित्सुबिशि कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
271.	एम० फैब्रिकेंट एण्ड कम्स, इंक, न्यूयार्क	—तदैव—

1	2	3
272.	मलिक पार्टी लिमिटेड, आस्ट्रेलिया	सम्पर्क कार्यालय
273.	मॉडट्रानिक इन्टरनेशनल लिमिटेड, यू. एस. ए.	—तदैव—
274.	मेरिडिअन ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, यू. के.	—तदैव—
275.	मीना आफ इंगलैंड, यू. के.	—तदैव—
276.	मिकेल एण्ड सइमन कम्पनी लिमिटेड, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
277.	मैनेस्टिक कंट्रैक्टर्स लिमिटेड, कनाडा	प्रतिनिधि कार्यालय
278.	मान इंटरनेशनल गेम्भ वेस्ट जर्मनी	—तदैव—
279.	मान डी० एण्ड डब्ल्यू० डीजल एस०, डेनमार्क	सम्पर्क कार्यालय
280.	एम० ई० सी० एस० (मिड ईस्टर्न) लिमिटेड, यू० के०	—तदैव—
281.	मिडिल ईस्ट एजेण्ट्स ग्रीक	—तदैव—
282.	मित्सुई ओ० एस० के० लिरस लिमिटेड, जापान	प्रतिनिधि
283.	मन्नाई कारपोरेशन, होहाक्वाटर	सम्पर्क कार्यालय
284.	मासा ऐक्सपोर्ट गेम्भ, जर्मनी	—तदैव—
285.	मल्हार कारपोरेशन, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
286.	एम० टी० यू० मोटोरन एण्ड टर्बिनियन एण्ड यूनियन	—तदैव—
287.	फिडि गेम्भ, वेस्ट जर्मनी	
288.	मोबाइल पोलीम इंटरनेशनल लिमिटेड	तदैव—
289.	मनहोग मार्केटिंग लिमिटेड, हांगकांग	—तदैव—
290.	3 एम० इंटरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
291.	मिझिलपोर पारसी लिमिटेड, आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि
292.	मर्चेंट एडवेंचर्स आफ नरमिया लिमिटेड	सम्पर्क कार्यालय
293.	मित्सुई इंजीनियरिंग एण्ड शिपबिल्डिंग कम्पनी	परियोजना कार्यालय
294.	मोररोवा सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
295.	मंसूर रहमान, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
296.	मेनपोल पॉ के० जी०, वेस्ट जर्मनो	—तदैव—
297.	मलिन गेयिन, फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
298.	मैन बी० एण्ड डब्ल्यू, डीजल गेम्भ, जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय

1	2	3
299.	मितसुबिशी हैवी इण्डस्ट्रीज लि०, जापान	परियोजना कार्यालय
300.	इंडस्ट्री, ट्रेड एण्ड टैक्नीकल मंत्रालय, कनाडा	सम्पर्क कार्यालय
301.	मौटोरेन मनालसेम (ए० जी०) (एम०, डब्ल्यू० एम)	—तदैव—
302.	नौमूरा ट्रेनिंग कम्पनी, जापान	—तदैव—
303.	नागासे एण्ड कम्पनी लि०, जापान	—तदैव—
304.	निकिमेन कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
305.	निस्हो-ईवाई कम्पनी लि०, जापान	—तदैव—
306.	नाकामोटो शोजी कैशा लि०, जापान	—तदैव—
307.	एन० ई० सी० कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
308.	नार्थवेस्ट ओरिएण्ट हांगकांग	—तदैव—
309.	नेपाल ओसिएनिक सर्विसिज प्रा० लि०, नेपाल	—तदैव—
310.	न्यू कमर्शियल कम्पनी लि०	—तदैव—
311.	एन० एस० डब्ल्यू० लैदर कम्पनी प्रा० लि०, आस्ट्रेलिया	—तदैव—
312.	किप्यन सुसान कैशा लि०, जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
313.	नौवो इण्डस्ट्री, डेनमार्क	सम्पर्क कार्यालय
314.	निकोलेट इंस्ट्रूमेण्ट कारपोरेशन, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
315.	निप्पन स्टील कारपोरेशन, जापान	परियोजना कार्यालय
316.	नार्वटैक ए० एस० डेनमार्क	सम्पर्क कार्यालय
317.	नेशनल पैट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, आबुधाबी	परियोजना कार्यालय
318.	निप्पन कोकान के० के०, जापान	—तदैव—
319.	न्यूजवैव (इंक) लि०, हांगकांग	प्रतिनिधि कार्यालय
320.	नौरट्रांस शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग फारकास्ट प्रा० लि०, सिंगापुर	—तदैव—
321.	निस्साइ संग्ये, सिंगापुर	—तदैव—
322.	निक्सडार्फ कम्प्यूटर ए० जी० बैस्ट जर्मनी	सम्पर्क कार्यालय
323.	नास्क डाटा, नार्वे	—तदैव—
324.	ओकुरा ट्रेडिंग कम्पनी लि०, जापान	—तदैव—
325.	ओसाका गोडो कम्पनी लि०, जापान	—तदैव—

1	2	3
326.	ओरिएण्ट सांग्यो कैसा लि०, जापान	—तदैव—
327.	ओरिएण्ट वुड प्रोडक्ट्स कम्पनी लि०, थाइलैण्ड	सम्पर्क कार्यालय
328.	ओवरसीज जेम्स लि०, यू० के०	—तदैव—
329.	ओमनि मैडिकल, यू० एस० ए०	—तदैव—
330.	ओरिएण्ट आर्ट्स इंक, न्यूयार्क	—तदैव—
331.	ओरिएम ग्लोवस लि०, हांगकांग	प्रतिनिधि कार्यालय
332.	ओल्डोल्फट (फारईस्ट) लि०, हांगकांग	—तदैव—
333.	ओ० एफ० ई० एम० ए०, फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
334.	ओ० पी० डी० लि०, हांगकांग	सम्पर्क कार्यालय
335.	ओवरसीज कन्स्ट्रेर्स लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
336.	ओमिक लि०, यू० के०	—तदैव—
337.	ओय-डिसू आटो ए०, बी०, फिनलैण्ड	परियोजना कार्यालय
338.	ओवरसीज प्रीसिजन कास्टिंग्स इंक	—तदैव—
339.	ओकी इलैक्ट्रिक इण्डस्ट्री कम्पनी लि०, टोक्यो	सम्पर्क कार्यालय
340.	ओसिएन्जिरिंग इंटरनेशनल सर्विसिज	परियोजना कार्यालय
341.	ओल्या वी० वी० नीदरलैण्डस	प्रतिनिधि कार्यालय
342.	पागोडे ट्रेडिंग कम्पनी, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
343.	पैजनी एसिया पैसिफि फ्रांस	—तदैव—
344.	प्राजेंटी कोटम, इटली	प्रतिनिधि कार्यालय
345.	पोहन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
346.	पी० जी० पब्लिसिंग प्रा० लि०, सिंगापुर	प्रतिनिधि कार्यालय
347.	पिग्नोन इंजीनियरिंग लि०, यू० के०	—तदैव—
348.	पिकी ओरिजाल्स इंक, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
349.	पैंगुइन ओवरसीज लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
350.	फिलिपिन्स एयर लाइन्स, फिलिपिन्स	
351.	प्राइमरी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
352.	पिनलार्ड लि० इंग्लैंड	प्रतिनिध कार्यालय
353.	पौलिश ओशियन लाइन्स पोलैंड	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
354.	पारस डायमण्ड कारपोरेशन, यू० एस० ए०	—तदैव—
355.	पीपा (यू० के०) लि०, यू० के०	—तदैव—
356.	पारेल केमिकल्स एस० ए०, स्विटजरलैण्ड	सम्पर्क कार्यालय
357.	पारकर ड्रिलिंग कम्पनी, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
358.	फार्मासिया ए० बी०, स्वीडन	सम्पर्क कार्यालय
359.	प्लैक्सकैम इंटरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
360.	पायनियर ओवरसीज कारपोरेशन, यू० एस० ए०	—तदैव—
361.	पर्किन एलमर इंट, यंक, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
362.	प्लैसी इंटरनेशनल लि०	सम्पर्क कार्यालय
363.	पियाको फैशन्स इंक, कनाडा	—तदैव—
364.	पी० एण्ड ओ० कन्टेनर्स लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
365.	ओ० ई० डी० डिजाइन, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
366.	रोहम हास एशिया इंक	—तदैव—
367.	आर० एच० मैसी एण्ड कम्पनी इंक, यू० एस० ए०	—तदैव—
368.	रे कैम लि०, यू० एस० ए०	—तदैव—
369.	रोल्स रोयसे इण्डिया लि०, यू० के०	—तदैव—
370.	रूबी कम इंटरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
371.	रहोना पोलीन (यू० के०) लि०	सम्पर्क कार्यालय
372.	राबर्ट ब्रीसे एण्ड कम्पनी लि०, आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
373.	ऐरे बरट्राण्ड डूपेंट, फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
374.	रिचर्डस हैग इण्टरनेशनल (इण्डिया) लि०, हांगकांग	—तदैव—
375.	आर० एण्ड डब्ल्यू इंक, न्यूयार्क	—तदैव—
376.	रायल इंश्योरेन्स कारपोरेशन, भूटान	—तदैव—
377.	रेंक जीरोक्स (ओ० डी०) लि०, यू० के०	—तदैव—
378.	स्वीडिश मैच कं०, स्वीडन	—तदैव—
379.	रीडिंग एण्ड बेट्स एक्सप्लोरेशन कं०, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय
380.	रायल न्यडस्लोय ग्रुप एन० वी०, नीदरलैण्ड	सम्पर्क कार्यालय
381.	आडशर ड्रिलिंग इन्ट० पिटी० लि०, आस्ट्रेलिया	परियोजना कार्यालय

1	2	3
382.	रोक्सन ओय फिनलैण्ड	—तदैव—
383.	रोल्व बर्ग ड्राइव ए० एस०, नार्वे	—तदैव—
384.	रोटड़े एण्ड शिवर्ज गिम्बल एण्ड कं० के० जी० वेस्ट जर्मनी	—तदैव—
385.	रैस्ट इटल एस० आर० आई०, इटली	सम्पर्क कार्यालय
386.	स्वैटोनो कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
387.	स्नेम प्रीगेही एस० पी० ए०, इटली	—तदैव—
388.	रोमन्जर एण्ड कं० लैडर, वेस्ट जर्मनी	—तदैव—
389.	शैल कम्पनी आफ इण्डिया लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
390.	स्टैण्डर्ड मेमोरीज इन्स, यू० एस० ए०	सम्पर्क कार्यालय
391.	शान्ताक्रूज इम्पोर्ट्स इन्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
392.	सी०, लैण्ड सर्विस इन्स, यू० एस० ए०	प्रतिनिधि कार्यालय
393.	साऊथर्न कम्फर्ट फैशन्स लि०, कनाडा	सम्पर्क कार्यालय
394.	शाह सफारी इन्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
295.	संगयोग कारपोरेशन, कोरिया	प्रतिनिधि कार्यालय
396.	सैंडी बीयर डिजाइन इन्स, यू० एस० ए०	—तदैव—
397.	सिटैक लि०, यू० के०	सम्पर्क कार्यालय
398.	एस० एम० एस० स्क्लोकमैन सुमेग, ए० जी० डब्ल्यू० जर्मनी	प्रतिनिति कार्यालय
399.	सेमसुंग कं० लि०, कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
400.	सिव्रोम इंटरनेशनल कारपोरेशन	—तदैव—
401.	साऊथ पब्लिकेशन्स (यू० के०) लि०, यू० के०	प्रतिनिधि कार्यालय
402.	शेट्टफ ट्रेडिंग कं०, दुबई	—तदैव—
403.	स्टीन इंडस्ट्रीज, फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
404.	सुल्जर ब्रादर्स लि०, स्विटजरलैण्ड	—तदैव—
405.	स्पीड फोन कं० लि० जापान	—तदैव—
406.	सिंगर कं०, यू० एस० ए०	परियोजना कार्यालय
407.	सिनाय एस० ए० फ्रांस	सम्पर्क कार्यालय
408.	एस० टी० सी० टेलीकोम म्युनिकेशन्स लि०, लन्दन	—तदैव—

1	2	3
409.	स्पिग कैंपेग, फ्रांस	परियोजना कार्यालय
410.	सोरितेअडिएम इन्स, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
411.	स्टैप इलैक्ट्रोनिक्स इन्स, यू. एस. ए.	प्रतिनिधि कार्यालय
412.	शार्प कारपोरेशन, जापान	सम्पर्क कार्यालय
413.	स्कैंपा पोरिट लि०, यू. के.	—तदैव—
414.	सेन-ई. आई. कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
415.	एस. ए. आर. एल. साविधि, फ्रांस	—तदैव—
416.	रोमफंग इलैक्ट्रोनिक्स कं० लि., कोरिया	—तदैव—
417.	सिडको फोरेक्स इन्ट ड्रिलिंग इन्स, पनामा	परियोजना कार्यालय
418.	स्मिथ इन्टरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
419.	एस. सी. जोनसन एण्ड सन इन्स, यू. एस. ए.	—तदैव—
420.	सोसायटी इम्प्रेट्स टर्मोक्लेट्रिक इंडस्ट्रियल एस. पी. ए. एस. आई. टी. इटली	—तदैव—
421.	एस. टी. एस. सोया टैक्नोलोजी सिस्टम्स लि. सिंगापुर	प्रतिनिधि कार्यालय
422.	सिओनी इम्पोर्ट कारपोरेशन यू. एस. ए.	—तदैव—
423.	सुड अमरीग्यू ट्रेडिंग कारपोरेशन यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
424.	स्पाइ बैटिगनोटिस, फ्रांस	—तदैव—
425.	सिंगनौर ए. एस., नार्वे	प्रतिनिधि कार्यालय
426.	सीबी एस. ए., स्विटजरलैण्ड	सम्पर्क कार्यालय
427.	स्मैको कं. प्रा. लि., सिंगापुर	परियोजना कार्यालय
428.	स्कलम्बुगर एशिया सार्विसिज लि०, हांगकांग	—तदैव—
429.	सोसायटी यूरोपियन डी प्रोपल्शन एस. ए.	प्रतिनिधि कार्यालय
430.	सियर्स शाइंग सर्विसिज इन्स, सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
431.	एस. ए. मैत्रा, फ्रांस	—तदैव—
432.	मै. स्विस इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, स्विटजरलैण्ड	प्रतिनिधि कार्यालय
433.	सिंगर सिविंग मशीन कं. इन्स, एस. एस. एम. सी., इन्स, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
434.	सोनट आफशोर वेंचर लि., यू. एस. ए.	परियोजना कार्यालय

1	2	3
435.	सिडको फोरेक्स इंट ड्रिलिंग इंस	परियोजना कार्यालय
436.	संक यंग लि., साऊथ कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
437.	सेन यू ट्रेडिंग कारपोरेशन यू. एस. ए.	प्रतिनिधि कार्यालय
438.	एस. जी. एस. थोमसन माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
439.	स्कोडा एक्सपोर्ट ोरेन ट्रेड कारफोरेशन चैकोस्लवाकिया	परियोजना कार्यालय
440.	एस. जी. ई. रेलवे सिगनल लि.	—तदैव—
441.	शैल इण्डिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट	—तदैव—
442.	सारटोरियम गिम्म	प्रतिनिधि कार्यालय
443.	स्पिनडल फैबरिक सुसान क्षर	सम्पर्क कार्यालय
444.	सेमसुंग इलैक्ट्रोन डिवाईसिस कं. लि., कोरिया	—तदैव—
445.	साऊदी केवल कं० साऊदी अरेबिया	—तदैव—
446.	स्ट्राईकर फार ईस्ट इंस यू. एस. ए.	—तदैव—
447.	टोयो मेम्का केशा लि. जापान	—तदैव—
448.	टोर इस्टाग स्टील कारपोरेशन, बेल्जियम	—तदैव—
449.	ताशी कमर्शियल कारपोरेशन, भूटान	—तदैव—
450.	टी. आर. जे. ट्रेडर्स लि०, यू. एस. ए.	—तदैव—
451.	टेक्स (क्लोथिंग) कं. लि.,	—तदैव—
452.	तेम्जो इलैक्ट्रिक कं. लि., जापान	—तदैव—
453.	टोयडा डिश्यू केशा, जापान	—तदैव—
454.	टिल्डा राइस लि., यू. के.	—तदैव—
455.	तहाइयो भूटान कं. लि., जापान	—तदैव—
456.	डेनमार्क शिगौन केशान, जापान	—तदैव—
457.	ट्रेबुसिस्टम इंस, यू. एस. ए.	प्रतिनिधि कार्यालय
458.	ट्रेड सेन्टर आफ इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान, ईरान	सम्पर्क कार्यालय
459.	तोशिक कारपोरेशन, जापान	—तदैव—
460.	तोमान ट्रेडिंग कं. लि., जापान	—तदैव—

1	2	3
461.	ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड, सिंगापुर	—तदैव—
462.	टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान	परियोजना कार्यालय
463.	टैक्नो एक्सपोर्ट	—तदैव—
464.	टेलर डिवाइंग (एस. ई. ए.) प्रा. लि., सिंगापुर	—तदैव—
465.	टाटा एलैक्सी (प्रा.) लि., सिंगापुर	सम्पर्क कार्यालय
466.	टोक्यो इलैक्ट्रिक पावर सर्विसिज कं. लि.- टोक्यो	परियोजना कार्यालय
467.	टैलीडिन इंडस्ट्रीज इंट, इन्स०,	सम्पर्क कार्यालय
468.	ट्रूडोस शिपिंग्स कं. लि., ग्रीस	—तदैव—
469.	टैम्पेला लि., फिनलैण्ड	प्रतिनिधि कार्यालय
470.	टोयटो मोटर कारपोरेशन, जापान	सम्पर्क कार्यालय
471.	टेक्ट्रोनिया इंटरनेशनल, इन्स, यू. एस. ए.	—तदैव—
472.	टुमारोज एटीक्यू इंस, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
473.	टेक्नोलोजी फार कम्युनिकेशन इंट, यू. एस. ए.	परियोजना कार्यालय
474.	तेई सेल्स एण्ड इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, जापान	सम्पर्क कार्यालय
475.	ट्रेट लैबेरेटरीज लि. यू. के.	प्रतिनिधि कार्यालय
476.	थोमसन हाइब्रिड्स ई. टी. माइक्रोन्डस, फ्रांस	—तदैव—
477.	टेक्सास इंस्ट्रूमैन्टस एशिया लि., यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
478.	यूनिबेन शिपमैनेजमेंट लि., हांगकांग	—तदैव—
479.	अपजोन इंटरनेशनल इन्स, यू. एस. ए.	—तदैव—
480.	यूनिवर्सल पेपर एक्सपोर्ट कं. 1198 कनाडा	—तदैव—
481.	यू. एस. व्हीट एसोसिएट्स, यू. एस. ए.	—तदैव—
482.	यूनाइटेड स्टेट्स लाईन, यू. एस. ए.	—तदैव—
483.	यू. बी. पी. एशिया लि., यू. एस. ए.	—तदैव—
484.	वोइस्ट एल्पाइना-ए. सी.	—तदैव—
485.	वैरिटिम्टो डेल्स्टेहलवर्को, आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
486.	वैरियन इंटरनेशनल ए. जी.	—तदैव—
487.	वैली इलैक्ट्रोनिक्स इंटरनेशनल इन्स, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय

1	2	3
488.	विकरसेक्सटल प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	प्रतिनिधि कार्यालय
489.	बरसन इंट, लि., यू. के.	सम्पर्क कार्यालय
490.	ह्वाटमैन लि., इंग्लैंड	—तदैव—
491.	वेस्टिंग हाऊस ट्रेडिंग कं. (एशिया) लि.	—तदैव—
492.	वेस्टिंग हाऊस ब्रेक एण्ड सिगल कं. लि., इंग्लैंड	—तदैव—
493.	वेगर बीरा ए. जी.	—तदैव—
494.	वाइल्ड हीयरबर्ग लि., यू. एस. ए.	प्रतिनिधि कार्यालय
495.	डब्ल्यू, सी० हेराकस गम्भ, वेस्ट जर्मनी	—तदैव—
496.	वीवरफोर्ड इन्स	सम्पर्क कार्यालय
497.	डब्ल्यू, हेगरशोल्ड गम्भ, वेस्ट जर्मनी	प्रतिनिधि कार्यालय
498.	वेस्टलैण्ड सपोर्ट सर्विज, यू. के.	सम्पर्क कार्यालय
499.	वारटन विलियम टायलर ब्रा., होलार्ड	परियोजना कार्यालय
500.	विग्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, यू. एस. ए.	सम्पर्क कार्यालय
501.	येवा ट्रेडिंग कं. लि., जापान	प्रतिनिधि कार्यालय
502.	वाई. एण्ड बी. कं. लि., कोरिया	सम्पर्क कार्यालय
503.	वाई. एण्ड सी. इन्स. जापान	—तदैव—
504.	योगो-अरब कं. लि., साईप्रस	—तदैव—
505.	जूबेन ट्रेडिंग कं. आबूधाबी	—तदैव—
506.	जापटा आफशोर कं., यू. एस. ए.	परियोजना कार्यालय
507.	बेनन वरस्ट्प एन. पी. नीदरलैण्ड	—तदैव—

भारतीय स्टेट बैंक के साथ सम्बद्ध बैंक को अलग करना

4162. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक पृथक निगमित निकाय की स्थापना करने हेतु सम्बद्ध बैंकों को अलग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इससे सम्बद्ध बैंकों के विकास तथा उनके कार्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा ?

वित्त मन्त्रालय मे आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के संस्थागत ढांचे को, उसके आकार एवं परिचालनों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

4163. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री हिमाचल प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने के बारे में 25 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनमें से ऐसे केन्द्रों के नाम क्या है जिनमें अब तक बैंक को शाखाएं खोल दी गई हैं तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं और वे शाखाएं कब खोली गई;

(ख) बाकी स्थानों पर शाखाएं खोलने मे हुई देरी के क्या कारण हैं और क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नई शाखाएं खोलने के लिए स्थान चुनने से पूर्व पहले के शेष स्थानों पर शाखाएं खोल दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिलेवार केन्द्रों के नाम, जहां शाखाए खोली गई है, तथा बैंकों के नाम और शाखाएं खोलने को तारीख का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से पहले बैंकों ने कहा था कि वे शाखा विस्तार नीति की शेष अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप में शाखाएं खोलें। लेकिन, गांवों में ऋण देने के लिए सेवा क्षेत्र योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे मार्च 1989 के अन्त तक उन विशेष मामलों को छोड़ कर जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आबंटित केन्द्रों में अपनी शाखाए खोल लें।

विवरण

बैंक के नाम और शाखाएं खोलने की तारीख सहित जिलेवार केन्द्रों के नाम जहां शाखाएं खोली गई हैं।

जिले का नाम/ केन्द्र का नाम	शाखा खोलने की तारीख	बैंक का नाम
बिलासपुर जिला		
बेहाल	29-6-88	यूको बैंक
छकोह	29-12-87	पंजाब नेशनल बैंक
दगराहन (डाकेट खाना)	12-12 87	स्टेट बैंक आफ पटियाला
कलमुला (मेहरी कलहला)	7-8-87	पंजाब नेशनल बैंक

1	2	3
घांडीर	29-9-88	यूको बैंक
औहर	2-4-88	भारतीय स्टेट बैंक
चम्बा जिला		
माले	14-12-87	पर्वतीय ग्रामीण बैंक
सैंकोलही (सैंकोठी)	8-12-87	,,
गोराला	7-9-87	,,
लाहल	7-9-87	,,
दियूर	10-12-87	,,
जेडरा	2-7-87	,,
बानेड	21-5-87	,,
धरबला	24-7-87	,,
दुरघट्टी	2-5-87	,,
साच	15-12-87	,,
हाटली	20-11-87	,,
होबर	19-11-87	,,
बागघर	22-6-87	,,
तालका	5-5-87	,,
साहू	30-12-86	,,
राजनगर	30-12-86	,,
मंगला	30-12-86	,,
खेरी	10-12-87	भारतीय स्टेट बैंक
हमीरपुर जिला		
ताल	7-8-87	पंजाब नेशनल बैंक
चकमोह	5-12-87	भारतीय स्टेट बैंक
घनगोटा	18-12-87	यूको बैंक
कांगड़ा जिला		
संसारपुर	30-12-87	पंजाब नेशनल बैंक
माफ्रिन	28-5-77	हिमाचल ग्रामीण बैंक

1	2	3
श्रीमालोग	13-8-87	हिमाचल ग्रामीण बैंक
बलखण्डी	28-3-87	पंजाब नेशनल बैंक
सुनही	26-3-87	,,
दारिनी	28-4-87	,,
राफून	5-8-87	,,
चामुंड	20-6-87	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
भारोली	8-5-87	हिमाचल ग्रामीण बैंक
किन्नौर जिला		
करचम	9-4-87	पंजाब नेशनल बैंक
कुल्लू जिला		
सरसरी	16-7-87	हिमाचल ग्रामीण बैंक
दोहरानल	12-10-87	,,
लुहरी	12-11-88	,,
कलंच	30-12-87	यूको बैंक
मण्डी जिला		
जामनी	18-7-87	हिमाचल ग्रामीण बैंक
दलवां	25-5-87	,,
लेडा	17-7-87	,,
करकोह	14-8-87	,,
चाटरांगी	19-9-88	भारतीय स्टेट बैंक
मझवार	20-5-87	पंजाब नेशनल बैंक
जरोल	25-6-87	,,
शिमला जिला		
कोटो	29-8-88	पंजाब नेशनल बैंक
बालग	23-12-88	,,
मौहरी	26-12-87	,,
मधोमी	23-12-87	,,
बनौटी	17-12-87	,,
नीरथ	22-12-87	,,
कुटरा	9-10-88	भारतीय स्टेट बैंक

1	2	3
पुखारली	28-12-87	स्टेट बैंक आफ पटियाला
बयोरी खनाटी	30-12-88	स्टेट बैंक आफ पटियाला
सिरमूर जिला		
केहरी	29-2-88	भारतीय स्टेट बैंक
दीदागखनोटियान	30-9-88	भारतीय स्टेट बैंक
भगानी	1-12-87	स्टेट बैंक आफ पटियाला
परारा	20-12-88	पंजाब नेशनल बैंक
बेनाठी	21-12-88	पंजाब नेशनल बैंक
सोलन जिला		
मंद	24-12-87	पंजाब नेशनल बैंक
दाभोख	24-3-87	,,
कोटबेजा	6-11-88	,,

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लाभांश देना

4164 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा यूनीलीवर पी. एल. सी. को वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान विदेशी मुद्रा में कितने लाभांश का भुगतान किया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

4165. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के संघ द्वारा "आस्ट्रेलिया के साथ निर्यात और संयुक्त उद्यम" के अन्तर्गत किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में गहरे खनन का विस्तार करने और कोकिंग कोयला खनन क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में आस्ट्रेलिया खनन विशेषज्ञता सहायक हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्यात किये जा रहे मदों, विशेषकर इंजीनियरी उत्पादों, सामान्य औद्योगिक मशीनों और उपकरणों से संबंधित मदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) कुल 5.52 मिलियन टन परिष्कृत कोयला के वार्षिक उत्पादन वाली पीपरवार एकीकृत खनन सह परिष्करण

परियोजना को आस्ट्रेलिया के मैं० व्हाईट इण्डस्ट्रीज लि० के टर्नकी कार्यान्वयन के साथ विकसित करने का प्रस्ताव है साथ ही आस्ट्रेलिया सरकार ने इसको आयात लागत के वित्त पोषण के लिए ब्याज मुक्त सुलभ ऋण देने की पेशकश की है जिसे 4 वर्ष की ग्रेस अवधि के बाद 10 वर्षों में लौटाया जाएगा।

(ग) भारत से आस्ट्रेलिया को निर्यात किए जा रहे इंजीनियरी उत्पादों की मुख्य मदें हैं: हाथ मशीन के औजार, मूल धातु के घरेलू उपस्कर, सामान्य औद्योगिक मशीनें (जिनमें पम्प शामिल हैं) वाणिज्यिक वाहन, आटो-पार्टस, हार्डवेयर, जंजीरें, तराशने के औजार, कम्प्रेसर और पुर्जे, इलेक्ट्रानिक पावर मशीनें, डीजल इंजन और पुर्जे, क्रेन और होइस्टस, बैटरीज, लैम्प, स्टार्टर, ट्रांसफारमर, क्वाईल तथा चोक आदि।

(घ) वर्ष 1985-86 तथा बाद के वर्षों में आस्ट्रेलिया को इन्जीनियरी माल के निर्यात निम्नलिखित हैं:

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	मूल्य
1985-86	8.75
1986-87	16.00
1987-88	15.00
1988-89 (अप्रैल-सितम्बर)	11.00

स्रोत: इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

राष्ट्रीय आवास बैंक

[हिन्दी]

4166. डा० ए० के० पटेल: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मकान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की कितनी शाखाएं खोली गई हैं और किन-किन राज्यों में आवास वित्त निगम स्थापित किए गए हैं; और

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त निगमों ने इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धन-राशि व्यय की है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फलीरो): (क) और

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कर दी गई है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उक्त बैंक ने एक शाखा कार्यालय बम्बई में खोला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्यों के आवास वित्त निगमों के संबंध में उसके द्वारा इस प्रकार की जानकारी एकत्र नहीं की जाती।

राष्ट्रीय आवास बैंक हिताधिकारियों को सीधे कोई ऋण नहीं देता परन्तु पात्र बैंकों/संस्थाओं को, अधिक से अधिक 40 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के नए आवासीय यूनिट खरीदने/बनाने के लिए दिनांक, 1 जनवरी, 1989, 1989 से संवितरित 50,000 रुपये तक के आवास ऋणों के लिए और

पुराने आवासीय यूनिटों को बढ़ाने/मरम्मत करने के वास्ते दिये गये 30,000/- रुपये तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएं प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

[अनुवाद]

4167. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए;

(ख) क्या इन बैंकों का कार्य संतोषजनक रहा है;

(ग) इन बैंकों से गरीब और छोटे किसानों को किस हद तक फायदा हुआ है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन बैंकों के कार्यकरण के बारे में कोई निर्देश जारी किये गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान, आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये आन्ध्र प्रदेश और पंजाब राज्य में दो-दो तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में एक-एक बैंक स्थापित किया गया।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तथा कुल मिलाकर वे उन्हें दिए गये लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलग से कोई मार्गनिर्देश/अनुरोध जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उन्हें भी उन मार्ग निर्देशों का पालन करना होता है, जो अन्य सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होते हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

[हिन्दी]

4168. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के कुल कितने मामले दर्ज किये गए;

(ख) कितने मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की गई;

(ग) कितने मामलों के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाये गए व्यक्तियों को दंड दिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे प्रस्तुत की जा रही है :—

	1988-89 (फरवरी तक)
दर्ज किये गए मामलों की संख्या	4636
न्यायालय में दायर की गई शिकायतों की संख्या	289
उन मामलों की संख्या जिनमें दण्ड दिया गया	92

(घ) "फेरा" में संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशि तथा ऋण राशि

[अनुवाद]

4169. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण शाखाओं में कितनी जमा, ऋण, बकाया, राशि थी और ऋण वसूली की दर कितनी थी; और

(ख) गत तीन वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि और ऋण राशि से वृद्धि की दर का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1987 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों एवं अतिदेय अग्रिमों की रकमें क्रमश: 2305, 82 और 569.72 करोड़ रुपये थी। जून 1988 को समाप्त वर्ष के लिए इन बैंकों की मांग के मुकाबले वसूली की प्रतिशतता 48.89 थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1987 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की जमाराशियां 17,527 करोड़ रुपये थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण शाखाओं के अतिदेय अग्रिमों और वसूली के कार्य से संबंधित आंकड़े प्राप्त नहीं होते।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों तथा बकाया अग्रिमों में वृद्धि की दर नीचे दी गई है :

वर्ष	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		सरकार क्षेत्र के बैंक	
	जमाराशियां	अग्रिम	जमाराशियां	अग्रिम
1985	33.94%	30.24%	19.5%	12.5%
1986	33.37%	26.79%	19.6%	13.7%
1987	34.45%	2[illegible].06%	15.6%	11.6%

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4170. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सरकारी आदेशों के अनुसार रोग प्रतिबन्ध अवकाश को अनुमति दी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को खाद्यान्न के लिए दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की वर्तमान सुविधा वापिस ले ली गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह परामर्श दिया है कि मध्य प्रदेश के विशेष रूप से डाकुओं वाले क्षेत्र और अंबिकापुर तथा जगदलपुर जिलों के जंगली जानवर और सांपों से भरे क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों की जीवन सुरक्षार्थ बीमा कराएं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, अपने कर्मचारियों को संगरोधन अवकाश (क्वारंटीन लीव) प्रदान करने के वास्ते अनुदेश दे दिए गए हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम इस राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपने सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की भांति सामूहिक बीमा पालिसी के अंतर्गत शामिल करने के लिए कह दिया गया है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, जंगली क्षेत्रों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को कोई विशेष बीमा कवच प्रदान करने के वास्ते कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

4171. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के संबंध में इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न निर्णय दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है, यदि हां, तो अपील की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे के इन क्षेत्रीय कार्यालयों ने मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त की थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जे० सी० मलिक के मुकदमे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील 29-11-1988 से शुरू होने वाले सप्ताह में उच्चतम न्यायालय की वाद-सूची में आई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय यथा समय इसकी सुनवाई करेगा।

(ग) और (घ) 1978 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर थी। उच्चतम न्यायालय ने अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के लागू करने पर भी रोक लगा दी थी। तथापि, 24-9-1984 को उच्चतम न्यायालय ने रोक निरस्त कर दी तथा इस आशय के अन्तरिम आदेश जारी कर दिये कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित 24-9-1984 के अन्तरिम आदेश के पूर्व निर्णय से स्वयं उच्चतम न्यायालय ने तथा कुछ उच्च न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों ने जे० सी० मलिक के मुकदमें में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अन्तरिम आदेश जारी कर दिये हैं जिनके अन्तर्गत अधिकांश रेलें पूर्णतया/आंशिक रूप से आ गयी है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शाखा प्रबन्धकों की पदोन्नतियां

4172. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में अधिकारियों/शाखा प्रबन्धकों को क्षेत्र प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नति करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त पदोन्नतियों में वरिष्ठता अतिक्रमण के भी कोई मामले हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऐसे मामले हुए हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के 1 दिसम्बर, 1987 और 10 फरवरी, 1988 के मार्गनिर्देशों के अनुसार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा प्रायोजित किये गए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्षेत्र/वरिष्ठ प्रबन्धकों के पदों सहित विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां उनके निदेशक बोर्डों द्वारा इस संबंध में विद्यमान नियमों के अनुसार की जाती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति का विनियमन अब इस संबंध में सितम्बर, 1988 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार किया जाता है।

फरक्का बांध पर गंगा के दाहिने किनारे पर संरक्षण कार्य

4173. **श्री आवलन अबेदिन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के धारा प्रवाह के 6 किलोमीटर के दायरे में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर संरक्षण कार्य शुरू करने हेतु बनाई गई योजना पर कुछ वर्ष पहले फरक्का बांध प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या बाद में योजना में कटौती कर दी गई है/योजना समाप्त कर दी गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त 6 किलोमीटर लम्बे धारा प्रवाह का संरक्षण कार्य कब तक पूरा होन की संभावना है ?

जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1986 में 728 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्कीम स्वीकृत की गई थी। जनवरी, 1989 तक लगभग 27% कार्य पूरा हो गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर की गई पुनरीक्षा और सिफारिशों के अनुसार फरक्का बराज के आस-पास में तट सुरक्षा कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है।

वाराणसी और त्रिवेन्द्रम/कन्या कुमारी के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

4174. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और त्रिवेन्द्रम/कन्याकुमारी के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) वाराणसी-तिरुपति/मद्रास के बीच मई, 1989 से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली गाड़ी चलायी जा रही है। तिरुवनन्तपुरम/कन्याकुमारी जाने वाले व्यक्ति मद्रास में गाड़ी बदल सकते हैं। वाराणसी और तिरुवनन्तपुरम/कन्याकुमारी के बीच गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

काफी बोर्ड के डिपों में काफी का भंडार

4175. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदुक्की में काफी बोर्ड के पुल डिपो में काफी का भण्डार बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) और (ख) वर्ष 1988-89 में काफी की फसल रिकार्ड स्तर पर होने की आशा है। इसलिए बोर्ड के विभिन्न संग्रह-डिपो में जिनमें केरल में स्थित इदुक्की डिपो भी शामिल है, प्राप्त की जा रही काफी की मात्रा काफी ज्यादा है और यह सामान्य फसल वर्ष में प्राप्त की गई मात्रा से अधिक है। फिर भी बोर्ड ने इस काफी को आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के उन भण्डार केन्द्रों में भेजने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है, जहां से ये बेची जाती है।

स्टीम लोकोमोटिव शेडों के बन्द होने के कारण फालतू हुए श्रमिक

4176. **श्री रेणु पद दास :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टीम लोकोमोटिव शेडों के बन्द किए जाने के कारण फालतू हुए कर्मचारियों को खपाने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) और (ख) भाप कर्षण के उत्तरोत्तर बन्द होने के कारण जो नियमित कर्मचारी फालतू हो गए हैं उन्हें हटाया नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें अन्य पदों पर या तो मौजूदा रिक्तियों अथवा नई गतिविधियों के लिए सृजित पदों पर, वैकल्पिक व्यवसायों में, जैसा भी अपेक्षित हो, उपयुक्त प्रशिक्षण देने के पश्चात् पुन: नियुक्त किया जा रहा है। जब तक वे वैकल्पिक पदों पर समाहित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें "विशेष अतिरिक्त" पदों पर उसी ग्रेड में, जिसमें पदधारी कार्य कर रहे होते हैं, तैनात रखा जाता है।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उसी व्यापक ढांचे के अन्तर्गत कुछ व्यापक मार्ग निर्देश बनाये गये हैं और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को फालतू कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुन: नियोजित करने की शक्तियां दी गई हैं।

कोव्वूर रेलवे स्टेशन (आंध्र प्रदेश)

4177. **श्री बोड्डे रमैया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कोव्वूर (पश्चिम गोदावरी) रेलवे स्टेशन में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) और (ख) स्टेशनों की इमारतों के ढांचे में परिवर्तन सहित स्टेशनों का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और जो विभिन्न चरणों में आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है बशर्ते धन उपलब्ध हो। कोव्वूर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं इस समय सम्भाले जा रहे यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त है तथा फिलहाल स्टेशन का और विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तामलुक स्टेशन पर रेलवे अस्पताल की स्थापना

4178. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा हल्दिया सेक्शन पर तामलुक रेलवे स्टेशन पर रक्त बैंक सहित रेलवे अस्पताल स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) और (ख) तामलुक में मौजूदा स्वास्थ्य इकाई को पोलीक्लीनिक में बदलने के लिए विस्तार सम्बन्धी इन्जीनियरी कार्य प्रगति पर है। इस सम्बन्ध में जुटाई जाने वाली सुविधायें कार्यभार तथा अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

मत्स्य एककों के लिए सहायता

4179. श्री टी० बाल गौड : क्या वित्त मन्त्री शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा मत्स्य एककों के लिए सहायता के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न 2089 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्दर्भाधीन दोनों कंपनियों को किस प्रकार की पुनर्वास सहायता दी गई है;

(ख) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया के अधिकारियों से मिलने हेतु छोटे उद्यमियों को बम्बई बुलाया गया था और उनके अनुरोधों पर विचार होने तक उन्हें कई दिनों तक वहां ठहरना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० द्वारा किए गये मूल्यांकन के आधार पर दोनों कंपनियों के ऋणों की वापसी अदायगी का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मूलधन तथा अतिदेय ब्याज की किस्तों अदायगी पर आस्थगित कर दी गई हैं और उनकी वसूली दो अथवा अधिक किस्तों में की जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० ने सूचित किया है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को बम्बई स्थित भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी के कार्यालय में उस सूरत को छोड़कर तभी जाना पड़ता है, जब मत्स्यन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण अधूरे हों और उनके प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों को मिलना जरूरी हो। भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि० के व्यावसायिक प्रबन्ध भी ऐसी कंपनियों के कारोबार के स्थान पर जाते हैं ताकि प्रस्ताव तैयार करने में उनकी सहायता की जा सके।

संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों हेतु शेयर धारिता नियम

4180. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के लिए निर्धारित शेयर धारिता नियम क्या हैं; और

(ख) क्या तमिलनाडु दवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्धारित शेयर धारिता नियमों के अनुसार एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों की पूंजीनिवेश योजना का दुरुपयोग

4181. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

डा० ए० के० पटेल :

चौधरी खुर्शीद अहमद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और भारतीय बैंकों की ओवरसीज शाखाएं कुछ अनिवासी भारतीयों के साथ सांठ-गांठ करके अनिवासी भारतीय निवेश योजना के दुरुपयोग द्वारा करोड़ों रुपये कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान, इस संबंध में कुछ अनियमितताओं की ओर भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित किया गया था। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी भारतीय बैंकों को जिनकी शाखाएं विदेशों में हैं और उन विदेशी बैंकों को जो भारत में काम कर रहे हैं इस सम्बन्ध में, पहले ही अनुदेश जारी कर दिए है।

गंगा सफाई योजना

[हिन्दी]

4182. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई योजना में गंगा के पानी को घाटों तक लाने और कानपुर में पानी की समस्या को दूर करने हेतु एक बांध का निर्माण करने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश में बांध पर आने वाली अनुमानित लागत का भी उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इस बांध के लिए विश्व बैंक से सहायता की कोई पेशकश प्राप्त हुई है; और

(घ) इस बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा जनवरी, 1988 में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ लगभग 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कानपुर में द्वार वाले बराज के निर्माण की सिफारिश की थी। केन्द्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

रेलवे बुक स्टालों पर साहित्य का स्तर

4183. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों में मैं० ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के बुक स्टालों पर घटिया और अश्लील साहित्य बेचा जाता है;

(ख) क्या मैं० ए० एच० व्हीलर हिन्दी पुस्तकों को अपेक्षित स्थान नहीं दे रहा है और उनका प्रचार नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेल विभाग ने मैं० ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को 9 वर्षों के लिए ठेका दिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मैं० ए० एच० व्हीलर के बुक स्टालों पर अंग्रेजी पुस्तकों की तुलना में हिन्दी पुस्तकों की संख्या नगण्य है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। 1967 में, करार से "स्वतः नवीकरण" का खण्ड हटा देने का विनिश्चय किया गया था, लेकिन करार की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा कर 9 वर्ष तक कर दिया गया था।

(ङ) बुक स्टाल के ठेकेदार ऐसी पुस्तकें बेचते हैं जिनकी सामान्यतः यात्रियों को आवश्यकता होती है। रेलों द्वारा पुस्तकों का भाषावार लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

लक्षद्वीप में समुद्र कटाव को कम करने के लिए योजना

[अनुवाद]

4184. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में समुद्र-कटाव कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान लक्षद्वीप सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) और (ख) विशेषज्ञों के दल की सिफारिशों के अनुसार सुभेद्य पहुंचों की सुरक्षा के लिए समुद्र-कटाव कम करने के उपायों की योजना बनाई गई है।

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय 45 लाख रुपए है।

कच्छ (प० रे०) के यात्रियों की मांगें

4186. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 1989 को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, बम्बई में कच्छ यात्री संघ और कच्छ युवक मंडल द्वारा कोई धरना आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक को क्या मांगें प्रस्तुत की गई थी; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्य मांगें और उन पर सरकार के विचार नीचे दिये गये हैं :—

मांग	सरकार के विचार
(1) 31-32 बम्बई सेंट्रल गांधीधाम एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन और उसमें अधिक डिब्बे लगाना।	(1) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।
(2) गांधीधाम से भुजनलिया तक नई बड़ी लाइन का निर्माण।	(2) तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था किन्तु परियोजना लाभप्रद नहीं पाई गई थी और शुरू नहीं की गई थी।
(3) गांधीधाम मंडल का गठन	(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
(4) भचऊ, समाखियाली और गांधीधाम पर प्लेटफार्मों की लम्बाई और ऊंचाई बढ़ाना।	(4) गांधीधाम में प्लेटफार्म का विस्तार पहले ही कर दिया गया है। भचऊ और समाखियाली में प्लेटफार्मों का विस्तार 1989 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। तथापि, प्लेटफार्मों की मौजूदा ऊंचाई पर्याप्त समझी जाती है।
(5) गांधीधाम एक्सप्रेस का कच्छ एक्सप्रेस, या कच्छ मेल के रूप नाम बदलना।	(5) 1-5-89 से कच्छ एक्सप्रेस के रूप में नाम बदला जा रहा है।

मतदाता सूची

4187. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने में कुछ राज्यों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टें किन-किन राज्यों से प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) से (घ) जी, नहीं। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मतदाओं की संगणना में अभिकथित अनियमितताओं के बारे में पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा राज्यों से आम शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अन्य चार राज्यों, अर्थात, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से विशेष क्षेत्रों या परिक्षेत्रों या मामलों के संदर्भ में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शेष 19 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों से कोई शिकायत नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग ने ये सभी शिकायतें आवश्यक सुधार किए जाने के लिए सम्बद्ध मुख्य निर्वाचन आफिसरों को भेज दी हैं।

सीमेंट कारखानों को उत्पाद शुल्क में छूट

4189. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक वर्टिकल शाफ्ट किल्न मिनी सीमेंट प्लांट्स एसोसिएशन ने अपने कारखानों को रूग्ण होने से बचाने के लिए पांच वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क में शीघ्र छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क रियायतें बीच में ही वापस ले लेना तथा कर्नाटक सरकार द्वारा, अदा किए गए बिक्री कर (देश में बिक्री कर की दर सबसे अधिक 18 प्रतिशत है तथा कारोबार कर 1.5 प्रतिशत है) के अनुरूप वायदा किये गये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध न करा सकना ही उद्योग की रूग्णता के मुख्य कारण थे; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सीमेंट एककों के विभिन्न एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने छोटे-छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में रिआयत देने के लिए अनुरोध किया था। 215 रुपए प्रति मी० टन की सामान्य रिआयती दर के मुकाबले 1 मार्च, 1989 से 115 रुपए प्रति मी० टन की शुल्क रिआयती दर उस सीमेंट के सम्बन्ध में निर्धारित की गई है जो "वर्टिकल शाफ्ट किल्न" का प्रयोग करते हुए कारखानों द्वारा निर्मित हो और जिसकी कुल लाइसेंसशुदा क्षमता प्रतिदिन 200 मी० टन से अनधिक हो।

"आर्ट सिल्क फैब्रिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री" में उत्पाद शुल्क अपवंचन

4190. डा० टी० कल्पना देवी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र प्रदेश फैब्रिक प्रोसेसिंग एसोसिएशन, बम्बई से आर्ट सिल्क फैब्रिक प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री में प्रति वर्ष 1200-1400 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे काले धन में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) (क) से (घ) महाराष्ट्र प्रदेश फैब्रिक प्रोसेसिंग एसोसिएशन, बम्बई ने अपने अभ्यावेदन में यह कहा है कि "आर्ट सिल्क प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री" द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1200-1400 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया जाता है। एसोसिएशन ने यह सुझाव दिया है कि संश्लिष्ट वस्त्रों पर उद्ग्रहणीय शुल्क को हटा कर यार्न स्तर पर लगाया जाए। एसोसिएशन ने शुल्क अपवंचन के अपने अनुमान के बारे में कोई आधार नहीं दिया है अत: इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मौजूदा शुल्क संरचना से काले धन में वृद्धि हुई है और जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है।

किसानों को ऋण

4191. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को ऋण देने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) इन संस्थानों ने भारतीय और विदेशी स्रोतों से कितनी धनराशि के ऋण लिए हैं; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा किसानों को गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं तथा किस ब्याज पर ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) (क) से (ग) किसान, भूमि विकास बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अन्य अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्थाएं विश्व बैंक से सीधे ही ऋण नहीं प्राप्त करती हैं बल्कि सामान्यतया यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जरिए दिया जाता है। जून, 1986, 1987 और 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के बकाया कृषि अग्रिमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर अनुसूची के अनुसार ब्याज वसूल करते हैं और कृषि ऋणों के लिए निर्धारित ब्याज दरें निम्नानुसार है :

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
अल्पावधि कृषि ऋण	
(क) 7500/-रुपये तक	10.00
(ख) 7500/-रुपये से अधिक और 1500/-रुपये तक	11.50
(ग) 15000/-रुपये से अधिक और 25000/-रुपये तक	12.00
(घ) 25000/-रुपये से अधिक	14.00 से 15.50
सावधि ऋण	
(एक) लघु सिंचाई एवं कृषि विकास	10.00
(दो) अन्य प्रयोजन	
(क) लघु कृषक	10.00
(ख) अन्य कृषक	12.50
(तीन) कृषि प्रयोजन के लिए ऊर्जा के नए एवं नवीकरण योग्य स्रोतों पर आधारित उपकरणों की खरीद के लिए सावधि ऋणों के रूप में अग्रिम	10.00

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के बकाया अग्रिम

(करोड़ रुपए)

समाप्त वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक
जून 1986	9482.88	871.1	6947.0
जून 1987	10963.90	1061.2	7475.0 पी
जून 1988	12285.00*	1060.5 पी	8244.0 ई

पी—अनन्तिम

ई—अनुमान

*आंकड़ा अनन्तिम है और उन 50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्धित है जो लगभग 95 प्रतिशत बैंक ऋण के लिए उत्तरदाई हैं।

भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त वित्त आयोग की स्थापना

4192. श्री वी० कृष्ण राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया ने वर्तमान व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों का बहुत अधिक विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या दोनों देश मन्त्रालय स्तर पर एक संयुक्त वित्त आयोग स्थापित करने की योजना बना रहे हैं;

(ग) क्या भारत के लिए विकास सहायता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) (क) और (ख) जन्तु-विज्ञान, रेलवे, कोयला और दूर-संचार के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चार सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भी द्विपाक्षिक सहयोग की स्थिति पर पुनरीक्षण करते रहने के लिए मन्त्रालयिक स्तर पर एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रकट की है। भारत में विकास परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए रियायती ऋणों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से भी आस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन 10 फरवरी, 1989 को निष्पन्न किया गया है।

(ग) और (घ) आशा है कि इन उपायों से, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में विकास विषयक सहायता के आगम में सुविधा होगी।

गांधी धाम से आणंद और बड़ौदा के लिए अन्तरनगरीय गाड़ी

[हिन्दी]

4193. श्रीमती ऊषा ठक्कर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के छात्रों के लिए गांधीधाम से आणंद और बड़ौदा के लिए एक अन्तरनगरीय गाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

[अनुवाद]

4194. श्री वी० तुलसीराम :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक विधान बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह विधान कब बनाया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे के कार्यकरण की आलोचना

[हिन्दी]

4195. श्रीमती मनोरमा सिंह :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में रेलवे के कार्यकरण की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर आलोचना की गई है;

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कार्यवाही की सिफारिश वाले ऐसे मामलों की वर्तमान संख्या कितनी है जिन पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जाएंगे और कब ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कैलेंडर वर्ष 1987 की वार्षिक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। सतर्कता के क्षेत्र में निष्पादन किये गए कार्य (का लेखा देने के अतिरिक्त रिपोर्ट में प्रणाली प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने रेलों की कार्य प्रणाली की आलोचना नहीं की है। बल्कि सतर्कता के कुछ मामलों में सहायता की भावना से टिप्पणी दी है :

(ग) से (ङ) फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है जिस पर केन्द्रीय सतर्कता आयोजित द्वारा दिये गये परामर्श के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा कोई निर्णायक कारंवाई न की जा सके। आयोग के परामर्श को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और उसे ध्यान में रखकर आवश्यक कारंवायी की जाती है यदि किन्हीं मामलों में जिनमें आयोग के परामर्श से हटकर कारंवायी करने का प्रस्ताव होता है, तो ऐसे मामलों को पुनर्विचार के लिए उनके पास भेजा जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथोचित कारंवाई की जाती है।

उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन संविधान संबंधी मामले

[अनुवाद]

4196. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में संविधान सम्बन्धी कितने मामले निर्णयाधीन पड़े हैं तथा प्रत्येक मामला कितने वर्षों से निर्णयाधीन पड़ा है;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में ऐसे कितने मामले निर्णयाधीन पड़े हैं; और

(ग) इनके निर्णयाधीन पड़े रहने के क्या कारण हैं और इन मामलों को निपटाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संवैधानिक मामलों सहित मामलों के लंबित रहने के कई जटिल कारण हैं। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि विधि के सामान्य प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों को एक समूह में रखना, और विशेष न्यायपीठों का गठन करना। 1 मार्च, 1980 में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 और उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 351 से बढ़ाकर 451 कर दी गई है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय में लंबित संवैधानिक मामलों की संख्या और उनके लंबित रहने की वर्षवार संख्या

वर्ष	लंबित संवैधानिक मामलों की संख्या
1968	2
1959	—
1970	3
1971	2
1972	27
1973	37
1974	42
1975	37
1976	15
1977	207
1978	125
1979	384
1980	499
1981	441
1982	1043
1983	1690
1984	905
1985	905
1986	170
1987	522
1988	234
1989	4
योग	7381

पश्चिम रेलवे में पटरियों को बदलना

4197. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से अब तक रेल की पटरियों को बदलने के लिए कितना आबंटन किया गया है, तब से अब तक इस कार्य पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए कुल आबंटन में से गुजरात सहित रेलवे जोनों में जनवरी 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान कितने किलोमीटर पटरियों को बदला गया और तत्सम्बन्धी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गुजरात सहित पश्चिम रेलवे में कितने किलोमीटर रेल की पटरियों को तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है;

(ग) इन रेल पटरियों को कब तक बदला जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पश्चिम रेलवे जिसके अन्तर्गत गुजरात राज्य आता है, को रेल पथ नवीकरण के लिए आबंटित धनराशि तथा खर्च की गयी वास्तविक राशि का वर्ष वार ब्योरा इस प्रकार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आबंटित राशि	खर्च की गयी वास्तविक राशि
1985-46	91.00	92.10
1986-87	102.70	103.80
1987-88	134.64	152.15
1988-89	138.72	100.56 (फरवरी, 1989 तक)
1989-90	139.55	—

पश्चिम रेलवे में अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि में लगभग 468 कि० मी० पूरे रेल पथ का नवीकरण किया गया था जब कि वित्त वर्ष, 1988-89 के लिए 473 कि० मी० रेल पथ का नवीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) और (ग) पश्चिम रेलवे में लगभग 108 कि० मी० पूरे रेलपथ का तुरन्त नवीकरण करने की आवश्यकता है और इसके 31-3-1990 तक पूरे हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

मुक्त व्यापार क्षेत्रों का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4198. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल ने गत वर्ष "मुक्त व्यापार क्षेत्रों" का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है कि निर्माता "मुक्त व्यापार क्षेत्र" में दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) और (ख) : भारत-सोवियत वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल ने देश में मुक्त व्यापार क्षेत्रों के विकास पर एक अध्ययन किया है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों के कुछ एककों द्वारा क्षेत्र की सुविधाओं के दुरुपयोग की कुछ घटनाएं उसकी जानकारी में आई है।

(ग) और (ङ) सरकार प्रत्येक मामले में अनुमोदन पत्र में विभिन्न शर्तें रखती है और यह शर्तें रखते समय उस विवरण का ध्यान रखती है जो आवेदक अपनी प्रस्तावित विनिर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में पेश करता है। किसी एकक द्वारा अनुमोदन-पत्र में दी गई शर्तों के उल्लंघन की किसी घटना के प्रकाश में आने पर जहां आवश्यक होता है वहां उचित कार्यवाही की जाती है।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण प्रबंध का कार्य

[अनुवाद]

4199. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के पुरी जिले में बाढ़ के दौरान तट पर खारे जल के बहाव को रोकने के लिए वहां खारा-जल तटबंधों के निर्माण, उन्हें सुदृढ़ करने और उनकी मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई धनराशि मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम होने के कारण क्या सरकार इस परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल को विश्व बैंक से ऋण

4200. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा केरल को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या केरल राज्य विश्व बैंक से लिए गए ऋण की किस्तों की अदायगी कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये 28 करोड़ डालर के एक ऋण/उधार हेतु विश्व बैंक के साथ हाल ही में बातचीत की गई है। केरल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा। इस संबंध में शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

काफी हाउस और काफी केन्द्रों सम्बन्धी योजना

4201. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या काफी बोर्ड ने खाड़ी देशों से वापिस आए लोगों और बेरोजगार शिक्षित युवाओं को काफी हाउस और काफी केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में काफी बोर्ड द्वारा क्या प्रोत्साहन और सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां। काफी बोर्ड ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा काफी हाउस एवं काफी केन्द्र खोलने के लिए एक योजना बनाई है।

(ख) काफी बोर्ड का विचार है कि चुनिन्दा कर्मचारियों को काफी ब्रूइंए, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग तथा काफी हाउस के प्रबन्ध आदि के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाए और पात्र श्रेणियों के लोगों को वजीफा, नकद उपदान, अपरिष्कृत काफी की बिक्री के लिए एजेंसी जैसे प्रोत्साहन दिये जाएं।

पश्चिमी कोसी नहर को पूरा करना

4202. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर सन् 1990 तक बनकर तैयार हो जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) निधियों के प्रतिबंध तथा भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण पश्चिमी कोसी नहर के वर्ष 1994-95 तक पूरा होने की आशा है।

मुद्रा प्रणाली के संबंध में चक्रवर्ती समिति की सिफारिशें

4203. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में चक्रवर्ती समिति (1982) की कौन-कौन सी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई हैं;

(ख) इनके कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) मुद्रा प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रो० एस० चक्रवर्ती

की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में मुद्रा प्रणाली के कार्यकरण की व्यापक रूप से समीक्षा की थी तथा मुद्रा प्रणाली और ऋण नीति के अनेक पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की थीं। ये सिफारिशें ऐसी थी कि इनमें से अनेक सिफारिशों पर मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली का विकास होने पर ही विचार किया जा सकता है। समिति की कुछ सिफारिशें स्थिति के अनुसार सामान्य प्रकार की हैं, इसलिए केवल दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में ही प्रासंगिक हैं। कुछ अन्य सिफारिशें वित्तीय प्रणाली को युक्ति-संगत बनाने तथा उसके विकास से संबंधित हैं और इसलिए ये क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित की जानी हैं। यद्यपि अनेक सिफारिशों का अनुपालन किया जा चुका है, तथापि कुछेक सिफारिशों को आवश्यकतावश क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है क्योंकि वे मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के विकास पर निर्भर हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति की सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन को पूरा होने की निश्चित समयावधि के बारे में बताना संभव नहीं है।

रेल पथों का नवीकरण

4204. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के लिए रेलवे के नवीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : 1989-80 के लिए 3550 कि० मी० रेल पथ के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर

4205. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भरपूर फसल हुई थी;

(ख) मूल्य स्तरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या भरपूर फसल होने के परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति की दर में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क), (ख) से (ग) जी, हां।

(घ) बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक मुद्रा-स्फीति की दर 11 मार्च, 1989 को समाप्त हुए सप्ताह में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 10.1 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 6.3 प्रतिशत रह गई।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं उठता।

गंगटोक में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय का खोला जाना

4206. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्ध कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का एक ऐसा कार्यालय गंगटोक में स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्डो फ्लेरियो) : (क) से (घ) बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय नियंत्रक कार्यालय होते हैं। बैंकों द्वारा ये कार्यालय नियंत्रित की जाने वाली शाखाओं की संख्या, उनके कारबार के स्तर, भौगोलिक स्थिति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशासनिक सुविधाओं, लागत-लाभ विश्लेषण इत्यादि को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित उसकी शाखाओं का नियंत्रण गुवाहटी स्थित उसके स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा तथा गुवाहाटी और शिलांग स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), दीमापुर (नागालैण्ड) और अगरतला (त्रिपुरा) में भी क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालय स्थापित किये हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि सिक्किम राज्य में उसकी केवल 15 शाखाएं हैं जिनका सिलीगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रण किया जा रहा है। फिलहाल बैंक का गंगतोक में क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुपूरक आयात लाइसेंस

4207. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री अनुपूरक आयात लाइसेंस के बारे में 24 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 के दौरान अन्तर-मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर किन मामलों में अनुपूरक आयात लाइसेंस दिये गये; और

(ख) क्या अनुपूरक लाइसेंस समिति (मुख्यालय) से कार्योत्तर मंजूरी ले ली गई थी, यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) अन्तःमंत्रालयी बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर वर्ष 1988-89 के दौरान रेयन ग्रेड लकड़ी की लुग्दी, कार्बन ब्लैक, घड़ियों/दीवार घड़ियों के लिए इन्टीग्रेटेड सर्किटों (आई० सी०) और इलैक्ट्रानिकी सर्किट बोर्डों (ई० सी० बी०), मोनोमिथाइल एसीटोसेरेमाइड, पेनिसिलीन जी०/वी० आदि के हेतु अनुपूरक आयात लाइसेंस दिए गए। अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति मामलों पर विचार स्वदेशी दृष्टि से क्लियरेंस लेने के प्रयोजन से करती है। जिन मामलों में स्वदेशी दृष्टि से इस प्रकार की क्लियरेंस किसी अन्तः मंत्रालयी बैठक में मिल जाती है उनमें अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति का अनुमोदन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

महाराष्ट्र में किसानों के ऋणों को बट्टे खाते डालना

4208. **श्री सोभाजीराव ककाडे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में सरकार द्वारा किसानों के 200 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों को बट्टे खाते डालने के समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की अदायगी को बढ़ती जा रही प्रतिकूल परिस्थितियों में ऋण प्राप्तकर्ताओं को और राहत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार रूग्ण उद्योगों पर खर्च की गई/मंजूर की गई अत्यधिक धनराशि और छोटे/सीमान्त तथा स्वरोजगार प्राप्त किसानों द्वारा लिए गए ऋण/उधार ली गई धनराशि के बीच समानता लाने का है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि किसानों, भूमिहीन मजदूरों और आदिवासियों के ऋण भार को कम करने के लिए उसने सरकार को देय राशियां माफ करने, ब्याज को देय राशि को अवरूद्ध करने और सहकारी ऋण समितियों को देय मूलधन और ब्याज के परिशोधन का पुनर्निर्धारण करने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए थे।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान मार्गनिर्देशों में अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, सावधि ऋण की वर्तमान किस्तों का पुनर्निर्धारण करने स्थगित करने और प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य प्रतिकूल आकस्मिक परिस्थितियों में किसानों को अतिरिक्त आवश्यकता पर आधारित फसल/निवेश ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके अलावा, सरकार ने लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के ऋण भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत निधि की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा केरल से रबड़ की खरीद

4209. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने केरल के बाजार से सीधे प्राकृतिक रबड़ खरीदना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) निगम किस मूल्य पर रबड़ खरीद रहा है; और

(घ) अब तक कितनी रबड़ खरीदी गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) से (घ) जी, हां।

सरकार द्वारा बफर स्टाक करने की एक योजना चलाई जा रही है ताकि उपजकर्ताओं को लाभकारी आय प्रदान की जा सके और साथ ही प्रयोक्ता उद्योगों को उचित कीमतों पर रबड़ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत जब कीमत स्तर अपेक्षित स्तर से नीचे गिरता है तो राज्य व्यापार निगम हस्तक्षेप करता है। तदनुसार, राज्य व्यापार निगम केरल में घरेलू बाजारों से रबड़ लेता रहा है और अब तक निम्नलिखित कीमतों पर 4135 एम० टन रबड़ खरीद कर चुका है :—

आर० एम० ए-V ग्रेड	— —	16800 रु० प्रति मी० टन
आर० एस० ए०-IV ग्रेड और आई० एस० एन० आर०-20 ग्रेड	— —	17300 रु० प्रति मी० टन

बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का लक्ष्य

4210. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिए जाने का कितना लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या पहले की तुलना में यह लक्ष्य कम रखा गया है, यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए होना चाहिए। दिसम्बर 1988 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने 40 प्रतिशत के इस लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया था। दिसम्बर 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिम का 45.1 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए था। अलबत्ता, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामलों में, दिसम्बर 1987 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत 38.4 था। जो निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य से कुछ ही कम है। भारतीय रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह चूककर्ता बैंकों पर इस बात का जोर दे कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अपने अग्रिमों की कमी को पूरा करें।

पंजाब में रेल लाइनें

4211. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में विशेषकर होशियारपुर जिले में नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) ब्यास तथा गोइंदवाल के बीच नयी बड़ी लाइन (27 कि० मी०) का निर्माण कार्य, जिस पर 21.13 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, 1989-90 के बजट में शामिल किया गया है।

नदी के पानी का उपयोग **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रत्येक बड़ी नदी से सिंचाई के लिए कुल कितनी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है;

(ख) प्रत्येक बड़ी नदी से समुद्र में कितनी मात्रा में पानी बह जाता है;

(ग) क्या इन नदियों से समुद्र में बेकार बह जाने वाले के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नवत् है :

(घन किलोमीटर में)

बेसिन	नदी में ओसतन वार्षिक	भूजल को छोड़कर अनुमानित उपयोज्य प्रवाह
सिंधु (सीमा तक)	73.305	46.000
ब्रह्मपुत्र (जोगीकुपा पर)	535.067	24.000
गंगा	501.643	250.000
गोदावरी	118.982	76.300
कृष्णा	67.790	58.000
कावेरी	20.957	19.000
नर्मदा	40.950	34.500

सिंचाई हेतु उपलब्ध जल के उपयोग तथा भूजल संसाधनों के वार्षिक पुनर्भरण के पश्चात्, शेष जल, वाष्पीकरण तथा वनस्पति द्वारा खपत के बाद समुद्र में बह जाता है।

(ग) और (घ) इन बेसिनों में वृहद परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं :

1. पूर्व-योजना अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं—47
2. योजना अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं—45
3. सातवीं योजना की निर्माणाधीन परियोजनाएं—133
4. सातवीं योजना की नई परियोजनाएं—13

जल-संसाधन विकास का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है जिसमें दो घटक हैं अर्थात् हिमालयाई नदी विकास तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक की व्यवहार्यता-अध्ययनों को शुरू किया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विश्व बैंक का सुझाव

4213. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि सरकार को तकनीकी विकास कोष योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी और पूंजीगत सामान के आयात की नीति को पुनः उदार बनाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं;

(ग) विश्व बैंक ने देश की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए क्या सहायता दी है; और

(घ) तकनीकी विकास कोष योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) विश्व बैंक स्टाफ ने "भारत औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास के सम्बन्ध में नीतियां" पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह विश्व बैंक का एक आन्तरिक दस्तावेज है। इसका वितरण प्रतिबंधित है और इसके प्राप्तकर्ताओं को इसकी विषय सामग्री प्रकट करने का प्राधिकार नहीं है। एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के लिए संभावित साहयता के सम्बन्ध में विश्व बैंक स्टाफ के साथ बातचीत चल रही है।

(घ) गुणवत्ता में सुधार, लागत में कटौती, ऊर्जा में बचत, आदि के लिए पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी जानकारी आदि का आयात करने के सम्बन्ध में पिछले 3 वर्षों में तकनीकी विकास निधि से जो अनुमोदन जारी किए गए, वे निम्न प्रकार हैं :—

वित्तीय वर्ष	अनुमोदित मामलों की संख्या	अनुमोदित मूल्य (करोड़ रुपए)
1986-87	272	69.15
1987-88	211	62.90
1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर)	183	69.22

विजयवाड़ा में जीवन बीमा निगम शाखा एवं निवेश कार्यालय

4214. श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बसन्त रोड, विजयवाड़ा में जीवन बीमा निगम के शाखा एवं निवेश कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रस्तावित भवन पर कितनी लागत आने का अनुमान है और यह भवन कितने तल का होगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) (क) नगरपालिका की स्वीकृति हेतु भवन निर्माण सम्बन्धी नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) इस प्रस्तावित भवन पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा इस में भूमि तल के अतिरिक्त पांच ऊपरी तल होंगे।

चाय उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाना

4215. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में चाय उद्योग में विशेषकर महिला कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) चाय बागान मजदूरों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी की दरों से यह स्पष्ट है कि महिला चाय बागान मजदूरों

और पुरुष बागान मजदूरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बाल मजदूरों के लिए दरें वयस्कों से कम हैं परन्तु इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे महिला हैं या पुरुष।

इसके अलावा, दैनिक मजदूरी द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। हरी पत्तियां तोड़ने के लिए प्रोत्साहन तथा अन्य सांविधिक या गैर सांविधिक ऊपरी लाभ जैसे खाद्यान्न अर्थसहायता, आवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा परिचर्या रुग्णता लाभ अर्जित अवकाश, भविष्य निधि, प्रसूति सुविधाएं आदि असम के चाय बागान मजदूरों के लिये भी उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश में भू-जल स्तर का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

4216. **श्री के० एम० प्रधान** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश मे कम वर्षा और भू-जल के अधिक उपयोग के कारण भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है;

(ख) क्या राज्य में भू-जल की मात्रा का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों को संगणना हेतु कोई सहायता दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) मध्य प्रदेश के कुछ स्थानीय भागों में भू-जल स्तरों में गिरावट देखी गई है।

(ख) और (ग) राज्यों के लिये वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन 5.9718 मिलियन हेक्टेयर मीटर होने का अनन्तिम अनुमान लगाया गया है।

(घ) लघु सिंचाई स्कीमों की गणना करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 42.80 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

नेपाल में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए कृषि वित्त निगम को ठेका

[अनुवाद]

4217. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम ने नेपाल में ग्रामीण विकास परियोजनाएं तैयार करने के लिए ठेके लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कृषि वित्त निगम ने, नेपाल में समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना तैयार करने के वास्ते परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौता किया है। उक्त अध्ययन के क्षेत्र की मुख्य बातें ये हैं :

(एक) सागर-माथा समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के सूचक तैयार करना।

(दो) परियोजना क्षेत्र के लिये संसाधन तालिका तै ।र करना।

(तीन) प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा करना।

(चार) विकास की संभावनाओं का निर्धारण करना एवं विभिन्न कठिनाइयों पर विचार करना।

(पांच) एक व्यापक समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना तैयार करना।

सिकन्दराबाद और काजीपेट रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवा का स्तर

4218. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेल विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिये सिकन्दराबाद और काजीपेट रेलवे स्टेशनों पर विक्रेताओं के खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिये कोई छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान मारे गये छापों की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घटिया किस्म की, अशुद्ध अथवा मिलावट खाद्य पदार्थ और पेय सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान काजीपेट में 121 और सिकन्दराबाद में 38 जांच आयोजित की गयी थीं।

(ग) अशुद्ध या मिलावटी खाने की चीजों और भोज्य सामग्री की बिक्री का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। तथापि अन्य अनियमितताओं और अभद्रव्यवहार के लिए 3 कमीशन वेंडरों को हटा दिया गया, 19 कमीशन बेयरों पर जुर्माना किया गया, 22 को बिलम्बित किया गया तथा 26 को चेतावनी दी गयी।

राज्य व्यापार निगम के प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण

[हिन्दी]

4219. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के लिए एक भवन का निर्माण कर लिया है और यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या यह निर्माण कार्य किसी सरकारी एजेंसी ने किया है और यदि नहीं तो इसका निर्माण करने वाली कम्पनी का नाम क्या है;

(ग) क्या इस निर्माण कार्य में कुछ कमियां पाई गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन कमियों के लिये निर्माण करने वाली कम्पनी को दंडित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) राज्य व्यापार निगम अपने मुख्य कार्यालय के लिये दिल्ली में एक भवन का निर्माण करवा रहा है। दिनांक 28-2-1989 तक इस भवन के निर्माण पर 26 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

(ख) राज्य व्यापार निगम के कार्यालय भवन के निर्माण में कार्यरत एजेंसियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सिविल निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं रही। किन्तु भवन के ढांचे सम्बन्धी डिजाइन की समीक्षा के आधार पर मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने निम्नलिखित डिजाइन त्रुटियां बताई थीं :

(1) निचले संदलन को समय से पहले कम कर देने से दूसरी तथा तीसरी मंजिलों पर कुछ पट्टियां पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाई हैं।

(2) नालियों के लिये रोक के स्थानों के पास करकट बहा ले आने के लिये निचली मंजिलों (ऊपरले भू-तल तथा प्रथम तल) पर कुल मुख्य पट्टियां पर्याप्त मजबूत नहीं रखी गई हैं।

इनमें सुधार कर लिया गया है और अनन्तिम तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि इनके संशोधन पर जो व्यय आएगा उसे आर्कीटेक्ट को देय राशियों में समायोजित कर लिया जाएगा।

विवरण

एस० टी० सी० बिल्डिंग काम्प्लैक्स-निर्माण कार्य में कार्यरत एजेंसियों की सूची।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कार्य का स्वरूप
1.	मै० सिम्पलैक्स कंकरीट पाइप्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	पाइलिंग
2.	मै० यूनीवर्सल कन्सोर्टियम आफ इंजीनियर्स (प्रा०) लि०	सिविल
3.	मै० पेस्ट कन्ट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	एन्टी-टरमाइट
4.	मै० इंडिया वाटर प्रूफिंग कं०	वाटर प्रूफिंग
5.	मै० एस० सोनी एंड कं०	सेनिटरी तथा जल आपूर्ति
6.	मै० ओटिस एलीवेटर कं० (इण्डिया) लिमिटेड	लिफ्टें
7.	मै० भारत इलैक्ट्रीकल्स	बिजली
8.	मै० हाइड्रोवैक्स प्रा० लि०	ट्यूबवैल
9.	मै० एस० सोनी एंड कं०	अग्नि शमन

1	2	3
10.	मै० वोल्टास लिमिटेड	सेन्ट्रल एयरकंडीशनिंग
11.	मै० कन्सोलिडेटिड इंजी० कं०	अल्यूमीनियम ग्लेजिंग
12.	मै० पैरी एंड कं०	डीजल जनरेटिंग सेट
13.	मै० बांडवेल इंडिया प्रा० लि०	इपोक्सी ग्रोटिंग
14.	मै० वातकन वाटर स्पेशलिस्टस	वाटर साफ्टनिंग प्लांट
15.	मै० डेकन; तथा	इलैक्ट्रिकल फिक्सचर्स
16.	मै० बजाज	
17.	मै० स्टीलऐज इंडस्ट्रीज	फायर डिटैक्शन
18.	मै० भू-शिंगार	लैंड स्केपिंग
19.	मै० लक्ष्मी स्प्रिंक्लर्स	अतिरिक्त फायर स्प्रिंक्लर्स प्रणाली
20.	नई दिल्ली नगर पालिका	विद्युत सब-स्टेशन तथा सर्विस कनैक्शन

आर्कीटेक्ट : मै० राज रेवल एंड कुलदीप सिंह, नई दिल्ली।

सुपरवाइजरी कन्सलटेंट इंजीनियर्स : मै० इन्जीनियर्स इण्डिया लि०।

मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज द्वारा साख पत्र खोलना

[अनुवाद]

4220. **श्री रामबहादुर सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई 1985 के दौरान मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को राष्ट्रीयकृत बैंकों में साख पत्र खोलने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन साख पत्रों को पर्याप्त धनराशि विदेशी बैंकों में जमा की गई थी; और

(घ) क्या मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने इसके लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार से अनुमति मांगी है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पी० टी० ए० का आयात करने से सम्बन्धित आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों के अनुसार, मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि० ने 1984 और 1985 के दौरान, पैट्रोलियम मन्त्रालय के पास पी० टी० ए० का आयात करने के लिये संविदा रजिस्टर कराये थे। मई 1985 में, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० से अनुरोध प्राप्त होने पर, बम्बई स्थित 5 बैंकों की शाखाओं ने, जिनमें से

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा 3 भारत में विदेशी बैंकों से सम्बन्धित है, पी० टी० ए० का आयात करने के लिए प्रत्यय पत्र खोले थे जैसाकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के मुकाबले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों एवं अनुदेशों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के न्यायाधीश

[हिन्दी]

4221. श्री आर० पी० सुमन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक समुदायों के क्रमश: कितने न्यायाधीश हैं ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या दर्शाने वाला विवरण (तारीख 28-3-1989 को)

सं० उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या			वास्तविक पद संख्या			रिक्त पद		
	स्थायी न्यायाधीश	अपर	योग न्यायाधीश	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीस	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
इलाहाबाद	55	5	60	48	—	48	7	5	12
आंध्र प्रदेश	24	2	26	20	—	20	4	2	6
मुम्बई	42	6	48	40	2	42	2	4	6
कलकत्ता	44	—	44	43	—	43	1	—	1
दिल्ली	25	2	27	22	—	22	3	2	5
गुवाहाटी	12	—	12	11	—	11	1	—	1
गुजरात	18	3	21	16	—	16	2	3	5
हिमाचल प्रदेश	5	1	6	5	—	5	—	1	1
जम्मू-कश्मीर	7	—	7	7	—	7	—	—	—
कर्नाटक	25	—	25	20	—	20	5	—	5
केरल	21	2	23	20	2	22	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश*	23	7	30	20	5	25	3	2	5
मद्रास*	25	—	25	21	—	21	4	—	4
उड़ीसा	12	1	13	12	1	13	—	—	—
पटना	35	—	35	29	—	29	6	—	6
पंजाब और हरियाणा	23	—	23	21	—	21	2	—	2
राजस्थान	22	1	23	21	1	22	1	—	1
सिक्किम*	3	—	3	1	—	1	2	—	2
योग	421	30	451	377	11	388	44	19	63

राज्यों में मूल्य वृद्धि

4222. श्री केशवराव पारधी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य वृद्धि के, राज्य-वार, नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का उन राज्यों पर कोई वित्तीय अंकुश लगाने का विचार है जिनमें अन्य राज्यों की तुलना में मूल्य वृद्धि अधिक हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) (क) मूल्य सूचकांक राज्य-वार संकलित नहीं किये जाते हैं। कुछ राज्यों की राजधानियों सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। जनवरी, 1989 को समाप्त हुए 12 महीनों के दौरान सूचकांक में शामिल की गई राज्यों की राजधानियों में मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित अपेक्षित आंकड़े (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

जनवरी, 1988 से जनवरी, 1989 के बीच औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) में परिवर्तन के रूप में मापित मूल्य वृद्धि।

केन्द्र	मूल्य वृद्धि (प्रतिशत)
हैदराबाद	7.9
अहमदाबाद	4.6
श्रीनगर	9.4
बंगलौर	6.6
भोपाल	7.4
बम्बई	7.3
जयपुर	10.0
मद्रास	5.8
कलकत्ता	12.0
दिल्ली	10.1

टिप्पणी : श्रम मन्त्रालय द्वारा दिए गये सम्पर्क उपादानों का प्रयोग करके नई श्रृंखलाओं (1982=100) पर आधारित जनवरी, 1989 के आंकड़ों को फिर से पुरानी श्रृंखलाओं (1960=100) में परिवर्तित किया गया है।

विदेशी ऋण

[अनुवाद]

4223. श्री महेन्द्र सिंह :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण लेने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है; और

(ख) कुल विदेशी ऋणों में गैर-रियायती ऋणों की प्रतिशतता कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 1988 में दी गई सांख्यिकीय सूचना के अनुसार, विदेशी सार्वजनिक ऋण पर ऋण-सेवा, वर्ष 1986 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 4.4 प्रतिशत थी। उसी वर्ष के सम्बन्ध में, इसी स्रोत के अनुसार भारत की ऋण-सेवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में 1.2 प्रतिशत थी।

(ख) 31-3-88 की स्थिति के अनुसार विदेशी वाणिज्यिक उधारों के सम्बन्ध में बकाया ऋण कुल विदेशी ऋण का 24 प्रतिशत था।

तस्करी रोकने के लिए प्रोत्साहन

4224. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी रोकने के लिए एक-मुश्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है जिन्होंने तस्करी और धोखाधड़ी के अन्य मामलों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। तस्करी-रोधी अभियान को तेज किए जाने के एक भाग के रूप में, तस्करी-रोधी कार्य में कार्यरत मुखबिरों एवं विभागीय कर्मचारियों को जिस स्कीम के तहत पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन दिये जाते हैं, उसकी सरकार द्वारा मार्च, 1985 में समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, तस्करी-रोधी आधार-भूत संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के अलावा, पुरस्कार सम्बन्धी नीति को युक्तिसंगत बनाया जाना आवश्यक समझा गया था तथा तदनुसार मुखबिरों तथा विभागीय कर्मचारियों की पुरस्कार पात्रता को, पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था तथा इसमें अभिग्रहण के तुरन्त बाद पुरस्कार की रकम के कुछ भाग को स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था भी कर दी गई।

(ग) तस्करी तथा सीमाशुल्कों का अपवंचन किये जाने के बारे में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों को सूचना देने के लिए वर्ष 1988 के दौरान 1521 व्यक्तियों (आंकड़े अनन्तिम) ने मौद्रिक नकद पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

4225. श्री अमरसिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात से देश में इनकी उपलब्धता और इसके मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का चावल, चीनी, सीमेंट, मछली, मीट और अन्य खाद्य उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्यात सम्बन्धी अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सरकार की लगातार यही नीति रही है कि आवश्यक वस्तुओं के लिए आंतरिक मांग पूरी करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए ताकि इन्हें उचित कीमतों पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके। फिर भी विदेशी मुद्रा अर्जन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनिन्दा वस्तुओं की उपलब्धि बेशी होने पर उनकी सीमित मात्रा के निर्यात की अनुमति देती रही है। जन साधारण को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ; उत्पादन, उपलब्धता, कीमतों आदि की सरकार लगातार पुनरीक्षा करती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी वस्तु के निर्यात का उपलब्धता और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

केवल एक बार प्रयोग होने वाली सीरिंजों का आयात

[हिन्दी]

4226. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन केवल एक बार प्रयोग होने वाली, सीरिंजों के आयात से इसी प्रकार के सीरिंजों और सुइयों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय इस उद्योग के हित को ध्यान में रखा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) चालू आयात नीति में, डिस्पोजेबल सिरिंजों के खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गई है और यह अनुमति दी गई है और यह अनुमति घरेलू उत्पादन सहित सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद ही दी गई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग को, आयातित डिस्पोजेबल सिरिंजों पर अधिक दर से शुल्क लगाकर संरक्षण भी दिया जाता है।

उड़ीसा में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता

[अनुवाद]

4227. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने कुल कितना-कितना ऋण दिया;

(ख) उक्त ऋण राशि में से अब तक कितनी प्रतिशत राशि वसूल की गई है;

(ग) क्या उक्त ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में बदलने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) बैंकों को वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, सितम्बर 1988 (अद्यतन उपलब्ध) तक उड़ीसा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बकाया अग्रिम राशि 496 करोड़ रुपये थी। जून 1987 में समाप्त वर्ष के लिए उड़ीसा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली का प्रतिशत 52.8 था।

स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

4228. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के बारे में 4 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनके विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1988 के दौरान एक महाप्रबंधक के विरुद्ध संसद सदस्यों से आठ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बैंक ने सूचित किया है कि शिकायतों से अधिकारी द्वारा किसी प्रकार के अपकरण या अकरण का मामला नहीं बनता।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया

[हिन्दी]

4229. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समान दूरी तक चलने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समान दूरी का यात्री किराया समान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि समान दूरी तक देहरादून एक्सप्रेस तथा अवध एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में समान दूरी के लिए किराये में अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि अवध एक्सप्रेस अपने पूरे मार्ग पर एक एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में ही चलती है, तथापि 19/20 देहरादून एक्सप्रेस अपनी यात्रा के कुछ मार्ग में साधारण गाड़ी के रूप में चलती है और इसलिए कुछ मामलों में दोनों गाड़ियों के किराये में अन्तर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संवर्ग प्रबन्ध योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

4230. **श्री सोमजीभाई डामर :** क्या वित्त मंत्री संवर्ग प्रबन्ध योजना का कार्यान्वयन के बारे में 25 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास उच्च न्यायालय में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति

4231. **श्री पी० कुलनदईवेलु :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में सात और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार को हाल ही में एक ज्ञापन भेजा है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में सात न्यायाधीशों की और वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान मुख्य मंत्री के विचार आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा

4232. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 30 वर्षों के दौरान विश्व व्यापार में भारत के हिस्से (शेयर) में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1957 के दौरान 1.56 प्रतिशत से कम होकर 1987 के दौरान 0.54 प्रतिशत रह गया। इस कमी के मुख्य कारण हैं : व्यापक घरेलू बाजार, निर्यात के लिए पर्याप्त बेशी माल की कमी, घरेलू बाजार में ऊंची लाभप्रदता, आदि।

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य है निर्यात के लिए बेशी माल का सृजन करना, प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतियोगी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा निर्यातों का लाभप्रद बनाना।

काठपाडि और तिरुपति के बीच छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4233. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काठपाडि जंक्शन और तिरुपति के बीच रेल पथ छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं खोलना

4234. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से असम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई;

(ख) "चार" क्षेत्रों (ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों) में जहां पर असम की एक चौथाई जनसंख्या रहती है बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई; और

(ग) सरकार ने वहां के लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए वहां पर और अधिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों ने 112 केन्द्रों पर बैंकों की शाखाएं खोलीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या	
	1987	1988
असम	33	53
अरुणाचल प्रदेश	—	1
मिजोरम	—	11

1	2	3
मणिपुर	—	1
मेघालय	1	4
नागालैंड	1	—
त्रिपुरा	3	4
जोड़	38	74

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि असम के धुबरी और कोकराझार जिलों में 6 बैंक शाखाएं खोली गईं।

(ग) वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा प्रत्येक गांव से 10 कि०मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय उपलब्ध करवाना है। पहाड़ी क्षेत्रों, बिरली आबादी वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या मानदण्ड को 17,000 से कम करके 12,000/10,000 कर दिया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर तथा शाखा विस्तार नीति के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को 421 ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं।

माल ढुलाई पर भाड़ा

4235. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान अथवा इससे भी अधिक समय से माल की ढुलाई रेल के बजाय सड़क परिवहन द्वारा होने लगी है और क्या यह प्रवृत्ति जारी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) भारतीय रेलवे विभिन्न जोनों/डिवीजनों में माल ढुलाई से कितना राजस्व अर्जित करती है और वर्ष 1985 में वर्षवार इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है;

(ग) वर्ष 1985 से विभिन्न जोनों/डिवीजनों में वर्षवार यात्री यातायात कितना था और इसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है; और

(घ) वर्ष 1985 से सड़क मार्ग से ढुलाई का वर्षवार यदि कोई अनुमान है तो वह क्या है?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यद्यपि रेलें परिवहन का मुख्य साधन बनी हुई हैं तो भी कई वर्षों से यातायात का रुझान सड़क परिवहन की ओर बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में ढोये गये यात्रियों की संख्या तथा राजस्व उपार्जक माल यातायात और पिछले वर्ष की तुलना में हुई कमी/बेशी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सड़क यातायात द्वारा ढोया गया अनुमानित माल यातायात नीचे दिया गया है :—

	(मिलियन टन कि॰मी॰)
1985-86	224.7
1986-87	240.4
1987-88	257.3
1988-89	275.3

विवरण

(क) रेलवे द्वारा ढोये गये कुल भूतल माल भाड़ा यातायात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

भूतल मालभाड़ा यातायात

(मिलियन टन)

वर्ष	रेल द्वारा ढुलाई	प्रतिशत	सड़क द्वारा ढुलाई	प्रतिशत
1978-79	223.4	68.0	105.2	32.0
1986-87	307.3	56-1	240.7	43.9

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व उपार्जक माल यातायात तथा ढोये गये यात्रियों और पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी/बेशी का ब्यौरा।

(आंकड़े हजार में)

राजस्व उपार्जक माल यातायात—टनों में ढुलाई

रेलवे	1985-86	कमी-बेशी का प्रतिशत	1986-87	कमी-बेशी का प्रतिशत	1987-88	कमी-बेशी का प्रतिशत
मध्य	69,894	7.15	78,159	11.83	80,371	2.83
पूर्व	74,540	1.154	82,140	10.20	86,602	5.43
उत्तर	68,012	15.05	78,240	15.04	80,148	2.44
पूर्वोत्तर	11,094	25.93	12,544	13.07	12,729	1.47
पूर्वोत्तर सीमा	8,941	22.83	9,886	10.57	11,096	12.24
दक्षिण	31,389	10.84	31,769	1.21	32,112	1.08
दक्षिण-मध्य	43,183	12.17	45,586	5.56	46,285	1.53
दक्षिण-पूर्व	102,383	6.75	110,134	7.57	118,403	7.51
पश्चिम	46,374	7.65	50,721	9.37	52,710	3.92

ढोए गए यात्रियों की संख्या

मध्य	9,76,358	3.41	9,97,588	3.13	1,076,344	7.89
पूर्व	4,64,249	2.60	5,04,733	8.72	5,42,637	7.51
उत्तर	3,97,329	8.76	4,20,377	5.80	4,30,489	2 41
पूर्वोत्तर	1,95,476	3.32	3,02,877	3.79	2,16,269	6·60
पूर्वोत्तर सीमा	33,085	4.26	35,181	6.34	32,028	(—)8.96
दक्षिण	2,89,913	1.47	3,03,308	4·62	3,15,120	3.89
दक्षिण-मध्य	1,73,082	3.55	1,76,835	2.18	1,84,854	4.53
दक्षिण-पूर्व	1,67,804	2.60	1,77,9[illegible]0	6.05	1,91,851	7.81
पश्चिम	10,62,765	0.45	10,91,946	2.75	1,142,829	4.66

विशाखापत्तनम स्टेशन पर शायिकाओं का कोटा

4236. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस द्वारा विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम तक यात्रा किए जाने की अनुमति देने और इस प्रयोजन के लिए टिकटें जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या 34 अप मेल, कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस तथा गोदावरी एक्सप्रेस गाड़ियों में विशाखापत्तनम के लिए शायिकाओं के कोटे में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इस स्टेशन से 34 अप मेल और 35 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के लिए सीटों का आरक्षण आरम्भ करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फिलहाल, 3/4 मेल (34 अप मेल नामक कोई गाड़ी नहीं है), 141/142 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 7 गोदावरी एक्सप्रेस गाड़ियों में विशाखापत्तनम स्टेशन पर कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम स्टेशन पर 3/4 गाड़ियों और 45 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में पहले से ही निम्नलिखित आरक्षण कोटा की व्यवस्था है :—

गाड़ी	पहला दर्जा वातानुकूल	वातानुकूल 2 टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
3 अप हावड़ा-मद्रास मेल	2	10	12	25
4 डाउन मद्रास-हावड़ा मेल	2	3	6	7
45 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस	—	—	—	51

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि श्रमिकों को दिए गए ऋण

4737. श्री हेत राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कृषि श्रमिकों को औसतन वार्षिक रूप में कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) इन ऋणों पर कितना ब्याज लिया गया और ऋणों की कितने प्रतिशत वसूली हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों की दयनीय आर्थिक स्थिति और ऋणों की धनराशि की अदायगी की उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए उनको दिए गए ऋणों की बकाया धनराशि को माफ कर देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से खेतिहर मजदूरों को दिए गए बैंक ऋणों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता दिसम्बर 1988 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के बकाया अग्रिमों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(रकम करोड़ रुपये)
(खाते लाखों में)

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	शेष बकाया
दिसम्बर 1986	168.58	1137.91
दिसम्बर 1987	188.07	11712.50
दिसम्बर 1988	203387	13501.87

(ख) कृषि अग्रिमों की वर्तमान ब्याज की दरें निम्नानुसार है :

कृषि के लिए अल्पावधिक ऋण अग्रिमों की सीमा	ब्याज दर प्रतिशत वार्षिक
(क) 7500/- रुपये तक	10.00
(ख) 7500/- रुपये से अधिक और 15000/- रुपये तक	11.50
(ग) 15000/- रुपये से अधिक और 25000/- रुपये तक	12.00
(घ) 25000/- रुपये से अधिक	14.00 से 15.50

न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के ऋणों के लिए ब्याज दर निम्नानुसार है :—

लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक तथा लघु कृषकों को अन्य प्रयोजनों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक और अन्य कृषकों के लिए 12-5 प्रतिशत वार्षिक।

जून 1987 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :—

जून को समाप्त वर्ष	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत
1985	54.2
1986	56.6
1987	57.1

(ग) से (ङ) बैंकों का हमेशा से निरन्तर प्रयास रहा है कि प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर विचार किए बिना ऋणों की उदारतापूर्वक माफी अथवा बट्टे खाते डालने से ऋण प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है तथा गरीबों के हित में भी नहीं है। अलबत्ता, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के वास्ते पहले ही आवश्यक प्रावधान विद्यमान हैं और बैंकों द्वारा आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जा रहा है।

हासन और टिपटूर के बीच रेल सम्पर्क

4228. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हासन और टिपटूर के बीच नई बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के कार्य के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) सरकार ने इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कंक्रीट स्लीपर निर्माण करने वाला रामपुर हाट एकक

4239. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को पूर्वी रेलवे में रामपुर हाट में एक फर्म मैसर्स कंक्रीट इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कंक्रीट के स्लीपरों के निर्माण में स्लीपरों की गुणवत्ता और अनुचित कार्य करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी तमिलनाडु की सिंचाई परियोजनाएं

4240. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी तमिलनाडु की सिंचाई परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) कावेरी डेल्टा सोपान-1 के आधुनिकीकरण का मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा राज्य इंजीनियरों को अनैमाडुवू जलाशय योजना के संबंध में स्पष्टीकरणों के लिए आमंत्रित किया गया है। चूंकि पराम्बिकुलम अलियार अयाकट विस्तार और पेरयार वैगई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का 75% कार्य पूरा हो गया है, इसलिए उनके मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में जीवन बीमा निगम के स्वामित्व नियंत्रण में आवासीय भवन

4241. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय जीवन बीमा निगम को बम्बई में कितने आवासीय भवनों को स्वामित्व/नियंत्रण प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या इन भवनों के किसी मकान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का अथवा इस समय कब्जा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम के इन कर्मचारियों द्वारा अपने नाम पर इनके पट्टेदारी को करने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण की तारीख को बम्बई शहर में निगम को उत्तराधिकार में लगभग 110 रिहायशी भवन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) जी, हां। लगभग 50 ऐसे कर्मचारी हैं, जो इन परिसरों में किराएदार के रूप में रह रहे हैं, जबकि 125 कर्मचारी लीव पर लाइसेंसिंग के रूप में और स्टाफ क्वार्टरों के रूप में लाइसेंस आधार पर रह रहे हैं। इन 50 कर्मचारियों जो किराएदार के रूप में इन परिसरों में रह रहे हैं, में से कुछ कर्मचारी राष्ट्रीयकरण की तारीख को अथवा इससे पहले इन भवनों के मकानों में किराएदार के रूप में रह रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों को, जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व भूतपूर्व बीमाकर्ताओं के इन भवनों के परिसरों में रह रहे थे, बाद में किराएदारी का अधिकार प्रदान किया गया था।

(घ) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम को इन कर्मचारियों/लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों से उनके नाम किराएदारी करने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ङ) इन कर्मचारियों/लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के कब्जे में परिसरों को किराएदारी के रूप में क्वार्टरों में बदलने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर जीवन बीमा निगम द्वारा विचार किया गया था परन्तु उनके नाम में ऐसी किराएदारी स्थापित किया जाना न्यायोचित नहीं पाया गया है।

चुनिंदा कीटनाशी इन्टरमिडिएटों को सीमा शुल्क से छूट

4242. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन विभाग ने किन-किन कीटनाशी इन्टरमिडिएटों को सीमा शुल्क से छूट दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) किसानों को राहत दिए जाने की दृष्टि से चुनिंदा कीटनाशी इन्टरमिडिएटों को सीमा शुल्क से छूट दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा संश्लिष्ट पाइरेथ्राइड इन्टरमिडिएटों पर विभिन्न दरों से सीमा शुल्क लगाए जाने की गड़बड़ी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) वे विभिन्न कीटनाशी इन्टरमिडिएट कौन से हैं जिन पर बजट से छ: महीने पहले अधिसूचना के माध्यम से सीमा शुल्क में छूट दी गई थी; और

(ङ) सरकार का समान प्रकार के पाइरेथ्राइडों के इन्टरमिडिएटों, जिन पर अभी भी उच्च दर से सीमा शुल्क लगता है, पर किस प्रकार से छूट देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ङ) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग ने समय-समय पर विनिर्दिष्ट कीटनाशी मध्यवर्तियों के संबंध में सीमा शुल्क में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। राजस्व और अन्य पहलुओं को मद्दे-नजर रखते हुए, सरकार ने 1-3-1988 से 28-2-19 9 तक की अवधि के दौरान पांच अधिसूचनाएं, अर्थात् दिनांक 1 मार्च, 1988 की अनिसूचना सं० 16/88-सीमा शुल्क, दिनांक 18 जुलाई, 1988 की अधिसूचना सं० 217/88-सीमा शुल्क, 218/88-सीमा शुल्क और 219/88-सीमा शुल्क और दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 की अधिसूचना सं० 287/88-सीमा शुल्क, जारी की हैं जिनमें विनिर्दिष्ट कीटनाशी मध्यवर्तियों को सीमा शुल्क से रियायतें दी गई हैं। इन अधिसूचनाओं की प्रतियां विधिवत रूप से सदन-पटल पर रख दी गई थी।

पिछले छ: महीनों के दौरान, एक कीटनाशी मध्यवर्ती नामक: मेटाफेनोक्सी बेनजालडीहाइड को, जो सिन्थेटिक पायरोथ्रोएडस के निर्माण के लिए एक मध्यवर्ती है, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी। सिन्थेटिक पायरोथ्रोएड्स के इसी तरह के मध्यवर्तियों को शुल्क से रियायत देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे में आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण (अन्तर सम्पर्क)

4243. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने कलकत्ता कम्प्यूटर टर्मिनल को दिल्ली की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ जोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे विभाग का आगामी वर्षों में अन्य प्रमुख शहरों के कम्प्यूटर टर्मिनल को दिल्ली की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ जोड़ने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो प्राथमिकता वार चुने हुए शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक शहर को जोड़ने में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) फिलहाल, कलकत्ता आरक्षण प्रणाली से सम्बद्ध 4 टर्मिनलों की दिल्ली में व्यवस्था की गई है और दिल्ली कम्प्यूटीकृत प्रणाली से सम्बद्ध 4 टर्मिनल कलकत्ता में लगाये गये हैं।

(ग) से (ङ) कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

काले धन का पता लगाना

[हिन्दी]

4244. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में सम्पत्ति पर विवेश किए गए काले धन का पता लगाने का विचार है; और यदि हां, तो इस संबंध में जनवरी, 1988 से आज तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) वर्ष 1987, 1988 तथा वर्ष 1989 में अब तक इस संबंध में कितने पुलिस अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच और आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है; और

(ग) वर्ष 1987, 1988 तथा 15 मार्च, 1989 तक दिल्ली में सम्पत्ति के बेनामी सौदों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) अचल सम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य को कम बताकर प्रत्यक्ष करों की चोरी के मामलों की रोकथाम के लिए आयकर विभाग विभिन्न उपाय करता आ रहा है। इन उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) अचल सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ मामले को विभागीय मूल्यांकन कक्ष के पास भेजना;

(2) विभाग द्वारा ली जाने वाली तलाशियों तथा किये जाने वाले सर्वेक्षणों के दौरान भी अचल सम्पत्तियों के मूल्य को कम बताए जाने से संबंधित साक्ष्यों का पता चलता है। दिल्ली के कतिपय भवन-निर्माताओं, विकासकर्ताओं (डेवेलपरों) तथा रियलएस्टेट एजेंटों के मामलों में दिनांक 18 जनवरी, 1989 को की गई तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथमदृष्टया 3,37,03,591 रु० की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं; तथा कर-निर्धारितियों ने उक्त तलाशी के दौरान 1,03,93,600 रु० की लेखा-बाह्य आय समर्पित की थी।

(3) अध्याय **-ग (दिनांक 1 अक्तूबर, 1986 से पुरःस्थापित) के उपबंधों के तहत दिल्ली सहित कतिपय महानगरों में अचल सम्पत्तियों की खरीद के ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार को पूर्व-क्रय अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन मामलों में प्रत्यक्ष रूप से घोषित प्रतिफल की राशि 10 लाख रु० से अधिक हो। जनवरी, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान दिल्ली में, 10,10,33,820 रु० के प्रत्यक्ष प्रतिफल होने के कारण 31 सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। इन सम्पत्तियों में से 21 सम्पत्तियों को

5,48,06,495 रु० के घोषित प्रतिफल की तुलना में सार्वजनिक नीलामी में 7,86,94,000 रु० में बेचा गया था।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि 1987, 1988, 1989 (दिनांक 15 मार्च, 1989 तक) के वर्षों के दौरान उन्होंने ब्यूरो के पास दर्ज 27 मामलों की जांच-पड़ताल के संबंध में दिल्ली में तैनात 27 सरकारी कर्मचारियों के रिहायशी/कार्यालय परिसरों की तलाशियां ली थीं। उपर्युक्त मामलों में दिल्ली में तैनात पुलिस का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था।

(ग) कर-निर्धारण की कार्यवाहियों, सर्वेक्षणों, तलाशियों अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281-क के अध्यधीन कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्तियों के बेनामी लेन-देन की घटनाएं प्रकाश में आ सकती हैं। ऐसे मामलों में, प्रत्यक्ष कर कानूनों के अध्यधीन यथोचित कार्यवाही की जाती है।

खान-पान सेवा का स्तर

[अनुवाद]

4245. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीनों के दौरान घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों, चाय और काफी और असंतोषजनक सेवा के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जलारपेटतई ईरोड रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

4246. **श्री टी० बशीर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जलारपेटतई ईरोड सैक्शन के विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस परियोजना पर अब तक वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस परियोजना का विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख)

(धनराशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
1987-88 (अनुमोदन का वर्ष)	3.37	2.60
1988-89	5.00	5.03 फरवरी, 1989 तक
1989-90	14.00 (प्रस्तावित)	

(ग) आठवीं योजना के दौरान ।

वृन्दावन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में जांच-रिपोर्ट

4247. **श्री ए० जयमोहन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर कैंट में 7 अक्तूबर, 1988 को वृन्दावन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की जांच रिपोर्ट रेलवे सुरक्षा आयुक्त, सिकन्दराबाद ने प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) रेल संरक्षा आयोग, जो नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अधीन है, इस समय इस दुर्घटना की जांच कर रहा है । अभी आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता ।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण

4248. **डा० पी० वल्लल पेरुमन :**
श्री सीताराम जे० गावली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आखिरी बार कब आयोजित की थी;

(ख) क्या वर्ष 1986 को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में चुने गए सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी नियुक्ति किस तारीख तक कर दी जाएगी;

(ग) अखिल भारतीय सेवा (प्रमुख) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और बैंक द्वारा इन्हें भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बैंक का विचार वर्ष 1989 में अगली अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अखिल भारतीय सेवा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को इन वर्गों के लिए पृथक परीक्षा आयोजित किए बिना भरी जा सकती हैं, यदि हां, तो इन्हें अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं और बकाया रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में बैंक की भावी नीति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के अनुसार, अधिकारी संवर्ग (कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-1) की पदोन्नति के लिए अन्तिम अखिल भारतीय सेवा परीक्षा 28-9-1986 को आयोजित की गई थी । चुने

गए सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां प्राय: कर दी गई हैं और बाकी उम्मीदवारों की नियुक्ति शीघ्र की जा रही है।

(ग) और (ङ) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय सेवा (मुख्य धारा) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों में पिछली बकाया निम्नानुसार रही है :—

वर्ष	पिछली बकाया अनुसूचित जाति	पिछली बकाया अनुसूचित जनजाति
1978	54	30
1981	61	50
1983	53	60
1985	28	77
1987	—	52
1988	29	68

बैंक ने सूचित किया है कि आरक्षणों में अधिकांश पिछली बकाया आगामी अखिल भारतीय सेवा परीक्षा द्वारा पूरी कर लिए जाने की सम्भावना है।

(च) जी, हां। अगली अखिल भारतीय परीक्षा दिनांक 16-7-1989 को आयोजित की जा रही है।

सोन नहर व्यवस्था हेतु सहायता

[हिन्दी]

4249. श्री कुंवर राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोन नहर व्यवस्था के विस्तार/मरम्मत हेतु बिहार सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने विश्व बैंक सहायता मांगी है। उन्हें पहचान रिपोर्ट तैयार करनी है।

क्योंझर के चाय बागानों को पानी की सप्लाई

[अनुवाद]

4250. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले के चाय बागानों को पानी की कमी के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन चाय बागानों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों को पानी सप्लाई की एक योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) वर्तमान चाय बागानों के सम्बन्ध में ऐसी कोई निश्चित समस्या न तो मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है और न ही टी बोर्ड के। जल सप्लाई का स्रोत चाय परियोजना क्षेत्र के निकट एक बारहमासी नदी है। फिर भी टी बोर्ड दो योजनाएं चला रहा है—(क) चाय मशीनरी की किराया खरीद योजना और (ख) सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना।

अमरावती, विदर्भ और मारखेड क्षेत्र (अमरावती) में रेलवे लाइनों का निर्माण

4251. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों/राज्य सरकार से राज्य में विशेषकर अमरावती, विदर्भ और मारखेड क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर मंतीजापेट अचलपुर की छोटी और मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अमरावती तथा मारखेड के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में मौजूदा मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए निम्नलिखित दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :—

(I) **मनमाड-औरंगाबाद-परभनी-पर्ली बैजनाथ :**

लम्बाई	—	345 कि०मी०
प्रत्याशित लागत	—	140 करोड़ रुपये

(II) **परभनी-पूर्णा-मुदखेड-आदिलाबाद :**

लम्बाई	—	248 कि०मी०
प्रत्याशित लागत	—	107.42 करोड़ रुपये

मुर्तजापुर-अचलपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार में वृद्धि

4252. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में वृद्धि की काफी गुंजाइश है;

(ख) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया है;

(घ) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले तैयार की गई योजना में अभिज्ञात मुख्य ग्रस्ट क्षेत्र हैं : इंजीनियरी उत्पाद, कम्प्यूटर साफ्टवेयर सहित इलैक्ट्रानिक उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, हीरे, रत्न तथा आभूषण, सिलेसिलाए परिधान, कालीन तथा दरियां, समुद्री उत्पाद, काजू तथा साधित खाद्य पदार्थ। अमरीकी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की क्वालिटी को उन्नत करने तथा उत्पाद अनुकूलन के लिए जोर दिया गया है। विपणन तथा प्रचार कार्यक्रमों में शामिल हैं : क्रेता-विक्रेता बैठकें, विशेषीकृत तथा सामान्य मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, विभागीय स्टोर संवर्धन कार्यक्रम तथा प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान।

पश्चिम रेलवे में माल डिब्बों का गुम होना

4253. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई जाने वाले माल डिब्बों के गुम होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका पता लगाने में कितना समय लगा और अन्त में कितने माल डिब्बे गुम हुए घोषित कर दिये गये;

(घ) प्रत्येक गुम हुए माल डिब्बे के लिए कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि माल डिब्बे उचित लेबलों और सील कार्डों से संचलित हों। यदि ये रास्ते में गुम हो जाते हैं तो उस मामले में माल डिब्बे को आगे संचलन की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सही गंतव्य का पता नहीं लग जाता।

विवरण

वर्ष	गुम माल डिब्बों की संख्या	गुम घोषित किए गए माल डिब्बों की संख्या	माल डिब्बे के ढूंढने में लिया गया समय	गुमशुदा माल डिब्बा के लिए हुई औसत हानि
1986-87	47	14	15 से 20 दिन	29,000 रुपये
1987-88	60	5	,,	24,800 रुपये
1988-89 (23 मार्च, 89 तक)	95	10	,,	23,000 रुपये

नोट : ये पश्चिम रेलवे के ग्रेटर बम्बई में गुड्स शेडों से बुक किए गए माल डिब्बों से सम्बन्धित हैं।

महिला उद्यमियों को बैंकों से सहायता

4254. **श्री आर० एम० भोये :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों के बारे में पता चला है जिनमें महिला उद्यमियों को बैंक ऋण देने से इन्कार कर दिया गया था अथवा उन्हें ऋण स्वीकृत करने में विलम्ब किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) महिला उद्यमियों को बैंक ऋण सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे महिला उद्यमियों को ऋण मंजूर न करने के या ऋण मंजूर करने में विलम्ब के मामले में किसी शिकायत की कोई सूचना नहीं मिली है। अलबत्ता, किसी अन्य ऋणकर्ता की तरह महिला ऋणकर्ता भी किसी अर्थक्षम उत्पादक उद्यम के वास्ते वित्तीय सहायता के लिए बैंक से सम्पर्क कर सकती है। ऐसे स्थायी अनुदेश हैं जिनके अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि महिला उद्यमियों सहित सभी व्यक्तियों को बैंक ऋणों से इन्कार किए जाने अथवा बैंक ऋण मंजूर करने में विलम्ब से सम्बन्धित शिकायतों पर उपचारात्मक कार्रवाही की जाए।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के सभी संयोजक बैंकों को ये अनुदेश दिये हैं कि महिला उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में बैंकों के कार्य निष्पादन की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में संवीक्षा की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

जब्त माल की बिक्री

4255. **श्री परस राम भारद्वाज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जब्त माल को सुपर बाजारों के माध्यम से बेचने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जब्त किए गए उपभोक्ता माल को उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित और सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत विधिवत् पंजीकृत सभी सहकारी समितियों तथा राज्य नागरिक पूर्ति निगम/राज्य सहकारी संघों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघों को बेचा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी औद्योगिक एककों द्वारा विदेशी एजेन्सियों से ऋण लिया जाना

42 6. **श्री प्रहलाद राम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी औद्योगिक एककों को विदेशी एजेंसियों से सीधे ऋण प्राप्त करने की अनुमति है;

(ख) क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति अपेक्षित है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे ऋणों को नियमित कर देती है और उन पर नियंत्रण भी रखती है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। सरकार निजी क्षेत्र की कम्पनियों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार मामलात्मक आधार पर विदेशों से ऋण लेने की अनुमति देती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी प्राप्तियों और वापसी अदायगियों पर निगरानी रखता है।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण

4257. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1937 और 1988 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा केरल के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ख) पूरे देश के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) 1986-87 और 1987-88 के वर्षों के दौरान, केरल और सभी राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जीवन बीमा

निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और साधारण बीमा निगम) द्वारा मंजूर की गई एवं संवितरित कुल सहायता का उपलब्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

	1986-87		1987-88	
	अखिल भारत	उसमें से केरल को	अखिल भारत	उसमें से केरल को
मंजूरियां	2700.60	75.21	3029.79	95.50
संवितरण	1890.70	47.93	2265.87	63.54

ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था

4258. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों को संस्थागत ऋण सुचारु रूप से मिलने में कई रुकावटें हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऋण वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाने तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1969 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण संवितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—अधिक शाखाएं खोलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए अग्रणी बैंक योजना आरम्भ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूह को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना, बैंक ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। इन उपायों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :

(करोड़ रुपए)

	जून 1969	सितम्बर 1988
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (बकाया)	441	30194
कुल ऋणों की तुलना में प्रतिशत	14.6	46.3
कृषि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	116	11112
कुल ऋण की तुलना में प्रतिशत	1.3	16.9

ग्रामीण ऋणों के लिए 1-4-1989 से सेवा क्षेत्र योजना नामक एक नई योजना आरम्भ की जा

रही है जिसके अन्तर्गत ऋण आयोजना एवं ऋणों के उपबीन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव किसी विशिष्ट ग्रामीण अथवा अर्ध शहरी शाखा को आवंटित किया जाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसियों का व्यपगमन

4259. श्री आशीष चन्द्र सिन्हा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई काफी संख्या में बीमा पालसियां सम्बन्धित नियोक्ताओं और जीवन बीमा निगम की ओर से प्रशासनिक कार्यवाही न किए जाने के कारण व्यपगत हो रही है ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत पालिसियां देने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम द्वारा उचित सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम की उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ली गई कितने प्रतिशत पालिसियां व्यपगत हुई; और

(घ) ऐसी पालसियों को चालू रखने की अनुमति देने और/अथवा ऐसे पालिसीधारकों को समुचित सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम में वेतन बचत योजना के अंतर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतनों में से (उनके स्थानान्तरण से पहले अथवा बाद में) प्रीमियम की कटौती करने सम्बन्धी प्रचिलित प्रणाली बड़ी अच्छी प्रकार से चल रही है और इसके फलस्वरूप काफी सीमा तक पालिसी व्यपगत होने से बच जाती है। वेतन बचत योजना के अन्तर्गत ली गई पालिसियों के बारे में जीवन बीमा निगम द्वारा व्यपगत होने सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) मौजूदा प्रणाली संतोषजनक रूप से चल रही है। तथापि, निगम ने वेतन बचत योजना के अन्तर्गत ली गई पालिसियों सहित सभी पालिसियों की सेवा सम्बन्धी व्यवस्था का कार्य शाखा कार्यालयों को सौंप कर काफी हद तक इसका विकेंद्रीकरण कर दिया है तथा पालिसीधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए माइक्रो-प्रोसेसर्स की शुरूआत भी की है।

औद्योगिक विकास के संबंध में अनिवासी भारतीयों के साथ बैठक

6260. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार और अनिवासी भारतीयों के बीच कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जलपान सेवाओं का स्तर

4261. श्री एम० डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे के रेलवे स्टेशनों और कैंटीनों में यात्रियों को ताजे खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या हाल ही में दक्षिण रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर जलपान सेवाओं की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) हाल ही में इस प्रकार की केवल एक शिकायत नोटिस में आयी है। बाद में अचानक जांच की गयी थी जिसमें यह पता चला था कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई थी। ताजे भोज्य पदार्थों की सप्लाई और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस प्रकार की जांच और निरीक्षण किये जाते हैं।

नोटरी और शपथ आयुक्तों की नियुक्ति

4262. श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोटरी और शपथ आयुक्तों की सेवा-निवृत्ति की कोई आयु निर्धारित है;

(ख) क्या सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नोटरी और शपथ आयुक्तों के तौर पर नियुक्त किया जाता है; और

(ग) क्या हाल ही में इनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) सेवा-निवृत्त सरकारी सेवकों की नोटरी या शपथ आयुक्तों के रूप में नियुक्ति विधि के अधीन वर्जित नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में कोई जांच नहीं की है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

4263. श्री एन० डेनिस : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन शीघ्र ही किया जाएगा;

(ख) कौन से राज्य इस योजना से सहमत हैं; और

(ग) किन राज्यों ने इसका विरोध किया है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के सम्बन्ध में 23 जनवरी, 1989 को, राज्य सरकारों के विचार मांगे गए हैं। उनके विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग्रेनाइट का निर्यात

4264. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेनाइट के पत्थरों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इनका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) राज्यवार निर्यात आंकड़े डी० जी० सी० आई० एंड एस०, कलकत्ता द्वारा समेकित नहीं किए जाते हैं। ग्रेनाइट मुख्यत: मद्रास तथा बंगलौर बन्दरगाहों से निर्यात किया जाता है। गत 3 वर्षों के दौरान ग्रेनाइट कट ब्लाक्स तथा पालिस किए हुए ग्रेनाइट के निर्यात निम्नलिखित थे :—

वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन में)
1985-86	336.35
1986-87	362.55
1987-88	349.00 (अनन्तिम)

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

4265. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से 1 जनवरी, 1987, 1 जनवीर, 1988 और 1 जनवरी, 1989 को कितनी धनराशि के ओवरड्राफ्ट किए गए थे;

(ख) सम्बन्धित सरकार अथवा प्रशासन द्वारा ओवरड्राफ्ट पर कितना ब्याज देय है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1987-88 और अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान उक्त ब्याज की कितनी धनराशि प्राप्त की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी राज्य सरकार के ओवरड्राफ्टों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर प्रथम सात दिनों के लिए 10% है तथा आठवें दिन से 13% है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टों पर ली गई ब्याज की राशि 1987-88 के दौरान 1.86 करोड़ रुपए थी तथा अप्रैल से दिसम्बर, 1988 के दौरान 2.29 करोड़ रुपए थी।

विवरण

	(करोड़ रुपए में) ओवरड्राफ्ट की राशि
1 जनवरी, 1987	
कर्नाटक	5.43
1 जनवरी, 1988	
कर्नाटक	30.52
महाराष्ट्र	45.57

2 जनवरी, 1988
(1 जनवरी को रविवार
होने के नाते)

गुजरात	26.35
मध्य प्रदेश	11.61
मिजोरम	2.21
राजस्थान	56.80
तमिलनाडु	29.65

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

4266. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम के सीमावर्ती जिलों में वर्ष-वार कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए;

(ख) जब्त किये गए तस्करी के सामान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा शुल्क अधिकारियों ने वर्ष-वार कितने तस्करों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1980 तक कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) 1986, 1987 तथा 1988 के विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-नेपाल सीमा के साथ लगने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिक्किम, के सीमावर्ती जिलों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य तथा चलाए गए अभियोजनों की संख्या एवं दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

	1986	1987	1988
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	30.1	161	298
पकड़ा गया माल (करोड़ रुपयों में)	8.95	12.88	16.60
चलाए गए अभियोजनों की संख्या	48	81	40
31-12-1988 तक दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	10	12	11

जापान को झींगा मछलियों का निर्यात

4267. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय निर्यातकों ने जापान को दूषित झींगा मछलियों का निर्यात किया था;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात किन कम्पनियों ने किया था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इससे समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है कि केवल अच्छी किस्म के समुद्री उत्पादों का ही निर्यात हो ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1986 में जापान को समुद्री उत्पादों के निर्यात के ऐसे पांच मामले सरकार को प्राप्त हुए थे, जिनमें हैजा-संदूषण की रिपोर्ट थी।

(ख) इस निर्यात से सम्बद्ध फर्मों के नाम हैं :

(1) मैसर्स आई० टी० सी० लि०, कलकत्ता।

(2) मैसर्स जी० एस० रैनडेरिपन लि०, कलकत्ता।

(3) मैसर्स कलकन्नी फ्रोजन फूड्स, तूतीकोरिन।

(4) मैसर्स के० सी० फूड एक्सप्लोरर्स एण्ड ऐसोसिएट्स प्रा० लि०, कलकत्ता।

(5) मैसर्स जी० ए० केलनर एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।

सरकार ने इन पांच फर्मों के विरुद्ध कार्रवाही की थी और इन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया गया था। परन्तु इन फर्मों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केवल अच्छी क्वालिटी के ही समुद्री उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनमें शामिल हैं : आयातक देशों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण को सुदृढ़ करना और नवीनतम मशीनरी और उपस्कर लेकर उत्पादों की क्वालिटी उन्नत बनाना और उसमें सुधार करना।

आर्थिक अपराधों की जांच

[हिन्दी]

4268. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व गुप्तचर निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के अलावा निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा आर्थिक अपराधों की जांच की जाती है :—

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, अपवंचन-निवारण निदेशालय, जांच निदेशालय, सीमा शुल्क गृह सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय। इन सभी एजेंसियों को संगत अधिनियमों के अन्तर्गत आर्थिक अपराधों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता

4269. श्री कमल चन्द्र जैन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्य-वार सिंचाई क्षमता कितनी है; और

(ख) मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) मध्य प्रदेश की 10200 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता के मुकाबले वर्ष 1987-88 के अन्त तक यह लगभग 4255 हजार हेक्टेयर सृजित की गयी है। शेष क्षमता को प्राप्त करने की दृष्टि से कई बृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

विवरण

("100 हेक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य का नाम	चरम सिंचाई क्षमता
1.	आन्ध्र प्रदेश	9200
2.	अरुणाचल प्रदेश	260
3.	असम	2670
4.	बिहार	12400
5.	गोवा	20
6.	गुजरात	4750
7.	हरियाणा	4550
8.	हिमाचल प्रदेश	335
9.	जम्मू तथा काश्मीर	800
10.	कर्नाटक	4600
11.	केरल	2100
12.	मध्य प्रदेश	10200
13.	महाराष्ट्र	7300
14.	मणिपुर	240
15.	मेघालय	120
16.	मिजोरम	70
17.	नागालैण्ड	90
18.	उड़ीसा	5900

1	2	3
19.	पंजाब	6550
20.	राजस्थान	5150
21.	सिक्किम	42
22.	तमिलनाडु	3900
23.	त्रिपुरा	215
24.	उत्तर प्रदेश	25700
25.	पश्चिम बंगाल	6110
	कुल राज्य	113272
	संघ राज्य क्षेत्र	250
	कुल जोड़	113522

रेल डिब्बों का निर्माण

4270. **श्री बाल चन्द्र जैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रेल डिब्बे बनाने के कितने कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान यात्रियों के परिवहन के लिए अनुमानतः कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता होगी;

(ग) इस समय उनकी संख्या कितनी है;

(घ) इस समय रेल डिब्बा बनाने वाले कारखानों द्वारा श्रेणीवार कितने रेल डिब्बे बनाए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने यात्री रेल डिब्बों को सेवा से हटाया गया ?

रेल मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) यथा 31-3-88 को सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :

	ब० ला०	मी० ला०
यात्री कोचिंग वाहन	17987	8246
अन्य कोचिंग वाहन	4520	2605
जोड़	22507	10851

(घ) 1988-89 के दौरान निम्नलिखित संख्या में सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है :

क्र० सं०	सवारी डिब्बों की किस्म	सवारी डिब्बों की संख्या
1.	बड़ी लाइन के बिजली गाड़ी डिब्बे	158
2.	बड़ी लाइन के वातानुकूल सवारी डिब्बे	76
3.	बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बे	385
4.	बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के साधारण शयनयान	365
5.	बड़ी लाइन के दूसरे दर्जे के सम्मान-एवं ब्रेक यान	211
6.	बड़ी लाइन/मीटर लाइन के निरीक्षण यान	15
7.	मीटर लाइन के वातानुकूल सवारी डिब्बे	20
8.	मीटर लाइन के दूसरे दर्जे के साधारण सवारी डिब्बे	132
9.	मीटर लाइन के दूसरे दर्जे के 3-टियर	205
10.	मीटर लाइन के दूसरे दर्जे के सम्मान-एवं ब्रेकयान	75
	जोड़	1642

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संख्या में सवारी डिब्बे नाकारा किये गए थे;

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	जोड़
1985-86	899	422	1341
1986-87	1090	417	1507
1987-88	953	446	1399
जोड़	2942	1305	4247

दुर्घटना में घायल हुए ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को सुविधाएं

[अनुवाद]

4271. डा० सुधीर राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल ग्रामीण बैंक और सिंहभूम ग्रामीण बैंक के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो कार्यालय समय और अथवा कार्यालय ड्यूटी के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हुए थे;

(ख) क्या इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नियमों के अनुसार उक्त कर्मचारियों को विशेष अवकाश और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभागीय खर्च

4272. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल खर्च की तुलना में विभागीय खर्चा और अन्य खर्चों का अनुपात कितना है; और

(ख) कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शून्य पर आधारित वेतन पर भी घाटा नहीं हो रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि कुल लाभ की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापना व्यय का अनुपात वर्ष 1986 में 42.04 प्रतिशत और 1987 में 41.23 प्रतिशत था तथा कुल व्यय की तुलना में अन्य व्यय का अनुपात क्रमशः 57.96 प्रतिशत और 58.77 प्रतिशत था।

(ख) 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 1987 के दौरान, 45 बैंकों ने लाभ कमाया। यदि वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन के लेखे व्यय को शामिल न किया जाए तो लाभ कमाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 138 और बैंक जुड़ जाएंगे।

ग्रामीण बैंकों में डकैतियां

4273. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक डकैतियों में ग्रामीण बैंकों के दो शाखा प्रबंधकों की मृत्यु होने तथा एक शाखा प्रबन्ध की दोनों आंखें फूट जाने की जानकारी है;

(ख) ग्रामीण बैंकों के मामले में सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी आदेशों अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, हैदराबाद द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक/प्रायोजक बैंकों को ग्रामीण बैंकों में जोखिम बीमा शुरू करने का परामर्श दिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि गुरुदासपुर-अमृतसर ग्रामीण बैंक के एक शाखा प्रबंधक की उस समय हत्या कर दी गयी थी जब वह क्षेत्र में ड्यूटी पर था। मगध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक को गोली लगी थी लेकिन वह बच गया तथा फैजाबाद ग्रामीण बैंक के एक अन्य शाखा प्रबन्धकों को डाकुओं का मुकाबला करते समय अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संवेदनशील शाखाओं में सुरक्षा सायरन लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जोखिम वाले क्षेत्रों में सशस्त्र गार्ड तैनात करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) जबकि ग्रामीण बैंकों में जोखिम बीमा आरम्भ करने के सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की भांति अपने कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदों के सृजन के मानदण्ड

4274. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोजक बैंकों ने अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में सेकण्ड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, सेकण्ड आफीसर तथा अन्य पदों के सृजन हेतु (बैंक-वार) क्या मानदण्ड निश्चित किए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के लिए समान जनशक्ति आयोजना और वर्ग-निर्धारण का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नई शाखा के लिए न्यूनतम स्टाफ के सम्बन्ध में तथा विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए भी मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जनशक्ति आवश्यकताओं का सकल मूल्यांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उसके प्रायोजक बैंक के परामर्श से सकारबार/क्षेत्रीय आवश्यकताओं, प्रशासनिक आवश्यकताओं, परिचालन के क्षेत्र और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विभिन्न भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक समान स्टाफ ढांचा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नति के नियम

4275. **श्री अनिल बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नति के मामले में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को सरकार द्वारा सुझाए गए "गैर-चयन" नियम तथा "नाबार्ड" के दिनांक 1 दिसम्बर, 1987 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर "नाबार्ड" द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति सितम्बर 1988 में जारी किए गए नियमों के अनुसार की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी पदोन्नतियों के मामले में अधिक्रमण (सुपरसेशन) की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आवश्यक उचित कार्रवाही के लिए उनकी जांच की जाती है।

बस्तर ग्रामीण बैंक की कुटरू और बारसूर शाखाएं

4276. **श्री अनिल बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या "सर्विस एरिया अपरोच" के अन्तर्गत बस्तर ग्रामीण बैंक को कुटरू शाखा करीब नब्बे गांवों और इसकी बारसूर शाखा चार ब्लाकों को बैंक-सेवा प्रदान करता है; और

(ख) क्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इसे सरकारी नीति के अनुकूल समझते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सामीप्य, निकटता आदि के आधार पर सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बस्तर जिले में बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुटरू और बारसूर शाखाओं को क्रमशः 83 गांव (1 खण्ड) और 88 गांव (4 खण्ड) आबंटित किए गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत किसी बैंक की प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखा को उसके सेवा क्षेत्र के रूप में औसतन 15 से 25 गांव आबंटित किए जाने होते हैं। उन मामलों में, जिनमें गांवों की संख्या उपर्युक्त मानदण्ड से अधिक हो गई है, अतिरिक्त शाखाएं खोलने के वास्ते और केन्द्रों का पता लगाया जाएगा।

"पेप्सिको" की शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई हेतु अभ्यावेदन

4277. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री वी० एस० बासवराजू :
श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैसर्स पेप्सीको इंडिया होल्डिंग्स इन्कोरपोरेटिड" न्यूयार्क ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई योजना के अन्तर्गत नान-अल्कोहोलिक पेयों को तैयार करने में प्रयुक्त "प्रोपराइटरी कम्पाउण्ड" के निर्माण हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस यूनिट को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा; और

(घ) "मैसर्स पेप्सिको" को इससे कुल कितना कारोबार होने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संयंत्र की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता 1100 मी० टन है और परियोजना को पंजाब राज्य के संगरूर जिले की भवानीगढ़ तहसील में स्थापित करने का प्रस्ताव है। आवेदन पत्र के अनुसार पांच वर्षों के दौरान सम्भावित निर्यात कारोबार लगभग 24 करोड़ रु० का होगा।

सीमाशुल्क अधिकारी

4278. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1989 में मद्रास, तिरुचि और हैदराबाद में पृथक-पृथक ऐसे कितने सीमाशुल्क अधिकारी पाए गए हैं, जिनकी चल और अचल सम्पत्ति दोनों प्रकार की सम्पत्ति उनकी ज्ञात आय से अधिक पाई गई है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अधिकारियों का पिछला रिकार्ड अच्छा था; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) फरवरी, 1989 के दौरान मद्रास अथवा हैदराबाद में कार्यरत किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी के पास उसकी ज्ञात आय के स्रोत से अधिक चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं पाई गई है। तथापि फरवरी, 1989 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, तिरुचिरापल्ली के निम्नोक्त चार अधिकारियों के पास जो परिसम्पत्तियां हैं वे कथित रूप से उनकी ज्ञात आय के स्रोत के अनुपात में नहीं हैं :—

1. श्री एम० सी० शर्मा, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, तिरुचिरापल्ली।
2. श्री ए० आर० प्रसाद, सहायक सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, तिरुचिरापल्ली।
3. श्री षंमुगम, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, तिरुचिरापल्ली।
4. श्री के० पी० विश्वनाथन, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, तिरुचिरापल्ली।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सहायक समाहर्ता के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्तालय तिरुचिरापल्ली को 1986 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें गैर-कानूनी पारितोषिक की मांग करने का आरोप लगाया गया था और इस आरोप की जांच करने पर इसे निराधार पाया गया था। इसके अलावा, ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दो निरीक्षकों द्वारा कम सीमाशुल्क वसूल करके त्रिची हवाई अड्डे पर असबाब-माल की निकासी के बारे में एक रिपोर्ट की जांच की गई थी, किन्तु कम शुल्क वसूल करने का कोई निश्चित सबूत नहीं मिल सका। तथापि, दोनों निरीक्षकों को त्रिची हवाई अड्डे से कहीं और स्थानान्तरित कर दिया गया था।

राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4279. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार आरोपों के लिए राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सी० बी० आई० ने एस० टी० सी० के 8 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सिफारिश की जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(1) अभियोजन—दो अधिकारी

(2) अभियोजन तथा साथ ही भारी दण्ड—दो अधिकारी के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई

(3) भारी दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई—एक अधिकारी।

(4) मामूली दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई—तीन अधिकारी

(ग) इन सभी मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने सी० बी० आई० की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और तदनुसार, कार्रवाई आरम्भ की गई है।

लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना

4281. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब तक हो जाएगी;

(ख) बैंक की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सरकार ने लघु और अति लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

लघु एककों की शिकायतें

4282. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राष्ट्रीय उद्योग संगठनों, अर्थात् भारतीय लघु उद्योग संघ, अखिल भारतीय निर्माता संगठन और युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय संघ ने, लोहा और इस्पात तथा एल्युमिनियम पदार्थों पर लगाये गये नये शुल्क के कारण लघु क्षेत्र में इन वस्तुओं से बनने वाली वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव के अतिरिक्त लघु एककों में बनाई जाने वाली अनेक मदों पर उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा वापस लेने और 30 लाख रु० तक की उत्पाद शुल्क सीमा को पर्याप्त रूप से कम करने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु उद्योग एककों की शिकायतें समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) लघु उद्योग सेक्टर के सम्बन्ध में बजट में किए गए परिवर्तनों के बारे में लघु उद्योगों के विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन अभ्यावेदनों में उठाये गए मुद्दों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और कांडला को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4283. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और कांडला को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने हेतु योजना आयोग का कोई प्रस्ताव भेजा है अथवा सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव अथवा सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जैसलमेर और बाड़मेर को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए मौजूदा मीटर लाइनों सहित विभिन्न वैकल्पिक मार्गों के लिए सर्वेक्षण किए गए थे। योजना आयोग ने उन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह निदेश दिया था कि जैसलमेर-बाड़मेर को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए प्रथम चरण के रूप में सवाईमाधोपुर-जयपुर-फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर और मेड़ता रोड-लालगढ़ (बीकानेर) के आमान परिवर्तन हेतु अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जाए।

कांडला को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए योजना आयोग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है क्योंकि यह पहले से ही बड़ी लाइन पर है।

नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता

[अनुवाद]

4284. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए संयुक्त रूप से सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता भी हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) जी, हां। अमरीकी सरकार और भारत सरकार के बीच नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार तथा उसके दुरुपयोग की समस्या से संबंधित सभी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी करार के प्रारूप का आदान-प्रदान हुआ है। जैसे ही इस करार को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस करार के ब्यौरों को, जो अपने आप में गोपनीय स्वरूप के हैं, इस अवस्था पर नहीं बताया जा सकता है।

सरकार ने अनेक जोरदार प्रत्युपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय भी शामिल हैं—नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था, निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना (विशेषत: सीमाओं और तस्करी के लिए सुगम्य बने हुए क्षेत्रों के आस-पास), अधिकारियों और मुखबिरों दोनों के लिए उदार पुरस्कार योजना अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को मजबूत बनाना। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में नशीले औषध-द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों के लिए अधिक से अधिक दो वर्ष की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है। उक्त अधिनियम के तहत अब तक 250 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

स्वापक औषध-द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को और अधिक कारगर बनाने

के लिए इसमें संशोधन भी किया गया है। इसमें जो संशोधन किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध धंधे से अर्जित धन से ग़ैर-कानूनी रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति अथवा उसके सिलसिले में इस्तेमाल की गई सम्पत्ति को जब्त करने, नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध धंधे हेतु वित्त-पोषण की गतिविधि को आपराधिक करार देने और विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दूसरी बार दोषी पाए जाने पर मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से ऋण

4285. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष में तीसरी किस्त के रूप में कितनी धनराशि का अंशदान किया जाना है;

(ख) क्या अंशदान भारतीय मुद्रा अथवा विदेशी मुद्रा में किया जाना है;

(ग) इससे पहले कितनी धनराशि का अंशदान किया गया; और

(घ) कोष से अब तक कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के तीसरे पुनर्भरण के लिए अंशदान देने के बारे में सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है परन्तु अंशदान की राशि और "निर्बाध रूप से परिवर्तनशील" तथा "अपरिवर्तनशील" करेंसियों में पुनर्भरण का अनुपात पुनर्भरण के आकार व अन्य अलग-अलग सदस्य देशों के सापेक्ष अंशदान की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(ग) भारत ने अब तक "निर्बाध रूप से परिवर्तनशील" और "अपरिवर्तनशील" करेंसियों के रूप में बराबर अनुपात में 180 लाख डालर का अंशदान दिया है।

(घ) भारत ने अब तक छः परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से 19.5066 करोड़ डालर की ऋण वचनबद्धता प्राप्त की है।

कृषि ऋण के बारे में "नाबार्ड" के दिशा निर्देश

4286. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" के ऋण सुविधाओं सम्बन्धी दिशानिर्देशों के कारण ऋण लेने वाले कृषकों को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कृषकों के हित में नए दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सुविधा को रोकने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लिए गए निर्णय से है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने जब यह देखा कि कुछ सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज दरों तथा ऋणों के रूपान्तरण आदि से सम्बद्ध उनके अनुदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है तब उसने सभी ऐसे राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों को सम्बोधित दिनांक 29 नवम्बर, 1988 के अपने परिपत्र द्वारा पुनर्वित्त सुविधाओं पर अब तक के

लिए रोक लगा दी थी जब तक कि संबंधित संस्थाएं यह वचन नहीं देतीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के अलावा, जहाँ के शीर्ष बैंकों से आश्वासन अभी प्राप्त होने बाकी हैं, सभी राज्यों में पुनर्वित्त सुविधाएं फिर से आरम्भ कर दी गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

4287. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दसवें दशक में भारत से अत्यधिक मात्रा में ऋण की मांग किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कितना ऋण देने का आश्वासन दिया गया है; और

(घ) इस योजना द्वारा कौन-कौन सी परियोजना आरम्भ की जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई नया ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय उद्यमियों को सऊदी अरब की पेशकश

4288. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री शांति लाल पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने अपने देश में पूंजी निवेश करने हेतु भारतीय उद्यमियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित रियायती वित्तीय प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उत्तर में कितने भारतीय उद्यमियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं;

(घ) क्या सरकार का भी सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) सऊदी अरब के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के निमंत्रण पर 26 फरवरी, 1989 से 5 मार्च, 1989 तक भारत की यात्रा की। अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय व्यापारियों के साथ सऊदी अरब तथा भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया। व्यापार और निवेश से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडल ने सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सऊदी

अरब सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता का उल्लेख किया। परन्तु सऊदी प्रतिनिधि मंडल ने रियायती वित्त का कोई निश्चित प्रस्ताव पेश नहीं किया।

सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं का सतत आधार पर पता लगाया जा रहा है।

चाय उद्योग को वित्तीय सहायता

4289. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यक बैंकों द्वारा चाय उद्योग को वर्ष 1989 के दौरान दी जाने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से चाय उद्योग के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चाय उद्योग के लिए समग्र रूप से उत्पादन वित्त की मात्रा वर्षवार निर्धारित नहीं की जाती। जून 1988 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, एक करोड़ रुपये से अधिक की सीमा वाले चाय एककों को कुल 313.17 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएं मंजूर की गई। उस तारीख को इन खातों में 185.06 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ग) यूनाइटेड प्लान्टर एसोसिएशन आफ सदर्न इण्डिया द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 1988 के अनुमानित आंकड़ों की तुलना में 1989 में चाय का 150 लाख कि०ग्रा० अधिक उत्पादन होने की आशा है।

बम्बई और केरल में सोने की जब्ती

4290. श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने दो स्थानों (बम्बई और केरल) में 7 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालयों के अधिकारियों ने फरवरी, 1989 के दौरान बम्बई तथा केरल में तीन अलग-अलग मामलों में 19·45 करोड़ रुपये (लगभग) के मूल्य का लगभग 593 किलोग्राम सोना पकड़ा है।

(ग) इन मामलों में 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसे मामलों में जांच-पड़ताल की जाती है तथा सीमा शुल्क अधिनयम, 1962 की धारा 124 में एक शर्त यह है कि सोना जब्त किए जाने से पहले जिस व्यक्ति के पास से यह पकड़ा जाता है उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों को विभागीय न्यायनिर्णयन में दण्डित किया जा सकता है तथा न्यायालयों में उनके खिलाफ अभियोजन चलाये जा सकते हैं।

तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाना

4291. श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री पी० एम० सईद :
श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री वी० कृष्ण राव :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि निकट भविष्य में शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज गति से चलने वाली और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां किन रेल मार्गों पर चलाई जाएंगी;

(ग) यह रेलगाड़ियां जनता के लिए कितनी लाभप्रद होंगी; और

(घ) ये कब तक चलाई जाएंगी और इसमें कितनी धनराशि व्यय होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नयी दिल्ली-कानपुर मार्ग पर 24-3-1989 से गाड़ी चलायी जा चुकी है। अतिरिक्त चल स्टाक की व्यवस्था करने के अलावा, नयी दिल्ली-कानपुर अन्त:नगरीय एक्सप्रेस गाड़ी के लिए अवसंरचना के अनुरक्षण पर कोई अन्य साधन सामग्री की जरूरत नहीं थी। अन्य मार्गों के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अन्त:नगरीय एक्सप्रेस गाड़ियों से यात्रा समय कम होगा तथा इनसे अत्यधिक आरामप्रद अन्त:नगरी यात्रा की व्यवस्था होगी।

बांधों में दरार पड़ना

4292. श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के टिगरा बांध में दामोदर घाटी निगम के कोनार बांध में, उड़ीसा के हीराकुड बांध में, उत्तर प्रदेश के रिहन्द बांध में तथा राजस्थान के पार्वती बांध में पड़ी दरारों जैसा कि समाचार है के कारणों का अब तक पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में किये गये उपचारी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निष्कर्षों से अन्यों के साथ-साथ रासायनिक अभिपूरण (ग्राउटिंग), दरारों को बन्द करना, ठोस कंक्रीट से प्रतिस्थापन तथा रूख का प्रबोधन और निगरानी रखने जैसे उपचारी उपायों का पता चला है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना

4293. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक सांविधिक निकाय के रूप में कब तक स्थापना की जाएगी;

(ख) क्या प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना में कोई बाधाएं हैं; और

(ग) सरकार ने सांविधिक बोर्ड की तत्काल स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना किए जाने के लिए विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अन्तर्गत लौह तथा अलौह धातुओं का आयात

4294. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुली सामान्य लाइसेंस नीति के अन्तर्गत दोनों लौह तथा अलौह धातुओं के आयात के कारण इनका प्रयोग करने वाले उद्योगों को इनका बहुत अधिक मूल्य देना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों लौह और अलौह धातुओं का प्रयोग करने वाले उद्योगों को इन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) और (ख) : कतिपय लौह एवं अलौह धातुओं का आयात ओजीएल के अन्तर्गत किए जाने की अनुमति दी गई है ताकि वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा छोटे आयातकों को ये धातु सुगमता से उपलब्ध हो सकें। इन मदों के उदारतापूर्वक आयात किए जाने की वजह से इन मदों पर कोई प्रीमियम नहीं दिया जाना चाहिए।

मानखुर्द-बेलापुर रेलवे परियोजना

4295. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानखुर्द-बेलापुर रेलवे परियोजना के पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह परियोजना कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना पर हो रहे अतिरिक्त व्यय को बम्बई के यात्रियों से वसूल करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 28-2-1989 तक 27 प्रतिशत :

(ख) 1990-91 की दूसरी छमाही में।

(ग) जहां तक परियोजना लागत में रेलवे की हिस्सेदारी का सम्बन्ध है, जी नहीं, जहां तक परियोजना लागत में राज्य सरकार की हिस्सेदारी का सम्बन्ध है इसके बारे में उन्हें ही निर्णय लेना है।

रेलवे के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करना

[हिन्दी]

4296. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक उक्त सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो दी जाने वाली धनराशि और शर्तों सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) (क) से (ग) जी हां, भारतीय रेलों ने रेलों के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है और इस समय तीन क्रेडिट/ऋण चल रहे हैं, जिनका विस्तृत ब्योरा निम्न प्रकार से है :

(1) आई० बी० आर० डी० ऋण सं० 2210-आई० एन/आई डी० ए० क्रेडिट सं० 1299-आई० एन० :

आधुनिकीकरण और अनुरक्षण सुविधाओं (चल स्टाक हेतु) के लिए। राशि विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) 184.7 मिलियन (दिसम्बर, 1982 में लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य) और 200 मिलियन अमेरिकी डालर।

(2) आई० बी० आर० डी० ऋण सं० 2417 आई० एन० :

विद्युतीकरण और कारखाना आधुनिकीकरण के लिए।

ऋण की राशि 280.7 मिलियन अमेरिकी डालर।

(3) आई० बी० आर डी० ऋण सं० 2935-आई० एन :

रेल पथ के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए।

ऋण की राशि 390 मिलियन अमेरिकी डालर।

क्रेडिट/ऋणों की शर्तें इस प्रकार हैं :

(क) आई० डी० ए० क्रेडिट 1299- आई० एन० में 0.75% प्रति वर्ष का सेवा प्रभार तथा 0.50% प्रति वर्ष वचनबद्धता प्रभार शामिल है। इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(ख) आई० बी० आर० डी० ऋणों पर 0.75% प्रति वर्ष वचनबद्धता प्रभार शामिल है। बैंक के ब्याज की दर "ऋण की राशि" पर भिन्न-भिन्न होती है। ब्याज की चालू दर 7.65 प्रतिशत है।

(ग) आई० डी० ए० क्रेडिट की 40 वर्ष में अदायगी की जानी है, जबकि आई० बी० आर० डी ऋणों की 14 वर्षों में अदायगी की जानी है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित बैंकों की शाखाएं

[अनुवाद]

4297. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर बस्ती जिले में अनुसूचित बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गईं; और

(ख) इनमें से कितनी शाखाओं का उद्घाटन गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने उत्तर प्रदेश में 519 शाखाएं खोली हैं जिनमें बस्ती में खोली गई 26 शाखाएं शामिल हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, नई बैंक शाखाएं खुलने के समय, आयोजित उद्घाटन समारोहों, यदि कोई किए गए हों, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं होती।

आयकर विभाग के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

4298. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग के कितने अधिकारियों, सहायक आयुक्तों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और उनकी सेवानिवृत्ति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : "अनिवार्य सेवा-निवृत्ति" शब्द केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के तहत एक बहुत बड़ा दंड है तथा पिछले दो वर्षों में ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है। तथापि, आम बोल-चाल की भाषा में मूल नियम 56 (जे) के तहत समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति को "अनिवार्य सेवा निवृत्ति" के रूप में भी पुकारा जाता है। वर्ष 1987-89 के दौरान, मूल नियम 56 (जे) के तहत सहायक आयकर आयुक्त के रैंक के तीन अधिकारियों (दिनांक 1-4-88 से उप-आयकर आयुक्त के रूप में पुन: पदनामित) को सेवा निवृत्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक आयकर अधिकारी समूह "क" (दिनांक 1-4-88 से सहायक आयकर आयुक्त के रूप में पुन: पदनामित) को भी मूल नियम 56 (जे) के तहत सेवा-निवृत्त किया गया है। इन सभी अधिकारियों को अयोग्यता तथा अथवा संदिग्ध निष्ठा के कारण जनहित में सेवा-निवृत्त किया गया था।

आयकर विभाग के कर्मचारियों की मांग

4299. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर विभाग के कर्मचारियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कर्मचारियों ने 14 मार्च, 1989 को काम बन्द करने की धमकी दी थी और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : सरकार को आयकर विभाग के कर्मचारियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय इन ज्ञापनों में से किस ज्ञापन से है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) आयकर विभाग के कर्मचारियों के एक वर्ग ने दिनांक 14 मार्च, 1989 को काम रोकने का प्रस्ताव किया था। लेकिन, विभाग के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् उन्होंने हड़ताल के आह्वान को वापिस ले लिया था।

पुस्तकों का आयात

4300. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ पुस्तकें वाणिज्यिक प्रयोजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयोजनों से आयात की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का भी भुगतान किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्र के व्यापक हित में इस कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने कि विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) इस बारे में जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि कतिपय बेईमान आयातकर्ता पुस्तकों की शैक्षणिक पुस्तकों के रूप में घोषणा करके उनका आयात कर रहे हैं, किन्तु फर्जी फर्मों के नामों से अधि-बीजकांकित कीमतों पर उनका कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं होता है। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा कानूनी तौर पर विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजने की होती है। रिपोर्टों से पता चलता है कि पहले भी कतिपय बेईमान आयातकर्ताओं ने इसी प्रकार फर्जी फर्मों के नामों से अधि-बीजकांकित मूल्यों पर पुस्तकों को चिकित्सा तथा तकनीकी साहित्य के रूप में घोषित करके उनका आयात किया था।

(घ) सीमा-शुल्क प्राधिकारी ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहते हैं। ऐसे कार्यों में ग्रस्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को विभागीय न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत दण्डित किया जाता है और उपयुक्त मामलों में उन पर न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जाता है। यदि आवश्यक समझा जाता हो तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द भी किया जाता है।

स्टेशन पर गंगा-यमुना एक्सप्रेस को रोका जाना

[हिन्दी]

4301. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को गंगा यमुना एक्सप्रेस गाड़ी को, जो फैजाबाद होकर वाराणसी और दिल्ली के बीच सप्ताह में चार बार चलती है, सोहवल स्टेशन पर रोकने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। आगामी ग्रीष्म-कालीन समय सारणी में इस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुक्त व्यापार जोन और निर्यातोन्मुख एककों को कर-छूट

[अनुवाद]

4302. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त-व्यापार जोनों में कार्यरत एककों और 100% निर्यातोन्मुख एककों को करों में छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयातकर्ता फर्मों द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्तमान प्रणाली की बजाय, देश में सभी निर्यातकों को पांच वर्ष तक कर छूट की अनुमति दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 10-ए के अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों की अपनी इकाइयों से होने वाली आय पर पहले आठ वर्षों के ब्लाक में से पांच वर्ष की अवधि के लिए आयकर से माफी दी जाती है; आठ वर्षों के ब्लाक की गणना उस वर्ष से की जाती है जिस वर्ष से औद्योगिक उपक्रम सामग्री या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन शुरू करता है। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 10-बी० के अन्तर्गत 100% निर्यातोन्मुख एककों को आठ वर्षों के ब्लाक में, उत्पादन प्रारम्भ करने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए, कर माफी दी जाती है। इसके अलावा इन एककों को पूंजीगत माल और निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी जाती है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

500 रुपए के नोटों का अभाव

4303. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों 500 रुपये के नोटों का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन नोटों को अधिक मात्रा में सुलभ कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण नोटों की कमी उत्पन्न हुई। समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटों की पूर्ति पुनः आरम्भ कर दी गई है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां

4304. **श्री कांतिलाल पटेल :**

श्री बी० एस० बासवराजू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के काफी पद अभी भी रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1988 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कुछ रिक्त पदों पर नियुक्तियां की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 6 पद और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/अपर न्यायधीशों के 62 पद रिक्त हैं।

(ख) और (ग) जी हां। दिसम्बर, 1988 के दौरान की गयी नियुक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :

अ:	**उच्चतम न्यायालय**	5
आ:	**उच्च न्यायालय**	—
	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	1
	केरल उच्च न्यायालय	3
	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	3
	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	4
	कलकत्ता उच्च न्यायालय	5
	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	2
	कुल	18

(घ) न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

कोचीन-मुदरई रेलवे परियोजना

4305. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार सम्बद्ध क्षेत्र में अपर्याप्त परिवहन सेवाएं कोचीन विमान पतन की महत्ता और उसके साथ लगे भीतरी प्रदेश की भारी विदेशी-मुद्रा आय क्षमता जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए कोचीन और मुदरई के बीच अन्तर-राज्यीय रेलवे सम्पर्क का निर्माण कार्य अगली पंचवर्षीय योजना में रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) मदुरे-बोदिनायक्कनूर (89.74 कि० मी०) मीटर लाइन के बड़ी लाइन में बदलाव तथा इसे एर्नाकुलम (126.75 कि० मी०) तक बढ़ाने के लिए 1986 में सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रस्ताव की लागत 115.42 करोड़ रुपये होने का अनुमान था परन्तु परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी ।

मद्रास कोचीन रेल लाइन का विद्युतीकरण

4306. श्री थार्म जोसफ मुंडाकल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-कोचीन लाइन के विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) मद्रास-जोलारपेट्टै खण्ड पहले ही विद्युतीकृत है । जोलारपेट्टै से आगे इरोड तक विद्युतीकरण कार्य भी चल रहा है ।

(ग) चूंकि विद्युतीकरण के कार्य पर भारी पूंजी लगानी पड़ती है इसलिए सीमित संसाधनों की उपलब्धता के भीतर उच्च घनत्व वाले माल यातायात के मार्गों पर इसकी योजना बनायी जा रही है । इस दृष्टि से इरोड-कोच्चिन खण्ड का विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विज्ञापन एजेंसियों पर छापे

[हिन्दी]

4307. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने हाल ही में देश में विज्ञापन एजेंसियों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना देने वालों को अब तक उनके ईनाम दे दिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली तथा भुवनेश्वर में सूचना देने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें उनका ईनाम नहीं दिया गया है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । आयकर विभाग ने, चालू वित्त वर्ष में, अहमदाबाद और नई दिल्ली में स्थित दो विज्ञापन एजेंसियों के परिसरों की तलाशियां ली हैं । इन तलाशियों के दौरान, प्रथमदृष्टया कुल 11.38 लाख रुपये की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी ।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग, बाहरी स्रोतों जैसे कि मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा विभाग के भीतरी स्रोतों से एकत्रित सूचना के आधार पर तलाशियां लेता है । मुखबरों के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । मौजूदा मामलों में, मुखबिरों के अस्तित्व

और उन्हें पुरस्कारों की अदायगी के सम्बन्ध में ब्यौरों को प्रकट करना उस विश्वास का उल्लंघन होगा जो कि गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में मुखबिरों को आयकर विभाग के द्वारा दिया गया था। इसलिए मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करना जनहित मे संभव नही है।

पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त संस्थानों द्वारा सहायता देना

[अनुवाद]

4308. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 में पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वित्त संस्थानों द्वारा दी गई मियादी ऋण की राशि में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सभी वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम,) द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों को मंजूर की गई सहायता 1986-87 (अप्रैल-मार्च) में 3044 करोड़ रुपए से बढ़कर 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में 3401 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार इसमें 11.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। इसी अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा किया गया कुल संवितरण 2155 करोड़ रुपए से बढ़कर 2644 करोड़ रुपए हो गया अर्थात इसमें 22.7 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई।

रेल सम्पत्ति की क्षति

4309. **श्री बी० तुलसी राम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों और अन्य तत्वों द्वारा रेल पुलों और पटरियों को पहुंचाई गई क्षति का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बड़े, मध्यम और छोटे नुकसानों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने रेल पटरियों और पुलों आदि की मरम्मत पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) 28-2-89 को समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान, ऐसी क्षतियां केवल 4 क्षेत्रीय रेलों पर हुई थीं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण			
दिनांक	स्थान (स्टेशनों के बीच)	क्षति का ब्यौरा	क्षेत्रीय रेलवे वार अनुमानित खर्च (रुपये)
1	2	3	4
मध्य रेलवे			
1-9-88	कि० मी० 550/14-551/2 (कोहदाद-डोंगरगांव)	6.12 मी० लम्बा एक पटरी बंधक हटाया हुआ पाया गया था और 0.7 मी० की दूरी पर पड़ा था। फिश प्लेटें/बोल्ट भी निकाले गये थे और इधर-उधर बिखरे पड़े थे।	70,000/-
21-9-88	कि० मी० 999/11 (अधरताल-देवरी)	दो फिश प्लेटें और 4 नट-बोल्ट गायब पाये गये	
18-10-88	कि० मी० 952/5-6 (अमला-परासिया)	एक लोहे का बर्तन रेलपथ पर पड़ा था।	
23-10-88	कि० मी० 1301 (अलबेरहार-बूंद)	51 रेल पथ चाबियां हटायी पायी गयीं।	
27-10-88	कि० मी० 131/5 (लोनावला-मलवाली)	रेल पर लोहे का टुकड़ा पाया गया।	
21-11-88	कि० मी० 576/5 (हिरेन्दुरा-गुलबर्गा)	दो पटरियों के अंतर के बीच एक पटरी चाबी फंसी पायी गयी।	
10-12-88	कि० मी० 426/9 (कुर्दुवाडी-लातूर)	रेलपथ पर दो पत्थर रखे पाये गये।	
	कि० मी० 427/1	रेलपथ पर एक पत्थर रखा पाया गया।	
19-12-88	कि० मी० 988/9 (वर्धा-बल्हारशाह)	15 रेलपथ चाबियां रेलपथ पर पड़ी पायी गयीं।	
2-2-89	कि० मी० 1283/50-54 (धेर-हेतमपुर)	रेलपथ से 44 पेंडरोल क्लिप गायब पाये गये।	10,000/-
उत्तर रेलवे			
13-1-89	कि० मी० 22/9-10 (किला-रायपुर और घुंघराना स्टेशनों पर)	बम विस्फोट के कारण रेल पथ की क्षति।	

1	2	3	4
15/ 16-1-89	कि० मी० 24/12-13 (कथूनंगल और जैंतीपुरा)	—यथोक्त—	5,000/-
25/ 26-1-89	कि० मी० 23/5-6 (छेहरटा और खासा स्टेशन)	—यथोक्त—	
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे			
13-2-89	बिजली-फगुनागांव	बम विस्फोट के कारण रेल पथ को क्षति	
15-2-89 और 16-2-89	कोकराझार-सालाकाटी	—यथोक्त—	
18-2-89	फकीराग्राम-कोकराझार	—यथोक्त—	
21-2-89	सप्तग्राम-टिपकई	—यथोक्त—	
1?-2-89	डांगतल-बसुगांव	पटरियों को हटाना	
19-2-89	खोयिरबाड़ी-टांगला	पटरी जोड़ों/फिश प्लेटों को खोलना	
4-11-88	ओल्ड मालदा-मालदा टाउन	रेलपथ फिटिंगों और स्लीपरों को हटाना/जलाना	
7-12-88	सामुकतला रोड-न्यू अलीपुरद्वार	—यथोक्त—	7.00 लाख
19-2-89	कोकराझार-सालाकाटी	—यथोक्त—	
21-2-89	सोरभोग-बारपेटा रोड	—यथोक्त—	
दक्षिण रेलवे			
15-12-88	कि० मी० 240/0-1 शिवाडी और तोप्पूर स्टेशनों के बीच	उपद्रवियों द्वारा लकड़ी के दो स्लीपर जलाना	
16-12-88	कि० मी० 32/13-14 मेवंरि रोड और सैट्टूर हैम स्टेशनों के बीच	विस्फोट के कारण तीन लकड़ी के स्लीपर क्षतिग्रस्त पाये गये।	
20-1-89	कि० मी० 241/4-5 में पुल सं० 188 पर पेप्पाडस और मात्तूर स्टेशनों के बीच	विस्फोट के कारण गाइड पटरी और एक लकड़ी का स्लीपर क्षतिग्रस्त पाया गया।	

1	2	3	4
21-1-89	कि० मी० 116/2-3 अर्नी रोड और कण्णामंगलम स्टेशनों के बीच	विस्फोट के कारण पुल संख्या 298 के निकट एक लकड़ी का स्लीपर और पटरी की निचली कोर क्षतिग्रस्त पायी गयी।	

रेल सेवाओं को रद्द करना

4310. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों की अवधि के दौरान रद्द की गई रेल सेवाओं और परिवर्तित रेल मार्गों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) सरकार द्वारा इस हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) गाड़ीवार आमदनी/हानि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) गाड़ी सेवाओं का मार्ग-परिवर्तन और निलम्बन अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जाता है।

कानपुर से होकर गुजरने वाली रेल गाड़ियां

4311. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री शरद दिघे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर से होकर गुजरने वाली कुछ रेलगाड़ियों के समय और मार्ग में हाल ही में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं और वे कब से पुरानी समय सारिणी और मार्गों के अनुसार चलाई जायेंगी;

(ग) इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सभी रेलवे जोनों में रेलगाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वैकल्पिक मार्ग और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कतिपय गाड़ियां वैकल्पिक मार्गों से चलायी गयी थी। स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली/अन्य माध्यमों से बार-बार घोषणाएं की गयी थीं। टिकटों की वापसियां भी मंजूर की गयी थीं।

(घ) सभी क्षेत्रीय रेलों पर गाड़ियों के नियमित संचलन को बनाए रखने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

कानपुर में मिल मजदूरों के आन्दोलन के कारण मार्ग परिवर्तित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम तथा उन्हें उनके सामान्य मार्ग से पुन: चलाये जाने की तारीख इस प्रकार है :—

क्र० सं०	गाड़ियां	सामान्य मार्ग पर पुन: चलाये जाने तारीख
1.	1 अप हावड़ा-कालका मेल	27-2-89
2.	2 डाउन हावड़ा-कालका मेल	27-2-89
3.	12 डाउन-हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस	27-2-89
4.	17 अप प्रयागराज एक्सप्रेस	27-2-89
5.	18 डाउन प्रयागराज एक्सप्रेस	28-2-89
6.	81 अप वातानुकूल एक्सप्रेस	28-2-89
7.	103 अप वातानुकूल एक्सप्रेस	2[illegible]-2-89
8.	104 डाउन वातानुकूल एक्सप्रेस	28-2-89
9.	101 अप राजधानी एक्सप्रेस	1-3-89
10.	102 डाउन राजधानी एक्सप्रेस	28-2-89
11.	83 अप गंगा-यमुना एक्सप्रेस	1-3-89
12.	84 डाउन गंगा-यमुना एक्सप्रेस	1-3-89
13.	63 अप अवध एक्सप्रेस	3-3-89
14.	64 डाउन अवध एक्सप्रेस	3-3-89
15.	156 डाउन तिनसुकिया मेल	27-2-89
16.	155 अप तिनसुकिया मेल	27-2-89
17.	153 अप वैशाली एक्सप्रेस	27-2-89
18.	154 डाउन वैशाली एक्सप्रेस	27-2-89
19.	175 अप नीलाचल एक्सप्रेस	28-2-89
20.	176 डाउन नीलाचल एक्सप्रेस	27-2-89
21.	191 अप मगध एक्सप्रेस	28-2-89

1	2	3
22.	192 डाउन मगध एक्सप्रेस	28-2-89
23.	921 अप एन० ई० एक्सप्रेस	1-3-89
24.	922 डाउन एन० ई० एक्सप्रेस	1-3-89
25.	802 डाउन रांची एक्सप्रेस	2-3-89
26.	973 अप शहीद एक्सप्रेस	4-3-89
27.	915 अप पुरी एक्सप्रेस	28-2-89
28.	40 डाउन दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस	2-3-89
29.	116 अप बम्बई-गोरखपुर एक्सप्रेस	28-2-89

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से सिंचाई परियोजनाएं

4312 **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा में बैंक की सहायता से चलाई जा रही सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्त करने के बारे में आग्रह किया था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंक आग्रह को स्वीकार नहीं किया जिसके फलस्वरूप बैंक ने उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है; और

(ग) उड़ीसा में किन-किन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त हो रही है अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है और अभी कितनी और धनराशि प्राप्त होनी है तथा उससे कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) जी नहीं।

(ग) उड़ीसा में महानदी बराज परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जाना जारी है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक 63.3 मिलियन एस० डी० आर० की सहायता के लिए वचनबद्ध है। इसमें से, 59.279 मिलियन एम० डी० आर० की राशि 31-1-1989 तक व्यय की गयी है और 14.024 मिलियन एस० डी० आर० की राशि शेष है जिसे 31-3-1989 तक, जो कि ऋण बन्द करने का समय है, प्राप्त कर लेने की आशा है।

गुजरात के बंदरगाहों से समुद्री उत्पादों का निर्यात

4313. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान गुजरात के बंदरगाहों से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा और मूल्य का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात तट से किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात में पिछले तीन वर्षों से स्थिरता बनी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिरता का कारण बंदरगाहों पर समुचित सुविधाओं का न होना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके अन्य क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात तट से समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात पत्तन से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1986-87	8132	32.19
1987-88	7040	31.74
1988-89 (अप्रैल 88 से फरवरी 89)	6289	27.89

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक मुख्य कारण यह है कि निर्यात योग्य श्रिम्प/मछली की कमी है। निर्यात पत्तनों पर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं।

(ङ) गुजरात समुद्र तट से समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है : कल्चर्ड श्रिम्प का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रिम्प पालन बढ़ाना और आइ० क्यू० एफ० (इन्डी-विजुअली) (क्विक फ्रोजन) श्रिम्प आदि मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

मछुआरों को बैंकों से ऋण

4314. **श्री पी० बेंचालिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मछुआरों को बिना ब्याज के अल्पकालिक ऋण और अग्रिम राशि दिए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सब्जियों और फूलों का निर्यात

4315. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति द्वारा सब्जियों और फूलों के निर्यात के लिए किया गया सरकारी उपम अभी तक कोई प्रगति नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) इसे सहायता प्रदान करने तथा इसे शीघ्र कार्य रूप देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जैसा कि समिति ने सूचित किया है, परियोजना विदेशी वाणिज्यिक ऋण के लिए गारन्टी प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। यह समिति का कार्य है कि परियोजना की क्षमता के सम्बन्ध में सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों को संतुष्ट करे।

कीट-नाशी दवाइयों पर सीमाशुल्क

[हिन्दी]

4316. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कीटनाशी दवाइयों पर सीमाशुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कीटनाशी दवाइयों पर शुल्क में वृद्धि की गई है और कितनी; और

(ग) सीमाशुल्क में वृद्धि से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) 24 जनवरी, 19`9 से मोनोक्रोटोफोस, मिथाइल पैराथिओन और बूटाक्लोर नामक तीन बल्क कीटनाशी दवाइयों तथा क्लोरो 2, 6, डाईथाइल-एन (क्लोरोमिथाइल) एसिटानिलाइड नामक एक कीटनाशी मध्यवर्ती पर आयात शुल्क दरों में वृद्धि की गई थी। मोनोक्रोटोफोस तथा मिथाइल पैराथिओन पर शुल्क मूल्यानुसार 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत, बूटाक्लोर पर 90 प्रतिशत से 105 प्रतिशत तथा। क्लोरो 2, 6, डाईथाइल-एन (क्लोरोमिथाइल) एसिटानिलाइड पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 147.25 प्रतिशत कर दिया गया था। सीमा शुल्क में किए गए इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने की आशा है।

वित्तीय संस्थानों की स्थापना

4317. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत निधि और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना कर दी है, जैसा कि वर्ष 1988-89 के भाषण में उल्लेख किया गया था,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) सरकार ने लघु एवं अति लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया है और इस संबन्ध में क्रियाविधि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भी कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत निधि की स्थापना अभी नहीं हुई है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विमान भाड़े में रियायतें

4318. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विमान भाड़े में कुछ रियायतें देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) पहले से उपलब्ध रियायतों के अलावा इस समय हवाई भाड़े की दरों में और रियायतें देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्यात की क्षेत्रवार उपलब्धि

[अनुवाद]

4319. **श्री बृज मोहन महंती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में लक्ष्य से कम निर्यात किया गया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) निर्यात लक्ष्य वित्तीय वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और इसलिये ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना कठिन है जिन्होंने इस समय वर्ष 1988-89 के दौरान लक्ष्य पूरा नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मसालों का आयात

4320. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जायफल और जावित्री का आयात "प्रतिबंधित मद के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का मसालों पर लगे आयात-शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(घ) भारत में मसालों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मसालों के आयात को ओ० जी० एल० से प्रतिबंधित मदों में लाने सम्बन्धी नीति परिवर्तन के कुछ ही दिन पूर्व खोले गए साख-पत्र (एल० सी०) खातों को रद्द किया जाएगा; और

(च) क्या जून में मौसम समाप्त होने के पश्चात मसालों के आयात हेतु नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। समूचे देश में विशेषकर भू-सीमा के असुरक्षित क्षेत्रों, समुद्री तटों और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों में तस्करी-रोधी उपायों को तेज कर दिया गया है।

(ङ) यह सम्बद्ध सार्वजनिक अधिसूचना में निर्दिष्ट पारगमन व्यवस्था से नियन्त्रित होगा।

(च) जायफल और जावित्री के आयात लाइसेंस अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि इसकी अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है।

काफी का निर्यात

4321. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान कुल कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : कैलेंडर वर्ष 1988 के दौरान अनन्तिम रूप से काफी के कुल निर्यात 81952 मी० टन हुए जिसका 296.03 करोड़ रुपये है।

बिहार से आमों का निर्यात

4322. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार से आमों का निर्यात करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) उत्तर बिहार से आमों के निर्यात के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित प्रयास नहीं किया गया है। संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बिहार से आमों की निर्यात योग्य क्वालिटी के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रहा है।

चालू रेल परियोजनाएं

4323. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान चलायी गयी रेल लाइनों/लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी परियोजनाओं के रूप में चालू परियोजनाओं का आंशिक अथवा अन्तिम रूप से पूरा करने का लक्ष्य आठवीं योजना के लिए निर्धारित कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के जोनवार नाम क्या हैं जिन पर छठी योजना से काम चल रहा है और जिनके लिए सातवीं योजना के दौरान भी पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, को छोड़कर प्रत्येक मामले में उनके आंशिक/अन्तिम रूप से पूरा करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए किस तारीख तक लक्ष्य निर्धारित किये जाने की संभावना है और प्रत्येक परियोजना का जोनवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे पर कोरापुट-रायगढा नयी लाइन परियोजना के मचिली गुडा रायगडा खंड को छोड़कर जिसे 31-3-1991 तक खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई किसी अन्य नयी लाइन या आमान परिवर्तन परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंशिक या अन्तिम रूप मे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अन्य नयी लाइन या आमान परिवर्तन परियोजनाओं के पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित आठवीं योजना के दौरान धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बैंक शाखाएं खोलना

4324. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रों का आबंटन किए जाने के पश्चात अपनी शाखाएं खोलने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी बैंकों के नाम क्या हैं और राज्य-वार उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां पर इन बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलने से इन्कार दिया है;

(ग) क्या इन केन्द्रों को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को आबंटित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंक शाखाओं के खोलने में अत्यधिक गड़बड़ी और विलम्ब हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे दोषी बैंकों को शहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं/विस्तार शाखा खोलने को हतोत्साहित किया जाएगा और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को दोषी बैंकों की अपेक्षा प्राथमिकता देकर अपनी ऐसी शाखाएं अथवा विस्तार शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस दिए जाएंगे जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निरन्तर शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों को कुछ सीमाओं तक उन्हें जारी किए गए लाइसेंस वापस करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते कि उन्हें शाखाएं खोलने में कोई कठिनाई हो रही हो। ऐसे केन्द्र अन्य बैंकों को दुबारा आबंटित किए गए थे ताकि बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान यूको बैंक के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित छह अन्य बैंकों ने 21 लाइसेंस वापस किए हैं, जिसकी प्रतिशतता उन्हें जारी किए गये कुल लाइसेंसों की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान नीति अवधि के दौरान इन

छह बैंकों को ग्रामीणएवं अर्ध-शहरी केन्द्रों के लिए जारी किये गये लाइसेंसों तथा उनके द्वारा वापस किये गए लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गउ है : —

बैंक का नाम	लाइसेंसों की संख्या	
	जारी किए गए	वापस किए गए
भारतीय स्टेट बैंक	724	11
सिंडिकेट बैंक	75	2
केनरा बैंक	125	1
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	126	4
कैथोलिक सीरियन बैंक लि०	2	2
धन लक्ष्मी बैंक लि०	1	1
जोड़	1053	21

ये 21 केन्द्र बाद में अन्य बैंकों को दुबारा आंबटित किये गये थे, जिन्होंने इन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते अपनी इच्छा जाहिर की थी। वापस किये गए एवं आबंटित किए गए केन्द्रों के राज्य-वार एवं बैंक-वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर चयनात्मक आधार पर लाइसेंस वापस करने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा वापस किए गए केन्द्रों की संख्या नाममात्र की थी, इसलिये कोई निवारक उपाय करने का सवाल आवश्यक नहीं समझा गया।

विवरण

वापस किए गए एवं दोबारा आबंटित किए गए केन्द्रों के राज्य-वार एवं बैंक वार नाम

राज्य का नाम/लाइसेंस वापस करने वाले बैंक का नाम	वापस किए गए केन्द्रोंके नाम	दोबारा आबंटित किए गए बैंक का नाम
उत्तर प्रदेश		
भारतीय स्टेट बैंक	चन्द्रनगर	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
—तदैव—	मैथान	—तदैव—
—तदैव—	भांडसोर	बैंक आफ बड़ौदा
तमिलनाडु		
भारतीय स्टेट बैंक	कूवटीपट्टू	बैंक आफ इण्डिया
—तदैव—	पंडवक्कम	—तदैव—
—तदैव—	कमलमपुंडी	—तदैव—
—तदैव—	कोडामाडू	—तदैव—

—तदैव—	मारप्परी	—तदैव—
—तदैव—	नमाथोडू	—तदैव—
—तदैव—	आनंदवाडी	साउथ इंडियन बैंक लि०
—तदैव—	पिलूंदवम	अभी आबंटित नहीं किया गया
सिंडिकेट बैंक	अरंगलदुर्गम	—तदैव—
—तदैव—	तिरुबंदपुरम	—तदैव—
केनरा बैंक	अरेपलायम	—तदैव—
कैथोलिक सीरियन बैंक लि०	अम्बकुलम	साउथ इंडियन बैंक लि०
—तदैव—	टी० सुब्बूलापुरम	—तदैव—
धन लक्ष्मी बैंक लि०	कमलापुपुर	बैंक आफ बड़ौदा
मणिपुर		
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	कांगचुप	भारतीय स्टेट बैंक
—तदैव—	तामची	—तदैव—
—तदैव—	लीरंगथम	—तदैव—
—तदैव—	लारबुंचिंग	—तदैव—

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

4325. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए पेश किये गये कोई मामले क्रमशः दस वर्षों, पांच वर्षों और तीन वर्षों से अधिक समय से स्वीकृति/नियुक्ति हेतु अब भी लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो जोनदार प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने मामले हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरे क्या है, तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत किसी तारीख तक निपटाये जाने की सम्भावना है और क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में कोई संयुक्त प्रयास किये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) 31-12-1988 तक की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों द्वारा ऋणों की वापसी

4326. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने इस उद्देश्य से कि किसान अपना सहकारी ऋण समय पर वापस करें ब्याज छूट योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह योजना आरम्भ की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस टिप्पणी के साथ इस प्रक्रिया पर आपत्ति की है कि सरकारी बैंकों के माध्यम से राज्य द्वारा ब्याज सहायता का लोभ देकर किसानों को, ऋण बकाया होने की स्थिति में, दुबारा ऋण नहीं दिया जा सकता है; और

(घ) किसानों को अपना ऋण लौटाने में किसानों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि ब्याज छूट योजना 10 राज्यों, नामत: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और एक संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में चल रही थी।

(ग) और (घ) उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी बैंकों द्वारा आरम्भ की गई ब्याज छूट योजना को, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, ब्याज दरों, ऋणों के रूपान्तरण आदि के बारे में जारी किए गए अपने मार्गनिर्देशों का उल्लंघन माना था। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों के प्रबन्धक निदेशकों को संबोधित दिनांक 29 नवम्बर, 1988 के अपने परिपत्र के तहत तब तक पुनर्वित्त सुविधाएं रोक दी थीं जब तक कि संबंधित संस्थाएं इस आशय का एक वचन न दे दें कि वे भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/मार्गनिर्देशों का पालन करेंगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों में पुनर्वित्त सुविधाएं फिर से आरम्भ कर दी गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में स्थित सहकारी बैंकों से अभी तक आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

फर्रूखाबाद-कानपुर-लखनऊ-सेक्शन की रेल लाइनों को बदलना

[हिन्दी]

4327. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्रूखाबाद, लखनऊ मीटर गेज लाइन का केवल कानपुर-लखनऊ सैक्शन का ही बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस छोटे से खंड की रेल लाइन को बदलकर राज्य की राजधानी से फर्रूखाबाद सहित अनेक जिलों को वंचित किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) कानपुर-लखनऊ मीटर लाइन खण्ड के बड़ी लाइन में बदलाव के बाद जिला केन्द्रों तथा लखनऊ के बीच रेल सम्पर्कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्रूखाबाद के यात्रियों को कानपुर में ही मीटर लाइन से बड़ी लाइन की तथा बड़ी लाइन से मीटर लाइन की गाड़ी बदलनी होगी।

सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

[अनुवाद]

4328. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन के चैक बैंकों में जमा किए जाते हैं उन्हें बैंक महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान करने से इन्कार न करें, चाहे उन्हें वेतन के चैक विलम्ब से प्राप्त हों;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले हुए हैं जिनमें महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तुत किए गए चैक बिना भुगतान के वापिस लौटाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अनुदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) सिविल लेखा मैनुअल के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर नकद अथवा चैक के जरिये किया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी अपना वेतन चैक द्वारा लेना चाहता है वह किसी बैंक में खाता खोलता है जहां वह चैक जमा करवाता है और भुगतान प्राप्त करता है। कुछ सिविल मंत्रालयों में व्यक्तिगत चल लेखा खाता (आई० आर० एल० ए०) प्रणाली अपनाई जाती है जिसके अनुसार सम्बद्ध भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के वेतन के चैक सीधे ही सम्बन्धित अधिकारियों के बैंक के खाते में जमा कराए जाने के लिए नमित बैंकों को भेज दिये जाते हैं। चूंकि भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों की हकदारी की जांच करने के पश्चात् वेतन चैक बैंकों को भेजे जाते हैं, अतः इस संबंध में भुगतान एवं लेखा कार्यालय से अनुदेशों के बिना, खाते में रकमें अपने आप जमा करने के लिए बैंकों को कोई स्थायी अनुदेश जारी नहीं किए जा सकते।

उत्पाद शुल्क के मामलों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों का सम्मिलित होना

4329. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान उत्पाद शुल्क की कथित धोखाधड़ी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कितने अधिकारी सम्मिलित पाये गये, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम मूल्यांकन किया गया और पिछले तीन वर्षों की तुलना में उक्त आंकड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उनके मामलों में कोई जांच/पूछताछ की गई है और उनका निपटारा कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों से उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत रेलगाड़ियां चलाना

4330. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राथमिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक रेल मार्गों पर विद्युतीकरण कार्य प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन रेलगाड़ियों और रेल मार्गों का ब्योरा क्या है जिनका अगले एक वर्ष के दौरान विद्युतीकरण किया जाएगा; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नगोथाना-रत्नागिरि (तटीय) रेल परियोजना

4331. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने नए रेल मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या नगोथाना-रत्नागिरि रेल मार्ग के बारे में अब तक सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसके निर्माण की मंजूरी कब दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) किये जा रहे सर्वेक्षणों तथा 89-90 में प्रस्तावित सर्वेक्षणों की जोनवार सूची 89-90 के लिए अनुदान की माँगें भाग-11 की माँग संख्या 1 "रेलवे" के अनुबंध "क" में दी गयी है। यह पुस्तिका बजट प्रलेखों के साथ सभी संसद सदस्यों को दी जा चुकी है।

(ख) से (घ) नागोथाने-रोहा, आप्ता-रोहा लाइन का भाग है जो पूरा हो चुका है और जिसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। रोहा-रत्नागिरी-मंगलोर वेस्ट कोस्ट लाइन के शेष भाग के लिए किये गये ताजा सर्वेक्षण के आधार पर इस लाइन के निर्माण के लिए योजना आयोग को विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। योजना आयोग ने मंगलोर-उडुपी खंड के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा उसे 89-90 के बजट में शामिल कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई योजना आयोग की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

बैंकों की जमाराशि एवं ऋण योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाएं नेपाली भाषा में जारी करना

4332. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जमाराशि एवं ऋण योजनाओं से सम्बन्धित पुस्तकाएं केवल बंगला एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप सिक्किम और दार्जिलिंग के बहुसंख्यक लोग, जो केवल नेपाली भाषा बोल तथा समझ सकते हैं, सरकार के विभिन्न विकास कार्यकलापों में भाग नहीं ले पाते हैं;

(ख) क्या सरकार का जनता के हित में इन पुस्तिकाओं को नेपाली भाषा में प्रकाशित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न जमाराशि योजनाओं तथा ऋण योजनाओं से सम्बन्धित अपनी पुस्तिकाएं अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के संयोजक बैंकों से नेपाली भाषा में पुस्तिकाएं प्रकाशित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कह दिया गया है।

वित्त मंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक

4333. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 20 जनवरी, 1989 को अर्थशास्त्रियों के साथ पूर्व-बजट बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो अर्थशास्त्रियों ने क्या सुझाव दिए; और

(ग) इनमें से कौन से सुझाव स्वीकार्य हैं और कौन से सुझाव स्वीकार्य नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) जी हां। 20 जनवरी, को अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बैठक में बहुत से सुझाव दिए गए थे। इनमें अन्य सुझावों के साथ-साथ रक्षा व्यय पर नियन्त्रण, पात्र मामलों में आर्थिक सहायता के उपयोग को सीमित करना, सामान्य ब्याज दरों में कटौती और सिंचाई के क्षेत्र में अधिक निवेश करके कृषि उत्पादन में सुधार करना, मूल्यों पर नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर अधिक व्यय, अपने सामान को अधिक स्पर्धात्मक बनाकर निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करना, सुविधा-वंचित व्यक्तियों के लिए सामूहिक संगठन बनाना, अनुमानित कराधान लागू करना, रोजगार के अवसरों के संवर्धन के लिए उपाय करना, सरकारी उद्यमों की कार्य कुशलता में सुधार करना और वस्तुओं के उत्पादन आदि बढ़ाने के लिए निवेश में वृद्धि करना शामिल है।

2. अर्थशास्त्रियों तथा अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकारी नीति तैयार करते समत ध्यान में रखा जाता है।

बिहार के बैंकों में जमाराशि और पूंजीनिवेश

[हिन्दी]

4335. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार बैंकों की कुल जमाराशि की कितने प्रतिशत राशि का पूंजीनिवेश राज्य के विकास तथा किसानों के लाभ के लिए किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीय नीति के अनुसार पर्याप्त पूंजीनिवेश नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार के संतुलित आर्थिक विकास के लिए अन्य प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(घ) बिहार के संतुलित आर्थिक विकास के लिए भविष्य में अनुसरण किए जाने वाले प्रस्तावित मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर 1988 के अन्त में बिहार राज्य में बैंक जमाराशियों की तुलना में बकाया ऋणों (कृषि ऋण सहित) का अनुपात 38.97 प्रतिशत था। इसके अलावा, दिसम्बर 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बिहार राज्य में सरकारी एवं अर्ध सरकारी निकायों की विभिन्न प्रतिभूतियों/शेयरों/बांडों/डिबेंचरों में 1,122.76 करोड़ रुपए की रकम का निवेश किया था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बिहार में अपने ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए कहा है। ग्रामीण ऋणों के क्षेत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत नमित ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं से विभिन्न कार्यों की संभावनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक गांव के लिए ऋण योजना तैयार करने के लिए भी कहा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

[अनुवाद]

4336. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने भारत में और अधिक निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा और अधिक निवेश आकर्षित करने का है ताकि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाई जा सके; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) विदेशों में भारी संख्या में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के, भारत में अपनी पूंजी का निवेश करने के इरादों को ठीक से जान लेना कठिन है।

(ग) और (घ) इस समय कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि विद्यमान योजनाओं और विनियमों की समीक्षा बराबर की जाती है और जहां कहीं पर आवश्यक होता है उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जाते है।

मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए अनुपूरक आयात लाइसेंस

4337. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री अनुपूरक आयात लाइसेंस के बारे में 24 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-जनवरी 1988-89 के दौरान मुख्य आयात और नियंत्रक द्वारा जिन मामलों में अनुपूरक आयात लाइसेंस जारी किये गये उनका तारीख-वार ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 में किस तारीख को अनुपूरक लाइसेंस समिति की बैठक मुख्यालय में हुई थी; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पूरक लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान मुख्यालय पूरक लाइसेंस समिति की बैठकों की तारीखें संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

(ग) इन मामलों में पूरक लाइसेंस जारी करने का तथा मौजूदा पूरक लाइसेंसों में संशोधन का अनुमोदन मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात द्वारा मामलों के गुणावगुण को ध्यान में रखकर किया गया था।

विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	जारी किए गए पूरक लाइसेंस की सं० व दिनांक	लाइसेंस का मूल्य	आयात के लिए स्वीकृत मदें
1	2	3	4	5
1.	मैं० हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	आयात लाइसेंस संख्या आई०/डी०/1482646 दिनांक 20-1-1988 में दिनांक 8-4-1988 को संशोधन किया गया था ताकि "जापान" की बजाए "सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आयात की अनुमति दी जा सके।	—	—
2-	मैं० बी० ए० एस० एफ० इण्डिया लिमिटेड	आयात लाइसेंस संख्या पी०/डी०/1096433 दिनांक 5-5-1988	4,47,744/-	21.2 मी० टन बूटैल एक्रिलेट
3.	मैं० बी० एच० ई० एल० तिरूची	आयात लाइसेंस संख्या पी०/डी०/1096468 दिनांक 2-5-1988	635.20 लाख रु०	वर्टिकल कोल पल्वेराइजर्स
4.	म० बजाज टैम्पो लि०	आयात लाइसेंस पी० डी०/1482057 दिनांक में बाल बियरिंग की पार्ट संख्या में परिवर्तन करने के लिए 29-9-1987 को संशोधन किया गया।	—	—
5.	मैं० मेल्ट्रोन बम्बई	लाइसेंस की स्वीकृत के लिए 25 मार्च, 1988 को अनुदेश जारी किए गए	28.49 लाख रु०	ई० पी० ए० बी० एक्स के संघटक

1	2	3	4	5
5.	मैं० न्यू वीडियो लि०	आयात लाइसेंस संख्या पी० एस०/1094476 दिनांक 10-5-1988 के आधार पर 11,18,900 रु० के लिए जारी किए गए लाइसेंस के समग्र मूल्य के भीतर 20 मई, 1988 को मदों की अतिरिक्त सूची जोड़ी गई।	—	—
7.	मैं० एसोसिएटिड बियरिंग लि०, पुणे	आयात लाइसेंस संख्या पी० डी०/2252400 दिनांक 18-3-1987 के मूल्य को 23 मई, 1988 से अतिरिक्त मदों के आयात के लिए 10,66,000 रु० से बढ़ाकर 17,45,500 रु० कर दिया गया है।	—	—
8.	मैं० भारती टेलीकम्यूनिकेशन लि०	डी० जी० टी० डी० द्वारा सत्यापित मदों की संशोधित सूची के आयात के लिए लाइसेंस संख्या पी० डी०/1096814 दिनांक 27-5-1988 में मूल्य को दिनांक 27 मई, 1988 से 38.18 लाख रु० से बढ़ाकर 39.75 लाख रु० कर दिया गया है।	—	—
9.	मैं० आई० बी० कं० लि०	आयात लाइसेंस संख्या पी० डी०/1096257 दिनांक 30 मार्च, 1988 के मूल्य में 4-6-1988 को संशोधन किया गया जिसे अब 166067 अमरीकी डालर बढ़ा जाए।	—	—
10.	मैं० हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०	आई० डी०/1504542 दिनांक 22 जुलाई, 1988	93.31 लाख रु०	इलैक० टेलीप्रिन्टर्स के संघटक

1	2	3	4	5
11.	मैं० रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०	आयात लाइसेंस संख्या पी० डी०/1504514) दिनांक 18-7-1988	63,93,214 रु०	डाई इस्यालीन ग्लायकोज (डी० ई० जी०)
12.	मैं० एशियन कम्प्यूटर्स कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा० लि०	पी० एस०/1504583 दिनांक 1-8-1988	12,12,142 रु०	कलाई घड़ियों के खोलों के संघटक।
13.	मैं० टी० टी० के केमिकल लि०	पी० एस०/1504585 दिनांक 2-8-1988	31,15 लाख रु०	पेनसिलीन जी के 8.90 एम. एम. यू.
14.	मैं० राजेन्द्र मकेनिकल इण्डस्ट्रीज लि०	डी० एम० की विनिमय दर में उतार चढ़ाव होने के कारण आयात लाइसेंस संख्या पी० डी०/2252788 दिनांक 23-3-1988 के मूल्य को 31 अगस्त, 1988 से 98,75,000 रु० से बढ़ाकर 1,12,78,587 रु० कर दिया गया है।	—	—
15,	मैं० सोलर एनर्जी डिवाइसिज कं० प्रा० लि० नई दिल्ली	आयात लाइसेंस संख्या पी० एस०/1504674 दिनांक 17-8-1988	65,000 रु०	सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने वाली पद्धतियों के लिए सेल्फ एडहेसिव टेप्स
16.	मैं० इस्ट्रूमेन्टेशन लि०	विनिमय दर से उतार चढ़ाव होने के कारण आयात लाइसेंस संख्या आई० डी०/2275602 दिनांक के मूल्य को 27,75,790 रु० से बढ़ाकर 29,41,297 रु० कर दिया गया है।	—	—

विवरण

वर्ष 198९-89 के दौरान प्रतिपूरक लाइसेंस समिति के मुख्यालयों की बैठकों की दिनांक

क्रमांक	गैर-इस्पात मदो के लिए	क्रमांक	इस्पात मदों के लिए
1.	14-4-1988	1.	25-4-1988
2.	23-5-1988	2.	30-5-1988
3.	16-6-1988	3.	23-6-1988
4.	7-7-1988	4.	22-7-1988
5.	28-7-1988	5.	25-8-1988
6.	18-8-1988	6.	20-9-1988
7.	8-9-1988	7.	28-10-1988
8.	27-9-1988	8.	29-11-1988
9.	24-10-1988	9.	20-12-1988
10.	22-11-1988	10.	31-1-1989
11.	15-12-1988	11.	21-2-1989
12.	12/13-1-1989	12.	28-3-1989
13.	8-2-1989		
14.	1/3-3-1989		

बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहन

4338. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बहुराष्ट्रीय नियमों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारत में निवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय नियमों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उन सभी निवेशों का स्वागत किया जाता है जो हमारी नीति के अनुरूप होते हैं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को आरक्षित निधि

4339. **श्री सॊभाजीराव ककाड़े** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आरक्षित निधि रखने की पद्धति जारी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उक्त आरक्षित निधि का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या बैंक खातों को लेखा परीक्षा करते समय उक्त आरक्षित निधि की भी लेखा परीक्षा की जाती है और उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कम्पनी को एक प्रारक्षित निधि स्थापित करनी होती है और उक्त अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत तैयार किये गए लाभ-हानि लेखे में प्रत्येक वर्ष दिखाए गए लाभ में से तथा किसी लाभांश की घोषणा से पहले कम से कम 20 प्रतिशत की बराबर की राशि इस प्रारक्षित निधि में अतरित करनी होती है। जब कोई बैंककारी कम्पनी प्रारक्षित निधि में से अथवा शेयर प्रीमियम खाते में से किसी रकम का विनियोजन करती है तो इस तथ्य की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देनी होती है, जिसमें विनियोजन करने की परिस्थितियां स्पष्ट करनी होती हैं।

(ग) और (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन तैयार किए गए बैंकों के तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे की लेखा परीक्षा लेखापरीक्षक के रूप में अर्हताप्राप्त व्यक्ति द्वारा और उक्त अधिनियम की धारा 30 (3) के अनुसार करनी होती है तथा लेखापरीक्षक को अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी रिपोर्ट में ये बताना होता है कि लाभ-हानि-लेखा लेखाअवधि के लाभ अथवा हानि के सही शेष को दर्शाता है।

केरल में औद्योगिक एककों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना

4340. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त सहायता से कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ; और

(ग) पिछले दो वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में 10,944 लघु औद्योगिक एककों को 15.28 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1987 के अन्त में, केरल में लघु औद्योगिक एककों के नाम भारतीय स्टेट बैंक के तीन हज़ार खातों में अग्रिमों की कुल 70.55 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। जून 1987 के अन्त में कार्यनिष्पादन की तुलना पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से की जा सकती है जो नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	खातों की संख्या (हज़ार में)	बकाया रकम (करोड़ रुपए)
जून 1985	2	30.56
जून 1986	2	35.07

बैंकों में "एग्रीकल्चरल फील्ड आफिसर"

4341. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार एग्रीकल्चरल फील्ड आफिसरों को कितने किसानों के खातों का सर्वेक्षण करना पड़ता है;

(ख) ग्रामीण शाखाओं में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कितने कर्मचारी सहायता के लिए दिए जाते हैं;

(ग) क्या प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) ; (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने चुने हुए जिलों की उन सभी ऋण संस्थाओं को, जहां पर ऋण संवितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है, प्रति कृषि क्षेत्रीय अधिकारी 500 खाते का मानक अपनाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वित्तपोषित कृषि कार्य के स्वरूप और प्रकार तथा कारबार के आकार जैसे विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्रीय अधिकारियों की संख्या का वास्तविक मूल्यांकन करें।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारी प्रत्येक बैंक के प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन बैंकों के कार्यनिष्पादन पर तिमाही विवरणों के आधार पर नजर रखी जाती है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों का निर्धारित लक्ष्य पार कर लिया है। यह लक्ष्य उनके कुल बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत है।

वर्षा से पानी की उपलब्धता

4343. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक वर्ष में वर्षा से कितना पानी उपलब्ध होता है; और

(ख) वर्षा का कितना प्रतिशत पानी :

(क) सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, (ख) भूमि में रिस जाता है और (ग) समुद्र में चला जाता है ?

जल-संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) और (ख) : लगभग 400 मिलियन हेक्टर मीटर हिमपात सहित वार्षिक वर्षा में से लगभग 12 प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग होता है और लगभग 12 प्रतिशत भूजल संसाधनों के वार्षिक पुनर्भरण के काम आता है तथा शेष वाष्पीकरण तथा वनस्पति द्वारा जल की हानियों के बाद समुद्र में बह जाता है।

आंध्र प्रदेश में दंगा पीड़ित व्यक्तियों को बैंकों द्वारा सहायता

4344. श्री बी० शोभनाद्रीश्वरराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में दिसम्बर 1988 के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दंगा पीड़ित कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई तथा उन्हें ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने आन्ध्र प्रदेश में दंगों के बाद दंगा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के वास्ते जनवरी तथा फरवरी 1989 में बैंकों के नाम अनुदेश जारी किए थे जिनकी मुख्य बातें ये हैं :

(1) दंगों से प्रभावित कारखानों, इमारतों की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए सावधि ऋण मंजूर करना।

(2) दंगों में हुई हानि, पुनर्वास के लिए आवश्यक समय तथा यूनिट की आय पैदा करने की क्षमता के आधार पर वर्तमान सावधि ऋणों की किस्तों का उचित पुनर्निर्धारण/स्थगन।

(3) वर्तमान मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवास वित्त।

(4) टैक्सी, ट्रक, आटोरिक्शा और अन्य लघु उद्योगों एककों, खुदरा व्यापार तथा सेवाओं जैसे उत्पादन, व्यावसायिक धंधों को जारी रखने/फिर से स्थापित करने के वास्ते दंगा पीड़ितों को नये ऋण देना।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को सामान्य रूप से और अन्य प्रयोजनों लिए 500/- रुपये तक उपभोक्ता ऋण देना।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति में संयोजक बैंक आन्ध्रा बैंक ने सूचित किया है कि दंगाग्रस्त जिलों में फरवरी 1989 के अन्त तक 800 से अधिक लोगों को 2.35 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

पोत वहन पूर्व तथा पोत वहन बाद बैंक ऋण

4345. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोत वहन पूर्व तथा पोत वहन बाद बैंक ऋण की ब्याज दर में कमी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें 1 मार्च, 1989 से घटा दी गई हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	(वार्षिक प्रतिशत)
1. लदानपूर्व ऋण	
(क) 1. 180 दिनों तक	7.50
2. 180 दिन से अधिक और कुल मिलाकर 270 दिनों तक (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से)	9.50
(ख) नकद प्रोत्साहन आदि के बदले जो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा गारंटी शुदा हो,—90 दिनों तक	7.50
2. लदानोत्तर ऋण	
1. संक्रमण अवधि के लिए—मांग हुंडी (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा यथानिर्धारित)	8.65
2. मियादी हुंडी—180 दिनों तक निर्यात हुंडी की मियादी अवधि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापी संघ द्वारा यथा—निर्धारित संक्रमण अवधि और जहां कहीं लागू होता हो, छूट की अवधि सहित	8.65
3. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटी शुदा सरकार से प्राप्य नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि (90 दिनों तक)	8.65
4. अनाहरित शेष (90 दिनों तक)	8.65
5. लदान की तारीख से एक वर्ष के अन्दर देय प्रतिधारण राशि के बदले (केवल माल के लिए) (90 दिनों तक)	8.65
3. आस्थगित ऋण	
180 दिनो से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65
4. शुल्क वापसी ऋण योजना, 1976	
सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम रूप से प्रमाणित शुल्क वापसी पर (90 दिनों तक)	ब्याज मुक्त
5. निर्यात ऋण जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	
ब्याज दर में 0.85 से 2.00 प्रतिशत वार्षिक तक की कटौती की गई 14.00 से 15.50	

केरल की मत्स्य पालन विकास परियोजना के लिए कुवैत से ऋण

4346. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत ने झींगा मछली पालन हेतु केरल की मत्स्य पालन विकास परियोजना के लिए कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नई दिल्ली में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और से (ग) 24 फरवरी, 1989 को हस्ताक्षर किए गए एक करार के अन्तर्गत, अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत कोष ने झींगा किस्म की केरल मत्स्य विकास परियोजना (चरण-1) के लिए 70 लाख कुवैती दीनार (लगभग 35 करोड़ रुपए) का ऋण दिया है, जिसका उद्देश्य अण्डज उत्पत्तिशालाओं, फीड मिल तथा प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ लगभग 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में कुण्डों/तालाबों का विकास करना है। इस ऋण पर 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और 0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक प्रभार लगेगा और इसकी वापसी अदायगी 1-8-1994 से प्रारम्भ होने वाली 30 अर्द्ध-वार्षिक बराबर-बराबर की किस्तों में की जाएगी।

'ओपन जनरल लाइसेंस' नीति के अन्तर्गत कतिपय पूंजीगत वस्तुओं का आयात

4347. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

श्री एच० ए० डोरा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीन औजारों तथा वस्त्रों से सम्बन्धित 18 पूंजीगत वस्तुओं के आयात को 'ओपन जनरल लाइसेंस' नीति के अन्तर्गत रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात नीति, 1988-91 की घोषणा के समय मशीनी औजारों की 158 मदें और वस्त्र मशीनरी की 17 मदें खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के पूंजीगत माल की सूची में थीं (परिशिष्ठ 1, खण्ड ख) इसके पश्चात इस सूची में मशीनी औजारों की 14 मदें और वस्त्र मशीनरी की 19 मदें शामिल की गई है और मशीनी औजारों की 3 मदें सूची से हटा दी गई हैं। आयात तथा निर्यात नीति 1988-91 और सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

बुलगारिया के साथ व्यापार समझौता

4348. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में बुलगारिया के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारत-बुलगारिया का व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा में होता है। ऐसे वार्षिक व्यापार संलेख नहीं बनाए जाते हैं जो रुपये में भुगतान करने वाले देशों पर लागू होते हैं। भारत-बुलगारिया स्थाई कार्य दल की 27 फरवरी से 1 मार्च, 1989 तक नई दिल्ली में हुई बैठक में समस्त कार्यवृत पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें वर्ष 1989 के दौरान 150 मिलियन सं० रा० अमरीका डालर के व्यापार कारोबार के लिए"

निर्देशक सूचियों की व्यवस्था है। इसमें से 75 मिलियन सं० रा० अमरीकी डालर प्रत्येक के हिस्से में आयेंगे। भारत से निर्यात की निर्देशक सूची में ये मुख्य मदें शामिल हैं। तेल रहित निस्सारण, काफी, काली मिर्च, लोह अयस्क, निटवियर व परिधान, परिष्कृत चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, मशीन के औजार, इलैक्ट्रानिक मदें, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, अन्य मशीनें तथा उपस्कर जिनमें वाहन शामिल हैं। बुल्गारिया से आयात की सूची में शामिल प्रमुख मदें हैं, न्यूजप्रिंट, अलोह धातु, मेटल स्क्रैप, मोनोएथिलीन ग्लायकोल, पैराफिन, प्लास्टिक रसायन, इस्पात उत्पाद, औषधि व भेषज, आदि तथा मशीनी मदें जैसे खाद्य संसाधन मशीनें, इलैक्ट्रानिक संघटक, कंप्यूटर आदि :

राज्य व्यापार निगम की योजनाओं का प्रचार

4349. श्री गोपाल कृष्ण थोटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने लघु एवं अन्य निर्यातकों के लाभ के लिए इसके द्वारा तैयार विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कदम कदाचार से बचने के लिए उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) एस० टी० सी० ने लघु उद्यमियों तथा उनके व्यावसायिक सहयोगियों के लाभ के लिए व्यापक वितरण हेतु समय-समय पर चुनिन्दा योजनाओं के ब्यौरे प्रसारित करने का निश्चय किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंचेश्वर बांध

[हिन्दी]

4350. श्री हरीश रावत : क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने पंचेश्वर बांध के निर्माण के बारे में अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नेपाल के क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों के ग्रेडों का पुनः निर्धारण

[अनुवाद]

4351. श्री हरीश रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में ग्रेडों का पुन: निर्धारण करने का कार्य चौथे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले ही पूरा कर लिया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में वाणिज्यिक विभाग (वाणिज्यिक लिपिक/टिकट कलेक्टर्स/यात्रा टिकट जांचकर्ता इत्यादि) में कार्य कर रहे कर्मचारियों के ग्रेडों का पुन: निर्धारण पूरा कर लिला गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सऊदी अरब के साथ सहयोग

4352. **श्री आर० एम० भोये :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सऊदी अरब का एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल भारत आया था और भारतीय व्यापारियों तथा सरकार के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है;

(ग) दो देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) सऊदी अरब द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित रियायती सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ के निमन्त्रण पर सऊदी अरब से व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने दिनांक 26 फरवरी, 1989 से 5 मार्च, 1989 तक भारत का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय व्यापारियों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ सऊदी अरब और भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया। व्यापार और निवेश से सम्बन्धित द्विपक्षीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। परन्तु सऊदी अरब प्रतिनिधि मंडल ने रियायती वित्त/सहायता की कोई पेशकश नहीं की।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम की निर्यात बढ़ाने की योजनायें

4353. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज धातु व्यापार निगम ने गैर-सरणीकृत निर्यात को नए तरीके से बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार की है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे गैर-सरणीकृत निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने विशेषकर गैर-सरणीबद्ध मदों के अपने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं इन कदमों में शामिल हैं :

— सहयोगी निर्यातकों को वित्तीय/विपणन और तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

— नई मदों और नये बाजारों का विकास करने के लिए एक निर्यात व्यापार विकास दल का गठन करना ।

— भारतीय निर्यातकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहक सेवा केन्द्र खोलना ।

— निर्यातकों को कच्चा माल सम्बन्धी सहायता देने के लिए ओ० जी० एल० पर कच्चे माल की आयात योजना बनाना ।

— विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए अपतटीय व्यापार बढ़ाना ।

— निर्यातकों को उनके अग्रिम लाइसेंसों पर बेनजीन की सप्लाई ।

— निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर एथनाल्ड मेथिनोल उपलब्ध कराना ।

— छोटे विनिर्माताओं के लिए चक्र ओवरफ्लो मूल्य समर्थन योजना बनाना ।

— एस० टी० सी० ने गैर-सरणीबद्ध निर्यात बढ़ाने की उपर्युक्त योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में अपने गैर-सरणीबद्ध निर्यात के स्तर में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुमान लगाया है ।

खनिज व धातु व्यापार निगम ने भी अपने गैर-सरणीबद्ध निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इनमें शामिल हैं :

— दीर्घावधि आधार पर सम्भाव्य बाजारों को चुनिन्दा तरीके से अभिज्ञात करना ।

— ऐसी मदों की सप्लाई के घरेलू स्रोतों का चुनिन्दा विकास करना जिन्हें चुनिन्दा बाजारों में बढ़ाया जाना हो ।

— नये निर्यात बाजारों में भारतीय उत्पादों को बेहतर प्रवेश दिलाने के लिए परियोजना निर्यात, प्रति व्यापार जैसी नीतियों का प्रयोग ।

— निगम के भीतर ही एक संगठनात्मक संस्कृति का सृजन करना जोकि गैर-सरणीबद्ध मदों के निर्यात की ओर अभिमुख हो ।

— निर्यात विपणन प्रबन्धक तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यापक संस्थानों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना ।

एम० एम० टी० सी० के गैर-सरणीबद्ध निर्यात वर्ष 1984-85 में 20.13 करोड़ रुपये मूल्य के थे किन्तु वर्ष 1987-88 में बढ़कर 306 करोड़ रु० मूल्य के हो गए । निर्यात बढ़ाने के लिए उपरोक्त उपाय जारी रखने से ऐसी आशा है कि एम० एम० टी० सी० के गैर-सरणीबद्ध निर्यात में आगामी वर्षों में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजनायें

4354. श्री वी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजनायें तैयार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चाय उत्पादन में कब से वृद्धि होने लगेगी;

(ग) क्या इस कार्य को आरम्भ करने के लिए देश में सर्वप्रथम नीलगिरि जिले का चाय बागान लगाने के लिए चुना गया है;

(घ) क्या नीलगिरि के समान ही कर्नाटक में किन्हीं जिलों में चाय उत्पादन के लघु क्षेत्र में विस्तार की ऐसी सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : (क) और (ख) वर्ष 1988 की पहली तिमाही के दौरान भारत के सभी चाय बागानों से अनुरोध किया गया था कि वे वर्ष 1988 से आरम्भ करके सात वर्षों की अवधि के लिए अपने विकास कार्यक्रम तैयार करें। अलग-अलग बागानों द्वारा तैयार विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होने पर यह आशा की जाती है कि अगले सात वर्षों में उत्पादन में बहुत वृद्धि हो जाएगी।

(ग) नीलगिरि जिले के अलावा कछार जिले के कुछ बागानों के लिए भी विचार-विमर्श किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक में कुर्ग जिले में चाय क्षेत्र के विस्तार की संभावनाएं पाई गई हैं। अभी तक 1850 हैक्टेयर क्षेत्र चाय की उपज के लिए उपयुक्त पाया गया है।

बंगलौर में रेल रोको आन्दोलन

4355. श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रेलवे आदि के विकास के लिए हाल ही में बंगलौर में रेल रोको आन्दोलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्दोलन करने वाले लोगों की मुख्य मांगें क्या थीं; और

(घ) उन मांगों के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) डा० राजकुमार फैन्स एसोसिएशन ने 17-2-1989 को कर्नाटक राज्य में "रेल रोको" प्रदर्शन में भाग लिया।

(ग) इनकी मांगों में कर्नाटक के लिए अलग रेलवे जोन की स्थापना करना, बंगलूर शहर के लिए परिक्रमा रेल की व्यवस्था करना, कर्नाटक में कन्नड़ियों को रेलवे नौकरियों में तरजीह देना शामिल था।

(घ) भारी वित्तीय तंगी को देखते हुए रेलवे फिलहाल कोई नया जोन सृजित करने पर विचार नहीं कर रही है।

परिक्रमा रेलवे किसी शहर में शहरी परिवहन की जरूरतों को पूरा करने की योजना होती है इसलिए इस संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों/राज्य सरकार को पहल करनी होती है।

मौजूदा नीति के अनुसार रेलवे में भर्ती परीक्षा/साक्षात्कारों में निष्पादन को देखते हुए गुण-अवगुण के आधार पर की जाती है। किसी क्षेत्र अथवा राज्य के लिए कोई कोटा नहीं होता है।

चित्रदुर्ग-रायदुर्ग रेलवे मार्ग (कर्नाटक)

4356. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चित्रदुर्ग-रायदुर्ग रेल लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) चित्रदुर्ग-चल्लाकेरे खण्ड पर मिट्टी संबंधी काम और पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मोलकलमुरु-रायदुर्ग खंड का अधिकांश मिट्टी सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है। समग्र प्रगति 14 प्रतिशत है।

(ख) कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मान्ट्रियल में जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड वार्ता

4357. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1988 में मान्ट्रियल में मंत्री स्तर की जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड वार्ता में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में शामिल सदस्यों के नाम तथा पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तीन मुख्य क्षेत्रों में असहमति के कारण अपनी स्वीकृति नहीं दी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) भारत ने उरुग्वे बहुपक्षीय व्यापार वार्ता दौर सम्बन्धी वार्ता समिति की मान्ट्रियल में 5 से 9 दिसम्बर, 1988 को हुई मन्त्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया था।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में शामिल सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) हालांकि मान्ट्रियल बैठक की वार्ताओं में कवर किए गए अनेक क्षेत्रों में नतीजे प्राप्त हो गए थे लेकिन चार विषयों (अर्थात् वस्त्र तथा पोशाक, सुरक्षा उपाय, कृषि तथा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का व्यापार से संबद्ध पहलू) पर कोई सहमति नहीं हो सकी। चूंकि इन मुख्य क्षेत्रों पर सहमति हो गई थी इसलिए अन्य मदों के नतीजों के व्यापार वार्ता समिति की अप्रैल,

1989 के प्रथम सप्ताह में होने वाली अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस बैठक में विषयों के समूचे पैकेज की समीक्षा की जाएगी। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस बारे में कोई प्रतिकूल विचार व्यक्त नहीं किए।

विवरण

1. श्री दिनेश सिंह, वाणिज्य मन्त्री।
2. श्री ए० एन० वर्मा, सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय।
3. श्री एस० जे० एस० छतवाल, उच्चायुक्त, भारत का उच्चायोग, ओटावा।
4. श्री एम० दुबे, सचिव (आई० ओ०), विदेश मन्त्रालय।
5. श्री एस० पी० शुक्ल, राजदूत, भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा।
6. श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, विशेष सचिव, प्रधान मन्त्री कार्यालय।
7. श्री ए० वी० गणेशन, अतिरिक्त सचिव, उद्योग मन्त्रालय।
8. श्री ए० दुवा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय।
9. श्री एस० एस० सज्जन, सलाहकार, भारत का उच्चायोग, ओटावा।
10. श्री पी० एस० रन्धावा, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा।
11. श्री मैत्रेय मोहन, वाणिज्य मंत्री के निजी सचिव।

विश्व बैंक द्वारा सहायता

[हिन्दी]

4358. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है अथवा लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) एक बहु-राज्य सड़क परियोजना, जिसके भागीदार राज्यों में राजस्थान भी एक राज्य है, के वित्त-पोषण के लिए 25 करोड़ डालर के एक ऋण हेतु 17 नवम्बर, 1988 को विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण में राजस्थान का हिस्सा 5.8 करोड़ डालर का है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 28 करोड़ डालर के एक अन्य ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ हाल ही में बातचीत की गई है। राजस्थान के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा।

चुनावों के लिए बहु-प्रयोजनीय पहचान पत्र जारी करना

4359. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

डा० दत्ता सामन्त : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आगामी लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए बहुप्रयोजनीय पहचान-पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं,

(ख) वे पहचान-पत्र कब तक जारी किए जाएंगे, और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने, बहुउद्देशीय पहचान-पत्र की स्कीम आरम्भ करने के लिए रूपरेखा तैयार करने और प्रारम्भिक कदम उठाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक उप-समिति गठित की है। ऐसे पहचान-पत्र यथासंभव शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि

[अनुवाद]

4360. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर और 10 जनवरी की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी धनराशि जमा थी;

(ख) क्या उक्त दोनों तारीखों की जमा राशि में बहुत बड़ा अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) दिसम्बर 1986, 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार को और जनवरी 1987, 1988 और 1989 में उसके तत्काल बाद के पखवाड़े के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा-राशियां निम्नलिखित थी :

(करोड़ रुपए)

तारीख	जमा राशियां
26-12-86	92481.33
16-1-87	91054.99
25-12-87	106921.34
15-1-88	105768.75
30-12-88	127372.28
13-1-89	123748.92

इन उतार-चढ़ावों का मुख्य कारण ऋणों पर उपचित ब्याज, अल्पावधिक जमाराशियां स्वीकार करना और जनवरी के महीने में संस्थाओं द्वारा अपने खातों से बड़ी रकमों की निकासी जैसे बैंकिंग लेन-देन है।

बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित पड़े मामले

[हिन्दी]

4361. श्री रामप्यारे सुमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा के उन अधिकारियों/कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है, जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों से कार्यवाही की गई, जिनको नौकरी से निकाला गया और जिनके विरुद्ध मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके निलम्बन के एक वर्ष बाद भी चार्ज शीट जारी नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा निलम्बित कर्मचारियों को चार्ज शीट जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए/स्वीकार किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में रियायत

[अनुवाद]

4362. डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में रियायत किस तिथि से लागू की गई थी और यह रियायत प्रतिटन कितनी थी;

(ख) क्या यह रियायत केवल उन लोगों के लिए थी जिन्होंने उल्लिखित तिथि के बाद उत्पादन शुरू किया था अथवा उन पुरानी निर्माता कम्पनियों के लिए भी उपलब्ध थी जिन्होंने उक्त तिथि के बाद अपनी उत्पादन क्षमता में केवल वृद्धि की थी; और

(ग) उन लाइसेंस धारक सीमेंट निर्माता कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस रियायत का लाभ उठाया था और प्रत्येक कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की रियायत प्राप्त की है और प्रत्येक वर्ष सीमेंट की कितनी मात्रा पर रियायत प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पोर्टलैण्ड सीमेंट पर उद्ग्राह्य उत्पादन शुल्क की सामान्य रियायती दर 215 रुपये प्रति मीटरी टन है। जिन कारखानों द्वारा 1 जनवरी, 1982 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान उत्पादन आरम्भ किया है उन कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर मूल उत्पादन शुल्क की रियायती दर 195 रुपए प्रति मीटरी टन है। उन कारखानों के मामले में, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1986 को या उसके बाद उत्पादन आरम्भ किया है, मूल उत्पादन शुल्क की रियायती दर 165 रुपए प्रति मीटरी टन है। उन कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट के मामले में, जो वर्टीकल शाफ्ट किल्न का प्रयोग करते हैं और जिनकी कुल

लाइसेंस शुदा क्षमता प्रतिदिन 200 मीटरी टन से अधिक नहीं है, उन पर लागू उत्पादन शुल्क की रियायती दर 115 रुपए प्रति मीटरी टन है।

(ख) जहां पर शुल्क की रियायती दर का सम्बन्ध उत्पादन के आरम्भ होने से है, यह ऐसे उन कारखानों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने प्रश्नगत अवधि के दौरान उत्पादन आरम्भ किया हो।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि

4363. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के पहले नौ महीनों के दौरान इलेक्ट्रानिकी और सोफ्टवेयर सामान को छोड़कर इंजीनियरी सामान के निर्यात में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1988-89 के लिए निर्यात के लक्ष्यों में वृद्धिगत संशोधन किया गया था, यदि हां, तो मूल और संशोधित लक्ष्य क्या थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चालू वर्ष (1988-89) के पहले 9 महीने के दौरान इलैक्ट्रानिक और कंप्यूटर साफ्टवेयर को छोड़कर, इंजीनियरी माल के निर्यात 1030 करोड़ रुपए के थे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 792 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे, इस प्रकार 30-05 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) सितम्बर, 1988 में इंजीनियरी निर्यात की मध्यावधि पुनरीक्षा के बाद वर्ष 1988-89 के लिए 1340 करोड़ रुपए के मूल निर्यात लक्ष्य को बढ़ाकर 1650 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस 1650 करोड़ रुपए के संशोधित लक्ष्य में इलैक्ट्रानिक और कंप्यूटर साफ्टवेयर मदें शामिल नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

4364. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर भी ये मानदण्ड लागू होते हैं; और

(घ) समाजोन्मुख योजनाओं के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए विदेशी बैंकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ये निदेश दिए गए हैं कि उनके कुल बकाया ऋणों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए होना चाहिए। इस क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय आदि आते हैं। इसके अलावा, उनके कुल बकाया ऋणों का 10 प्रतिशत

समाज के कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए जिसमें छोटे और सीमांतिक किसान, काश्तकार और बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, कारीगर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के हिताधिकारी आते हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि मार्च 1990 के अन्त तक उनके प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का स्तर कुल ऋणों के कम से कम 18 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में देश में कार्यरत विदेशी बैंकों से यह कहा है कि मार्च 1989 के अन्त तक उनके कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए होना चाहिए और यह स्तर मार्च, 1992 के अन्त तक धीरे-धीरे बढ़कर 15 प्रतिशत तक कर दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जून 1989 के अन्त में कार्यरत 21 विदेशी बैंकों में से 17 विदेशी बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बकाया अग्रिमों का अनुपात उनके कुल बकाया ऋणों का 5.9 प्रतिशत था।

ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए बैंकिंग कार्यक्रम

4365. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एकमुश्त बैंकिंग कार्यक्रम की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा अब तक दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय सेवा क्षेत्र योजना से है जिसके अन्तर्गत 15-25 गांवों का समूह एक ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी बैंक शाखा को आवंटित कर दिया जाता है ताकि ऋणों का सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से अधिकतम विस्तार हो सके। गांवों को बैंक शाखाएं आवंटित करने का काम अप्रैल 1988 में आरम्भ किया गया था और यह काम पूरा हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत, बैंक शाखाओं को पहले आवंटित किए गए गांवों का सर्वेक्षण करना होता है तथा गांवों की रूपरेखा तैयार करनी होती है जिसमें बैंक के सेवा क्षेत्र में चलाई गई गतिविधियों के प्रकार और उधार के लिए सक्षम गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाना होता है। गांव की रूपरेखा के आधार पर, बैंक शाखाएं, आधारभूत तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं तथा दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, पता लगाई गई अलग-अलग गतिविधियों के लिए उधार देने के वास्ते वार्षिक ऋण आयोजनाएं तैयार करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से उधार देने के वास्ते मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। अत: बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों के ब्यौरे देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की चालू सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध

4366. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस समय निर्माणाधीन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास उक्त अनुरोध कब से लम्बित पड़ा है;

(ग) इस अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त अनुरोध को कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राज्य सरकार से निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त सहायता प्रदान करने के वास्ते कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सातवीं योजना में परिकल्पित खाद्यान्न के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में, आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ परियोजनाओं पर कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रारम्भ में लगभग 98 करोड़ रुपए की आवश्यकता के बारे में बताया था। राज्य प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट कहा गया था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इतना बड़ा अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध नहीं होगा। उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में तीन परियोजनाओं पर कार्य में तेजी लाने के वास्ते आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1988-89 के दौरान 932 लाख रुपए का अतिरिक्त योजनागत परिव्यय आबंटित किया गया है।

जवाहरात निर्यात केन्द्र

4367. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत जवाहरात निर्यात केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और 1987-88 के दौरान अब तक प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि के जवाहरातों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में ऐसे और जवाहरात निर्यात केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) एक शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख रत्न व आभूषण काम्पलेक्स, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। सांताक्रुज इलैक्ट्रोनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज) मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत आभूषण निर्यातक एकक भी स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1987-८8 और 1988-89 के दौरान निर्यात नीचे दिए गए हैं;

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	
	झण्डेवालान नई दिल्ली	सीप्ज बम्बई
1987-88	1.10	कुछ नहीं
1988-89	2.36	4.20
	(10-2-89 तक)	(28-2-89 तक)

(ख) और (ग) ऐसे ही कम्प्लेक्स अहमदाबाद, जयपुर, श्रीनगर और कलकत्ता में स्थापित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे कम्प्लेक्स के लिए उपयुक्त प्रायोजक एजेंसियों के साथ-साथ भवनों का पता लगाएं। साथ ही देश में निर्यात संसाधन क्षेत्रों में आभूषण निर्यातक एकक स्थापित करने को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल में आभूषण के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक नीतिपरक पहल की गयी है। जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं। स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम (1968) की क्रिया-विधि का सरलीकरण, सुव्यवस्थीकरण तथा उदारीकरण और बैंक ऋण सुविधा में ढील, आदि।

मोटर-वाहनों का गैर-कानूनी आयात

[हिन्दी]

4368. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व गुप्तचर निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोटर-वाहनों का गैर-कानूनी आयात करने के संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वाहनों को खरीदने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 1 मार्च, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक की पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान श्री हरेन पी० चौकसे नामक एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अनधिकृत रूप से विदेशी कारों का आयात करने में लगा हुआ था तथा उसे अब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम, 1974 के तहत 3 फरवरी, 1989 को नजरबन्द कर लिया गया है। इस मामले में पकड़ी गई दो कारों में से एक कार ई० 300, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली के निवासी श्री थापर द्वारा तथा दूसरी दिल्ली के श्री विजय स्याल द्वारा खरीदी गई है।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 में यह शर्त है कि कारों को जब्त किए जाने से पूर्व उस व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसके कब्जे से ये कारें पकड़ी गई हैं। इन कारों का अनधिकृत रूप से आयात करने में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को विभागीय न्यायनिर्णयन में दण्डित किया जा सकता है तथा न्यायालयों में इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है।

मानव निर्मित धागों और वस्त्रों की तस्करी

4369. श्री जितेन्द्र सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संबंधी संस्थान ने वर्ष 1985 में काले धन के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अन्य सिफारिशों के अलावा यह बताया गया था कि मानव निर्मित धागों और वस्त्रों तथा अन्य उपकरणों की तस्करी का

कारण इन पर भारी उत्पादन और आयात शुल्क का लगाया जाना है और इस तस्करी को रोकने के लिए इन करों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने "आसपेक्ट्स आफ दि ब्लाक इकोनामी इन इंडिया" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि मानव निर्मित फाइबर जैसे माल की, जिसके लिए देश में पर्याप्त मांग है, बड़े पैमाने पर तस्करी किए जाने का एक कारण इस पर अधिक उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क लगाया जाना है। यह कहा गया था कि उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की दरों में कमी करने से कर अनुपालन में सुधार लाने के साथ-साथ तस्करी की मात्रा में कमी होने की भी आशा की जा सकती है। मानव निर्मित फाइबर, यार्न और फैब्रिकों पर उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क की दरों को निर्धारित करते समय इस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए अभिमतों और कुछ अन्य समितियों और दलों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1988-89 के बजट में मानव-निर्मित फाइबर और यार्न पर उत्पादन शुल्क की दरों में काफी कमी की गई थी।

दक्षिण रेलवे में विकलांगों की नियुक्ति

4370. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में दक्षिण रेलवे द्वारा विशेषत: त्रिवेन्द्रम डिवीजन में विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो योग्यता सूची का क्रमवार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने विकलांग व्यक्तियों को पदभार ग्रहण करने को अनुमति दी गई है;

(ग) जिन उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और इसके कारण क्या हैं;

(घ) दक्षिण रेलवे द्वारा वर्ष 1984 से 1988 के दौरान सामान्य कोटा और विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे में कितने अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति की गई है और क्या विकलांगों के लिए आरक्षित कोटा भर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे में से कितने रिक्त पदों को भरा जाना शेष है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 1984 में दक्षिण रेलवे द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कोटा के तहत क्लर्क/ट्रेसर के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए शारीरिक रूप से विकलांग पन्द्रह व्यक्तियों की सूची तैयार की गयी थी। इनमें से आठ

उम्मीदवारों को तिरुवनन्तपुरम मंडल को आबंटित किया गया था जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

नाम	पैनल जिसमें इन्हें शामिल किया गया
सर्वश्री	
1. पी० अरविन्दाक्षन पिल्लै	लेखा विभाग से इतर कार्यालय लिपिक
2. थामस वर्गीज	"
3. पी० एस० सिटा	"
4. ई० के० जियांस	"
5. पी० टी० कोहनन	लेखा लिपिक
6. विजयकुमारी अम्मा	"
7. के० कोचुतंकु (अ० जा०)	"
8. पी० सन्तोष कुमार	ट्रेसर

इनमें से चार व्यक्तियों ने नियुक्ति के लिए पेशकश की थी; इसमें ट्रेसर के पद के लिए प्रवरित एक व्यक्ति, जिसे न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पालघाट मंडल में लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, शामिल है।

(ग) एक मामले में असावधानी के कारण तथा अन्य तीन मामलों में रिक्तियां न होने के कारण इस पैनल में से चार उम्मीदवारों ने पहले नियुक्ति के लिए पेशकश नहीं की थी। पालघाट मंडल में इन सभी चारों उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) दक्षिण रेलवे पर निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	नियुक्त किए गए लिपिकों की कुल संख्या	कालम (2) से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या	
1984-85	295	9	
1985-86	263	40	
1986-87	367	30	
1987-88	189	×	प्रवरण किया जा रहा है।
	1114	79	

दक्षिण रेलवे पर निम्न श्रेणी लिपिकों की कोटि में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कोटा भरने के संबंध में उस रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कुलियों की मजूरी संबंधी शिकायतें

4371. श्री सी० सम्बु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुलियों के भार उठाने की दरों की हाल ही में समीक्षा की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा भारिकों की मजदूरी की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। विगत समीक्षा के बाद क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित की गई भारिकों की मजदूरी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रति 40 कि० ग्रा० वजन ढोने के लिए प्रति फेरा भारिक मजदूरी की दर

रेलवे	बड़े स्टेशन (रुपयों में)	मझौले स्टेशन (रुपयों में)	छोटे स्टेशन (रुपयों में)	लागू किए जाने की तारीख
मध्य	3.00	2.50	2.00	जून, 1988
पूर्व	3.00	2.00	2.00	फरवरी, 1989
उत्तर	3.50	2.50	250 (अटारी स्टेशन को छोड़कर)	जनवरी, 1989
पूर्वोत्तर	3.00	2.50	2.00	जनवरी, 1989
पूर्वोत्तर सीमा	3.00	2.00	2.00	अगस्त, 1988
दक्षिण	3.00	2-50	1.90	जनवरी, 1987
दक्षिण मध्य	3.00	2.50	2.00	दिसम्बर, 1988
पश्चिम	3.00	2.50	2.00	जून, 1988

दक्षिण पूर्व—हाल ही में समीक्षा की गई है तथा प्रस्तावित संशोधन दरों के लिए क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर राज्य से बाहर के न्यायाधीशों की नियुक्ति

4372. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में राज्य से बाहर के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऐसे कौन से उच्च न्यायालय हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य के हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह पद्धति प्रवृत्त की जा रही है।

(घ) और (ङ) इलाहाबाद और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति उन्हीं राज्यों के हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायमूर्ति का स्थानान्तरण होने वाला है।

बंजर भूमि के विकास के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट

[हिन्दी]

4373. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंजर भूमि के विकास के बारे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भक्षित बंजर भूमि के विकास का कार्यक्रम देश के अनेक भागों में अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य-वार क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बताया है कि उसने बंजर भूमि के विकास के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है लेकिन राष्ट्रीय बैंक ने देश में बंजर भूमि का विकास करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण है :—

(1) वन विकास निगमों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा।

(2) पेड़ों के बागान लगाने के लिए अलग-अलग किसानों को व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाने वाली कृषि वानिकी योजना के वास्ते बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा।

(3) बंजर भूमि में चारा, जलावन लकड़ी, इमारती लकड़ी और फलों के पेड़ों के पौधे उगाने के वास्ते वाणिज्यिक पौध शालाओं के लिए बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा।

(4) उपभोक्ता उद्योगों द्वारा कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंजर भूमि में अपने बागान लगाने के सम्बन्ध में बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा।

(5) आदर्श बंजर भूमि विकास परियोजनाएं तैयार करना।

(6) "पेड़ पट्टा स्कीम" के अन्तर्गत तैयार की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा।

नकद प्रतिपूरक सहायता योजना सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

4374. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात की जाने वाली विभिन्न मदों के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता की नयी दरों को निर्धारित करने हेतु एक उच्च शक्त प्राप्ति समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या है और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यह समिति किस अवधि तक के लिए दरों को निर्धारित करेगी; और

(घ) इस नयी योजना के अंतर्गत शामिल की गयी मदों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से सिले-सिलाये वस्त्रों और हाथ से बनी वस्तुओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) समय-समय पर अलग-अलग निर्यात उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता की दरों की समीक्षा करने और दरें निर्धारित करने के लिए एक स्थायी अंतर-मंत्रालयी समिति है, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग और राजस्व विभाग), उद्योग मंत्रालय (तकनीकी विकास महा निदेशालय) और मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। अलग-अलग निर्यात उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता की दरें दिनांक 1-4-1989 से लागू होंगी और सूती वस्त्रों को छोड़कर तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगी और सूती वस्त्रों के मामले में ये दरें 31 दिसम्बर, 1991 तक वैध रहेंगी। नकद मुआवजा सहायता की दरें मद-वार निर्धारित की जाती हैं, राज्य-वार नहीं।

आर० बी० आई० स्टडी फेवर्स लो टैक्स रिबेट्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[हिन्दी]

4375. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आर० बी० आई० स्टडी फेवर्स लो टैक्स रिबेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त अध्ययन से प्राप्त विभिन्न निष्कर्षों के बारे में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक अधिकारी द्वारा निजी निगमित क्षेत्र पर राजकोषीय नीति का प्रभाव-1970-71 से 1987-88 तक" नामक विषय पर किए गए एक अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों

को सितम्बर, 1988 के अपने सामयिक पत्रों में प्रकाशित किया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखितों के बारे में उल्लेख किया गया है :—यह आम धारणा है कि भारतीय निगमित क्षेत्र पर करों का अत्यधिक भार है, निराधार प्रतीत होती है, अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों और रियायतों से भारत में निगमित क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दरों को एक ऐसे स्तर तक कम कर दिया गया है जो अपेक्षाकृत कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी कम है और करों में कमी करने से संबंधित उपायों को राजकोषीय रियायतों तथा प्रोत्साहनों आदि, में कमी और समीक्षा से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

इस प्रकार के सभी अध्ययनों के निष्कर्ष उपलब्ध होने पर उन्हें सरकारी नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

ग्रामोदय यथाकाम् योजना के अन्तर्गत ऋण राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

4376. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामोदय यथाकाम् योजना (एक स्वरोजगार योजना) के अन्तर्गत कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) क्या यह राशि व्यापार आरम्भ करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) से (ग) संभवतः प्रश्न का आशय वर्ष 1983-84 में आरम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना से है। इस योजना के अंतर्गत, उद्यमियों को औद्योगिक धन्धों के लिए अधिक से अधिक 35,000 रुपये, सेवा सम्बन्धी धन्धों के लिए अधिक से अधिक 25.000/ रुपए और लघु व्यवसायों के लिए अधिक से अधिक 15,000/- रुपए का संयुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना के अतर्गत बैंक, उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं के अधीन रकम मंजूर करते हैं जो प्रस्तावित धन्धा आरम्भ करने के लिए पर्याप्त समझी जाती तथा इस समय वर्तमान ऋण सीमाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्रह्मपुत्र नदी का फरक्का क्षेत्र की ओर बहने वाला जल

4377. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन को गादपन के खतरे से बचाने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र नदी का फरक्का क्षेत्र की ओर बहने वाले जल का प्रवाह कलकत्ता पत्तन की ओर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को कलकत्ता पत्तन की ओर मोड़ने से कलकत्ता पत्तन में, गादपन की समस्या के समाधान में कहां तक मदद मिली है;

(ग) यदि इसमे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्या भारत सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के स्वतः प्रवाह को पहले की दिशा में ही प्रवाहित होने की अनुमति देने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध इस जल का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) ब्रह्मपुत्र नदी के जल को कलकत्ता पत्तन की ओर परिवर्तित नहीं किया गया है।

ब्रिटेन को गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

4378. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार में घाटे को कम करने के लिये इंजीनियरिंग सामान, इत्यादी जैसी गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भारत को मदद देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते की मुख्य बात क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की फरवरी, 1989 में नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तथा इसे विविध बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार के स्तर को बढ़ाने के प्रयास करेंगे ताकि व्यापारिक असंतुलन को ठीक किया जा सके। बैठक के अंत में सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, व्यापार के क्षेत्र में सहयोग और व्यापार संवर्धन, बहुपक्षीय मुद्दे तथा निवेश, [illegible], पेट्रो रसायन, और उर्वरक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नागरिक विमानन, इलेक्ट्रोनिकी, दूर संचार, मशीन औजार तथा ऑटोमोटिव संघटकों जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग आदि।

पंजाब में नदी घाटी परियोजना

4379. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नदी घाटी परियोजना आरम्भ होनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब को वर्ष-वार कितनी धनराशि की सहायता दी गई और इस योजना के अंतर्गत कौन-सा क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पंजाब में नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा कौन-सा क्षेत्र शामिल किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। नदी की सिंचाई और जल-विद्युत क्षमता को काम में लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा रावी नदी पर रणजीत सागर बांध नामक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को शुरू किया गया है। परियोजना में 160 मीटर ऊंचा बांध तथा 600 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता का विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

(ग) पंजाब सरकार अपने स्वयं के संसाधनों में से परियोजना का निर्माण कर रही है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए वर्ष 1985-86 में 45 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1986-87 में 35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पंजाब में किसी क्षेत्र के परियोजना में आने की सम्भावना नहीं है। तथापि, पंजाब सरकार ने यह सूचित किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना द्वारा 3.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा।

औषधों और दवाइयों की क्रय सम्बन्धी नीति

4380. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के एककों से औषधों और दवाइयों को खरीदने में सरकार द्वारा प्राथमिकता देने संबंधी नीति का लघु क्षेत्र के उद्योगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार लघु क्षेत्र द्वारा उद्धृत मूल्यों की तुलना में सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों से इन मदों को अधिक मूल्य पर खरीद करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कम दर अथवा अधिक दर के आधार पर निर्णय लेने के लिए खुली निविदा आमंत्रित करने की नीति का अनुकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सरकार की क्रय नीति में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लघु उद्योग इकाइयों पर की तुलना में सरकारी क्षेत्र को इकाइयों को भी खरीद में अथवा कीमत निर्धारण में कोई तरजीह मिले। कुछ ऐसे औषधों तथा भेषजों की खरीद केवल सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से की जाती है जिनका निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र में नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुस्तकों का निर्यात

4381. श्री आर० एम० चौबे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को पुस्तक निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारत से भाषावार कितनी पुस्तकें निर्यात की गई तथा ये पुस्तकें किन-किन देशों को निर्यात की गई; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन पुस्तकों के निर्यात में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों का अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु०)
1985-86	24.00
1986-87	26.00
1987-88	27.00

पुस्तकों की कुल संख्या और भाषावार निर्यातित पुस्तकों के निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

जिन मुख्य देशों को पुस्तकों और प्रकाशनों का निर्यात किया गया वे हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका यू० ए० ई०, सऊदी अरब, सिंगापुर, बंगला देश, बहरीन, तंजोनिया, श्रीलंका, कतार, ओमान, मलयेशिया, कुवैत, जापान, पश्चिम जर्मनी, सोवियत संघ, पाकिस्तान, चीन, कीनिया और मिस्र। पिछले तीन वर्षों में निर्यात में मामूली वृद्धि हुई है।

स्रोत: रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।

सीमेंट उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क में रियायतें

4382 **डा० ए० के० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादन के लिए उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रियायत को प्राप्त करने वाली सीमेंट का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त प्रत्येक कम्पनी को कितनी राशि की रियायत मिली; और

(घ) क्या यह रियायत उन पुराने सीमेंट उत्पादकों को भी दी गई है जो नया लाइसेंस लिए बिना अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकते थे ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) ग्रे पोर्टलैण्ड सीमेंट पर उदग्राह्य उत्पादन शुल्क की सामान्य रियायती दर 215 रुपए प्रति मीटरी टन है। जिन कारखानों द्वारा 1 जनवरी, 1982 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के दौरान उत्पादन आरम्भ किया गया है उन कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर मूल उत्पादन शुल्क की रियायती दर 195 रुपए प्रति मीटरी टन है। उन कारखानों के मामले में, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1986 को या उसके बाद उत्पादन आरम्भ किया है, मूल उत्पादन शुल्क की रियायती दर 165 रुपए प्रति मीटरी टन है। उन कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट के मामले में, जो वर्टीकल शाफ्ट किलन का प्रयोग करते हैं और जिनकी लाइसेंस शुदा क्षमता प्रतिदिन 200 मीटरी टन से अधिक नहीं है, लागू उत्पादन शुल्क की रियायती दर 115 रुपए प्रति मीटरी टन है।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जहां पर शुल्क की रियायती दर का सम्बन्ध उत्पादन आरम्भ होने से है, यह ऐसे उन कारखानों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने प्रश्नगत अवधि के दौरान उत्पादन आरम्भ किया हो।

12 00 मध्याह्न

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं सदन में आपकी घोषणा के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूं। उस दिन आपने घोषणा की थी कि आप महान्यायवादी की राय ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब यह आएगा, मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें पता चला है कि आपके द्वारा सदन में यह घोषणा करने कि आप महान्यायवादी से सलाह लेने जा रहे हैं, से पहले ही सरकार महान्यायवादी से सलाह ले चुकी है। यदि ऐसा है तो हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल अपने से मतलब है।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु हमें सरकार से मतलब है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, किन्तु जहां तक मेरे निर्णय का सम्बन्ध है, मैं केवल उन्हीं लोगों से सलाह लूंगा जिन पर मैं संविधान के तहत निर्भर कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सरकार पर निर्भर नहीं कर सकते। महोदय...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने निर्णय पर निर्भर करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें बताया गया है कि वह सलाह कर चुके हैं और बाद में उन्होंने आपको सुझाव दिया है कि आप सलाह कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे कह रहे हैं कि उन्होंने महान्यायवादी से सलाह नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं कि उन्होंने सलाह की है या उन्हें सलाह करने की अनुमति है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अपने आप सलाह करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय आप पर कोई आक्षेप नहीं है। हम माननीय मन्त्री जी से जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बात करें।

प्रो० मधु दण्डवते : हम उनसे सीधे बात नहीं कर सकते। यह इस सभा का नियम है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से पूछता हूं कि क्या उन्होंने महान्यायवादी से सलाह ली है और उनका क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम देखने होंगे कि क्या वह उनसे सलाह नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उनसे सलाह की है या नहीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं स्वयं सलाह करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से सलाह चाहता हूं। न केवल मौखिक बल्कि मैंने उन्हें लिखित रूप से अपनी पूरी राय देने को कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह उत्तर देना नहीं चाहते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने गीता जी से कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने गीता जी को कहा है, आप जिद मत किया करो। आप क्यों गड़बड़ करते रहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप शान्त रह कर सहयोग क्यों नहीं करते ? अन्यथा बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका स्वास्थ्य कुछ समय से खराब है। मैंने उन्हें बुलाया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात् महिलाओं पर अत्याचार की ओर दिलाना चाहती हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सुप्रिया का क्या हुआ ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि आप क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी का कोई भी अखबार खोले तो आप प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचारों के एक से अधिक समाचार पढ़ेंगे। मैं इस बारे में यहां पृथक चर्चा चाहती हूं जो गृह मन्त्रालय की मांगों पर होने वाली बहस में शामिल न हो। महोदय, मैंने इसके लिए नोटिस दिया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गीता जी मैंने आपको पहले ही अनुमति दे दी है। इस बारे में मैंने कभी भी किसी बात को नामंजूर नहीं किया है। मैंने हमेशा ही अनुमति दी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। आप समय ले सकती है आप लिखकर दे सकती हैं, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम् (सलेम) : जब कुमारी जय ललिता का मामला यहां उठाया गया था, तब उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए था।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने सुप्रिया के मामले पर बहस का विरोध किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब समय आएगा तब हम इस पर बहस करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के छिपाए गए खण्डों के अंश, समाचार पत्रों में किश्तों में छप रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि आपका निर्णय कब तक आएगा।

अध्यक्ष महोदय : ज्यों ही मुझे इस बारे में सलाह मिलती है, मैं दे दूंगा। मैं कोई मशीन नहीं हूं। मैंने सभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। न केवल यही, मैंने ब्यौरे से लिखा है कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने उनसे कहा है कि मुझे उपयुक्त समय से उचित राय दें। अब यह उन पर निर्भर करता है कि आज या कल वह सब अपनी राय देते हैं। किन्तु मुझे यही करना है।

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : जब तक आपको राय मिलेगी, पूरी रिपोर्ट बाहर आ चुकी होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही कर रहे हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे किसी अन्य बात से कुछ लेना देना नहीं है। यदि वह कहते हैं कि यह पूरी रिपोर्ट नहीं है तो मैं सरकार से इसे सभा पटल पर रखने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : क्या हमें पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए इण्डियन एक्सप्रेस का सहारा लेना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि जब मैं किसी एक व्यक्ति से बोलने के लिए कहूं तो केवल उसी व्यक्ति को इसकी अनुमति है।

श्री सी० पी० एम० सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने किसी व्यक्ति को अनुमति दे दी है। तो आप कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तांता जी, आप नहीं सुधर सकते। मैंने उन महानुभाव को अनुमति दी है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? कृपया बैठ जाएं। आप बीच में न बोलें और एक भद्र पुरुष सा व्यवहार करें, जो कि मेरे विचार से आप हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक सम्मानित भद्रपुरुष समझा। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि भद्र पुरुष होने का कोई लाभ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपका क्या अभिप्राय: है ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं और अधिक स्पष्ट करता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त को सुनना खुशी की बात है। चाहे यह विपक्ष हो या सत्ता पक्ष या आप, सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वह ऐसे व्यक्ति है जो अपनी बात नियमों के भीतर कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह ठीक है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं उनका अनुसरण करने और नियमों के भीतर रहने की कोशिश करता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें उसके लिए, निलम्बित किया गया था।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैंने तो जो कहना चाहता हूं, अभी कहा भी नहीं है, किन्तु प्रोफेसर आप पर हावी हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं···

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं जो कहना चाहता हूं कृपया मुझे कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मैं भी एक बात कहना चाहता हूं···

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमों के भीतर मैं वह सब नहीं कह सका जो मैं कहना चाहता हूं। अब फिर आयोग ने बहुत समय ले लिया है। किन्तु उससे बहुत पहले, मैंने नियमों के भीतर रहते हुए नम्र निवेदन किया था कि विभिन्न गोपनीय बातों, चाहे वह रक्षा

सम्बन्धी हो या ठक्कर आयोग से सम्बन्धित हों, के लीक होने के प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जाए। किन्तु आपने उस पर अपना निर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० पी० एम० सिंह, देखिए···

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह काफी समय से लम्बित है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बुद्धिम··ा का बहुत अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं आप से कुछ और कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने श्री मधु दण्डवते ने भोपाल गैस त्रासदी पर बोलते हुए संजय गांधी के बारे में जो कुछ कहा था, उस बारे में नोटिस दिया था। आपने कहा कि यह नियमों के भीतर नहीं है और आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : अब भी आप नियमों से बाहर बोल रहे हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जो कुछ मैंने कहा वह कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया परन्तु जो वे कहते हैं वह नहीं निकाला जाता।

अध्यक्ष महोदय : अब आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए। आपने श्री इन्द्रजीत गुप्त का हवाला दिया। श्री इन्द्रजीत गुप्त सीमा के भीतर रहते हैं किन्तु आप नहीं रहते। आप के साथ यही समस्या है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं नहीं रह सकता। वह एक वरिष्ठ सांसद हैं। और आपसे चिल्लाने से ही काम चलता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। बैठ जाइए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैंने काफी दिन पहले आपको आधे घण्टे की चर्चा का एक नोटिस दिया था। कल या परसों श्री शरद दिघे का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और उनके नोटिस पर चर्चा भी हुई। मैंने उससे काफी पहले नोटिस दिया था उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है। मैं बंधा हुआ नहीं हूं···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जितना चाहें, शोर मचायें, इसमें समय लगता है···

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : लोगों को सती के लिए नशीले पदार्थों के लिए फांसी पर लटकाया जाना चाहिए किन्तु देशद्रोह के लिए नहीं। इसी लिए गुप्त बातें बाहर निकलती हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इच्छाओं से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं माननीय सदस्य की इच्छाओं से बंधा हुआ नहीं हूं। आपने समूचे सदन को सिर पर उठा रखा है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जी नहीं **······ आप रहे हैं। आप हमें नियम दिखाइए। यदि हम सदन से बाहर जाने की धमकी देते हैं तो आप क्या करते हैं?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो सदन से बाहर जा सकते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : अब मैं सदन से बाहर नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं आपका नाम पुकारूंगा। यह क्या है ? आप हर समय अध्यक्षपीठ पर आक्षेप करते रहते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आप मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। मेरे प्रश्न पूछने से पहले आपने क्या कहा था ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है। आप इस तरह मुझे धमका नहीं सकते। यह समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, उन्होंने आप पर आक्षेप किए हैं। उन्होंने कहा कि**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, बिल्कुल ठीक। वह आक्षेप कर रहे हैं।

श्री एच० एन० बोरा : उन्होंने कहा कि *** उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल ठीक, उन्होंने यही कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना बात सदन को तंग कर रहे हैं। जी हां, श्री कुरियन।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, आपने मुझे बुलाया। मैं यह कहना चाहता······
(व्यवधान)

श्री टी० के० कुंजन (अडूर पश्चिम) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले मैं एक बात का निपटारा करना चाहता हूं। क्षमा मांगें। श्री सी० पी० एन० सिंह को क्षमा मांगनी होगी।

श्री पी० के० कुंजन : निश्चित ही, उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करता···

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, आपने कहा कि "मैंने पूरे सदन को सिर पर उठा रखा है।" मैंने कहा था···**···

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : फिर तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपको क्षमा मांगनी होगी। यह देखना मेरा काम है कि सदन का कार्य नियमानुसार चले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैंने कुछ गलती की है तो मुझे सदन से निकाल दीजिए। यदि मैंने गलती

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में निकाल दिया गया।

की है तो मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखिए और मुझे सभा से निकाल दीजिए। मुझे यह पसंद नहीं है। मैं इसे चुपचाप सहन नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस तरह काम करना असम्भव है। नहीं, मंत्री महोदय। बहुत हो चुका। वह हर समय मुझे धमकाते हैं। वह अपने आपको समझते क्या हैं?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हुआ है, आपसे पहले हुआ है।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : किसी भी सदस्य के लिए अध्यक्षपीठ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप करना उचित नहीं है। किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गलत है। यदि ऐसे आक्षेप किए जाते हैं तो यह बुरी बात है। कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। महोदय, इस सम्बन्ध में वह पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं। मैं भी खेद व्यक्त करता हूं। ऐसे आक्षेप कार्यवाही वृत्तांत से भी निकाल दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहटी) : महोदय, मैं यहां उपस्थित नहीं था परन्तु मैं समझा कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सोमवार को शुरू होनी है। यदि विनिर्णय नहीं दिया गया तो मैं नहीं समझता कि सोमवार को इस पर चर्चा कराना सम्भव हो पाएगा। अतः मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप विनिर्णय दें क्योंकि यह मामला आपके अन्तिम विनिर्णय और निर्णय पर निर्भर करेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जब अपना विनिर्णय दूंगा, तभी ऐसा करूंगा। हमने चर्चा का दिन सोमवार रखा है। तब तक देखें क्या होता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, किंतु तब तक हमें पूरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह साधारण-सा प्रश्न है कि क्या रिपोर्ट पूरी रखी गयी है। यदि यह रिपोर्ट पूरी है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मैं यह विनिर्णय देता हूं कि यह रिपोर्ट पूरी नहीं है तो पूरी रिपोर्ट रखनी होगी। तब तो हमें इसे स्थगित करना पड़ेगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह ठीक है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं सिर्फ दिल्ली में 4 लाख मलयालय भाषियों के बारे में एक निवेदन कर रहा हूं। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और यह देखा गया है कि उनके केरल जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि आप रेल मन्त्री जी को दिल्ली से केरल जाने के लिए गर्मियों में कुछ विशेष गाड़ियां चलाने के लिए कहें। महोदय, क्या आप उन्हें यह निदेश देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे देखूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : धन्यवाद।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ोदा) : महोदय, तिब्बत में लोगों को मारा जा रहा······

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप मुझसे चर्चा कीजिए। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं बछावत आयोग के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कोई अन्य प्रस्ताव दे सकते हैं किंतु स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते।

श्री तम्पन थामस : 1978 से पत्रकारों को संशोधित वेतन नहीं मिला है। मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, रिपोर्ट के सभा पटल पर रखे जाने के बाद, यह सभा की सम्पत्ति हो गई थी। अत: मेरा निवेदन है कि उचित यही होगा कि महान्यायवादी को अपनी बात कहने के लिए यहां बुलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर यदि आवश्यक हुआ और हमने ठीक समझा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। जी हां श्री तांती।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : उस दिन आपने महान्यायवादी की सलाह मांगी थी और अब तक आपको सलाह नहीं मिली है······

अध्यक्ष महोदय : उसमें कुछ नया नहीं है। मैं पहले ही यह कह चुका हूं। आप हर बात को दोहरा क्यों रहे हैं?

श्री भद्रेश्वर तांती : सरकार पहले ही अधिसूचना वापिस ले चुकी है······

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नयी बात नहीं है।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, हमें पूरी रिपोर्ट जानने का अधिकार है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह सिद्धांत की बात है। किसी विपक्षी सदस्य ने मुझसे कुछ कहा है। होली पर कुछ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया गया था। उन्हें वाद-विवाद में भाग लेने से मना किया गया था किंतु दैनिक भत्ता समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे शालीनतापूर्वक बहाल करना होगा। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : हमें निलंबन की अवधि का कोई भत्ता नहीं चाहिए। निलंबन रद्द किया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप यह नहीं चाहते। लेकिन मैं इस बारे में विनिर्णय चाहता हूं। **(व्यवधान)**

मैं इसे सिद्धांत का मामला मानकर उठाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे किसी विपक्षी सदस्य ने कहा है। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। दैनिक भत्ता रोका नहीं जा सकता। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय ; सोज साहब, बैठ जाइए।

[अनुवाद]

इस मामले पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सहानुभूति से सुन लेंगे।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष जी, इन लोगों को डी० ए० नहीं चाहिए। हम उन दिनों का डी० ए० नहीं चाहते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा निवेदन है कि दैनिक भत्ता चाहे न दिया जाए लेकिन निलंबन रद्द किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम निलंबन का भत्ता नहीं चाहते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर हम दे दें, तो।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं भविष्य के लिए विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इसे प्रधानमन्त्री कोष में डाल दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। परामर्श आदि लेने के बाद यदि आप इस बारे में संतुष्ट है कि जो रिपोर्ट रखी गई है, वह पूरी है और इसमें आगे और कुछ रखा नहीं जाना जा सकता और इस बीच, आपके निष्कर्ष से पहले, यदि समाचार पत्रों में रिपोर्ट के कथित रोके गए हिस्से प्रकाशित हो गए और सरकार की ओर इसका खण्डन नहीं किया गया—वे हर रोज प्रकाशित हो रहे हैं तो आप तथा सदन स्वयं को बड़ी सुविधापूर्ण स्थिति में पायेंगे। (व्यवधान)

आपको तथा सदन को इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपके समक्ष ऐसी स्थिति पैदा हो। यदि आपको यह सलाह दी जाती है जिसे आप मान लेते हैं और इस आधार पर आप यह निर्णय देते हैं कि "जो रिपोर्ट रखी गई है वह पूरी है और इसमें आगे और कुछ नहीं रखा जाना है अथवा रखा जा सकता है—तो आपकी स्थिति बड़ी शर्मनाक होगी ······

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखना पड़ेगा। मुझे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बीच सरकार द्वारा कोई खण्डन न किए जाने कारण रिपोर्ट के रोके गए हिस्सों के बड़े-बड़े अंश प्रतिदिन समाचार पत्रों में छप रहे हैं। तब क्या होगा ? स्थिति बड़ी अजीब हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं। मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती।

प्रो० मधु दंडवते : हमारी मांग है कि रिपोर्ट के वे अंश यहां रखे जाने चाहिए लेकिन वे संपादकों की मेज पर रखे जा रहे हैं। किंतु उन्हें एडीटरों की मेज पर रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता; मैं नहीं जानता। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों में उद्धरण छप रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता यह क्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्हें यह पता लगाने की चिंता नहीं है कि यह लीकेज कैसे हो रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको स्पष्टीकरण देने की सरकार की जिम्मेवारी है कि क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं स्थिति के अनुसार देखूंगा मैं नहीं जानता। मैं पहले से कुछ नहीं सोच सकता। मैं काल्पिनक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मुझे देखना है कि मेरे सामने क्या है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह। व्यवस्था रखिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने······कहा है, मैं क्षमा चाहता हूं और आशा करता हूं कि यदि अध्यक्ष पीठ ने कहा है कि मैं सदन में मनमानी कर रहा हूं तो उसके सहित इस भाग को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में सशर्त माफी नहीं होती। श्री सिंह मैंने न केवल आपको वरन् उस ओर के अन्य अनेक मित्रों को भी कहा है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, मैं अध्यक्ष-पीठ से क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। ध्यान रहे, मैं किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध गलत इरादे अथवा ऐसी कोई भावना नहीं रखता। मैं आप सभी सदस्यों को अपना गुरु, मित्र तथा साथी मानता हूं। कभी-कभी राय अलग-अलग हो सकती है किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे बीच फूट हो। मुझे इसमें विश्वास नहीं है। यह मेरी कुर्सी नहीं है। यह आपका स्थान है। किसी समय यहां कोई और भी बैठा हो सकता है। आज मैं बैठा हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह व्यक्तिगत रूप से मेरी है। जी, नहीं।

अब, सभा पटल पर रखे गए पत्र।

श्री बी० शंकरानन्द।

———

12.18 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं विधि और न्याय मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।
[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7646/89]

वित्त अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री ए० के० पांजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 129 (अ), जो 27 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 26 फरवरी, 1989 से 3 मार्च, 1989 तक भारत के दौरे पर आये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामहिम श्री जेवियर पेरेज द कुयियार तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 345 (अ), जो 8 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 7 से 10 मार्च, 1989 तक भारत के दौरे पर आये मंगोलिया की पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी सट्रल कमेटी के महासचिव महामहिम श्री जे० बेटमंख, ग्रेट पीपुल्स खुरल प्रीसिडियम के अध्यक्ष तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 316 (अ), जो 8 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 6 से 12 मार्च, 1989 तक भारत के दौरे पर आये सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य के उप-प्रधानमन्त्री महामहिम श्री वी० एम० कामेन्तसेव और शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 347 (अ), जो 9 मार्च, 1989 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9 से 10 मार्च, 1989 तक भारत के दौरे पर आये फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष महामहिम श्री यासिर, अराफात और शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश-यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7647/89]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 91(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 32/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय मोटर वाहनों के ईंधन दक्षता मानदण्डों को संशोधित करना है और इस अधिसूचना की वैधतावधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 92(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 31/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय मोटर वाहनों के ईंधन अधिसूचना की वैधतावधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 93(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 30/83-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनका आशय दो पहिया वाहनों के ईन्धन दक्षता मानदण्डों को संशोधित करना है और इस अधिसूचना की वैधतावधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 94(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 210/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनका आशय दो पहिया वाहनों के ईन्धन दक्षता मानदण्डों को संशोधित करना है और इस अधिसूचना की वैधतावधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 95(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 254/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय मोटर कारों के ईन्धन दक्षता मानदण्डों को संशोधित करना है और अधिसूचना की वैधतावधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 96(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 288/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनका आशय स्वचालित-संघटकों के निर्माण के लिए आयातित सांचों, औजारों, जिगों और जुड़नारों के संबंध में शुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 359(अ), जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भारत नेपाल व्यापार संधि, 1978 की

शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के चार और उत्पादों को मदों की सूची में जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7648/89]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 90(अ), जो 9 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 332/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनका आशय 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक ईंधन क्षमता वाले ईंधन दक्ष मोटर वाहनों के ईंधन दक्षता मानदण्डों को संशोधित करना है और इस अधिसूचना की वैधतावधि को 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7649/89]

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 119(अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7650/89]

(तीन) सा० का० नि० 370(अ), जो 20 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1988 की अधिसूचना सं० 5/88 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "1 मार्च, 1988" अंकों और शब्दों के स्थान पर "28 फरवरी, 1986" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7651/89]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, गोदावरी ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ;—

(एक) ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1982, जो 12 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3903 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) न्यू बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988, जो 4 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, 5005 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7652/89]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों को अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988, जो 10 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई० ई० एफ०/एच० आर० डी०/88/7342 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थलाय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7653/89]

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ;—

(एक) हिंडौन ग्रामीण बैंक (कर्मचारिवृन्द) सेवा विनियम, 1989

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7654/89]

(दो) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, कर्मकारिवृंद सेवा विनियम, 1985

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7655/89]

(तीन) अधिनियम ग्राम बैंक, बैंक कर्मचारिवृंद सेवा विनिमय।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सख्या एल० टी० 7656/89]

(4) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गोदावरी ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7657/89]

(दो) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7658/89]

(5) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7659/89]

उच्च न्यायालय में लम्बित मामले - एक नवीन आकलन विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं उच्च न्यायालय में लम्बित मामले-एक नवीन आकलन, के बारे में विधि आयोग के 124वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथलय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7660/89]

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7661/89]

व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर का वर्ष 1987-88 का प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1987-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7662/89]

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7663/89]

(5) (एक) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7664/89]

(7) (एक) खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7665/89]

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग—दस—फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1987 का प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग—दस—फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7666/89]

12.19 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था। और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के 'नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 के, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 1989 को बैठक में पारित किया गया था और सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

12.19½ म० प०

संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक,

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथाप्रमाणित, संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसे संसद की दोनों सभाओं ने पिछले सत्र में पारित किया था तथा इसे अनुमति प्रदान की थी इस संबंध में अंतिम सूचना सभा को 27 मार्च, 1989 को दी गई थी।

———

12.20 म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 30 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत अपने 15 वें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई :

1. श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	—30-11-88 से 16-12-88
2. श्रीमती डी० के० भंडारी	—3-11-88 और 4-11-88 और 15-11-88 से —16-12-88
3. श्री श्रीकांत दत्त नर सिंह राज वाडियर	—21-2-89 से 15-3-89
4. श्री एस० एस० रामा स्वामी पदायाची	—18-8-88 से 24-8-88 —2?-8-88 से 5-9-88 —2-11-88 से 4-11-88 —15-11-88 से 16-12-88 और —21-2-89-से 24-2-89
5. श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	—23-8-88, 29-8-88 से 5-9-88 —2-11-88 से 4-11-88 —15-11-88 से 16-12-88 और —21-2-89 से 7-3-89

6. श्री भाऊ साहिब थोरट —21-2-89 से 10-3-89

क्या यह सभा समिति द्वारा दी गई अनुमति देने के लिए सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

———

12.20½ म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 29 मार्च, 1989 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.21 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 3 अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में ठक्कर आयोग के अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदनों तथा इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन पर चर्चा।

(3) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

(क) ऊर्जा

(ख) मानव संसाधन विकास

(ग) विदेश

(घ) श्रम

(4) अफगान विद्रोहियों और पंजाब में आतंकवादियों के कथित संबंधों से उत्पन्न स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत अपराह्न बुधवार, 5 अप्रैल, 1989 को 4.00 बजे चर्चा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किया जाए :

राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित राजमार्गों को देश के लिए "राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे प्रणाली" के तौर पर प्रस्तावित किया गया है :—

1. दिल्ली—जयपुर—अहमदाबाद—बम्बई (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8)

2. आगरा—इन्दौर—नासिक—बम्बई (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20)

इन सड़कों पर व्यापारिक तथा पर्यटन यातायात की भारी भीड़ रहती है, यह राजस्थान के अधिकतर इलाके में जाने और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और वहां से आगे सम्पर्क के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है।

निवेदन यह है कि इन्हें अधिकतम प्राथमिकता दी जाए।

12.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

चौधरी अख्तर हसन (कैराना) : मैं सरकार का ध्यान खेतों में सिंचाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। मुख्य रूप से सिंचाई ट्यूबवैल व राजबाहों व नहरों द्वारा की जाती है। बिजली के ट्रांसफार्मर व लाइनें अधिक दिनों तक खराब रहने के कारण ट्यूबवैल अधिकतर बंद ही रहते हैं तथा दूसरी ओर राजवाहे द्वारा दिया जाने वाला पानी ऊपरी हिस्से में ही काट या रोक दिया जाता है, जिसमे राजवाहे के पानी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, जबकि आवपाशी उन्हें भी देनी पड़ती है। सिंचाई की इस अव्यवस्था में किसान इन दोनों तरफ से परेशान है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश की पूरी सिंचाई व्यवस्था में सुधारात्मक कदम उठाने पर शीघ्र बल दें।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : निम्नलिखित विषय कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

देश पंजाब की समस्या को सुलझाने के लिए उत्सुक है। सरकार जोधपुर के कैदियों को रिहा करने का दावा करती किन्तु अन्य मामलों में सरदार गुरचरण सिंह तोहरा तथा अन्य 78 व्यक्तियों को पुन: गिरफ्तार किया गया है। इससे सद्भावना का वातावरण बिगड़ गया है। सरकार को अकाली नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करना चाहिए और नवम्बर 1984 के दंगों के हत्यारों को दण्ड देने के लिए प्रभावशाली उपाय करने चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा दबाव नहीं होना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही पंजाब समस्या के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पिछले 32 वर्ष से लम्बित पड़ा हुआ है। बेलगाम, कारवाड़ और पास के ग्रामों में 15 लाख मराठी बोलने वाले अपने आपको महाराष्ट्र के साथ विलयन के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधान सभा ने इस क्षेत्र को महाराष्ट्र के साथ मिलाने के लिए विचारमत के पश्चात् सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया। इस मतभेद को दूर करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और यह काम दोनों राज्यों के मुख्य

मंत्रियों पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। चूंकि मराठी भाषी जनता को (कन्नड़) भाषा सीखने पर मजबूर किया जा रहा है जिससे असंतोष बढ़ रहा है। अतः इस समस्या को सुलझाने की आवश्यकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हमें बढ़ती हुई चिन्ताजनक मूल्य वृद्धि पर चर्चा करनी चाहिए जिससे जनसाधारण का जीवन संकटमय बन गया है।

दालों, सब्जियों, मांस, मछली तथा सार्वजनिक उपभोग की अन्य वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं। मांस का मूल्य पिछले छ: महीने से 2 रुपये प्रति किलोग्राम मास बढ़ता जा रहा है जिस कारण मार्च में इसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई।

सरकार को इस वृद्धि की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और इस स्थिति को काबू में लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

आज देश के उस क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम के होते हुए जनसंख्या अत्याधिक बढ़ रही है जहाँ एकदम अशिक्षित, पिछड़े हुए गरीब लोग निवास करते हैं। शिक्षित वर्ग की तुलना में उनमें सामान्य ज्ञान की अत्यन्त कमी है। ऐसी जगहों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, न कोई डाक्टर रहता है न कोई उसका स्टाफ। इस तरह पूरे अस्पताल बिना स्टाफ के बन्द पड़े हैं या कार्य नहीं हो रहा है। इन जगहों में परिवार नियोजन के बाद उनके बच्चों को कोई संक्रामक बीमारी आक्रमण करती है तो उन्हें बचाने के लिए समय पर और ठीक ढंग से इलाज की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसी जगह के निवासियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक उनके क्षेत्र में इलाज की पूर्ण आधुनिक व्यवस्था नहीं की जाती।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर पुनः इस कार्यक्रम में तबदीली हेतु राज्यों को निर्देश दें।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए।

देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक की ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लाखों युवक बेरोजगार हैं नेहरू रोजगार योजना की घोषणा से देश के बेरोजगार युवकों में नई आशा का संचार हुआ है, परन्तु इस योजना में वैसे युवकों को लाभ होगा जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं।

मेरा आग्रह है कि सरकार किसी ऐसी योजना की तलाश करे, जिसमें ऊंची शिक्षा प्राप्त युवकों को रोजगार का अवसर मिल सके।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पहला मुद्दा तो मैंने पहले ही उठाया था और अध्यक्ष ने इससे सहमति व्यक्त करने की कृपा की। अतः मैं अपना प्रथम मुद्दा छोड़कर दूसरा मुद्दा उठाता हूं।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि एक महत्वपूर्ण मामला अर्थात् भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे का मामला अभी पूरा नहीं हुआ है। साथ ही न्यायालय में सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच न्यायालय से बाहर सहमति और इसके संबंध में पहले निर्णय के बारे में नए आवेदन दायर किए गए हैं। यह चर्चा इसी प्रकार लम्बित नहीं रहनी चाहिए जिस प्रकार इस समय है।

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि भारतवर्ष दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और प्रतिवर्ष लगभग एक लाख भारतीय मुस्लिम यात्री हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। भारत सरकार द्वारा हज यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों पर हज कमेटियों का गठन कर हज यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का जो प्रशंसनीय कार्य किया गया है वह सराहनीय है परन्तु हाल ही में हज यात्रियों के लिए सऊदी अरब की सरकार द्वारा आवास आदि की व्यवस्था करने में असमर्थता प्रकट करने के कारण भारत सरकार द्वारा गठित हज कमेटी की तरफ से ठहरने की व्यवस्था की जाने लगी है जिसके लिए पन्द्रह सौ रियाल अर्थात लगभग छः हजार हज यात्रियों से वसूल किए जाते हैं जो अधिकांश हज यात्रियों के लिए असहनीय भार है और इसीलिए बहुत से लोग इस यात्रा से वंचित रह जाते हैं। यात्रियों ने यह भी मांग की है कि यदि यह शुल्क इतना ही लिया जाना है तो उसे स्वैच्छिक घोषित कर दिया जाए ताकि जो यह बोझ बर्दाश्त कर सके वह भुगतान करे और उनकी व्यवस्था कमेटी द्वारा की जाए और जो उसे न बर्दाश्त कर सके वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं वहन करें।

अतः सरकार मेरा अनुरोध है कि इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और उपरोक्त आवास शुल्क के रूप में टिकट के साथ वसूल किए जाने वाले पन्द्रह सौ रियाल की रकम स्वैच्छिक करार दे।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित मुद्दे अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाएं :—

कागज के मूल्यों में कागज मिलों द्वारा एकतरफा मूल्य-वृद्धि से देश के सहस्त्रों मुद्रक प्रभावित हुए हैं। मुद्रण उद्योग उपर्युक्त वृद्धि के होते हुए काम नहीं कर सकता है। चूने की मांड से बना हुआ कागज या श्वेत मुद्रण कागज का मूल्य सितम्बर 1988 से 12,400 रुपये से 17 हजार रुपये प्रति टन बढ़ गया है। कागज की अन्य किस्मों जैसे मैपलियो (मानचित्र अपमूलेख) और गूद के तख्ते (पलपबोर्ड) के मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आयात की अनुमति देनी चाहिए।

दूसरा, कर्नाटक को रामगुण्डम सुपर तापीय संयंत्र से बिजली मिल रही है। इस संयंत्र से मिलने वाली बिजली पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड प्रभावित हुआ है जो 10 पैसे प्रति यूनिट की दर पर सिंचाई पम्प सेटों को बिजली दे रहा है जो उत्पादन लागत से बहुत कम है। न राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार बिजली बोर्डों को कोई राहत दे रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को आदेश दें कि रामगुंडम सुपर तापीय संयंत्र से कर्नाटक को दी गई ऊर्जा पर शुल्क न बढ़ाएं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं आदरणीय सदस्यों की टिप्पणियां कार्य मंत्रणा समिति के नोटिस में लाऊंगा।

12.33 म० प०

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे—सरदार बूटा सिंह द्वारा 30 मार्च, 19:9 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। श्री बी० आर० भगत।

श्री बी० आर० भगत (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से सभा सरकारिया आयोग की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा कर रही है। सरकारिया आयोग ने केन्द्र-राज्य संबंधों के प्रश्न के तहत सभी पहलुओं पर बहुत मेहनत से गौर किया है और एक बहुत व्यापक रिपोर्ट पेश की है। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय संघवाद के लगभग चार दशकों—37 वर्ष या इससे थोड़ा अधिक कार्य करने के बाद भी संघवाद का आधारभूत ढांचा और अभिधारणा समय की वेदी पर खरी उतरी है और इसने इतना अधिक लचीलापन दिया हैं। इसमें नये परिवर्तनों की बात भी है जो कि समस्त विश्व में हुए परिवर्तनों की देखा-देखी हुए हैं। संघवाद में शासन व्यवस्था के संबंध में एक प्रवृत्ति सारे विश्व में है और यह केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति है—ऊपर ही ऊपर केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति। आधुनिक राज्य ने सक्रिय होकर कार्य करने से प्रतिरक्षा, औद्योगिकीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सारे धरातल पर फैलाने की कोशिश करती है; परिणामस्वरूप शक्तियों का केन्द्रीयकरण हो जाता है। परन्तु यह संविधान निर्माताओं की होशियारी और दूरदर्शिता है कि उन्होंने इसमें काफी लचीलापन रखा हुआ है और मैं उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं जो संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, भारत जैसे विभिन्न क्षेत्रीयता, भाषायी, जातीयता, धार्मिकता वाले देश में सभी प्रकार की विविधताओं को संघवाद के जरिये एक साथ जोड़कर रखा जा सकता है। भारतीय संघ की आधारभूत धारणा यह है कि एक शक्तिशाली केन्द्र तथा समान रूप से शक्तिशाली स्वायत्त शासी राज्य में सभी शक्तियों, शक्तियों का वितरण, चाहे वे विधायी हों या कार्यकारी हों या वित्तीय शक्तियां हों प्रदान की गई हैं ताकि भारतीय केन्द्र मजबूत बनें और साथ ही साथ राज्य स्वायत्त, पुनरुत्थानशील और जीवन्त बन सकें।

यह स्थिर रहने वाली राज्य स्वायत्तता नहीं है अपितु इसमें विभिन्न चीजें दी गई हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि संघवाद का असली दिन आएगा अर्थात एक दिन भारत में संघवाद सामने आयेगा। आज केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में एक पार्टी शासन है, एक राजनैतिक पार्टी है। परन्तु डा० अम्बेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आयेगा जब ऐसी स्थिति आयेगी जहां भारतीय संघवाद में केन्द्र पर एक राजनैतिक दल का शासन होगा और अधिकांश राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों का शासन होगा। और उस वक्त भारतीन संघवाद के कार्य की जरुरत होगी। यही उन्होंने सोचा था और इसके लिए काफी लचीलापन रखा था। उन्होंने लगभग सभी बातों का ध्यान रखा था। कोई भी भविष्य का ध्यान नहीं रख सकता है। कभी भी एक नई बात हो सकती है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। परन्तु उन्हें विश्वास था और वह इस सभा में बोले थे कि भारतीय संघीय व्यवस्था उन दिनों की वेदी पर भी खरी उतरेगी और वह समय आ गया है। सर्वप्रथम यह बात 1957 में सामने आई थी जब 8 राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छिन गई और केन्द्र में इसका शासन बरकरार रहा। अब, आज ऐसी स्थिति आई है कि कांग्रेस दल केन्द्र में शासन कर रहा है और कई दल कई

राज्यों में शासन कर रहे हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि डा० अम्बेडकर ने विभिन्न अनुच्छेदों के तहत संविधानिक मंच उपलब्ध किये हैं। सरकारिया आयोग ने संविधान के इस अनुच्छेद पर गौर किया है जो केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों के स्वरूप और शक्तियों के बारे में है। परन्तु मुख्य बात यह है कि यह जड़ अभिधारणा नहीं है। यह कोई ऐसे जड़ नियम नहीं है जिनके तहत उपबन्ध संवैधानिक कार्यकरण का मार्गदर्शन करें।

संविधान एक जीवन्त चीज है। राज्य एक जीवन्त चीज है राजनीति सजीव है। अतः इसके कार्यकारी, संचालन मापदंड, व्यवहार और मानक संविधान के सफल बनाने में काम आते हैं। यदि मैं एक शब्द का प्रयोग करूं जिसे सरकारिया आयोग ने प्रयोग किया है कि भारतीय संघ एक सहकारी संघवाद है तब इसमें मतभेद होने का कोई मतलब नहीं है। यह बात हमें दुख देती है जब हम यह देखते हैं कि जो लोग राज्य के शासन को चलाते हैं जो हर जगह बड़े-बड़े अधिकारियों के रूप में दलगत भावना का लिहाज किये बिना कार्य करते हैं उन्हें केवल इस परीक्षण और मानदण्ड से आंका जाना चाहिए। और यदि हम यह जांच करेंगे कि क्या वे अपने स्तर को बनाये हुए हैं क्या वे लोग योग्य और ऊंचे तबके के हैं, उच्च नैतिक व्यक्तित्व के हैं, क्या वे लोग सार्वजनिक भलाई के प्रति वचनबद्ध हैं, क्या ये लोग ऐसे हैं जो अपने विचारों में या अपने व्यवहार में देश की राष्ट्रीय एकता तथा देश के सार्वहित का भाव रखते हैं और पूरी भावना से कार्य कर रहे हैं तथा संविधान से अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और संघर्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा कहना है कि संघर्ष के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। भारत में विविधता में एकता वाली बात हमें महान भारतीय सभ्यता से विरासत में मिली है। शुरू से ही हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखते आये हैं, हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में विश्वास किया है और हमने यह स्वतंत्रता स्वयं को नहीं दी है लेकिन जो भी यहां आया है उसे हमने यह स्वतंत्रता दी है भारतीय सभ्यता के इन 5003 वर्षों का अपना ही महत्व है अपना ही संदेश है जो इस विश्व में बेजोड़ है। प्रत्येक क्रांति का अपना ही संदेश होता है फ्रेंच रिवोल्यूशन और ग्रेट अक्टूबर रिवोल्यूशन—परन्तु भारतीय क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का अपना ही महत्व है और संघीय अभिधारणा, संघीय ढांचा जो संविधान सभा के बनने के लगभग 2½ वर्ष या 3 वर्षों के बाद बना है और यह पिछले 35 वर्षों से अपनी परिपाटी, मापदंडों को लिए हुए है। यह दिखाना चाहती है कि हमारे पास नया, बेजोड़ मार्ग है और यह मार्ग जैसे कि मैंने कहा है चाहे आप इसे गांधीवाद कहिए या चाहे आप इसे अहिंसा कहें, हो सकता है यह अहिंसा अब भी मौजूद हो, हम यह कहते हुए प्रसन्न हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकार किया गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अहिंसा ही मार्ग निर्देश होना चाहिए। यह सारे देश में स्वीकार्य है। भारतीय क्रांति, भारतीय पद्धति और हमारी संस्थाएं चाहें यह संसद हो या राज्य विधान सभाएं हों या भले ही वह नई संस्था हो जिनका अब सुझाव दिया गया है और जिसके संबंध में संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है संसद को अब यह जानकारी होगी अब जो ढांचा होगा उसके अनुसार स्थानीय निकाय, जिला परिषद और पंचायत व्यवस्था होगी जिसमें शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और यह भारतीय क्रांति का उस तीसरा स्तर है। यह सब दिखाता है कि हम सब में सहनशीलता, संतुष्टि की भावना है न कि संघर्ष की और यहीं वह वास्तविकता है जिसे आप जानते हैं। जो भी व्यक्ति कतिपय दलगत स्वार्थों के लिए संघर्ष का अनुकरण करता है वह भारत के संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जा रहा है। वह राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध जा रहा है तथा वह राष्ट्रीय आंदोलन आजादी की भावना और

[श्री बी० आर० भगत]

संविधान की नई राजनैतिक व्यवस्था के विरुद्ध है, जो हमने इस देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कायम की थी।

इसलिए इस बात पर आते हुए हमें अब उन सिफारिशों की जांच करनी चाहिए जो इस आयोग ने की हैं। कई लोगों ने विचार व्यक्त किया है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। दो चरम सीमाएं आ चुकी हैं आप जानते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि केन्द्र—एक तरफ जब आप कहते हैं कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए तो दूसरी तरफ इस आयोग को सिफारिश की गई है कि केन्द्र की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए और केवल चार विषयों – विदेश, प्रतिरक्षा, मुद्रा और संचार तक ही सीमित रखा जाए। ये दो चरम सीमाएं हैं। पहले भी ऐसा था परन्तु इस बात पर विचार नहीं किया गया, परन्तु यह बात उठी और आयोग ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया था और स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस दिशा में कार्य नहीं कर रहे। ऐसा निर्णय करने पर यह आयोग कहता है कि विकास की मांगों के कारण केन्द्र राज्य संबंधों में कुछ और परिवर्तन लाने की गुंजाइश है क्योंकि किसी भी राजनैतिक पार्टी द्वारा शासित राज्य, अधिकाधिक संसाधनों की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं उनके पास संसाधनों की कमी है। कांग्रेस शासित राज्य भी यही बात कहते हैं। यहां तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी पहले इस संबंध में रिपोर्ट पेश की है। हमने इस तथ्य को मान्यता दे दी है कि राज्यों को गरीबी हटाने की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न भी यहां है। कई राज्यों को संसाधनों से काफी वंचित रखा जाता है और वे पीछे रह जाते हैं। अन्य अधिक विकसित हैं। कई राज्यों में अच्छे विकास के कारण उनके पास अधिक संसाधन हैं। अन्य राज्यों के पास कम हैं। ये सभी तथ्य हैं और हम इनसे आंखें नहीं फेर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हमें प्रसन्नता है कि सरकारिया आयोग ने इन प्रश्नों को लिया। मैं उनमें से कुछ को ही लेना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं—ने इन मामलों को उठाया है और कुछ इनका अनुसरण करेंगे और निश्चित रूप से मेरे प्रतिष्ठित साथी श्री सोमनाथ चटर्जी यदि वे बोले तो ऐसा ही करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं कल दो बार बोला हूं। पहला अनन्तरिम और दूसरा अंतिम था।

श्री बी० आर० भगत : इस अभिधारणा का ध्यान रखते हुए कि संघवाद मिलजुल कर कार्य करने या जड़, वैधानिक, संस्थागत, धारणा के बजाय एक कार्यकारी व्यवस्था अधिक है सरकारिया आयोग ने संविधान के कार्यकरण के लिए कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है।

मेरे विचार से उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव अनुच्छेद 258 में संशोधन करने का है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकार सौंपने की बात कही गई है। एक योजना पहले से ही विद्यमान है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार का तीसरा स्तर भी बनाया जाये। यह भी कहा गया है कि केन्द्र स्तर की तरह राज्य स्तर पर भी वित्तीय आयोग होने चाहिएं। जो राजस्व अन्तराल को पूरा करें। हमारे यहां दो निकाय हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग। केन्द्रीय वित्त आयोग पांच वर्षों बाद व्यय की पुनरीक्षा करता है और राजस्व अन्तराल को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाये इस बारे में सुझाव देता है। इसी तरह योजना निकाय जब राज्य की योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय आवश्यक संसाधनों की जांच करता है तो पूंजी अन्तराल

तथा संसाधनों के स्थानान्तरण का भी प्रावधान करता है। देश का विकास इस स्तर पर पहुंच गया है कि आज जिला स्तर पर प्रशासन पुन: एक व्यक्ति जिलाधीश के हाथों में केन्द्रित हो गया है। यहां तक कि सांसद और विधायक जो कुछ सिफारिश करते हैं उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता। अगर जिलाधीश अच्छे हैं तो वह उसे क्रियान्वित करते हैं अगर वह भ्रष्ट हैं तो कोई कार्य क्रियान्वित नहीं किया जाता। मुख्य मुद्दा यह है कि जिला प्रशासन होना चाहिए। जिला परिषदें हैं लेकिन इसे संघवाद के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर। यह सुझाव दिया गया है वित्त आयोग का गठन नियमित रूप से किया जाना चाहिए जिससे कि संसाधन न केवल केन्द्र से राज्यों को बल्कि राज्यों से जिला परिषदों को भी दिये जाएं। यहां निर्वाचित प्रणाली है।

मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान दिया है। वह अधिकतर जिलाधीशों के पास गये उनका कार्य देखा और उन्होंने नियमित पंचायतों, निकायों या जिला परिषदों के साथ बातचीत भी की है। इसे संसद के समक्ष लाने के लिए संवैधानिक संशोधन के रूप में सिफारिश की जायेगी इसी तरह यह सुझाव है कि केन्द्र-राज्य संबंध जटिल है। इस विषय की यही मुख्य समस्या है। अगर राज्य महसूस करते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो वे निराश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा अधिक समय तक नहीं होता। जो कुछ उन्होंने सुझाव दिया है उसकी हमें जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसे कहां तक लागू किया जा सकता है उदाहरण के लिए उन्होंने राज्यों की सहभागिता के बारे में सुझाव दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकारें संघ सरकार सहयोग से कार्य करें। इस बात का सुझाव दिया गया है। उन्होंने दो संस्थागत रूपों में सुझाव दिया है एक अन्तर्राज्य परिषदों के बारे में है। उन्होंने एक निकाय के गठन का सुझाव दिया है जिसमें छ: मुख्यमंत्रियों और छ: केन्द्रीय मंत्रियों और एक स्थाई समिति और एक औपचारिक सचिवालय आदि सम्मिलित हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि मूल मतभेदों को इस प्रकार के निकाय द्वारा निपटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए नदी जल विवाद लम्बे समय, 20 वर्षों तक चलते रहते हैं। नर्मदा परियोजना को स्वीकृति देने में कितने वर्ष लगे? गोदावरी और कावेरी के बारे में इस समस्या को सुलझाने में कितने वर्ष लगे? हमें नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए एक समय सीमा अर्थात पांच वर्ष या कुछ ऐसी समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए। लेकिन बहुत से मामलों में यह एक नियमित निकाय है, एक अन्तर्राज्य परिषद है, जो इस समस्या को सुलझा सकती है और जहां राजनीतिक और अन्य मतभेदों को दूर किया जा सकता है।

इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्रीय परिषदों के पुनर्गठन का सुझाव दिया है और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषदों के लिए विशेष सिफारिशें की हैं। इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। निस्सन्देह वे क्रांतिकारी प्रकार की नहीं हैं जिसे इस तरफ और उस तरफ से सुना जा सकता है। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं यह कहूंगा कि यह एक माध्यम है। उन्होंने इस माध्यम का सुझाव दिया है। मेरे विचार से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

वित्तीय अधिकारों को सौंपने के बारे में उन्होंने अनुच्छेद 269-270 और 272 का इस्तेमाल किया है उन्होंने सहायतानुदानों के बारे में अनुच्छेद 275 और 282 का इस्तेमाल किया है और ऋण के बारे में अनुच्छेद 293 का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि निगमित कर राज्यों को अन्तरित कर दिया जाये तथा प्राप्तियां और राजस्व भी उन्हें सौंपा जाये। उन्होंने पारेषण कर के बारे में सुझाव दिया है। वह बहुत महत्वपूर्ण बात

[श्री बी० आर० भगत]

है। पारेषण कर के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय विकास परिषद और आर्थिक परिषद के निर्माण के बारे में उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्हें अधिक कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। आज भी राज्य योजनाएं योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें अलग से कितने संसाधन दिये जाने चाहिएं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि यह पार्टी का मामला नहीं है। मैं जानता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। मेरे विचार से राज्यों को अपनी योजनाएं और अपने संसाधन स्वयं निर्धारित करने चाहिएं। यही सिफारिश की गई है। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद और आर्थिक विकास परिषद द्वारा सुलझाया जा सकता है और यह सिफारिश की गई है। उनका पहले ही गठन किया जा चुका है। इस सिफारिश पर भी विचार किया जा सकता है। इससे राज्यों और केन्द्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किये जा सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है। उस बारे में मेरे अपने विचार हैं। उस बारे में मेरे दृढ़ विचार हैं। वह राज्यपाल की भूमिका के बारे में है। वह अब बहुत विवादास्पद विषय बन गया है। मेरे विचार से राज्यपालों की भरमार हो जायेगी। मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि मैं सरकारिया आयोग से सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि कोई राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको व्यक्ति कहां से मिलेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुद्दा यह है कि किसी विवादास्पद राजनीतिज्ञ को नियुक्त नहीं करना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे ? आप यह कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन विवादास्पद राजनीतिज्ञ है और कौन नहीं है ? इसका पता आपको उसकी नियुक्ति के बाद ही लगेगा···(व्यवधान) मुझे नागालैंड राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में याद है, जो पिछली बार प्रस्तुत की गई थी। वह एक प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त जनरल हैं। उनकी रिपोर्ट के शब्द राजनीतिज्ञ की तरह नहीं थे। उनके शब्द स्पष्ट थे। उनका बोलने का, लिखने का तरीका यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसे सरदार बूटा सिंह द्वारा बनाया गया था। (व्यवधान)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : श्री सोमनाथ चटर्जी स्वयं एक विवादास्पद व्यक्ति नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हमें कतिपय मानदंडों का अनुसरण करने दीजिए। मैं एक बात से सहमत हूं। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे किसी अन्य राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। यही एक बात है। पिछली बार यह पंडित जी के समय के दौरान 1960 में हुआ था जब श्री अजीत प्रसाद जैन को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तब वे वापिस आये और उन्होंने चुनाव लड़ा। और यह (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री बी० आर० भगत को राज्यपाल के रूप में स्वीकार करूंगा।

श्री बी० आर० भगत : मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहता। संसद सदस्य होना सर्वाधिक सम्मान की बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें अपने राज्य के लिए राज्यपाल बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि राज्यपाल का पद संविधान में बहुत सम्माननीय पद हैं। उन्हें न केवल स्वतन्त्र रूप से निष्पक्ष और उद्देश्य परक रूप से कार्य करना होता है अपितु उन्हें ऐसा करने के लिए जाना जाता है। राज्यपाल प्रत्येक बात से ऊपर होना चाहिए जिससे कि वह अधिकारों पर नियंत्रण न करे। उनका पद अत्यधिक गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठा और सम्मान जनक है।

एक बार राज्यपाल का सम्मान खो जाता है तो उसका सब कुछ खो जाता है। मानदण्डों के अनुसार वह राष्ट्रपति की इच्छा से नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति निश्चय ही उनका मार्गनिर्देशन कर सकते हैं। लेकिन वे उनका लिखित रूप में मार्गनिर्देशन नहीं कर सकते। राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त किया जाए, उन्हें लोगों का सम्मान प्राप्त करने वाले कार्य करने चाहिएं – और यही बात न्यायाधीशों पर भी लागू होती हैं। अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाती है तो वे शीघ्र ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है।

हमारी न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय अन्तिम न्यायालय है। सामान्यतः हमारे देश में न्यायपालिका को विवाद से परे समझा जाता है, यह माना जाता है कि एक न्यायाधीश का कथन भगवान का कथन है। वह सच बोलता है और सच के अलावा किसी अन्य बात से प्रभावित नहीं होता है। यदि किसी न्यायाधीश की ऐसी प्रसिद्धि नहीं है तो सम्पूर्ण लोकतन्त्र नष्ट हो जायेगा। एक बात जिसे हम मान सकते हैं, यह है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाए। दूसरी ओर, जब उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की किसी आयोग में नियुक्त करने की मांग की जाती है तो उसके परिणामस्वरूप आयोग को अपना कार्य पूरा करने में कभी-कभी बहुत अधिक समय लग जाता है और एक आयोग की समाप्ति के बाद उसे दूसरे आयोग में नियुक्त कर दिया जाता है। इससे एक कुचक्र बन जाता है। मैं समझता हूं कि सामान्य मान्यताओं के बारे में कोई समझौता हो जाता है तो इन बातों को निपटाया जा सकता है।

अब भारतीय संसदीय प्रणाली के 37 वर्षों के इतिहास में भारतीय लोकतन्त्र ने ऐसे उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। हमारे सामने राष्ट्रपिता के आदर्श हैं और हमारी पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति के आदर्श है। मानव सभ्यता को इतना अधिक योगदान किस देश ने दिया है? और यदि हम स्वयं इन आदर्शों का पालन नहीं करते और स्वयं इनकी उपेक्षा करते हैं तो क्या होगा? क्या यह संभव नहीं है कि एक विशेष कानून बनाने के लिए सम्पूर्ण देश के नेता एक साथ बैठ जाएं? वास्तविक समस्या राजनैतिक संगठनों की प्रणाली की है। उदाहरणतया, चुनाव की बात को ही लीजिए। मैं इस बारे में प्रत्येक बात नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं आपको यह बता सकता हूं कि चुनावों के बारे में मैं यहां सबसे अधिक अनुभवी व्यक्ति हूं। मैंने पिछले सभी चुनाव लड़े हैं और मैं गत 40 वर्षों से इस सदन में हूं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि सभी दलों की एक सामान्य आचार संहिता होनी चाहिए। यदि आप एक पक्षीय अथवा प्रान्तीय लाभ उठाना चाहते हैं तो उससे राष्ट्रीय हितों का नुकसान होगा। यदि हमारी राजनैतिक प्रणाली और राजनैतिक दल उच्च जीवन मूल्यों, आदर्शों, सत्यनिष्ठा और देश की सेवा के लिए समर्पण के गांधीवादी स्तर को बनाए रखते हैं तो सम्पूर्ण कार्य चलता रहेगा। भारतीय राज्यों की कार्य प्रणाली के बारे में भी यही बात लागू होती है। हमारे देश

[श्री बी० आर० भगत]

की संस्थाओं में कार्यरत महान व्यक्तियों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनका अनुपालन अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। प्रसिद्ध कहावत है :

[हिन्दी]

"महाजना: येन गता सो पन्थ:"

[अनुवाद]

हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं तो उनका अनुगमन क्यों न किया जाए? इन सभी बातों को सम्मिलित क्यों न कर लिया जाए? मैं समझता हूं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सरकारिया आयोग ने कुछ समाधान सुझाए हैं। हम उन्हें अपना सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि सहकारी संघवाद कार्यकारी और संचालन स्तर पर जिस रीति से कार्य करता है, उसी से इसकी सफलता का निर्धारण होता है। हमें इसका अनुपालन करना चाहिए।

1.00 म० प०

श्री एम० बी० एम० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं डी० एम० के दल, जोकि केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार का समर्थन करने में अग्रणी है, के एक सदस्य के नाते, इस चर्चा में भाग लेने पर गर्व अनुभव करता हूं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा० करुणानिधि ने वर्ष 1969 में भारत वर्ष में पहली बार डा० पी० वी० राजामन्नार की अध्यक्षता में केन्द्र और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच करने और उनके बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। उस समिति के अन्य सदस्य मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी० चन्द्र रेड्डी थे।

राजामन्नार समिति, जैसा कि इसे सामान्यत: कहा जाता है, ने मई, 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मुख्यत: उस रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं, ने तमिलनाडु की विधानसभा में राज्य स्वायत्ता के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। विधानसभा में उस प्रस्ताव पर पांच दिनों तक चर्चा हुई थी और भारतीय इतिहास में पहली बार केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में संविधान में उचित संशोधन और परिवर्तन लाने के लिए 20 अप्रैल, 1974 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कई वर्षों तक किसी राज्य विधानसभा के ऐसे प्रस्ताव और देश के विभिन्न भागों से अन्य अनुभवी नेताओं की ऐसी मांग के बारे में विचार नहीं किया। राजामन्नार समिति ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों, दोनों के पास अपने कार्यकारी कार्यभार को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति होनी चाहिए। दोनों सरकारों की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिएं क्योंकि यदि राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा तो अन्य मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी। मैं इस वाक्य पर जोर देना चाहता हूँ।

इतनी अच्छी बात पर बिलकुल भी विचार नहीं किया गया। राजामन्नार समिति की रिपोर्ट

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भेज दी गई थी। रिपोर्ट की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि को दिनांक 22 जून, 1971 के अपने पत्र में इस प्रकार लिखा था।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : महोदय, यह चर्चा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बारे में है परन्तु वे राजामन्नार समिति की रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं।

श्री एन० बी० एन० सोमू : मैं इस बात पर आऊंगा। राजामन्नार आयोग सरकारिया आयोग का अग्रणी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे एक संगत बात कह रहे हैं और वे इसे उद्धृत कर रहे हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

श्री एन० बी० एन० सोमू : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के पत्र से उद्धृत करता हूं :

"प्रिय श्री करुणानिधि,

> मुझे आपका दिनांक 15 जून का पत्र मिला है जिसके साथ आपने मुझे केन्द्र राज्य संबंध जांच समिति की एक प्रति भेजी है। सम्भवतः आपकी सरकार इन रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस प्रश्न की जांच की है और पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि हमारे विचाराधीन है। यदि इस मामले के बारे में आपकी सरकार के दृष्टिकोण की भी हमें जानकारी दी जाती है तो उसे भी ध्यान में रखा जायेगा। ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और हम इन मुद्दों के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों की सलाह लेना चाहते हैं। आदर सहित, आपकी आभारी इत्यादि।".

परन्तु केन्द्रीय सरकार ने आगामी वर्षों में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। वर्ष 1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को उत्तर दे दिया गया था। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद के द्वितीय दौर में वर्ष 1983 में वर्तमान सरकारिया आयोग की नियुक्ति की।

न्यायमूर्ति सरकारिया की राय पर विचार करने से पहले मैं इस सम्मानित सदन के ध्यान में राज्य पुनर्गठन आयोग के विचारों को लाना चाहता हूं। कल भी किसी माननीय सदस्य ने इस समस्या को उठाया था। मैं राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :

> "क्षेत्रीयवाद की शक्तियों को एकजुट करने से ही राष्ट्रीय आन्दोलन का निर्माण हुआ था, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भाषाई इकाई के आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन करने के बाद ही इसका एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में विकास हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व के अन्तर्गत ही कांग्रेस ने यह समझा था कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने वाली शक्तियों ने ही क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी सहायता की थी जिसके परिणामस्वरूप अखंडता और राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ जिससे हमें अपनी आजादी पुनः प्राप्त करने में सहायता मिली।"

कल कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीयता के बारे में भी भाषण दिया है। भारत में भी सोवियत संघ, चीन और स्वीटजरलैंड इत्यादि की भांति बहुत सी राष्ट्रीयताएं हैं जिनकी अपनी अलग-अलग

[श्री एस॰ बी॰ एल॰ सोमू]

भाषाएं, संस्कृतियां, परम्पराएं और इतिहास हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक महाद्वीपीय भौगोलिक विस्तार है जिसमें विभिन्न राज्यों के विकास की स्थिति अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में राज्यों को भी संघीय इकाइयों के रूप में समझा जाना चाहिए जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की एकता और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि एक महान इतिहासकार प्रो॰ टोयनबी ने टिप्पणी की है:

"राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई आवृत्ति ने स्वयं को न तो परम्परागत सीमाओं से संलग्न किया है और न ही नये भौगोलिक संबंधों से अपितु स्वयं को एकमात्र रूप से मातृ भाषाओं से संलग्न किया है।" यहां मैं प्रो॰ के॰ सी॰ ह्वे को भी उद्धृत करना चाहूंगा:

"यह एक ऐतिहासिक बात है कि संघवाद ने एक ऐसे तरीके की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीयताएं अपना अलग-अलग अस्तित्व कायम रखते हुए समान राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करती है।" संघवाद में राष्ट्रीयवाद को कम से कम दो स्तरों पर व्यक्त किया जा सकता है, यह एकमात्र रूप से समरूप भाव नहीं है। परन्तु स्वतंत्रता के 40 वर्षों के बाद आज क्या स्थिति है? स्वयं सरकारिया महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं और जैसा कि श्री अप्पयू रेड्डी ने उद्धृत किया है और मैं भी इसे उद्धृत करना चाहूंगा:"

"इस कथन में काफी सच्चाई है कि अनुचित केन्द्रीकरण से केन्द्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है और राज्यों के अधिकारों में बहुत कमी हो जाती है। इसका अवश्यंभावी परिणाम है विकृति और अकुशलता। वास्तव में केन्द्रीकरण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता अपितु उन्हें और गम्भीर बना देता है।"

इससे उनके मुद्दे का सार स्पष्ट होता है। मैं इस सरकार से और विशेष रूप से गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि वे कब तक शक्ति के इस केन्द्रीकरण और अधिकारों में कमी की अनुमति देंगे। अब इस सरकार के सामने यही प्रश्न है। यह प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है।

भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एन॰ संजीवा रेड्डी ने एक समय कहा था:

"किसी भी विषय से अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है। संविधान उपलब्ध है। मुद्दा यह है कि संविधान में जिस संघीय ढांचे की परिकल्पना की गई थी उसमें कुछ कमी आई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्यों को नई अथवा अतिरिक्त शक्तियां दी जानी चाहिएं। मैं यह नहीं समझता कि बहुत से राज्यों का यही विचार है। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो ऐसा चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा प्रत्येक विभाग केन्द्र के अन्तर्गत आने चाहिएं, मानो केन्द्र के पास दिव्य-प्रतिभा सम्पन्न अधिकारी हैं जो कि इन सभी क्षेत्रों में जाकर उचित कार्यवाही कर सकते हैं...कुछ लोगों की गलत धारणाएं हैं।"

श्री रेड्डी कांग्रेस के एक पुराने और अनुभवी नेता थे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे भारत के राष्ट्रपति भी थे और उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। मैं आगे उद्धृत करता हूं:

"यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने, लगभग 20 वर्ष पहले, जब मैं मुख्यमंत्री था और उन्होंने

आंध्र प्रदेश का दौरा किया था, मुझे यह बताया था। 'रेड्डी महोदय, आपका राज्य मेरे राज्य से दूगना है।" परन्तु किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक स्वास्थ्य योजना अथवा एक वन विकास योजना जैसे छोटे से कार्य को भी आरम्भ नहीं कर सकता। केन्द्रीय अधिकारी ऐसा सोचते हैं कि उन्हें यहां से आकर ऐसे छोटे-छोटे कार्य भी करने हैं।"

अब मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसकी अनुमति देंगे अथवा इसे जारी रखने जा रहे हैं।

हम अनेक वर्षों से केन्द्र-राज्य संबंधों पर वाद-विवाद कर रहे हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है?

महात्मा गांधी ने केन्द्र-राज्य व्यवस्था के बारे में क्या सोचा था? मैं यह इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं संविधान सभा में श्री के० हनुमन्तैया का कथन उद्धृत कर रहा हूं :

"स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में हम कुछ सिद्धान्तों और विचारधाराओं के प्रति समर्पित थे जो हमें महात्मा गांधी ने सिखाई थीं और उन्होंने ही इन्हें प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी सुन्दर भाषा में पहली और अत्यधिक महत्वपूर्ण सलाह यह दी थी कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था व्यापक आधार वाली तथा पिरामिड की तरह की होनी चाहिए।"

कल मेरे कुछ मित्रों ने यहां पर मजबूत केन्द्र का समर्थन किया था वे मजबूत राज्य नहीं चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी सुन्दर भाषा में पहली और अति-महत्वपूर्ण सलाह यह दी थी कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था व्यापक आधार वाली और पिरामिड की भांति होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है :

"इसे निम्नतम स्तर से बनाया जाए और उच्चतम स्तर तक यह कम होता जाए।" लेकिन इसके एकदम विपरीत किया गया है। प्रान्तों और राज्यों द्वारा और लोगों द्वारा की गई पहल को छीनकर सभी शक्तियां केन्द्र में केन्द्रित कर दी गई हैं। बिल्कुल ऐसा संविधान तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और न ही उन्होंने ऐसा सोचा था।

लेकिन समस्या यह है कि आप महात्मा गांधी को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं।

महोदय, पहला और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अन्तर्राज्य परिषद गठित की जाए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यही इच्छा है। इससे सभी भारतीयों में भागीदारी की भावना उत्पन्न होगी।

राज्यपाल का पद ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था की उपज है। राज्यपालों की नियुक्ति का तरीका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुराना पड़ चुका है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने एक बार कहा था कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि यह सरकार पुराने नेताओं, प्रशासकों और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की सलाह का अनुसरण नहीं करती है। मुझे यही चिन्ता है।

अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 का उल्लेख करता हूं। केन्द्र में राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार, राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

[श्री एन० वी० एन० सोमू]

वह तो राज्य सरकारों पर मंडराता हुआ एक खतरा है। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हैं। यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को हटाना चाहे तो वह तुच्छ कारणों के आधार ऐसा तुरन्त कर सकती है। इसलिए, भारत के संविधान से अत्यधिक दुरुपयोग किये गये अनुच्छेद 356, 357, 360, 365 आदि को हटा दिया जाना चाहिए।

योजना आयोग को पूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के साथ एक संवैधानिक संस्था बनाई जाए। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं।

सिर्फ यही नहीं, बैंकिंग संस्थाओं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर केवल केन्द्र का नियंत्रण है। ये सभी संस्थाएं अन्तर्राज्य परिषद के अन्तर्गत लाई जाएं।

केन्द्र सरकार कॉफी, चाय, कपास, चीनी, तम्बाकू, कोयला और टी० वी० तथा रेडियो पर भी नियंत्रण रखे हुए है। इस प्रकार सुबह से रात तक केन्द्र सरकार का सभी चीजों पर नियंत्रण रहता है। मैं कहता हूं कि ये सब अन्तर्राज्य परिषद के नियंत्रण में लाया जाए। दूरदर्शन का दूसरा चैनल पूर्णतया राज्य सरकारों को आबंटित कर दिया जाए। प्रभारी मंत्री रह चुके श्री के० सन्थानम ने एक बार कहा था : आर्थिक मुद्दों पर एक निश्चित स्वतंत्रता और पहल के बगैर राज्य सरकारें हताश और शक्तिहीन हो जाएगी। संविधान सभा में 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृत हुए उद्देश्यों के प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि केन्द्र के पास कैबिनेट मिशन द्वारा इसे दी गई तीन शक्तियां—रक्षा, विदेशी मामले और संचार ही रहने चाहिएं और संघ के 'राज्य स्वायत्तशासी इकाइयां' होंगे, और केन्द्र को उपरोक्त तीनों शक्तियां देने तथा केन्द्र को दी गई शक्तियों से उत्पन्न उन शक्तियों के अतिरिक्त सभी अवशिष्ट शक्तियां इन राज्यों के पास होंगी। मेरा सुझाव है कि संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्यों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए केन्द्र-राज्य संबंधों का एक स्थाई समाधान किया जाए। मैं डा० चन्द्रपाल को उद्धृत कर रहा हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था "राज्य स्वायत्तता की मांग राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया या राष्ट्रीय अखंडता के बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं है। बल्कि यह तो आवश्यक है। इस समय आवश्यकता 'एकता' की है, 'एकरूपता' की नहीं है। एकता में अनेकता को अनुमति दिये बिना अनेकता में एकता कायम नहीं की जा सकती है। 'अनेकता' को नष्ट करने का कोई भी प्रयास खतरनाक परिणामों से पूर्ण है और इससे अंततः देश का विघटन हो जायेगा और इसके छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएगे।" इन सभी मुद्दों के लिए संविधान का उपयुक्त संशोधन ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार, संविधान सभा एक 'सीमित सभा' थी। इसलिए ऐसी सभा द्वारा निर्मित संविधान की उपयुक्त रूप से समीक्षा हो और इसमें संशोधन किया जाए, केवल तभी केन्द्र-राज्य संबंध कायम हो सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० बी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारिया आयोग ने वास्तव में एक अत्यंत सराहनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा एक शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ के रूप में मैंने इसका अत्यंत ध्यान से अध्ययन किया है। प्रतिवेदन पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको कोई समाधान दे सकूंगा जो मैं अपने उन मित्रों को सुझा सकता जो कि स्वायत्तता, पृथकता के लिए चिल्ला रहे हैं और हर तरह के नारे लगा रहे हैं।

श्री एम० वी० एम० सोमू : महोदय, मैंने पृथकता के लिए नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ स्वायत्तता के लिए कहा था।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूं। मेरा डी. एम. के. या ए. आई. ए. डी. एम. के. से कोई सरोकार नहीं है। ···(**व्यवधान**)··· अब मुझे बताइये कि क्या आपने पंजाब में पृथकता, खालिस्तान और अन्य बातों के बारे में सुना है। मैं पंजाब के बारे में कह रहा हूं। सदस्यों ने राज्यपालों के कार्य और अधिकारों, मुख्यमंत्रियों तथा अन्य विषयों के बारे में कहा है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में अन्य अवसरों पर व्यक्त किए गए विचारों और विभिन्न न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सदैव, जब भी एक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश भेजते हैं तो हम मंत्रिमंडल को भंग किये जाने, राज्यपालों के गलत कार्य या किसी मंत्रिमंडल को गलत रूप से हटाने और फिर एक अवधि के बाद कुछ और लागू करने जैसी अनेक समस्याओं का सामना करते रहे हैं। जब मैं इस सभा का पीठासीन अधिकारी था और बाद में भी अध्यक्षों के सम्मेलनों में विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए हैं कि जब तक बहुमत या अल्पमत का परीक्षण न हो जाए, कोई मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं किया जा सकता है या राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है। वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब किसी पार्टी के बहुमत का परीक्षण हो तो वह सभा में ही किया जाए। आप इस परीक्षण को सभा में ही करें। मैंने देखा है कि पंजाब में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन हुआ है। मैं वहां अध्यक्ष रहा हूं और काफी समय मंत्री भी रहा हूं। जब मैं यहां आया तो मैंने दूसरा पक्ष भी देखा। विभिन्न राज्यों से सभी तरह के सुझाव आते हैं, कभी राज्यपाल एक पार्टी के बहुमत पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुमत खो दिया है और दूसरी पार्टी कहती है नहीं, उन्होंने बहुमत नहीं खोया है। ऐसा अनेक बार हुआ है।

भारतीय संघीय व्यवस्था की बुनियादी समस्या यह है कि हमारे यहां एक विशिष्ट व्यवस्था है। मैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का छात्र हूं। संघवाद सिर्फ एक प्रकार का ही नहीं है जैसाकि हम अपने देश में देखते हैं। यह विभिन्न प्रकार का है। यह सोवियत संघ में भी है। आपके यहां एक ही प्रकार की संघीय व्यवस्था, गणराज्य, स्वायत्त क्षेत्रों आदि में विभिन्न राष्ट्रीयताएं समायोजित हैं और ये पूर्णतया सफलतापूर्वक चल रही हैं। कुछ लोग मुझसे इनकी सफलता का कारण पूछते हैं। उनकी अनेकता में एकता का रहस्य यह है कि वे एक एक पार्टी विचारधारा के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं। हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है और हमारे यहां भिन्न-भिन्न विचारधाराओं तथा राजनैतिक विचार रखने वाले लोग हैं। कनाडा, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में हम दूसरी तरह का संघवाद देखते हैं।

हमारा भारतीय संवैधानिक प्रणाली वेस्ट-मिनिस्टर संवैधानिक प्रजातंत्रीय प्रणाली के अनुरूप है। अब हमने इंगलैंड से एक व्यवस्था की नकल की है जो कि अपने आप में एक एकात्मक सरकार है। उनकी संघीय व्यवस्था नहीं है। हमारा एकात्मक देश नहीं है फिर भी हमने उनके संविधान, उनके इतिहास और उनकी परम्पराओं का अपने देश में आयात किया है। हमने इसे समझने और अपनी संघीय व्यवस्था में इसे लागू करने की कोशिश की है जिससे एक अनुपम संघीय व्यवस्था कायम की जा

[डा० बी० एस० ढिल्लों]

सके, जहां हम यह कह सकें कि हमारी एक संघीय व्यवस्था हो लेकिन सही तौर पर हमारी एक एकात्मक व्यवस्था है जैसा कि विपक्ष के हमारे मित्र श्री सोमू ने कहा है।

मैं कनाडा में दो साल रहा हूं। वहां के राज्य ज्यादा शक्तिशाली हैं। वहां के उप-राज्यपाल की कार्यशक्तियां काफी विस्तृत हैं। चुनाव प्रक्रिया के कारण वे बिल्कुल ही विवादास्पद नहीं होते हैं। ऐसी ही स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की है। लेकिन आस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। इस तरह हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अनेक चीजों का मिश्रण है। जिसमें से कुछ इंग्लैंड से, कुछ कनाडा और कुछ आस्ट्रेलिया से लिया गया है जो कि वेस्ट-मिनिस्टर व्यवस्था पर कायम है। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सम्बन्ध है, तो इसे हमने अमेरिका से लिया है जहां उप-राष्ट्रपति सिनेट का अध्यक्ष होता है। अतः हमें ऐसे समतुल्य मामले यदाकदा ही मिलते हैं जिनके द्वारा यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम यह निर्णय ले सकते हैं कि उसका समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगर समकक्ष वस्तुएं हैं तो हम उसका अध्ययन कर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी यह व्यवस्था अच्छी तरह काम कर रही है। इसमें काफी लचीलापन है।

मेरे मित्र श्री सोमू ने, शायद गुस्से से कहा है कि अनुच्छेद 356, 357, 357 और इसी तरह के दूसरे अनुच्छेदों को रद्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये हमारी संघीय व्यवस्था का सार है क्योंकि उन पर देश की एकता निर्भर करती है। ये मूल अनुच्छेद हैं और अगर आप इन्हें रद्द करते हैं तो इसके स्थान पर क्या लायेंगे? उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मेरे विचार से यह हमारे देश के मूल अनुच्छेद हैं और देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

महोदय, केन्द्र और राज्य के बीच राज्यपाल एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आयोग ने राज्यपाल के लिए कुछ अर्हताएं निश्चित की हैं। आयोग का यह मत था कि राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच मंत्रणा होनी आवश्यक है, साथ ही वह राज्य को मान्य होना चाहिये। इसी प्रकार, रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि जब भी राज्यपाल किसी प्रकार की रिपोर्ट केन्द्र को भेजता है तो वह मुख्यमंत्री को दिखाई जानी चाहिये। जब राज्यपाल किसी स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन और मूल्यांकन करता है तो उसे अपने इस अध्ययन, स्पष्टीकरण और सुझावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिये, ताकि प्रति माह एकतरफा रिपोर्ट, राज्य सरकार के ध्यान में लाये बिना भेजनी चाहिये। सरकारिया आयोग ने इस सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि इस रिपोर्ट का दोनों पक्षों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिये।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है तो वहां स्थिति इतनी खराब है कि वहां से हमें सिर्फ एक ज्ञापन मिला है लेकिन विभिन्न अकाली प्रतिनिधियों द्वारा आयोग के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। अकाली अपने आनन्दपुर साहिब के पुनः समाधान के लिये स्वायत्त शासन की मांग पर बल दे रहे हैं। हम इस स्वायत्त शासन को अच्छी तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय, पिछले वित्त मंत्री जो कि पहले भी वित्त मंत्री थे, ने कहा था कि वे राजस्व सम्बन्धी स्वायत्त शासन चाहते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह राजस्व सम्बन्धी स्वायत्त शासन क्या है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कभी भी कोई सुझाव पेश नहीं किया गया। यह उनके पास अच्छा सुअवसर था जिससे वह आयोग

को स्वायत्त शासन के बारे में बता सकते थे। यह राजस्व सम्बन्धी शब्द अर्थहीन है। आयोग की रिपोर्ट में इसका कहीं वर्णन नहीं है। अगर वे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिये उत्तरदायी न हो —चाहे वह योजना आयोग हो या फिर वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री —कि सभी तरह के वित्त के मामले वित्त मंत्री पर पूर्णतया निर्भर करे, ऐसा स्वायत्त प्रदान करना मुश्किल होगा। इस शब्द को मैंने पहली बार सुना है लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से इसे वहां होना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं तो कुछ विभाग, सविभाग जो कि पहले केन्द्र के पास थे, स्थितिनुसार उन्हें राज्य को दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ कृषि जो कि एक राज्य का विषय है, कृषि मंत्री होने के नाते, मैंने आयोग के समक्ष भी कहा था कि कृषि मंत्रालय के अनुसंधान, वित्त, आयात-निर्यात और बीजों की किस्मों को उन्नत करने का मामला राज्य सूची में होना अर्थहीन है। यही कारण है कि कभी-कभी इस प्रकार की व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। यह खराब नहीं है। जहां तक पूर्ण राष्ट्र की मांग का प्रश्न है तो इसमें कोई हानि नहीं है कि इस विषय को समवर्ती सूची में रखा जाये।

मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरे विपक्ष के दोस्तों ने भी मुख्य अखबारों में कृषि आयकर के बारे में लेख देखे होंगे। यह एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। इस आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर इस तरह कृषि आयकर की अवधारणा को स्वीकार किया गया तो राज्य को कुछ उत्पाद और दूसरे कर करों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आपको एक ओर फायदा होता है और दूसरी ओर नुकसान तो इसे स्वीकारने में कोई औचित्य नहीं है। कृषि के ऊपर आयकर एक संवेदनशील विषय है और केन्द्र सरकार को इसे सभी राज्यों और अन्य हितों पर गम्भीर रूप से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिये। हमने पंजाब के कुछ नेताओं और कुछ दलों से यह जानने की कोशिश की है कि उनकी मांग क्या है। उन्होंने कहा है कि, "ठीक है। हम सब संविधान के अन्तर्गत काम करने के लिए तैयार हैं।" तत्पश्चात वे विभिन्न अवधारणाओं की पुर्नस्थापना जैसे संविभागों के बंटवारे का जिक्र करने लगे। 1935 के अधिनियम के बाद, दो साल तक इस पर कार्यवाही की गई कि भारत के लिए किस प्रकार का संघवाद उपयुक्त होगा। सभी दलों से विचार करने के बाद खूब सुझाव दिया गया, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि विदेशी मामले, रक्षा, संचार, मुद्रा इत्यादि केन्द्र सरकार के पास होनी चाहिये तथा बाकी सब राज्य के पास।

इसी समय युद्ध छिड़ गया। यह विषय फिर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट कमेटी के साथ उठाया गया। उन्होंने भी वही आधार अपनाया और उपरोक्त चारों विषय केन्द्र को देने और बाकी राज्य को देने की पेशकश की। लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने दूसरे कुछ दोस्तों को उद्धृत किया जबकि मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू को ही उद्धृत करता हूं जिनका जिक्र उन्होंने दिसम्बर, 1946 में किया था। उन्होंने इन चार विभागों का वर्णन तो किया था पर उन्होंने अवशिष्ट शक्तियां और दूसरे विषयों के बारे में कुछ नहीं कहा —उन्होंने सिर्फ कहा, "और सभी, स्वायत्त के आधार पर"। बाद में डा० अम्बेडकर के प्रयत्नों के कारण इन अवधारणा को छोड़ना पड़ा और मजबूत केन्द्र साथ-साथ इन चारों विषयों की अवधारणा तथा अनेक आय शीर्षों का बंटवारा, अनेक दूसरे विषयों के साथ वर्तमान संघीय-व्यवस्था लाई गई।

मुझे इस बात की अत्यधिक खुशी है कि सरकारिया आयोग ने इस संघीय व्यवस्था को बरकरार रखा जिसे हमने अपनाया था। हाइपरटेंशन या ब्लडप्रेशर या एनीमिया एक तरफ है मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा दूसरी ओर है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : एकता में अनेकता की धारणा अब नहीं है वैसी जैसी संविधान निर्माण के समय थी। एक ओर अनेकता में तो वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर एकता में कमी आई है। मैं सोचता हूं कि अगर आप एनीमिया को एक तरफ से हटाकर दूसरी ओर करते हैं और कहते हैं कि हम ब्लडप्रेशर से ग्रसित हैं तब ब्लडप्रेशर दूसरी ओर आयेगा और एनीमिया इस ओर आ आयेगा··· (व्यवधान) हम ऐसी स्थिति पर पहुंच चुक है। इसके परीक्षण के लिये गहन प्रयत्नों की जरुरत है। इसमें संविधान संशोधन की जरुरत नहीं है। यह प्रश्न है अनेकता की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहन रूप से विचार करने का और यह केवल इसलिए नहीं किया जायेगा कि दूसरों के द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाता है। यह समय की मांग है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी पुरानी संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनर्गठन की मांग कुछ समय से राष्ट्रीय सूची में है और आज हमारे सामने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है। लेकिन मैं पाता हूं कि जब कभी भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की चर्चा की जाती है इसमें दो त्रुटियां रह जाती हैं। प्रथम तो यह है कि जब और राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग करता है तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है मानो राज्यों को अधिक अधिकार देने का अर्थ केन्द्र को कमजोर बनाना होगा अथवा वे जो प्रशासनिक या वित्तीय क्षेत्र में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देकर केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के पुनर्गठन का समर्थन करते हैं उनका उद्देश्य केन्द्र को कमजोर बनाना होता है।

द्वितीय त्रुटि जो बिल्कुल निश्चित मालूम होती है यह है कि मानो यह कांग्रेस और विपक्ष अथवा केन्द्र में सत्तारूढ़ दल और राज्यों में सत्तारूढ़ विपक्षी दलों के बीच का संघर्ष हो।

मैं इसे सही नहीं मानता हूं। वे जो राज्यों के लिए अधिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, एक कमजोर केन्द्र नहीं चाहते हैं। मैं एक कमजोर केन्द्र नहीं चाहूंगा। निश्चित रूप से 'केन्द्र' शब्द नहीं है क्योंकि संविधान में 'केन्द्र' शब्द का उपयोग नहीं हुआ है बल्कि 'राज्यों के संघ' शब्द का उपयोग किया गया है लेकिन जैसा कि आम बोल-चाल की भाषा में 'केन्द्र' शब्द का उपयोग किया जाता है, मैं भी उसी शब्द का उपयोग करूंगा। यदि केन्द्र कमजोर हो जाता है तो निश्चित रूप से राज्य भी कमजोर बन जाएंगे। लेकिन यदि राज्य कमजोर पड़ जाते हैं तो केन्द्र कभी मजबूत नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध की तुलना एक शरीर से की जा सकती है। यदि केन्द्र हृदय है तो राज्य बाकी अंग है। यदि हृदय काफी मजबूत हो और बाकी अंगों में लकवा मारा हुआ हो तो शरीर कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। समान रूप से यदि हृदय कमजोर हो तो शेष अंग कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। अतः प्रशासनिक क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में सामन्जस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध की यह समस्या नई नहीं है। राजनैतिक सूची में यह समस्या वस्तुतः 1967 तक नहीं आई यद्यपि 1959 में कुछ समस्याएं हुई थीं जब संविधान के अन्तर्गत धारा 356 का प्रयोग कर ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद की प्रथम कम्यूनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। वर्ष 1667 तक मुख्य रूप से यही कारण था कि एक ही दल केन्द्र और राज्य दोनों जगह सत्तारूढ़ था और दूसरा कारण यह था कि राज्यों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो केन्द्र के नेतृत्व के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर सकते थे। उदाहरण के तौर पर गोपीनाथ बारदोलोय बी० पी० चालीहा, विधानराय ऐसे व्यक्ति थे जो जवाहरलाल को उनके प्रथम नाम से सम्बोधित करते थे, सम्पूर्णानन्द, जी० बी० पन्त, कामराज, वाई० बी० चव्हाण बड़े ही प्रतिभावान राजनीतिज्ञ थे जिनकी बातें केन्द्र में बहुत प्रभावकारी हुआ करती थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनैतिक कुप्रक्रिया के कारण

1967 के बाद कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति राज्यों में नहीं आया और इस कारण राज्यों के लोग अपमानित महसूस करते हैं। तुलगु देशम की तरह के दल का आंध्र प्रदेश के राजनैतिक वातावरण में आने का क्या कारण है ? असम गण परिषद की तरह के दल का असम में आने का क्या कारण है ? इन कुछ बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1977 में करीब-करीब पूरे देश में कांग्रेस दल की हार हो चुकी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से 41 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1977 में जो कांग्रेस के लिए पूर्ण आहुति का वर्ष था, असम की 14 सीटों में 10 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। क्या कारण है कि तेलगु देशम एक बड़े दल के रूप में अचानक उभर कर आ गया ? इसका कारण है कि लोगों के आत्मगौरव को ठेस लगी, लोगों ने महसूस किया कि यदि छोटी-छोटी बातों के लिए भी मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़े और केन्द्र के निर्देश में काम करना पड़े तो उनका अपना व्यक्तित्व व्यर्थ है और लोगों ने ऐसी सरकार की कामना की जो लोगों को यश और सम्मान प्रदान कर सके। यह सम्मान भारतीय लोगों का एक स्वाभाविक गुण है और जब तक कि हमारा राजनीतिक सम्बन्ध इस बात पर आधारित न हो जिसमें कि इस देश को चलाने की प्रक्रिया में यह मुद्दा प्रदर्शित न हो, इस सम्बन्ध में तनाव पड़ जायेगा और मैं नहीं समझता हूं कि देश प्रगति कर पायेगा। द्वितीय कारण यह है कि इतिहास ने पूर्णतः यह प्रमाणित कर दिया है कि उदार रवैये के कारण देश खण्डित नहीं हुआ है बल्कि देश तभी खण्डित हुआ है जब अधिक केन्द्रीकरण हुआ। हमारे इतिहास के सबसे वैभवशाली दिन अशोक या अकबर के समय रहे जब उदारवाद था और औरंगजेब के समय देश खण्डित हो गया, जो इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब एक भ्रष्ट शासक था, बल्कि इस लिए हुआ कि उस वक्त बहुत अधिक केन्द्रीकरण था। वास्तव में सरकारिया आयोग ने भी इस बात पर ध्यान दिया है। अपने रिपोर्ट के पेज 5 पर इस मुद्दे पर चर्चा करते वक्त इसमें कहा गया है :

> "भारत के इतिहास का अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मौर्यों से लेकर मुगलों तक विभिन्न साम्राज्यों के प्रान्तों और स्थानीय सरकारों को काफी अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार के कथनानुसार "प्राचीन साम्राज्यों में प्रत्येक प्रान्त का अपना अलग अस्तित्व था और उसमें पुरानी चिरपरिचित शासन प्रणाली के अनुसार शासन चलाया जाता था। (यद्यपि केन्द्रीय शक्ति के एजेंटों के अधीन शासन कार्य चलाया जाता था) और इनमें अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था।" जब कभी किसी अतिमहत्वाकांक्षी सम्राट ने स्थानीय स्वायत्तता का दमन करके केन्द्रीकरण का प्रयास किया तब उस प्रान्त के लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया। इस प्रकार का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण न केवल अनुशासनिक दृष्टि से हानिकर सिद्ध हुआ अपितु इसका एक प्रतिकूल परिणाम यह भी हुआ कि उप-राष्ट्रीय शक्तियों पर स्थिरतापूर्वक और स्थायी आधार पर नियंत्रण बनाये रखने की केन्द्र की क्षमता भी कम हो गई।"

यदि आज हम अपने देश का निरीक्षण करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि अत्यधिक केन्द्रीकरण ने ही वास्तव में विघटनकारी शक्तियों को जन्म दिया है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में यदि लोगों को वैभवशाली होना है, यदि हमारी योजनाओं की कार्यप्रणाली में तेजी लानी है, यदि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खर्च की जा रही राशि को आम जनता तक पहुंचाना है, तो यह सिर्फ शक्ति के विकेन्द्रीकरण द्वारा ही सम्भव हो सकता है और यहां मैं कहूंगा कि

[श्री दिनेश गोस्वामी]

जब मैं केन्द्र-राज्य सम्बन्ध की बात करता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्ध से नहीं है। यदि वहां सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यह सम्बन्ध निश्चित रूप से आगे भी बना रहना चाहिए। स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को लेकर भी एक सम्बन्ध बना रहना चाहिए। यही कारण है कि शायद गांधी जी गांवों को पूर्ण स्वायत्तता दिये जाने की बात करते थे और ग्राम पंचायतों पर वे विशेष बल देते थे। लेकिन कोई भी इन पहलुओं की गहराई में और इस प्रकार का वाद-विवाद विस्तृत रूप से नहीं कर सकता है और इसलिये मैं कुछ विशेष मुद्दों का जिक्र करूंगा जिन पर आज शायद विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सबसे पहले प्रशासनिक सम्बन्धों को लिया जाए। स्पष्ट है कि धारा 356, यह धारा है जिसके अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, इस धारा की चर्चा सभी वक्ताओं द्वारा की गई है। संविधान सभा में जब इस धारा पर वाद-विवाद किया जा रहा था तो अनेक वक्ताओं ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इस धारा का गलत उपयोग किया जायेगा और संवैधानिक रूप से निर्वाचित राज्य विधान परिषदों को बर्खास्त करने के लिए इसका उपयोग किया जायेगा। इस वाद-विवाद का उत्तर देते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे वहां रखा गया है। उनका दृष्टिकोण था कि इसे कार्यरूप में नहीं लाया जायेगा। मैं पुनः सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं जब इसने डा० बी० आर० अम्बेडकर के विचारों की चर्चा की, जिसमें कहा गया है, "वास्तव में मैं उन भावनाओं से सहमत हूं कि इस धारा का दुरुपयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिये किये जाने की सम्भावना है।" लेकिन फिर उन्होंने कहा, "इन धाराओं का प्रयोग कभी नहीं किया जायेगा और वे अप्रचलित नियमों की भांति पड़े रहेंगे।" लेकिन सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किये जाने के तुरन्त बाद 1953 में 'पेप्सू' में राष्ट्रपति शासन की परिचर्चा में भाग लेते वक्त डा० अम्बेडकर ने सरकार द्वारा पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की कड़ी आलोचना की थी। स्वयं सरकारिया आयोग ने अनेकों बार ऐसे उदाहरणों की चर्चा की है जब धारा 356 का दुरुपयोग किया गया है अथवा कांग्रेस दल के आंशिक कलहों को निपटाने के लिये इसका दुरुपयोग किया गया है। मेरा निजी विचार है कि सिर्फ राज्यों में ही संवैधानिक व्यवस्था ठप्प नहीं हो सकती है वरन् केन्द्र में भी संवैधानिक व्यवस्था ठप्प हो सकती है।

किन्तु यदि केन्द्र में संविधानिक व्यवस्था ठप्प पड़ जाती है या यदि संघ सरकार असंविधानिक तरीके से कार्य करती है तो राष्ट्रपति शासन का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि ये सब बातें अन्ततोगत्वा पांच वर्ष के बाद लोगों के निर्णय पर छोड़ दी जानी चाहिएं कि क्या वह सरकार जिसने असंविधानिक तरीके से कार्य किया है या संविधान के टुकड़े-टुकड़े किए हैं, सत्ता में रहनी चाहिए या नहीं और मेरा विश्वास है कि जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, एक मामले को छोड़कर कि यदि किसी भी दल को विधानमंडल का विश्वास प्राप्त न हो या कोई भी दल राज्य पर शासन करने की स्थिति में न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात सोची जा सकती है, यही सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए।

अन्य सभी मामलों में मेरा निवेदन यह है कि राज्यों को अपने पूरे कार्यकाल तक शासन करने का अधिकार होना चाहिए और यह बात लोगों के निर्णय पर छोड़ दी जानी चाहिए कि क्या राज्य

सरकार की कारंवाई ठीक रही है या नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने कई बार अनुच्छेद 356 के अधीन दिए गए केन्द्र सरकार के निर्णय को अस्वीकार किया है और इस संबंध में आंध्र प्रदेश का उदाहरण सबसे उत्तम उदाहरण है। जब एन० टी० आर० की सरकार को गिराया गया तो लोगों ने भारी बहुमत से एन० टी० आर० को वापस बैठा दिया। संविधान का वास्तव में किसने उपहास किया, किसने वास्तव में असंविधानिक रूप से कार्य किया है? यह कार्य केन्द्र सरकार ने किया है। किन्तु केन्द्र सरकार को, जिसने असंविधानिक रूप से कार्य किया है, बाहर नहीं फेंका गया। इसे पांच वर्ष के लिए पूरे अधिकार दिये गये हैं और अन्ततोगत्वा पांच वर्ष के बाद लोग इसका निर्णय करेंगे। मेरा विश्वास है कि यही सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन भी लागू होना चाहिए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि जहां तक विधेयकों का संबंध है, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिनके अन्तर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यदि राज्य विधान सभा को सूची-दो के अन्तर्गत उल्लिखित विषय के संबंध में कानून बनाने का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार है तो सूची के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधान को भारत सरकार या राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। हमें शक्तियां दी गई हैं और सरकारिया आयोग ने भी ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं जहां विधेयक 12 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति के पास विचारार्थ पड़े रहे हैं। अब, यदि विधेयक राष्ट्रपति की फाईल में 12 वर्ष तक पड़े रहे तो विधेयक पारित करने के क्या उद्देश्य हैं? मेरे विचार में उस प्रावधान को जिसमें राज्यपाल को बिना किसी मार्गदर्शन के विधेयक भेजने की अनुमति दी गई है, उस प्रावधान को हटाया जाना चाहिये। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं कि उस मामले विशेष में जहां विधेयक संविधानिक प्रावधान को प्रभावित कर रहा हो तो विधेयक को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, यह प्रावधान रहना चाहिए। किन्तु अन्य सभी मामलों में विधान सभा में संविधानिक शक्तियों के अधीन पारित विधेयकों को तत्काल सहमति दी जानी चाहिए। यदि कोई राज्य विधान सभा ऐसा विधेयक पारित करती है जो इसके संविधानिक शक्ति से परे है तो न्यायालय तो है ही। जब भी श्री चिदम्बरम द्वारा इस सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह यह महसूस करें कि यह संसद की विधायी क्षमता से परे है, उस समय संसद विधेयक को अपना अन्तिम अनुमोदन या अस्वीकृति नहीं देता है। स्पष्टतः, अध्यक्ष कहते हैं कि अन्ततोगत्वा न्यायालय इसका निर्णय करेगा और यही सिद्धान्त यहां भी लागू होना चाहिये।

मेरा तीसरा प्वाइंट आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में है। यह ऐसा प्वाइंट है जिस पर सरकारिया आयोग ने अपनी राय नहीं दी है। सरकारिया आयोग का विचार यह था कि आंतरिक आपातस्थिति को आपातस्थिति के विचारार्थ बिन्दु होने के क्षेत्र से हटाए जाने के बाद सभी पार्टियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि आपातस्थिति प्रावधान जैसे के तैसे बने रहने चाहिएं। एक नई स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि स्वयं संविधान में आंतरिक गड़बड़ी को शामिल कर लिया गया है जिसके आधार पर आपातस्थिति प्रख्यापित की जा सकती है। यह सदन का एकमत विचार है क्योंकि वर्ष 1977 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलते हुए श्री वाई० बी० चव्हाण ने देश को यह आश्वासन दिया था कि हमने आपातस्थिति से एक सबक सीखा है और यह कि आपातस्थिति के लिए इस आधार पर आंतरिक आपातस्थिति नहीं लगाई जायेगी और आपातस्थिति प्रावधान दोबारा उस स्थिति तक वापस लाए जाएंगे जिस स्थिति में जनता पार्टी इन्हें संशोधन करने के बाद लाई थी। जहाँ तक अनुच्छेद 294 का संबंध है यह अनुच्छेद श्री चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था किन्तु इसे कानून नहीं बनाया गया। मैंने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि मेरे विचार से यह अनुच्छेद 249 बहुत ही

[श्री दिनेश गोस्वामी]

खतरनाक अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्य सभा 2/3 बहुमत से संविधानिक संशोधन के बिना सभी विषयों को समवर्ती विषय बना सकती है और राज्य सभा में नामित सदस्यों के 7 राज्य 2/3 बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हो यह अनुच्छेद बेकार साबित हुआ और यहां तक कि श्री चिदम्बरम ने अनुच्छेद 249 का सहारा लेकर संकल्प पारित कर दिया। राज्य सभा कानून बनाने में असफल रही। मेरे विचार में इस तरह का खतरनाक विधान नहीं रहना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, वह मुझे ही इसका श्रेय दे रहे हैं। किन्तु अनुच्छेद 249 श्री मधु दंडवते द्वारा लाया गया था।

श्री दिनेश गोस्वामी : हो सकता है किन्तु श्री मधु दंडवते ने यह कानून लागू नहीं किया। मेरा अपना विचार यह है कि अनुच्छेद 249 भारत के संविधान में से हटाया जाना चाहिए।

महोदय, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद इस तरह से तैयार किया गया है कि संविधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो कुछ अपेक्षित है वह यह है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्यकी सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए पेश किया जाता है। उस विधेयक पर राज्य विधान परिषद में चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किन्तु अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि राज्य सरकार या राज्य विधान परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर संघ सरकार या संसद द्वारा विचार किया जायेगा। राज्य सरकार से परामर्श किये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। आखिरकार किसी राज्य की सीमा को कम कर दिया जायेगा और मैं समझ सकता हूं कि राज्य से इसकी सम्मति के लिए पूछना तो हद होगी क्योंकि कोई भी राज्य राजनीतिक महत्व की दृष्टि से अपनी सीमा को कम किये जाने पर सहमत नहीं होगा चाहे वह राज्य ऐसा चाहता ही क्यों न हो। किन्तु परामर्श के लिए विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए और ऐसे प्रावधान भी होने चाहिएं कि इस पर राज्य विधान परिषद द्वारा व्यक्त विचार पर सीमा कम करने से पूर्व सरकार या संसद द्वारा उचित विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक राज्यपाल का संबंध है, मेरा निवेदन यह है कि, यह एक ऐसा कार्यालय है जिसे संविधान के अंतर्गत निरन्तर जवाबदेह नहीं समझा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, भारत के उप-राष्ट्रपति को संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्याय लय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किन्तु आप राज्यपाल पर चर्चा नहीं कर सकते चाहे वह पूर्णतः असंविधानिक ढंग से कार्य करता हो। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि राज्यपाल भी संविधान के अंतर्गत जवाबदेह हो—यह किसी भी रूप में हो चाहे आप महाभियोग के द्वारा या संकल्प के द्वारा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि राज्यपाल के पद को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए जबकि राष्ट्रपति के लिए समान प्रावधान किये गये हैं। राष्ट्रपति अधिक महत्वपूर्ण और अधिक सम्मानीय व्यक्ति हैं। हम उन पर यहां चर्चा कर सकते हैं और उनके आचरण पर महाभियोग कार्यवाही कर सकते हैं। हम महाभियोग कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। किन्तु हम राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते चाहे वह असंविधानिक ढंग से ही कार्य क्यों न करता हो। मेरा विश्वास है कि संविधान

में इस आशय का विशिष्ट प्रावधान कार्यप्रणाली में प्रभावी होगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकारिया आयोग द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की योग्यताओं और कुछ अन्य मामलों पर की गई सभी सिफारिशों को सरकार ने सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद ही अस्वीकार कर दिया। मेरे विचार में एक सिफारिश, एक बहुत ही प्रशंसनीय सिफारिश यह है कि विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के रूप में नहीं भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां ऐसे बूढ़े व्यक्तित्व हैं जिन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल होने के कारण राज्यपाल के रूप में नहीं भेजा जा सकता। किन्तु हम जानते हैं कि केरल में क्या हुआ। जिन राज्यपालों के राज्य सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे उन्हें बदल दिया गया है। जिन राज्यपालों की राज्य सरकार के साथ अनबन रहती है उन्हें नहीं बदला जाता। इससे सरकार की बदनीयती का पता चलता है। इसलिए, मेरे विचार में, राज्यपाल के संबंध में निर्धारित की गई योग्यताओं और शर्तों पर तत्काल अमल किया जाना चाहिए।

जहां तक सशस्त्र बलों और अर्द्ध-सैनिक बलों को लगाये जाने का संबंध है, परामर्श किया जाना चाहिए और यह अनिवार्य भी है ताकि त्रिपुरा विवाद की भांति कोई विवाद उत्पन्न न हो जहां इस ओर से बहुत से आरोप लगाये गये और श्री पी० चिदम्बरम के ओर से प्रत्युत्तर दिया गया। मेरा विश्वास है, यदि सम्मति नहीं तो, कम से कम सक्रिय परामर्श लिया जाना चाहिए। जहां तक विधायिक सम्बन्धों का प्रश्न है, हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि विधायिका सम्बन्धों की नई सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। आखिरकार, उद्योग राज्य का विषय है। संविधान में कहा गया है कि कुछ उद्योग, जो राष्ट्रीय हित में हैं पर भी संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है। किन्तु सूची बढ़ती ही जा रही है और यदि मैं गलत नहीं हूं तो आज 'हरिकेन लैंप' भी संघ सूची के अधिकार क्षेत्र में है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 'हरिकेन लैंप' (लालटेन) राष्ट्रीय महत्व का विषय क्यों है जिसके लिए संसद में कानून बनाया जाए। तेल क्षेत्र के विकास के अंतर्गत नियंत्रण केन्द्रीय सूची में है। परिणाम यह होता है कि हर समय, सहायता के लिए, हमें सरकार के पास भीख का कटोरा लेकर आना पड़ता है। वस्तुतः, जहां तक असम का सम्बन्ध है हमारी 1-4-1987 से 1-4-1987 तक देय रायल्टी में परिशोधन किया जाना है। परिशोधित रायल्टी असम या गुजरात या अन्य राज्यों को नहीं दी गई है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वे राज्य जहां खनिज सम्पदा हैं, उन्हें कुछ लाभ का वह हिस्सा मिले जिसे सरकार या संसद निर्धारित करती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

मैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों से सहमत हूं कि समवर्ती सूची के विषय पर, जब भी संघ विधेयक लाए तो राज्यों और संघ के बीच परामर्श होना चाहिए।

मैं वित्तीय संबंधों का थोड़ा सा जिक्र करके समाप्त करूंगा। यदि वास्तव में किसी राज्य को कुछ शक्तियां देकर स्वायत्तता प्रदान की गई है तो उस राज्य के पास वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कुछ राशि होनी चाहिए। व्यवहार्यता से रहित राज्य को हमेशा केन्द्र पर निर्भर करेगा और इसलिए वित्तीय संबंध इस प्रकार बनाए जाने चाहिएं ताकि राज्य में वित्तीय व्यवहार्यता (प्रीमम क्षमता) आ सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले कल को राजनीतिक समीकरण बदल भी सकता है।

2.00 म० प०

यदि संविधान यथावत् रहता है तो मतभेद बना रहेगा। मेरा विश्वास है कि आयकर को

[श्री दिनेश गोस्वामी]

आयकर के रूप में न लेकर और इसी को अधिभार के रूप में लगाकर तथा राज्यों को इनके हिस्से से वंचित रख कर संविधान के साथ धोखा किया गया है। जब मूल उत्पाद शुल्क को मूल उत्पाद शुल्क के रूप में न लेकर अधि भार के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार राज्यों को उनके हिस्से से वंचित किया जाता है तो यह संविधान के साथ धोखा ही है। इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं मैं पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हूं। वास्तव में मैं प्रशासनिक विधायी और वित्तीय सम्बन्धों के मामलों में सरकारिया आयोग की सिफारिशों से बिल्कुल असंतुष्ट हूं। परन्तु सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिशों से निश्चित रूप से सम्बन्धों में सुधार होगा और मेरे विचार में, यदि इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तो हमारा बहुत हित होगा। परन्तु मुझे कोई शक नहीं है कि यह सरकार सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी। हो सकता है कि कुछ मामूली परिवर्तन किए जाए परन्तु मामूली परिवर्तनों से वातावरण में सुधार नहीं होगा। यदि हम चाहते है कि देश समृद्ध हो, यदि हम चाहते हैं कि प्रशासन की पहुंच सीधे जनता तक हो, यदि हम चाहते है कि जनता की प्रशासन में भागीदारी हो तो वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी सम्बन्धों का समग्र पुनर्निर्धारण आवश्यक है। इसकी वकालत करने का आशय यह नहीं है कि मैं केन्द्र को कमजोर करना चाहता हूं। महसूस करता हूं कि ऐसा करने से न केवल राज्य मजबूत होंगे बल्कि केन्द्र भी मजबूत होगा और भारतवर्ष समृद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, आज गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है। कृपया अपना भाषण संक्षेप में ही दें।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं केवल दो मुद्दे उठाऊंगा क्योंकि स्त्री मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है। मैं सरकारिया आयोग की प्रशंसनीय भूमिकर के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं। सभी राजनैतिक दलों और सभी अन्य गुटों ने अपने अभ्यावेदन और मत प्रस्तुत किया हैं। सरकारिया आयोग ने उन सभी पर गहराई से विचार कर बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

संविधान निर्माताओं ने दो स्तरीय प्रणाली, अर्थात संघ और राज्यों की व्यवस्था की है। संविधान में उन्होंने केन्द्र और राज्यों के कृत्यों और अधिकारों को निर्धारित किया है। वर्षों से यह संविधान के बल पर इस देश की प्रगति सम्भव हो पाई है। संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक बात थी—देश की एकता और अखंडता। इसलिए उन्होंने संघ की भूमिका अथवा शक्तिशाली केन्द्र पर बल दिया। केन्द्र इन सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका प्रयोग इस प्रकार करने की स्थिति में है जिससे सभी राज्यों के साथ समानता का व्यवहार हो। इसलिए यह राज्य बना केन्द्र या केन्द्र बनाया राज्यों का प्रश्न ही नहीं है जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा है। मेरे, विचार में, दोनों को मजबूत करने की आवश्यकता है और यह मजबूती राज्यों और केन्द्र के बीच सहयोग पर आधारित है।

2.04 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

संविधान के उपबन्धों से या संविधान में संशोधन करने से एकता नहीं आएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्व सम्मति होनी चाहिए और उन पर विचार कर उन्हें सोहार्द पूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उठाए गए विभिन्न मुद्दों

को देखते हुए विकास और सामाजिक परिवर्तन के कारण सरकारिया आयोग का गठन किया। आयोग ने पूरे पांच वर्ष देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट पेश की है। कुछ विपक्षी मित्रों ने दो मुद्दों उठाए है। पहला मुद्दा वित्तीय शक्तियों के बारे में है और दूसरा राज्य पाल की भूमिका के बारे में है।

जहां तक वित्तीय शक्तियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में, केन्द्र के पास ये शक्तियों होनी ही चाहिए क्योंकि केन्द्र का सभी राज्यों के प्रति दायित्व है। केन्द्र को राज्यों की आवश्यकतों को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़ना है। जैसा कि हम बाढ़ के मामले में देखते हैं कि केन्द्र के पास उपलब्ध धनराशि और केन्द्र को प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मेरे विचार में, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है इसे जारी रखना चाहिए।

राज्यपालों के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। श्री सरकारिया ने भी विभिन्न पहलुओं से इस बारे में विचार किया। राज्यपालों की निवृद्धि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी राज्यपाल की सेवाएं समाप्त की जाती है तो उस मामले में स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। यदि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सहर्ष करता है तो उनकी सेवाएं समाप्त भी राष्ट्रपति के अफसल होने पर समाप्त की जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल से कारण पूछे जाएं और स्पष्टीकरण लिया जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यपाल की भूमिका अत्यन्त नाजुक है। केन्द्र और राज्य के बीच वह एक कड़ी है। वह केन्द्र की इच्छा और सरकार की भावनाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। वह अपने आकलन के आधार पर केन्द्र को रिपोर्ट भेजना है। उसकी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। परन्तु वह महसूस करते है कि वे केन्द्र को रिपोर्ट भेजे तथा उसके आधार पर केन्द्र कार्यवाही करता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यपाल का क्या दृष्टिकोण है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : आपने कहा है कि राज्यपाल का क्या दृष्टिकोण है। मुझे मालूम है कि कितने अच्छे-अच्छे व्यक्ति राज्यपाल बने है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय राज्यपाल थे। प्रो० नूरुल हसन भी राज्यपाल थे। सभी बड़े व्यक्ति राज्यपाल रहे है। प्रो० नूरुल हसन अभी भी राज्यपाल है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे-ऐसे महानुभाव इस पद पर रहे है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं होनी चाहिए। आपको राज्यपाल की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए। आप भी कभी राज्यपाल बन सकते है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कौन जानता है? आपको कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह सुझाव दिया गया है कि अन्तर राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीय आर्थिक परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग पहले ही है। वित्त आयोग भी है। ये सभी निर्णय कार्यरत है। वे बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे है। जहां तक राष्ट्रीय विकास परिषद का सम्बन्ध है, इसकी आवधिक बैठकें होती है। मुख्य मन्त्री इसके सदस्य हैं। वे अपने राज्यों से सम्बन्धित विचार व्यक्त करते हैं। उन पर चर्चा होती है। कुछ सिफारिशें की जाती हैं, जिनके आधार पर केन्द्र निर्णय करता है। मेरे विचार में, यह एक अच्छी प्रणाली है। इसे जारी रखना चाहिए। अन्तर राज्यीय के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री मनुभाई लाल आटिका]

इसी प्रकार योजना आयोग है। योजना आयोग राज्यों के साथ उनकी योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं पर चर्चा करता है। परस्पर विचार-विमर्श से होता है। अन्त में वे परस्पर सहमति से निर्णय लेते हैं कि किन क्षेत्रों में उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। चूंकि सारा कार्य सर्वसम्मति और विचार-विमर्श से होता है, योजना आयोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसलिए अन्तरराज्यीय परिषद के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसकी विभिन्न समस्याएं हैं। कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकसित हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने की दिशा के योजना आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसी प्रकार राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त आयोग ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में, राज्य अधिक धनराशि की मांग करते है। उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियां चाहिएं ताकि वे अपने राज्यों का विकास कर सकें। परन्तु केन्द्र को समूचे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करना है। निसन्देह अधिक धन राशि की उनकी मांग सही है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। प्रत्येक राज्य विकास के लिए अधिक धनराशि चाहेगा। परन्तु इसका आधार ऐसे कानून या शक्तियां नहीं होनी चाहिए। बढ़िया तरीका यह है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के बाले में केन्द्र से सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा करनी चाहिए ताकि वे योजनाएं प्रगति कर सकें। केन्द्र ने सदैव राज्यों की आवश्यकताओंको पूरा किया है। क्योंकि यदि राज्यों की प्रगति होगी तो पूरा भारत प्रगति करेगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मेरे माननीय मित्रों ने कई बातों का जिक्र किया है कि जब अमुक पार्टिया सता में थी तो उन्होंने कुछ कार्य किए। श्री दिनेश गोस्वामी ने अभी आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है कि राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। मैं इस का हवाला दूंगा 1977 में जनता पार्टी ने कितनी कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त किया था उसका क्या आधार था? नौ सरकारें बर्खास्त की गई। इसलिए, प्रश्न यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एन० टी० आर० को हटा दिया था। परन्तु उस पार्टी ने भी यही किया। मेरा केवल यह विचार है कि इन बातों से विकास नहीं होगा और राज्य संतुष्ट नहीं होंगे। वास्तविक तथ्य परस्पर विचार-विमर्श ही है। देश में सर्वसम्मत मत तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह संविधान सर्वसम्मति पर आधारित है। विभिन्न मत व्यक्त किए गए थे। उन्हें इस संविधान में सांविधि पुस्तिका में शामिल किया गया। इसी प्रकार यदि यह दृष्टिकोण ही रहता है, यदि राज्य केन्द्र से टकराव नहीं करें और राज्यों और केन्द्र में परस्पर सहयोग हो तो निश्चित रूप से विकास होगा और कोई समस्या नहीं होगी। मेरा यही निवेदन है कि हमें कानूनी विवाद में पड़ने के बजह सहयोग पर बल देना चाहिए।

अंत में, मैं कहूंगा कि अकाली दल ने सरकारिया आयोग के सामने अपना मामला रखा था। आपने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया था। स्पष्टत: कई प्रकार के आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव हैं। उसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। आप भी अपने ढंग से व्याख्या कर रहे होंगे। दूसरी पार्टी कुछ और व्याख्या कर रही होगी।

किंतु अब चूंकि यह कार्य सरकारिया आयोग को सौंपा गया है और सरकारिया आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है, मेरा विचार है कि अब अकाली दल दोबारा आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को नहीं दोहराएगा। क्योंकि अब इस पर उच्चतम स्तर पर विचार हो चुका है और उन्हें सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट होना चाहिए। मुझे यकीन है कि श्री रामूवालिया सरकारिया आयोग द्वारा किए गए कार्य की सराहना करेंगे। यह प्रशंसनीय है।

मैं फिर दोहराता हूं कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर एक विशेष दृष्टिकोण दलगत दृष्टिकोण समूह के दृष्टिकोण अथवा किसी क्षेत्र विशेष के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इस पर एक ऐसी रिपोर्ट के रूप में विचार किया जाना चाहिए जो सभी क्षेत्रों के लिए है और राज्यों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। समस्या से निपटने के लिए विवाद की अपेक्षा सहयोग होना चाहिए ।

***श्री आर० जीवरत्नम (डार्कोनम)** : सभापति महोदया, केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र को एक सुदृढ़ केन्द्र की आवश्यकता है। हमारे देश में विविधता में एकता है। अनेक विविधताओं के बीच एक कमजोर केन्द्रीय सरकार नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ हमारे संविधान में भी स्वतंत्र राज्यों की परिकल्पना की गई है जो अपना कार्य करते हैं तथा अपने संसाधनों का विकास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में परिकल्पित वर्तमान सम्बन्ध जारी रहने चाहिएं ।

केवल राज्य ही कृषि के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम बना कर उन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं। खाद्य उत्पादन तथा उससे संबंधित अन्य कार्य पूर्ण रूप से राज्यों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृषि के क्षेत्र में सभी अधिकार राज्यों को दिए जाएं संविधान में यह भी कहा गया है कि कालेज स्तर तक शिक्षा के संबंध में अधिकार राज्यों को दिए जाने चाहिएं। यद्यपि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था केन्द्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा महत्वपूर्ण है। अतएव यह केन्द्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। कावेरी नदी जल विवाद इसका एक उदाहरण है। कावेरी नदी के अतिरिक्त जल को सागर में डाल दिया जाता है। किन्तु तमिलनाडु के किसानों के पास अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं है। राज्यों में नदियों के जल विभाजन के लिए एक अलग आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करे। सभी नदी जल विवादों को 5 से 6 वर्ष के समय के भीतर ही निपटाया जाना चाहिए। जब कभी भी केन्द्र सरकार को नदी जल विवाद सुलझाने के लिए कहा जाता है तो सरकार का यही उत्तर होता है कि मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाएगा। यह विलम्बकारी ढंग है। इससे अधिक विकास नहीं होगा। इसलिए केन्द्र को नदी जल विवाद निपटाने का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए। केन्द्र सरकार के पास अधिकार होना चाहिए कि वे अतिरिक्त जल उस राज्य को दे सके जहाँ जल आपूर्ति कम है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि वे तमिलनाडु को केन्द्र सरकार के कहने पर जल नहीं दे रहे बल्कि तमिलनाडु सरकार से इस संबन्ध में अनुरोध प्राप्त होने पर उन्होंने स्वयं यह निर्णय लिया था। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने उनसे जल आपूर्ति के लिए आग्रह किया था और वे इससे सहमत हो गए। यह एक अच्छी बात है। केन्द्र सरकार को बीच में लाए बिना वे दोनों ही निर्णय ले लें। यह स्वागत योग्य है। किन्तु अब कर्नाटक के मुख्यमन्त्री का कहना है कि उन्हें देखना है कि नदी में तमिलनाडु को दिए जाने के लायक अतिरिक्त जल उपलब्ध है अथवा नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी बातचीत इस विषय पर दोनों मुख्यमंत्रियों की अन्तिम बातचीत होगी। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसलिए मेरा आग्रह है कि नदी जल विवाद के संबंध में निर्णय का अधिकार केन्द्र सरकार के पास देना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनके लिए उन्होंने योजना आयोग से पहले से स्वीकृति नहीं ली, आंध्र प्रदेश की तेलगु गंगा

* मूलत तमिल में दिए भाषण के अंग्रेजी का हिन्दी रूपांतरण।

[श्री आर० जीवरत्नम]

परियोजना एक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री का कहना है कि योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। योजना आयोग स्वीकृति दे या न दे उनका कहना है कि वे योजना पर अमल करेंगे। यह अत्यंत गंभीर मामला है। योजना आयोग केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण निकाय है। योजना आयोग कांग्रेस द्वारा श्री नेहरू के जमाने में स्थापित किया गया था। यह एक सुविख्यात सगठन है इसे इस प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी बातों के विरुद्ध केंद्र सरकार को एक मजबूत कदम उठाना चाहिए। ऐसी अनेक गैर-कांग्रेसी सरकारें है जो देश में सक्रिय हैं, जिनकी अलगाव वादी मांगे है, जो केन्द्र सरकार को कमजोर करने में उद्देश्य से कार्य कर रही हैं, इसलिए इस संदर्भ में एक सुदृढ़ केन्द्र की बहुत आवश्यकता है।

राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में आयोग ने सिफारिश की है कि उनकी नियुक्त से पहले सम्बंधित मुख्यमन्त्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए। मेरे विचार में इस प्रस्ताव में दम नहीं है। राज्यपाल स्वतंत्र तथा मजबूत होने चाहिएं। अभी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। वे राज्य सरकारों के प्रशासनिक प्रमुख हैं। यदि उनकी नियुक्ति के लिए मुख्य मंत्रियों से परामर्श करना आवश्यक होगा तो इस पद की गरिमा बहुत कम हो जाएगी। इसी प्रकार की भावना उत्पन्न होगी कि एक राज्य पाल विशेष की नियुक्ति एक मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर की गई है। यह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

मैं तमिलनाडु विधान सभा में होने वाली कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहता हूं। तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष के नेता ने अध्यक्ष को कुछ पत्र लिखे। वह दलों का अन्दरूनी मामला था। हम उसके बारे में नहीं कहते। उन्होंने वह पत्र किसी को दिया और ऐसा लगता है कि उन्होंने वह पत्र अध्यक्ष को देने का निर्देश दिया। बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। समाचार पत्रों के अनुसार बाद में उन्होंने वह पत्र नस्ट करने का निर्देश दिया। किन्तु पत्र नष्ट किये जाने से पहले बिना किसी अधिकार के पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। यह विपक्ष के नेता द्वारा अध्यक्ष को लिखा गया एक गोपनीय पत्र था पुलिस ने वह लिफाफा खोलकर जिसमें वह गोपनीय पत्र रखा हुआ था अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है। यह अध्यक्ष को दिया था। इस सभा को यह निर्णय अवश्य करना चाहिए कि क्या विपक्ष ने नेता द्वारा अध्यक्ष को लिखा गया गोपनीय पत्र पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया जा सकता है और उसकी गोपनीयता समाप्त की जा सकता है? इस कारण राज्य विधान सभा में अनेक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। वह पत्र अध्यक्ष के पास किस प्रकार पहुंचा यह अभी तक समझ नहीं आया। यह निश्चित रूप से विपक्ष के नेता के विशेषाधिकार के हनन का मामला है। यह मामला विधान सभा में कांग्रेसी सदस्य द्वारा उठाया गया था। इसकी अनुमति नहीं दी गई और उल्टे उन पर हिंसा का प्रयोग किया गया। महान कवि भारती ने कहा है

"मदर भारत हैज 30 करोड़ फेसेस
बट हर बॉडी इज वन
शी स्पीक्स 18 लेंगवेजेज
बट हर फिलासफी इज वन
वेदाज रिजाइड इन हर टंग
शी हैज सेक्रेड स्वोर्ड इन हर हैंड
शी ब्लेसड रि गुड
एण्ड डिस्ट्रायड रि विकड।

भारती ने इस धरती का मानवीकरण एक स्त्री के रूप में किया है किन्तु विधान सभा में हिंसा एक स्त्री के प्रति की गई। यह स्त्रीत्व का सबसे बड़ा अपमान है और सम्पूर्ण विश्व को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। माननीय श्री सोमू ने अपनी बात के समर्थन में एक फोटो भी दिखाई कि मुख्य मंत्री को भी चोटें आई थीं। किन्तु विधान सभा में जो कुछ भी हुआ वह मुख्यमन्त्री के सामने हुआ। सत्तारूढ़ दल के लगभग 160 सदस्य थे और 40 से 60 सदस्य विपक्ष के थे। 40 से 60 सदस्य 160 सदस्यों पर किस प्रकार हावी हो सकते थे ? यह एक प्रश्न है। वह ऐसी विधान सभा है जिसमें राजा जी कामराज, प्रकाशम, सत्यमूर्ति तथा अन्य जाने माने नेता सदस्य रहे। अतएव पुलिस द्वारा अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन करके विशेषाधिकार का हनन किया गया है। केन्द्र सरकार को इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए तथा अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि करुणा निधि के नेतृत्व वाले मन्त्रालय को बर्खास्त किया जाए। हम सरकार का तख्ता पलटने में दिलचस्पी नहीं रखते। उनके इर्द गिर्द प्राधिकारियों तथा सलाहकारों ने उनके लिए लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न की है। उन्होंने राज्य का अपमान किया है और इसे दूर किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदया, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के विषय पर बोलने और इस विषय के प्रति न्याय करने में तो पूरा एक दिन लग जाएगा। इसलिए मैं सभी मुख्य प्रश्नों को न उठाते हुए केवल कुछ विशेष प्रश्नों को उठाऊंगा जो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में हैं। निःसंदेह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आधारभूत मार्ग निर्देश दिए गए हैं और वास्तव में हमारे गणतंत्र का मूलभूत व्यापक स्वरूप भी स्पष्ट रूप से बताया गया है।

हमारे संविधान की उद्देशिका में अत्यन्त स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि :

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए।"

महोदया, जो बात मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि केन्द्र और राज्यों के बीच नाजुक सम्बन्धों की स्थिति क्या होगी जब राज्य सरकार संविधान की उद्देशिका में विहित सिद्धांतों की अवहेलना करती है। इसका क्या उत्तर है ? सामान्यतः जब संविधान और उसके मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है तो उसका तत्काल हल यह होता है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन संविधान के अंतर्गत आपात काल की घोषणा की जाती है। किंतु सरकारिया आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बार बार वही तरीका अपनाया जाता है तो वह एक अस्वस्थ परम्परा होगी और हमारी स्थिति अस्वस्थप्रद हो जाएगी। यदि हम देखें कि कितनी बार आपात काल के उपबंधों का इस्तेमाल करना पड़ा तो सबसे अधिक 1975-79 के दौरान करना पड़ा और 21 मामलों में से 9 मामलों में 1977 के दौरान इन उपबंधों का प्रयोग करना पड़ा। उस समय यह दलील दी गई थी कि राज्य सरकारें केवल इसलिए जनता का विश्वास खो चुकी है क्यों संसदीय चुनावों में एक दूसरा दल एक दूसरी सरकार केन्द्र में आ

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

गई थी। राज्य सरकारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की घटनाएं प्रायः होती रहती है। राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ भारत के संविधान की सीमा के भीतर यदि सत्ता का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग होता है जिससे राष्ट्रपति शासन लागू करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता, तो क्या होगा या किया जाएगा ? केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में उसका प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे कि उल्लंघन हुआ है या नहीं ? हमने पंजाब में कुछ समय पूर्व देखा कि जब श्री कैरों मुख्यमन्त्री थे, तो सत्ता के दुरुपयोग की जांच की गई थी। जब तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने अधिकारियों को प्रभावित करने की सीमा तक सत्ता का दुरुपयोग किया, तो हमने जांच की, मुख्यमन्त्री को बर्खास्त किया हमने की गई कार्यवाही तथा उसके परिणाम भी देखे। किन्तु आज जब सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम का इस्तेमाल किए जाने की बात होती है तो विभिन्न दलीलें प्रस्तुत की जाती है। वास्तव में इस मामले की छानबीन करते हुए सरकारिया आयोग ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग दोनों ही स्तरों पर संभव है। जब यह केन्द्रीय स्तर पर हो तो इसकी जांच के लिए केन्द्र द्वारा जांच आयोग बैठाया जा सकता है किन्तु जब यह राज्य स्तर पर हो, तब प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य सरकार जांच आयोग नियुक्त करेगी या केन्द्रीय सरकार भी ऐसा कर सकती है ? ऐसे पूर्व दृष्टांत है जब केन्द्रीय सरकार ने ऐसा किया है। ऐसी बात नहीं कि इसका कोई पूर्व दृष्टांत नहीं है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया है। किन्तु सभापति महोदया, दुर्भाग्य से सरकारिया आयोग ने इस शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है जो जांच आयोग अधिनियम में पहले से मौजूद है। इसलिए इस समय मेरे लिए कुछ उदाहरण देना अप्रसांगिक नहीं होगा कि कितने घोर उल्लंघन किए जा सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा यदि कोई राज्य सरकार चाहती है तो स्वतन्त्रता तथा और लोकतन्त्र का खुला उल्लंघन कर सकती है क्योंकि कानून और व्यवस्था उसके हाथ में है वास्तव में तमिलनाडु राज्य में इस महीने की 15 तारीख को हाल ही में हुआ यह कि पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत पर राज्य में विपक्ष के नेता के एक पारिवारिक मित्र के घर पर छापा मारा। जब उन्होंने छापा मारा तो उन्होंने कुछ माल पकड़ लिया। 29 मार्च के दिनमनी नामक दैनिक समाचार पत्र में जो 'महानगर' छपा है उसमें मद संख्या 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है—यदि मुझे अनुवाद करने की अनुमति है—कि अध्यक्ष को सम्बोधित एक नीली पैड जिसमें एक बन्द लिफाफा था। सील किया गया उसे जब खोला गया तो उसमें अध्यक्ष को संबोधित कुमारी जयललिता का दिनांक 15 मार्च, 1989 का पत्र मिला। इससे यह बात साफ सिद्ध होती है कि संविधान सभा के एक चुने हुए प्रतिनिधि के विशेषाधिकार का हनन किया गया। अध्यक्ष को संबोधित पत्र राज्य की प्रशासनिक शाखा अर्थात पुलिस द्वारा पकड़ा गया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। शिकायत धोका-धड़ी से सम्बन्धित थी जिसका एक विधायक द्वारा सदन के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं था। पत्र को पकड़ने के बाद उन्होंने उसे खोला जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। तत्पश्चात रिपोर्ट और बाद की घटनाओं से पता चलता है कियह पत्रगृह सचिव और मुख्यमन्त्री के हाथों होता हुआ अध्यक्ष के पास पहुंचा इससे पता चलता है कि पुलिस का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं विधायों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है तथा लोकतांत्रिक कार्य चालने के सभी मानदण्डों की नष्ट किया जा रहा है। वास्तव में, पुलिस कमिश्नर इससे मुकरने में और भी आगे बढ़ गए कि यह मूल पत्र नहीं उसकी फोटो काफी है। जब महाजार को सबूत के तौर पर पेश किया गया तो उन्होंने कहा "मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।

जब उनसे यह पूछा गया कि यह पत्र अध्यक्ष महोदय के पास कैसे पहुंचा तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी होने से इंकार कर दिया जबकि यह बात सर्वविदित है जैसा कि 'दि वीक' पत्रिका के दिनांक 2-9 अप्रैल, 1989 के अंक में छपा है……(व्यवधान)

मैं बता रहा था कि जब कानून और व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है तो क्या होता है। यह विषय से बाहर नहीं है। यदि कानून और व्यवस्था तंत्र का राजनैतिक फायदे के लिए दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या होगा। यह मामला केन्द्र राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित है। क्या केन्द्र के करने को कुछ दे या केन्द्र मजबूर है ?

इसके पश्चात जब यह मामला विधान सभा में उठाया गया तो एक दूसरे विधायक ने यह मामला विशेषाधिकार के मामले के रूप में उठाया। उसका क्या परिणाम निकला ? शाम को जहां उसका भाई अपनी पार्टी के दोस्तों के साथ बैठता था, वहां छापा मारा गया और पुलिस की सहायता से उसे लूटा गया। यह काम गुण्डों द्वारा किया गया। जब पुलिस को उन स्कूटरों और टैक्सियों के नम्बर दिए गए जिनमें हमलावार आए थे, तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

उसके विपरीत उस सदस्य को डराया-धमकाया जा रहा है। तमिलनाडु में इस घटना के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विपक्ष का कोई भी सदस्य, बाहर की तो बात ही क्या, विधान सभा के भीतर भी अपने मन की बात नहीं कहता या कोई आरोप नहीं लगाता। लोकतंत्र की बुनियादी बातों को कुचला जा रहा है और वहां ऐसी स्थिति है जिसमें कोई नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए; साथ ही हम यह नहीं कह सकते कि केन्द्रीय सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदया, सरकारिया आयोग ने पैरा 2.4304 में अपनी सिफारिशों में इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि जांच आयोग अधिनियम के ही कुछ सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए। एक सुरक्षोपाय पहले ही मौजूद है जिसके अनुसार एक आयोग संसद के एक संकल्प द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इस बारे में उपबन्ध पहले से मौजूद हैं किंतु रिपोर्ट में, नियुक्ति के मामले में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए कहा गया है।

सभापति महोदय, यदि ऐसा होता है, तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्थिति काबू से बाहर हो जाती है, उस समय केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करें। और यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जांच के लिए दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित किया जाए, तो इस बीच कई जानें चली जाएंगी।

सभापति महोदया, मैं गृह मन्त्री का ध्यान, राज्य मंत्री भी यहीं मौजूद हैं, इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों ने सरकार तथा भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने इस मामले में तमिलनाडु में जहां लोकतंत्र खतरे में है जांच करवाने का आग्रह किया है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि केन्द्र जल्द कार्यवाही करेगा क्योंकि बहुत से लोगों का जीवन खतरे में है। सत्ता के दुरुपयोग के कारण लाखों रुपयों की सम्पत्ति पहले ही नष्ट हो चुकी है।

महोदया, दूसरी बात यह है : क्या राज्यपाल की रिपोर्ट मंगवाना ही पर्याप्त है। क्या यह वास्तव में जांच के समकक्ष है। मैं इससे असहमत हूं। मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट, विशेषकर इन दलीलों के परिप्रेक्ष्य में, देखी जानी चाहिए, जो दूसरी ओर के माननीय सदस्यों ने दी हैं, कि राज्यपाल पक्षपात कर रहा है इत्यादि, और इसके परिप्रेक्ष्य में ऐसी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण नहीं है या

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

तटस्थ है, यह आवश्यक है कि सत्य जानने के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग नियुक्त किया जाए। कम से कम, यदि यह राजनीति ही हो, देश को यह पता है कि हमारे संविधान की उद्देशिका में विदित मौलिक मार्ग निर्देशों की रक्षा की जानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा की रक्षा का मौलिक अधिकार है, विशेषकर, जब वह व्यक्ति विधान सभा में विपक्ष का नेता हो। दुर्भाग्य से वह प्रश्न नहीं उठाया गया। कम से कम विधान सभा में ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां विपक्ष के सदस्य इस प्रकार से अपनी बात कह सके जैसे कि यहां सदस्य बोलते हैं। उन्हें न केवल शाबासी मिलती है बल्कि जब वह सरकार के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाते हैं तो उनकी प्रशंसा भी होती है और बधाई दी जाती है। शायद वह बोलने की स्वतंत्रता के कुशल प्रयोग के कारण ही बहुत सी मांगें मनवा लेते हैं। अन्य विधान सभाएं और विधान मण्डल इस मौलिक सिद्धांत को क्यों नहीं अपना सकते ? हमने लोकतांत्रिक मानदण्डों को क्यों खो दिया है ?

मैं केवल यह कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि आयोग के लिए यह मानना गलत है कि यदि राज्यपाल को राजनैतिक अनुभव रहा हो अथवा वह केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से संबद्ध है तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। ऐसे कई लोग हैं। प्रो० नुरूल हसन भी, जिनकी विपक्ष के मेरे विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने पुरजोर वकालत की है, केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मंत्री थे। वह इस हद तक निष्पक्ष थे कि उन्होंने स्वयं उनका बचाव किया था। हम इससे अच्छा और क्या उदाहरण दे सकते हैं कि हम निष्पक्ष लोग हैं ? चूंकि एक व्यक्ति एक विशेष पार्टी या दल से संबद्ध है अथवा वह एक विशेष पद पर आसीन है, मात्र ऐसा होने से ही आप यह नहीं कह सकते कि वह निष्पक्ष नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : कुमारी ममता बनर्जी को ऐसा कहना चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कुमारी ममता बनर्जी ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि वह अब उड़ीसा के राज्यपाल हो गए हैं।

चाहे जो भी सिफारिशें की गई हों, चाहे वे राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में हों, चाहे जांच आयोग अधिनियम के बारे में अथवा आपातकालीन उपबंधों के बारे में, हमें उन्हें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है न कि कई राष्ट्रों को मिलाकर बना है। मैं इसे एक बड़ा बगीचा कहूंगा जिसमें राष्ट्र तो भूमि और मिट्टी है तथा राज्य इसके फूलों की क्यारियां है। दोनों को ही फलने-फूलने दीजिए। जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी, फूल नहीं खिल सकते। यदि फूल सुंदर नहीं होंगे तो जमीन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा।

हमारा केन्द्र तथा राज्य मजबूत होने चाहिए। मेरे विचार से केन्द्र राज्य संबंधों के लिए यह मूलभूत बात है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को सरकारिया आयोग के गठन के लिए धन्यवाद देता हूं। अब आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध होने से हम इसकी सिफारिशों के आधार पर सुधार कर सकते हैं। यद्यपि सरकारिया आयोग से काफी हद तक हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, फिर भी कुछ सिफारिशें वस्तुतः बहुत अच्छी हैं। मैं सरकारिया

आयोग के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि केन्द्र को मजबूत होना चाहिए। किन्तु साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि राज्य कमजोर नहीं रहने चाहिए।

हमारे माननीय सहयोगी डा० गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हमारे संविधान के ढांचे के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारा संविधान एकात्मक है किंतु यह संघात्मक भी है। वास्तव में हम एक संघ है, जैसा कि श्री कुमारमंगलम ने कहा है भारत कई अंगों को जोड़कर नहीं बना है। यह एक राष्ट्र है। निश्चय ही, भारत में कई राज्य है और सभी राज्यों से मिलकर केन्द्र बना है और हम चाहते हैं कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए। प्रदेशों की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए और राज्यों को भी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुरूप मजबूत होना होगा। एक मुद्दे के बारे में मैं जानना चाहता हूं। केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। अंततः हमारा समाज प्रगतिशील है और हम स्थिर नहीं रह सकते। इस आयोग का गठन करना बहुत जरूरी था। अब इसकी सिफारिशें हमें मिल गई हैं। मैंने भी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पढ़ने का प्रयत्न किया। किंतु राज्यों और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए बहुत से ज्ञापनों को देखना बहुत कठिन है। लेकिन मैंने सिफारिशों को पढ़ा है। कुछ ऐसी सिफारिशें की गई हैं जिन पर भारत सरकार कार्यवाही कर सकती है। कुछ विधायी सिफारिशें की गई हैं वित्तीय क्षेत्र के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं। किंतु उन सभी सिफारिशों पर गहराई से विचार करना और उन पर चर्चा करना बहुत कठिन है। किंतु जहाँ तक विधायी सिफारिशों का संबंध है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आयोग ने यह सिफारिश की है कि संसद द्वारा सूची I में प्रविष्टि 92क और 92ख के साथ पठित अनुच्छेद 356 के खंड 3 के अन्तर्गत कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यों से परामर्श लेना चाहिए और उनके द्वारा की गई टिप्पणियों संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए। मैं सिफारिशों का स्वागत करता हूं। मुझे तब बहुत खुशी हुई जब आयोग ने भारतीय जनता दल के उस ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए कहा गया था। यह अस्थायी नहीं है अपितु अल्पकालिक है। मैं यह फिर कभी बताऊंगा कि संविधान में यह अल्पकालिक ही क्यों है। भारतीय जनता दल के अलावा अन्य किसी दल ने यह मुद्दा नहीं उठाया है। मैं भारतीय जनता दल के बारे में थोड़ा बाद में बोलूंगा।

जहां तक जम्मू और कश्मीर की जनता का संबंध है, हम समझते हैं कि यह भारत के संविधान का ही अभिन्न अंग है। जब तक जम्मू और कश्मीर राज्य की जनता इस अनुच्छेद को चाहती है तब तक पृथ्वी पर कोई भी ताक़त भारत के संविधान इस अनुच्छेद को हटा नहीं सकती।

जहां तक वित्तीय मामलों का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, सभी सिफारिशों को देखना बहुत मुश्किल है, अनुच्छेद 268 के अर्न्तत केन्द्र द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क तथा राज्यों द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क संबंध में, मैं आयोग की सिफारिशों का स्वागत करता हूं। आयोग चाहता है कि भारत सरकार अनुच्छेद 268 और 269 के उपबंधों को उपयुक्त रूप से लागू करे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मुझे यह आशा थी कि आयोग इससे आगे जाकर हमारी इस बात से सहमत होगा कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जानी चाहिए। बहरहाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। वे सिफारिशें इस प्रकार हैं—"चूंकि मूल परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहतीं, केन्द्रीय सरकार को राज्यों के परामर्श से समय-समय पर इन शुल्कों की पुनरीक्षा अथवा इन्हें लगाए जाने पर विचार करना चाहिए।" अत: इस संबंध में राज्यों से परामर्श करना आवश्यक है।

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

इसके पश्चात् राज्यपाल की भूमिका की बात आती है। राज्यपालों की नियुक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र कतिपय राज्यपालों की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने डा० शंकर दयाल शर्मा के नाम का उल्लेख किया था। जी हां, वे बहुत अच्छे राज्यपालों में से थे। बाद में वे उपराष्ट्रति बने। उन्होंने प्रो० नुरूल हसन की भी प्रशंसा की थी। लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें राज्यपालों को अधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिए राज्यपाल संसद के समक्ष जवाबदेह नहीं है। आपने राज्यपाल को उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया है और कई बार वे बरबादी भी कर देते हैं।

सरकारिया आयोग ने हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल सिफारिशें नहीं की हैं। किंतु अब भी सरकारिया आयोग अनुच्छेद 155 में संशोधन करना चाहता है ताकि आप मुख्यमन्त्री के साथ परामर्श के लिए उपबंध बना सके। केवल इतना ही नहीं। सरकारिया आयोग यह भी चाहता है कि अनौपचारिक और विश्वसनीय रूप से पीठासीन अधिकारियों—दोनों पीठासीन अधिकारियों (लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति) का परामर्श लिया जाना चाहिए और राज्य के मुख्यमन्त्रियों के साथ भी परामर्श किया जाना चाहिए। यह जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यह बात नहीं भूला हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य में 2 जुलाई, 1984 को उचित रूप से निर्वाचित सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और यह कांग्रेस के वर्तमान लोगों के कारण नहीं हुआ था।

मैं एक दिन यह प्रश्न इस सम्माननीय सभा में उठाऊंगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है जो समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इसे बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं। अत: इसे जोड़-तोड़ की राजनीति सहन नहीं करनी चाहिए। मैंने यहां ऐसा इसलिए कहा—क्योंकि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है—कि भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी, जैसा कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जोड़-तोड़ की राजनीति का समर्थन नहीं करते। वह राजनीति का खेल नियमानुसार ही खेलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जोड़-तोड़ में माहिर हैं और जिन्होंने ठक्कर आयोग पर दबाव डालकर पूरी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित करके लोगों पर प्रभाव डालना चाहा है। वे कांग्रेस में अस्थिरता ला रहे हैं। अत: ये लोग श्री अरुण नेहरू भी हो सकते है और श्री माखन लाल फोतेदार भी। इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में विधिपूर्वक निर्वाचित सांविधानिक सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हम वह बात नहीं भूल सकते। यह हमारा इतिहास है।

इसलिए राज्यपालों का चुनाव उचित तरीके से किया जाना चाहिए और जोड़-तोड़ की राजनीति को छोड़ना होगा तथा यदि राज्यपाल को पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक परामर्श करके तथा मुख्य मन्त्री के साथी प्रभावी ढंग से परामर्श करके नियुक्त किया जाता है तो हमें संविधान को और व्यवहार्य बनाएंगे।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदया, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा।

हम अनुच्छेद 356 लेते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सरकारिया आयोग कहता है कि उस अनुच्छेद का प्रयोग कभी-कभार किया जाना चाहिए, जब तक कि इस बात का कोई पक्का सबूत नं० मिल जाए कि राज्य में सांविधानिक तंत्र ठप्प पड़ गया है और वहां कानून

और व्यवस्था भंग हो गई है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक हमारा संबंध है, हमारे यहां राज्यपाल का शासन है। लेकिन राज्यपाल बहुमत का निर्णय अपनी बैठक में बैठ कर नहीं कर सकता। हम चाहते है कि हमें सरकारिया आयोग की सलाह मानकर चलना चाहिए तथा इस बहुमत का निर्णय हमेशा विधान सभा में हो लिया जाना चाहिए? और जैसा मैंने कहा हमें राजनीति का खेल इसके नियमों के अनुसार ही खेलना चाहिए और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने के पश्चात् कभी भी उन्हें सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए फिर उन्हें हमारे काम में दखल नहीं देना चाहिए और जब कभी वह संविधान के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए। इस समय वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं और इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।

सरकारिया आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया है। मैं कहता हूं कि यह सेवाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। किंतु मुझे दुःख हो रहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे साथ एक दशक और जीवित नहीं रहे, क्योंकि तब उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस अफसरशाही को भी हमारी आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बना दिया होता।

सरकारिया आयोग ने कुछ शुष्क सिफारिशें की हैं। मैं इस अध्याय में और सिफारिशें ढूंढ रहा था। इसमें कोई सिफारिशें नहीं हैं। हां, अफसरशाही जो है इसमें बहुत अच्छे लोग हैं। हम सभी में अच्छे और बुरे लोग भी हैं, हम भारत के है, अफसरशाही तो रहेगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक अच्छी सेवा है, और यह ऐसी ही रहेगी और मैं सरकारिया आयोग से निश्चित रूप से सहमत हूं कि यह भारत की एकता और अखंडता में सहायक है। किन्तु हम अफसरशाही को किस प्रकार अपनी आकांक्षाओं के प्रति, उत्तरदायी बना सकते हैं, जो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है। यही समय है कि हम ऐसा करें। अनेक लक्ष्य हम इसलिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी अफसरशाही को इस बात की जानकारी नहीं है कि निम्न स्तर पर क्या हो रहा है। यह हमारी आकांक्षाओं और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह प्रत्यक्ष रूप से जनता की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हमें इस संबंध में कुछ करना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजकर नहीं, किंतु इनके साथ बातचीत करके तभी हमारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि सरकारिया आयोग ने इन अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में शुष्क सिफारिशें की हैं।

हां संविधान में एक अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 249 भी तो है। यह एक खतरनाक अनुच्छेद है। मेरी राज्य सरकार पहले से ही गृह मंत्री महोदय के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और यहां श्री दिनेश गोस्वामी हैं जो इस अनुच्छेद को निकाल देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस अनुच्छेद को निकाला नहीं जाना चाहिए, किंतु इसको राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि अब तक यह संसद के अधिकार मे है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाए। कोई भी राष्ट्रीय हित निर्धारित कर सकता है। इसका कभी भी निर्धारण किया जा सकता है। किंतु राज्यों से कभी भी सलाह नहीं ली जाएगी। अतः जहां तक राज्य सूची का संबंध है संसद की यह शक्ति अत्यन्त खतरनाक है और अनुच्छेद 249 को समस्त देश पर लागू करते समय हमने आशंका व्यक्त की थी। हमने अपनी आवाज उठाई थी। हम माननीय गृह मन्त्री के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। श्री दिनेश गोस्वामी चाहते है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि इसको समाप्त नहीं किया जाए किंतु यह उपबन्ध किया जाए कि राज्य सरकारों से सलाह ली जाएगी।

अब मैं त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कहता हूं। सरकारिया आयोग ने इस प्रश्न के संबंध में विस्तार से कुछ नहीं कहा है। मुझे लगता है कि आयोग ने गलती की है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने इस प्रश्न के संबंध में सरसरी तौर पर ही कहा है। मैं कहता हूं कि संसद ने जिस रूप में त्रिभाषा सूत्र पर निश्चय किया है उसको उचित ढंग से लागू किया जाए। फिलहाल तो मुझे आप से यही कहना है कि इसको उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाए... (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचैट्टिपालयम) : ऐसा कैसे हो सकता है। केवल द्वि-भाषा सूत्र... (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके लिए यह द्वि-भाषा सूत्र है। मैंने सच्चे मन से त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाते हैं तो हमें उर्दू, कश्मीरी को नहीं भूलना चाहिए, हमें संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल भारत की सभी चौदह भाषाओं को नहीं भूलना चाहिए। मुझे आप से यह कहना है कि उर्दू के विरुद्ध एक षड़यन्त्र चल रहा है। इस षड़यन्त्र में कुछ मुसलमान अधिकारी भी शामिल हैं। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा है "आप उर्दू की लिपि बदल सकते हैं।" मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं। हमें अधिकारियों के प्रति उचित सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। किंतु वे अपने पद के साथ चिपके रहना चाहते हैं। अपने निजी हित के लिए वे समस्त देश को बेच सकते हैं। उनमें से एक हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति। वह कहते हैं कि "आप लिपि भी बदल सकते हैं और इसे देवनागरी बना सकते हैं।" मुझे इस पर आपत्ति है। हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह भाषा मुसलमानों की नहीं है। यह समस्त भारत की है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से कहना चाहता हूं कि यह भाषा हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों ने स्वीकार की थी जैसे बृज नारायण चकबस्त, श्री आचार्य दत्तात्रेय कैफी श्री त्रिलोक चन्द महरूम, श्री रतन नाथ सरशार, श्री जगन्नाथ आजाद और श्री गोपीचंद नारंग ने इन सभी लोगों ने इस लिपि को स्वीकार किया और इसको बदला नहीं जा सकता है। महोदय, उर्दू भाषा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जहां कहीं भी हम इस प्रकार की आवाजें सुनें, हमें इन्हें अस्वीकार करना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता हिन्दुओं का पक्ष लेता है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस दल जो सबसे बड़ा दल है इस स्थिति का सामना करे और बचाव की नीति न अपनाए, और उसे भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी विचारधारा के द्वारा विरोध करना चाहिए। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पारित किए जो सम्भावतः साम्प्रदायिक हैं। मैं ने पहले ही उनकी निन्दा की है। इनमें उन्होंने इसलाम के विरुद्ध ईशनिन्दा की पुस्तक लिखने के लिए रशदी की प्रशंसा की। पुरी के शंकराचार्य ने रशदी की निन्दा की थी क्योंकि ईशनिन्दा बुरी बात है। आज यह इसलाम के पैगम्बर के खिलाफ है और हो सकता है कल ऐसा राम अथवा कृष्ण के विरुद्ध भी हो। हमें इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस पर प्रतिबन्ध का समर्थन करने के लिए वामपन्थी दलों की आलोचना की। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस पुस्तक पर अनेक मुसलमान देशों से पूर्व प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे इस देश को गृहयुद्ध तथा रक्तपात से बचा लिया गया। विपक्ष केवल विरोध के लिए काम कर रहा है। ऐसे अवसर भी होते हैं जब भारत सरकार अच्छे काम करती है और उन लोगों को स्वयं इसका समर्थन करना चाहिए। उदयपुर में उन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग को एक सांविधिक निकाय बनाया जाना चाहिए। मैं

भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि भा० ज० पार्टी साम्प्रदायिक राजनीति अपना रही है और मैं आशा करता हूं कि जब मंत्री महोदय श्री चिदम्बरम या सरदार बूटा सिंह वाद-विवाद में भाग लेंगे तो भा० ज० पार्टी द्वारा देश में उत्पन्न की गई साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में भी उत्तर देंगे।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैडम चेयर-पर्सन, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। मैं दो, तीन बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए, केवल संसद में ही नहीं। जिस तरह से हमने नई शिक्षा नीति की चर्चा स्कूलों में, कालेजों में और दूसरी एसोसियेशन्स में की थी, उसी तरह से इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस की एक ब्रीफ समरी बनाई जाए और सारे देश के स्कूलों में, कालेजों में, यूनिवर्सिटीज में, वकीलों की एसोसियेशन में और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स में इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि मेरी समझ में आजादी के बाद कोई दूसरा डाकूमेंट इतना इम्पोर्टेन्ट नहीं आया, जिसमें सारे देश की दिलचस्पी हो। सरकारिया कमीशन ने ठीक ही लिखा है कि सेन्टर को मजबूत होना चाहिए और स्टेट्स में आटोनामी होनी चाहिए। हिन्दुस्तान का जो इतिहास है, पिछले तीन हजार साल का जो इतिहास है, वह यह है कि जब-जब सेन्टर कमजोर पड़ गया, देश के कई टुकड़े हो गए और अब जबकि देश पर कई तरह के खतरे हैं, सेन्टर का मजबूत होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सेन्टर को किसी हालत में कमजोर न बनाया जाए। मैं राज्यों के हकों के पक्ष में हूं लेकिन सेन्टर और स्टेट दो भाइयों की तरह हैं। जब दो भाई मजबूत रहेंगे, तभी देश मजबूत रहेगा, एक दूसरे के खिलाफ होकर नहीं।

सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में एक जो सबसे कन्ट्रोवर्शियल बात आई है, वह है कि गवर्नर का एपाइन्टमेंट चीफ मिनिस्टर की कन्सल्टेशन से हो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डेंजरस बात कुछ नहीं हो सकती क्योंकि यदि चीफ मिनिस्टर की कन्सल्टेशन से ही एपाइन्टमेंट होगा, तो चीफ मिनिस्टर अपने मन का गवर्नर वहां चाहेगा। गवर्नर केन्द्र का प्रतिनिधि होता है और राज्यों में बहुत तरह की बातें होती हैं। कभी ला एण्ड आर्डर का ब्रेकडाऊन हो जाता है, कभी फाइनेंशियल बैंकरप्ट्सी हो जाती है और कभी ओवरड्राफ्ट लिमिट से बाहर चला जाता है इसलिए कोई तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि केन्द्र को बतावे कि राज्यों में क्या हो रहा है यदि आप गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की कन्सलेशन से ही एपाइन्ट करना चाहते हैं, तो संविधान में संशोधन कर दीजिए। बहुत से देशों में गवर्नर का इलेक्शन होता है, तो यहां पर भी गवर्नर का इलेक्शन करा दीजिए। फिर चीफ मिनिस्टर की क्या जरूरत है। उसी को गवर्नर बनाइए और उसी को चीफ मिनिस्टर बनाइए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस बात पर सरकार को कभी राजी नहीं होना चाहिए कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की कन्सल्टेशन से हो। यह एक बहुत ही डेंजरस प्रावधान होगा और अन्त में इसका बहुत बड़ा मूल्य देश को चुकाना पड़ेगा।

सरकारिया कमीशन ने यह भी कहा है कि स्टेट के जो बिल आते हैं, उनको प्रेसीडेंट की एसेन्ट देने में काफी देर हो जाती है। प्रेसीडेंट को बहुत-सी बातों को सोचना होता है और इस मामले में प्रेसीडेंट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेनी पड़ती है। सेन्टर केवल एक स्टेट के इन्ट्रेस्ट

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

को नहीं देख सकता। वह कई स्टेट्स के इन्ट्रेस्ट को देखता है और सारे देश के इन्ट्रेस्ट को देखता है। इसलिए यदि किसी स्टेट के बिल को सेन्टर पर पक्षपात रवैया अपनाए जाने का दोषारोपण नहीं हो सकता। इसमें सैन्टर को बड़े आराम से और इत्मीनान से सोचना पड़ता है कि पूरे देश के इन्ट्रेस्ट में क्या है। इसलिए सरकारिया कमीशन की इस रिकमेंडेशन से भी मैं सहमत नहीं हूं।

सरकारिया कमीशन ने इन्टर-स्टेट कौंसिल की जो बात कही है, यह एक ठीक रिकमेंडेशन है और यदि इस तरह की कौंसिल हो जाए, जिसमें कैबिनट मिनिस्टर्स हों, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हों, तो निश्चित ही बहुत-सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और बहुत-सी कंट्रोवर्सी समाप्त हो जाएगी।

गवर्नर के बारे में सरकारिया कमीशन कहता है कि संभव हो तो पोलिटिशियंस को गवर्नर नहीं बनाइये। यह तो बड़ी अजीज बात हो गयी कि पोलिटिशियंस को अछूत की श्रेणी में रख दिया जाए। गल्ती टू कोई मेन आफ मीस भी पोलिटिक्स में आ जाता है, मेन आफ स्टेटस भी पोलिटिशियन हो सकता है। आज तो पोलिटिशियन का फैशन हो गया है। आप रोज अखबारों में कार्टून देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पोलिटिशियन की समालोचना करते हैं। क्या आप यह नहीं चाहते हैं कि पोलिटिक्स में अच्छे लोग आएं? इसलिए मैं सरकारिया कमीशन की इस रिकमण्डेशन का कड़ा विरोध करता हूं कि पोलिटिशियन को ही गवर्नर नहीं बनाया जाए मैं तो कहता हूं कि पोलिटिशियन को ही गवर्नर बनाया जाए क्योंकि वह एक्सपीरियंस होता है और उसने सारे रंग देखे होते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि पोलिटिक्स में रिजेक्टेड लोग आते हैं। मैं कहता हूं कि समाज के अच्छे लोग भी पोलिटिक्स में आते हैं। अब बाते बदल गयी हैं। पोलिटिक्स में बहुत अच्छे लोग आने लगे हैं और आने वाले वक्त में और भी अच्छे लोग आयेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि पोलिटिशियन को ही गवर्नर बनाया जाए, अगर शतप्रतिशत नहीं तो 80 परसेंट पोलिटिशियंस को ही गवर्नर बनाया जाए।

रीजनल इम्बेलेंस की बात कही गयी। इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि स्टेट्स में रीजनल इम्बेलेंस खत्म हो। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरी बात को गलत न समझा जाए कि बिहार में सारी चीजें हैं। मिनरल्स हैं, लेबर है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वह बहुत पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बात आप यह कह कर हंस देते हैं कि यह बिहारी है और बिहार की तकदीर में ऐसा लिखा हुआ है या पूर्वी उत्तर प्रदेश की तकदीर में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप निष्पक्ष होकर सोचें कि बिहार को, या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को आप कम से कम उस श्रेणी में तो ले आएं जहां कि उनका हक बनता है। अगर आप रीजनल इम्बेलेंस को खत्म नहीं करेंगे तो असंतोष और बढ़ेगा। आज मध्य बिहार में जो नक्सलाईट मूवमेंट फैल रहा है और वह पूरे बिहार में फैलता जा रहा है। यह कोई हंसने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि रीजनल इम्बेलेंस के मामले पर आप पूरा गौर करें और ऐसा काम करें जिससे रीजनल इम्बेलेंस खत्म हो। जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनको आप आगे लाने की कोशिश कीजिए।

सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की एक बात मुझे बहुत पसंद आई जिसमें यह कहा गया है कि मिनरल्स पर जो रायल्टी का रिवीजन चार सालों में किया जाता है वह रिवीजन दो सालों में किया जाए। मैं तो कहता हूं कि रिवीजन हर साल किया जाए। हम बिहार के लोग इस मामले में बहुत मार खा रहे हैं। हमारे यहां के सारे मिनिरल्स देश और विदेश में जा रहे है। उन पर हमें नाम मात्र की रायल्टी मिलती है। इसलिए सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि दो वर्षों में रिवीजन किया जाए, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

सरकारिया कमीशन ने एक सबसे बड़ी बात जो थ्री टायर गवर्नमेंट की कही है उसके लिए हमारे राजीव जी प्रयास कर रहे हैं। पंचायती राज लाने की कोशिश हो रही है। यदि डिवोल्यूशन आफ पावर सेन्टर स्टेट को होता है तो स्टेट से फिर लोकल बोडीज में भी हो। तभी सही अर्थों में डेमोक्रेसी आ पाएगी। जब पंचायती राज के बारे में चर्चा होगी तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, मैं फिर जोर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि एक बड़ी टेंडेंसी फैल रही है कि सारे अधिकार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को सौंप दिए गए हैं। सारे डवलपमेंट के काम डी० एम० करता है। जन प्रतिनिधिनियों की कोई वोईस नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक बात है जिसका भारी मोल डेमोक्रेसी को चुकाना होगा। विकास के कामों में एक ब्यूरोक्रेट की कोई दिलचस्पी नहीं है। करप्शन की बात इस हाउस में कही जाती है जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कहना चाहता हूं कि कंसट्रेशन आफ पावर एक आदमी के हाथ में नहीं हो कोई आई० ए० एस० होकर डी० एम० हो जाता है। गांव के जिस लड़के को पढ़ने की सुविधा नहीं है वह बेचारा कंपीट नहीं कर सकता, सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आ सकता, आई० ए० एस० नहीं हो सकता, उसको गुलामी की जिंदगी बितानी होगी और एक शहरी लड़का जो फटाफट अंग्रेजी बोल सकता है, पब्लिक स्कूल में जिसकी एजूकेशन मिली हुई है, चाहे उसको सब्जेक्ट की नालेज हो या न हो, वह आई० ए० एस० बन जाता है और राज करता है। इस सिस्टम को हमें खत्म करना होगा, यदि सही अर्थ में लोगों का राज लाना चाहते हैं।

स्टेट को अपने यहां प्लानिंग करने का अधिकार होना चाहिए और रेजूड्यूरी पावर्स के बारे में सरकारिया कमीशन ने कहा है, उससे मैं एग्री नहीं करता। रेजूड्यूरी पावर्स सेंटर के हाथ में रहे और सेंटर जो स्कीम स्टेट में एग्जीक्यूट करता है, उसमें भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, एम० पीज० और एम० एल० एज० का दखल होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए क्या काम किये जाते हैं यह उनको बताया जाना चाहिए।

सरकारिया कमीशन ने सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट के बारे में कहा है, मैं और बातों के डीटेल्स में नहीं जाना चाहता, पहले कही हुई बातों को दोहराना चाहता हूं। सरकारिया कमीशन पर देश में हर तबके लोगों में डिटेल्ड डिसकशन होना चाहिए, क्योंकि कांस्टीट्यूशन को लागू किए हुए 48-49 साल हो गए हैं और अभी जरूरत है कि फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव किया जाए और वह बदलाव लोगों की सलाह से होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री० पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदया, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था और इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। चार वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और लगभग सभी राज्यों ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अपनी राय दी है।

जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध जब मेरे स्वर्गीय मुख्य मंत्री तमिलनाडु मे थे उन्होंने केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में अपनी राय दी थी। उन्होंने यह राय दी थी कि केन्द्र के साथ राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए और केन्द्र मजबूत होना चाहिए क्योंकि केवल शक्तिशाली केन्द्र ही मजबूत राज्य

[श्री पी० कुलनदैवेलू]

बना सकता है। यदि नींव ही मजबूत नहीं है तो ढांचा मजबूत नहीं होगा। इसीलिए केन्द्र बहुत मजबूत होना चाहिए और केन्द्र को अधिक शक्तियां दी जाएं। राज्यों की अपनी शक्तियां होनी चाहिए।

कुछ ऐसे राज्यों के मुख्य मंत्री, जहां कांग्रेस (इ) की सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों की आलोचना करते हैं। तमिलनाडु में भी, जहां करुणानिधि विपक्ष के नेता थे, जब हमारे प्रधान मंत्री तमिलनाडु गए तो राजनीति में "छोटा भाई" कह कर उनकी आलोचना की गई। क्या ऐसा कहना ठीक है ? करुणानिधि को भले ही राजनीति में या आयु में भी काफी अनुभव हो।

वह साठ वर्ष से अधिक आयु के हों, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा प्रधान मंत्री "छोटा भाई" है। किंतु इस प्रकार इनकी आलोचना की गई। यहां तक कि हमारे गृह राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम की भी आलोचना की गई कि वह राजनीति में एक छोटा बच्चा है। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? न केवल तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, परन्तु आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी प्रधान मंत्री की इसी प्रकार आलोचना की है। मैं समझता हूं कि केवल एक शक्तिशाली केन्द्र ही कांग्रेस (इ) शासित राज्यों तथा गैर-कांग्रेस (इ) शासित राज्यों को नियंत्रण में रख सकता है। राज्यों को भी सीमित शक्तियां दी जानी चाहिए। यदि इन्हें अधिक शक्तियां दी जाती हैं तो वे यह समझने लगेंगे कि वे केन्द्र से अलग हैं और फिर वे अपने राज्यों में निरंकुश शासक बनेंगे। अत: मैं शक्तिशाली केन्द्र का समर्थन करूंगा और चाहूंगा कि केन्द्र और सरकार राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिएं। जब 1949 में संविधान बनाया गया उस समय अलग स्थिति की उस समय सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय से इस देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

इसीलिए वर्तमान स्थिति में, संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान में संशोधन देश में हुए अमूल परिवर्तनों के अनुसार किया जाना चाहिए। संविधान में तीन सूचियां दी गई हैं— समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यों को सूचित किए बिना उनसे कुछ ऐसे अधिकार वापस ले लिए गए हैं जो कि राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। यदि राज्य के किसी अधिकार को अन्तर्गत हैं। यदि राज्य के किसी अधिकार को वापस ले लिया जाता है और केन्द्र को दे दिया जाता है तो राज्यों को उन अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जो उनसे लेकर केन्द्र को दे दिए गए हैं। यदि केन्द्र द्वारा राज्यों से अधिकार ले लिए गए हैं तो यह अस्वस्थ कर प्रथा होगी और यह पूर्व उदाहरण बन जाएगा।

जहां तक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का संबंध है उन्होंने यह सिफारिश की है कि कराधान के संबंध में अवशिष्ट अधिकार संघ सरकार को दिए जाने चाहिए और विधायी अधिकार समवर्ती सूची में होने चाहिएं। मैं इस सिफारिश को स्वीकार करता हूं क्योंकि यह सही सिफारिश है। महोदया, केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में, तमिलनाडु के तात्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री अन्नादुरई ने वर्ष 1962 में—जब उन्हें एक रैली में भाग लेने के कारण जेल में डाला गया था और उन्हें छ: माह से अधिक समय तक बेलोर जेल में रखा गया था और जब प्रेस वालों ने उनसे जब चीन ने उस समय भारत पर आक्रमण किया था, उनकी पृथक 'द्रविड़नाड' की मांग के बारे में पूछा था तब उन्होंने कहा था "मैं इस मांग को छोड़ रहा हूं। मैं एक मजबूत केन्द्र चाहता हूं और राष्ट्र महान है और जब राष्ट्र महान होगा, तो मैं और मेरा राज्य सुरक्षित हो सकता है।" इस प्रकार उन्होंने वर्ष 1962 में हमेशा के लिए पृथक 'द्रविड़नाड' की मांग को छोड़ दिया था। डी० एम० के० पार्टी के मेरे साथी श्री सोमू कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 को संविधान से हटाया जाना चाहिए। यह कैसे हो सकता है ?

वर्ष 1980 में अनुच्छेद 356 के अधीन उन्हीं प्रावधानों को** की मौन स्वीकृति से तमिलनाडु में हमारी सरकार को बर्खास्त करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। (व्यवधान)

श्री एम० बी० एन० सोमू : वर्ष 1980 में एम० जी० आर० को हटाने के बहुत से कारण थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमू, वह आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं। श्री कुलनदईवेलू कृपया जारी रखें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदया, वह भारत के तात्कालीन राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी के शब्दों को उद्धृत कर रहे थे कि संविधान का अनुच्छेद 356 हटाया जाना चाहिए।(व्यवधान)

श्री एन० बी० एन० सोमू : मैंने ऐसा नहीं कहा है। वह मुझे गलत ढंग से उद्धृत कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है। कृपया रिकार्ड देखें।

सभापति महोदय : आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बस काफी है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदया, मैं यह कह रहा था कि जो लोग सत्ता में थे वे संविधान के अनुच्छेद 356 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहे थे और उन्होंने इस अनुच्छेद की भी आलोचना नहीं की है। श्री संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद यह कहा था कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए श्री संजीव रेड्डी को संविधान के सम्बन्ध में टिप्पणी क्यों करनी चाहिए थी? उन्होंने उस समय कोई टिप्पणी क्यों नहीं की जब वह उस पद पर थे।

सभापति महोदय : श्री कुलनदेईवेलू, जहां तक संभव हो सके, नामों का उल्लेख न करें क्योंकि वे यहां अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं। कृपया विषय पर बोलिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदया, जहां तक केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का सम्बन्ध है, हर राज्य का मुख्य मंत्री विशेषकर गैर-कांग्रेस शासित राज्यों के शक्तियां अपने हाथ में रखता है। मुख्य मंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सभापति महोदय, दिनांक 18-3-89 को श्री नटराजन के घर पर छापा मारा गया।

श्री एन० बी० एन० सोमू : महोदया, इसका सम्बन्ध इस संकल्प से कैसे है?

सभापति महोदय : मुझे देखने दो।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह क्या है? मुख्य मंत्री अपने राजनीतिक हितों के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री एम० बी० एन० सोमू : इसका संबंध कैसे हुआ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही देखने का काम मेरा है। आप बीच में क्यों आते हैं? मुझे देखने दो कि यह क्या है?

श्री पी० कुलनदईवेलू : सभापति महोदया, दिनांक 18-3-1989 को यही हुआ था जब मद्रास के पुलिस आयुक्त ने श्री नटराजन के घर पर छापा मारा। उसने उनके घर से बहुत सी वस्तुएं जब्त

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

कर ली। मेरे पास पुलिस द्वारा जब्त की गई रिपोर्ट की फोटोस्टेट कापी भी है। मेरे पास इसकी वास्तविक प्रति है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदया, क्या हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : मुझे देखने दो। श्री सोमू आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दो। मैं यहां हूं, मैं कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देख रही हूं। मुझे देखने दो।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदया, पुलिस ने नीला मुहरबंद लिफाफा जब्त कर लिया जो तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के नाम था। वास्तव में, पुलिस ने धारा 420, 407, 409 और 307 अन्तर्गत आरोपों के लिए उसके घर पर छापा मारा। क्या अध्यक्ष के नाम लिखा मुहरबंद लिफाफा वास्तव में उस अपराध से सम्बन्धित था ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कुलनदईवेलू, कृपया विषय पर बोलने का प्रयास करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जी हां, महोदया, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। यह बहुत ही शर्मनाक कार्य है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हर व्यक्ति वही कह रहा है जो वह कहना चाहता है किन्तु विषय पर कोई नहीं बोल रहा है।

सभापति महोदय : किन्तु उन्हें कैसे भी विषय पर ही बोलना चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री किस प्रकार पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही मैं बता रहा हूं। महोदय, वास्तव में यह लिफाफा मुहरबंद लिफाफा है जिस पर तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखा था किंतु यह भी लिखा गया है कि लिफाफा खोला गया और पत्र निकालकर तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव के पास भेजा गया। यहां तक कि इसे वीकली मैगजीन में प्रकाशित किया गया है।

"राज्य आसूचना के स्रोतों के अनुसार पत्र मिलते ही······"

सभापति महोदय : पढ़िए नहीं। उल्लेख कीजिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : ठीक है, मैं उल्लेख कर रहा हूं। उपायुक्त ने इसे आयुक्त के पास भेजा और आयुक्त ने 10.30 बजे इसे गृह सचिव के पास भेजा। गृह सचिव का उस लिफाफे से क्या संबंध था जो तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के नाम था ? इसका किस प्रकार दुरुपयोग किया गया ? महोदया, वास्तव में यह पत्र अध्यक्ष के पास भेजा गया था। आज भी प्रेस वाले पूछते हैं, यहां तक कि बहुत से राजनीतिज्ञ भी इस प्रश्न के बारे में पूछते हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह अनावश्यक रूप से तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष का नाम घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं। गृह सचिव का क्या संबंध था ? (व्यवधान) मैं तमिलनाडु के अध्यक्ष का हवाला नहीं दे रहा हूं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : यहां तमिलनाडु के अध्यक्ष के उल्लेख का क्या औचित्य है ?

सभापति महोदय : मैं यह देख रही हूं कि यह संगत है या नहीं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष का हवाला कैसे दे सकते हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने उनका नाम नहीं लिया है।

सभापति महोदय : वह इस मामले में उनका नाम नहीं घसीट रहे हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) **:** अध्यक्ष पीठ फैसला करेगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। माननीय सदस्य को इस तरह टोका नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष पीठ फैसला करेगी। (**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष का उल्लेख कैसे कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, श्री सोमू, आपको बोलने से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : इसका संबंध क्या है ?

सभापति महोदय : आप इस तरह व्यवधान क्यों डालते हैं ? जो कुछ वह बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए। मैं कार्यवाही देख रही हूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : इनका प्वाइंट यह है कि अनुच्छेद 356 रहना चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री कुलनदईवेलू, संक्षेप में कहने का प्रयास करें। कृपया जारी रखें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यही सबसे उच्च मंच है जहां मैं हल ढूंढ सकता हूं और महोदया, आप लोकतंत्र की रक्षक हैं।

जब लोकतंत्रीय मानदण्डों का उल्लंघन होता है तो मुझे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है।

> "आयुक्त ने इसे गृह सचिव को दिया। 10.30 बजे तक त्याग पत्र की प्रतियां और पार्टी के लोगों को चार पृष्ठ की अपील सभी समाचारपत्रों के कार्यालयों में पहुंच गई। ऐसा कहा गया है कि पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में उन्हें समाचारपत्रों में ले गए।"

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह किस अखबार को उद्धृत कर रहे हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं पहले ही बता चुका हूं।

सभापति महोदय : श्री कुलनदईवेलू, मैं आपको अखबार से पढ़ने के लिए मना कर चुकी हूं। जहां तक सम्भव हो, इसे न पढ़ें। यदि आपको इस चर्चा के अन्तर्गत कुछ कहना है तो वही बातें कहने का प्रयास करें।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदया, महत्वपूर्ण बात यह है कि, पुलिस कर्मी उन्हें सादे कपड़ों में अखबारों तक ले गए। ऐसा करने का उन्हें क्या अधिकार था ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप पुन: व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

श्री एम० बी० एम० सोमू : नहीं, महोदया, हम इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री सोमू, आपको इस तरह व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कार्य देखने के लिए मैं यहां हूं।

श्री पी० कुलनवईवेलू : जब आप बोल रहे थे तब मैंने तो आपको इस तरह नहीं टोका।

श्री एम० बी० एम० सोमू : जब मैंने इस प्रस्ताव के बारे में भाषण दिया था तो मैं सैद्धांतिक रूप से इससे जुड़ा हुआ था। मैंने केवल मुख्य मुद्दे का ही उल्लेख किया था। परन्तु वे यहां अनावश्यक रूप से सभी बातों का उल्लेख कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मेरी अनुमति लिए बिना इस प्रकार उठने का प्रयास मत कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। 'आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं ? क्या यह कोई व्यवस्था की बात है अथवा कोई सूचना है ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री एम० बी० एम० सोमू : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? श्री सोमू कृपया वापस अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री कुलनवईवेलू कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री एम० बी० एम० सोमू : उन्हें अपने भाषण को केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में संकल्प तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : श्री कुलनवईवेलू, मुद्दे पर आने का प्रयास कीजिए।

श्री पी० कुलनवईवेलू : हां, महोदया, सादे कपड़े पहने पुलिस के लोग पत्र को सभी समाचार-पत्रों तक ले गए। यह एक बुरी बात है। वास्तव में······**······राजनैतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां राजनैतिक लाभ क्या है ? महोदया, वास्तव में हाल ही के उपचुनावों के बाद उन्हें इस बात का डर है कि विपक्षी नेता कुमारी जय ललिता सत्ता में आ सकती हैं। इसलिए उन्हें विपक्षी नेतृत्व से हटाने के लिए उन्होंने अपने राजनैतिक लाभ के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया।

महोदया, वास्तव में उन्होंने इस मामले की जांच करने और सभी हमलावरों का पता लगाने के लिए तुरंत कार्यवाही करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने के लिए प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है।

अगली घटना भी 21 मार्च को तमिलनाडु विधान सभा में घटित हुई।

श्री एम० बी० एम० सोमू : वे तमिलनाडु विधान सभा की घटनाओं की चर्चा यहां कैसे कर सकते हैं ? (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मुझे सुनने दीजिए कि वे क्या कहते हैं । मैं नहीं जानता कि वे क्या कहने जा रहे हैं ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : उन्होंने तमिलनाडु विधान सभा का उल्लेख किया है । इसमें सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता है । (व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे तमिलनाडु विधान सभा का उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं है ? यह क्या है ? तमिलनाडु विधान सभा के नाम के उल्लेख मात्र से ही वे उत्तेजित हो रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमू, मुझे यह सुनने दीजिए कि वे क्या कहने जा रहे हैं ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : आप कैसे इसकी अनुमति दे सकती हैं ?

सभापति महोदय : मुझे पहले उनकी बात सुनने दीजिए ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा का नाम लिया है ।

श्री पी० कुलनवईवेलू : क्या यह गैर-कानूनी है ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : वे कैसे इसका उल्लेख कर सकते हैं ?

श्री० पी० कुलनवईवेलू : क्या मुझे तमिलनाडु विधानसभा के नाम का उल्लेख करने का भी अधिकार नहीं है ? (व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू : उन्हें इसका उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री पी० कुलनवईवेलू : क्या यह असंसदीय है ? यह एक लोकतान्त्रिक मंच है ।

सभापति महोदय : यदि यह असंसदीय हुआ तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दूंगी । मुझे पहले उनकी बात सुनने दीजिए । मैं उन्हें कैसे ऐसा कहने से रोक सकती हूं ? ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैं उन्हें रोक नहीं सकती । नहीं । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि आपको यह सिफारिश करनी चाहिए कि हमें डी०एम० के० —ए० डी० एम० के० सम्बन्धों के बारे में भी एक सरकारिया आयोग नियुक्त करना चाहिए ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : केवल यही नहीं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : आयोग द्वारा डी० एम० के० और ए० डी० एम० के० के साथ कांग्रेस के पूर्व सम्बन्धों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : तमिलनाडु विधान सभा एक अलग मंच है । इस सदन ने अभी तक किसी भी विधानसभा अथवा किसी अन्य मंच की घटनाओं के बारे में चर्चा नहीं की है । अध्यक्ष

महोदय, मैं इस बारे में अपना विनिर्णय दे दिया है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा की घटनाओं का उल्लेख करने की अनुमति कैसे दे दी है। यह मुद्दा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगी। आपको इसका उत्तर नहीं देना है। मैं अपना विनिर्णय देने के लिए यहां उपस्थित हूं : मेरा विनिर्णय यह है कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी आप कुछ कह रहे थे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि श्री कुलनदईवेलू क्या कहने जा रहे हैं।

श्री कुलनदईवेलू आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

———

3.31 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

3.31 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

62वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू कर रहे हैं। श्री रामअवध प्रसाद

[हिन्दी]

श्री रामअवध प्रसाद (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1989 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

3.32 म० प०

जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किए जाने के उपायों के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कृपा सिंधु भोई, आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि मेरे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आप पीठासीन हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा देश में जनसंख्या, वृद्धि, जिसके कारण सभी विकास प्रयासों में बाधा पड़ी है, पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करे :

(एक) परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में मान्यता देना;

(दो) जनता में प्रति-दम्पत्ति एक बच्चे के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनमत तैयार करना;

(तीन) महिलाओं का शैक्षिक स्तर बढ़ाना;

(चार) महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना;

(पांच) सभी नागरिकों के लिए, विशेष रूप से विवाह तथा परिवार कल्याण के संबंध में एक समान सिविल-संहिता निर्धारित करना; और

(छह) शताब्दी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि की दर को शून्य स्तर तक लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करना।"

इस विषय पर चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं एक श्लोक से अपना भाषण आरम्भ करूंगा :

"सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद दुःख भागभवेत ॥"

इस महामंत्र को श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने अपनाया था और वे भारत वर्ष की ही नहीं अपितु विश्व की माता थीं।

"अयं निजः परो वेति
गणना लघुचेतसाम।
उदार चरितानां तु
वसुधैव कुटुम्बकम।"

यह जगन्नाथ संस्कृति का मार्ग है। भगवान जगन्नाथ केवल उड़ीसा के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के देवता हैं। वे केवल हिन्दुओं के ही नहीं अपितु इस्लाम के भी आराध्य हैं जिनके लिए सलबिजा ने बहुत सी कविताएं और प्रार्थनाएं लिखी हैं।

इस माननीय सदन का एक निर्वाचित सदस्य और चिकित्सा व्यवसाय का एक सदस्य होने के अलावा यह एक विशेषाधिकार की बात है कि मैं राष्ट्र की सम्पन्नता के हित में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वतन्त्रता के शुरू में स्व० प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने "नियति के साथ भेंट निश्चित करने की जिस बात को प्रतिध्वनित किया था, वह अब भी हमारे कानों में गूंजती है।" यद्यपि पं० मोतीलाल नेहरू के वंश के प्रेरणादायक और गतिशील मार्ग-दर्शन के अन्तर्गत यदि हमारे

[डा० कृपासिन्धु भोई]

देश ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त नहीं की है, फिर भी कम से कम एक आधुनिक राज्य के रूप में विकास तो अवश्य किया है। मैं यह बात इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रगति स्थान पर हमारी समृद्धि होनी चाहिए थी परन्तु वास्तविकता यह है कि जनसंख्या में भयावह वृद्धि ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, कृषि अथवा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी प्रगति को समाप्त कर दिया है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रिकार्ड में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 से लेकर जी० एन० पी० की वृद्धि पर 78 प्रतिशत रही है जबकि जनसंख्या में वृद्धि 150 प्रतिशत से भी अधिक हुई है इस प्रकार राष्ट्र के विकास में भारी कमी हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे वास्तविक उत्पादकता कार्यक्रम जारी रहें और उनमें हमारे योग्य नेता श्री राजीव गांधी द्वारा सुधार किए जाएं, यह आवश्यक है कि इस सम्मानित सभा में और विश्व मंच पर जनसंख्या वृद्धि में नियन्त्रण पर चर्चा की जाए।

हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ हमारे लिए 1300 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करना, 10880 लाख मीटर अतिरिक्त कपड़े का उत्पादन करना और लगभग 12.65 लाख अतिरिक्त विद्यालयों का, जितनी सूची बताई जाए उतनी कम है। इस शताब्दी के अन्त तक निर्माण करना, संभव है? क्या ऐसा संभव है कि 1750 लाख स्कूल आने वाले बच्चों को स्थान देना संभव है। क्या यह संभव है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 3 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए? क्या हम 17.5 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने में सफल होंगे? उस समय रोजगार के बारे में क्या स्थिति होगी जब इस शताब्दी के अंत तक हमें 475 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पड़ेंगे? मेरे माननीय मित्रों और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय यह काम इतना आसान नहीं है। यह एक दुष्कर और कठिन कार्य है यद्यपि हम जनसंख्या वृद्धि को रोक देते हैं तो कांग्रेस दल के सत्तारूढ़ होते हुए यह कार्य असंभव भी नहीं है।

आप स्कूलों से निकलने वाले शिक्षित युवकों के बारे में सोचिए। इस दर से संभवत 2000 ईस्वी में हमें प्रत्येक पांच मिनट में एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 30 मिनट में एक उच्चतर विद्यालय का निर्माण करना पड़ेगा।

महोदय, चिकित्सा तकनीक में उन्नति के कारण यू० एस० एस० आर० के चेरनी बिल अथवा यू० एस० ए० के थरनाईल की तरह ताप-न्यूक्लीय दुर्घटना के पीड़ितों की चिकित्सा संभव है। इस प्रकार की दुर्घटना के बाद बचने वाले लोगों को विकिरण के कारण मज्जे की कमी हो जाती है और मज्जे का प्रतिरोहण कर इन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन जनसंख्या में हो रही वृद्धि के बारे में क्या विचार है? इस पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? यह स्थिति भयावह होती जा रही है। इस सम्मानित सभा के अतिरिक्त इस समस्या पर विश्व के विभिन्न मंचों पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।

महोदय, हमें अपनी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर विचार करना है। वह सिर्फ भारत की माता ही नहीं थी बल्कि वह "वसुधैव कुटुम्बकम" की प्रतीक थीं। इस शताब्दी के महान राजनीतिज्ञ पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े ही दूरदर्शी थे और उन्होंने ही

औद्योगिक तथा वैज्ञानिक ढांचे की स्थापना की थी। उन्होंने भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, भिलाई और दुर्गापुर जैसे अनेक आधुनिक मन्दिर बनवाए और साथ ही 38 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केन्द्रों तथा सैंकड़ों मुख्य उद्योगों की स्थापना की जो कि आजकल कम उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां और श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में हो रही निरन्तर प्रगति बिलकुल ठप्प पड़ जाएगी यदि हम बच्चों के जन्म पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जनसंख्या वृद्धि अत्यंत भयावह है। जनसंख्या में गिरावट न आने पर अन्य सभी क्षेत्रों में विकास ऋणात्मक हो जाएगा। हमें इसके लिए किसी बड़ी मुसीबत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द आने वाली मुसीबत का अनुमान लगाकर कोई उपाय ढूंढना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो हर प्रकार का इलाज करना चाहिए। जो भी मैं कह रहा हूं एक ईमानदार भारतीय की हैसियत से कह रहा हूं। मेरे लिए राष्ट्र स्वयं मेरे से और अन्य सभी चीजों से ऊपर है।

कोई भी धर्म बच्चे को जन्म देकर उसे भूख से पीड़ित होने देने की बात नहीं कहता। कोई भी दर्शन जीवन की मूल आवश्यकताओं से विमुख होकर मरने की शिक्षा नहीं देता। यहां तक कि शरियत भी जिस पर हमारे दल के घोषणापत्र के अनुसार हमें बात नहीं करनी है, बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, जीवन की मूल आवश्यकताओं और अच्छे जीवन के अधिकार को वंचित करने की बात नहीं कहता है। महोदय, कोई भी समझदार व्यक्ति कभी किसी बच्चे को आश्रय के अभाव के सर्दियों में कांपते हुए अथवा लू से मरने की कामना नहीं करेगा। क्या हम अनियंत्रित रूप से बढ़ रही जनसंख्या के लिए ये सब उपलब्ध कर सकते हैं? हमें दृढ़ अधिकारी तंत्र और दृढ़ निश्चयी सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है।

यूरोपीय देशों में जन्म और मृत्यु का अनुपात एक सीमा में रहता है। भारत की तुलना में जहां जन्म और मृत्यु का अनुपात 36 : 14 है स्वीडन, जर्मन जनवादी गणतन्त्र और अमरीका में यह क्रमश: 12 : 11, 12 : 12 और 16 : 9 है। इस दर से शताब्दी के अंत तक हम चीन की जनसंख्या को पार कर जायेंगे। चीन में उन्होंने 1.2 प्रतिशत प्रति वर्ष का एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ·53 प्रतिशत प्रति वर्ष जापान का आंकड़ा है। यह जिक्र करना उचित है कि पश्चिमी देशों में सरकार स्वयं उपचार की अपेक्षा इसके रोक-थाम संबंधी उपायों को कर रही है। जनन क्षमता में कमी लाने के मूल कारकों में जनसंख्या वृद्धि और सेवाकाल में वृद्धि के प्रति सरकार का बदला हुआ रवैया शामिल है।

यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी बहुपत्नि विवाह को समाप्त कर दिया गया है। शरियत या कुरान में कहीं भी बहुपत्नि विवाह का समर्थन नहीं किया गया है और चारों इमामों जो विश्व आबादी के 27 प्रतिशत का नियंत्रण करते हैं और इस्लाम की शिक्षा देते हैं, का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति संतोषप्रद ढंग से जीवन की तमाम मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तो वह अधिक बच्चों को जन्म दे सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने सावधान करते हुए एक नारंगी के पेड़ का उदाहरण दिया है। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "एक नारंगी के बाग के समीप से गुजरता हुआ पथिक जब हजारों नारंगियां पेड़ों पर देखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है लेकिन वही पथिक दूसरे वर्ष बाग के समीप से गुजरते वक्त जब पेड़ों को फलहीन देखता है तो निराश हो जाता है। यदि नारंगी के फलों का 80 प्रतिशत अंकुरावस्था में ही नष्ट कर दिया जाता तो वही नारंगियां प्रति वर्ष नहीं देखी जा सकती थीं।"

[डा० कृपासिंधु भोई]

अत: इमाम भी छोटे परिवारों के विरुद्ध नहीं थे।

1951 की जनगणना को देखिए। उस समय जनसंख्या 360 मिलीयन थी। अब यह करीब 799 मिलीयन है। इसे दूसरे ढंग से व्यक्त करना चाहिए। यदि सन् 2000 तक इसे नियंत्रित न किया जाए तो विभिन्न जनांकिकी विद् और विशेषज्ञों के अनुसार यह 988 मिलीयन हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि यह 998 मिलीयन हो जाएगी। इस तरह की विपरीत प्रवृत्ति सदियों पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी की उत्कृष्ट अभिलाषा के लिए हानिकारक है जो गरीबी हटाने और प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्तर का जीवन देने के लिए संकल्पित है।

राजनैतिक पक्षपात और धार्मिक पक्षपात का हमारी विचारधारा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस समस्या की गंभीरता पर स्वयं विचार कर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के लिए एक अच्छा जीवनस्तर प्रदान करना सबसे प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता है। वर्तमान विकास दर के साथ क्या यह संभव होगा ?

इस सम्मानित सभा के विचारार्थ मैं निम्नांकित उपायों को पेश करता हूं। प्रथम तो यह है कि हमें नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना एक व्यापक विधेयक द्वारा एक बच्चे के परिवार का सिद्धांत अपनाना चाहिए अब प्रश्न यह है। कि यदि एक बच्चे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो वैसेक्टी मी और ट्यूबेक्टोमी की समस्या उठती है, वहां समय से पहले ही बच्चे की मृत्यु का खतरा रहता है। "रिकैनेलाइजेशन आफ वैसेक्टीमी ट्यूबेक्टोमी" भारत में 30 प्रतिशत ही सफल है जबकि भारत से बाहर वह 80 प्रतिशत सम्पन्न है। एक अन्य वैकल्पिक विधि भी है। हमारी सरकार उस पर जोर नहीं दे रही है, वह है भारतीय चिकित्सा पद्धति— आयुर्वेद। बस्तर और कोराफुट के जिलों में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र सम्बलपुर में चार प्रकार के जातिय औषध उपलब्ध हैं। कोरापुर जिले में आदिवासियों के बीच शादी से पूर्व खुला यौन संबंध होता है। ये औषधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी प्रजनन क्षमता रुक जाए। शादी हो जाने के बाद पुन: उस जड़ को दिया जाता है और फिर उनमें प्रजनन क्षमता आ जाती है। इसमें पांच वर्ष लगेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। उन्हें मेरी बात को सुनना चाहिए था। मेरे गांव नरसिंहनाथ में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। हम लोग शोधकार्य भी कर रहे हैं। हम भारतीय चिकित्सा शोध संस्थान से इस बायो मेडीकल शोध केन्द्र को संरक्षण देने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि हम विश्व की अभिलाषा को पूरी कर सके और सम्पूर्ण देश इससे खुश हो। सन् 2000 तक वृद्धि दर शून्य हो जानी चाहिए। यद्यपि मैंने इसे लिखा है, पर मैं चाहता हूं कि सरकार चरणबद्ध रूप से विधेयक लाए। अभी हमें दो बच्चे का मापदण्ड अपनाना चाहिए जब तक कि हम यह आशा न करने लगे कि यदि पहला बच्चा मर जाता है तो रिकैनेलाइजेशन किया जाए अथवा चिकित्सा विज्ञान की नई आयुर्वेदिक प्रणाली बायो-मेडिकल ढंग से सफल सिद्ध हो जाए।

बड़े पैमाने पर यह पाया गया है कि महिलाओं की शिक्षा द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना संभव है। ऐसे देश मे जहां ग्रामीण महिलायें बच्चे के जन्म को दैनिक उपहार मानती है, उन्हें शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। हमें महिलाओं को बचपन से ही विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चीन में सौ प्रतिशत शिक्षा है। भारत में यदि मैं कहूं कि सन् 2000 तक सौ प्रतिशत शिक्षा हो जाएगी तो यह संभव नहीं है। अत: मैं महिलाओं के शिक्षा पर जोर दे रहा हूं जिन्हें वास्तव में

निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अब विशेषरूप से आपरेशन निरोध और अन्तराल की विधियां पुरानी पड़ चुकी हैं। हमने ब्रिटिश शासन काल से उन्हें अपनाया है।

हमारा देश एक उपमहाद्वीप है जहां सभी सातों प्रकार के भूवैज्ञानिक संगठन जैसे पुराने, प्राचीन, तृतीय युग के, गड़वाना और राक-फ्लेलर पाये जाते हैं। अत: भिन्न-भिन्न जगहों पर जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए हमें अलग-अलग विधियां अपनानी होंगी।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठी हैं। वह महिला हैं, उन्हें मेरे ठोस सुझावों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण सन् 2000 तक हम बहुत पैसे खर्च कर देंगे और प्रति व्यक्ति आय एक हजार रुपये से भी अधिक होगी। अत: गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए कुछ प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए 40 रु० से 45 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए 50 रु० से 60 रु० की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 15 रु० से 20 रु० प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए दिए जा सकते हैं। यह सिर्फ लड़कियों के लिये है। उच्च वर्ग के लिये यह दूसरे प्रकार का है।

चीन में एक बच्चे का मापदंड अपनाने वाले व्यक्ति को मकान के लिये जगह, निःशुल्क शिक्षा और यदि उसका बच्चा मेधावी है तो 12वीं कक्षा के बाद किसी भी मेडीकल कालेज या विभिन्न तकनीकी संस्थानों में उसके लिये एक सीट आरक्षित रहती है। हम भी क्यों नहीं इसे अपनाते? इस प्रकार के प्रोत्साहन हम यहां भी दे सकते हैं।

अब महिला शिक्षा का अनुपात 1 : 2 है। 48% पुरुषों की तुलना में 24% महिलाएं शिक्षित हैं। यद्यपि 1901 से अब इसमें वृद्धि हुई है लेकिन यह सिर्फ 2 : 1 है। इसे विपरीत होना चाहिए और जब तक कि इसके लिये पूर्ण प्रयास नहीं किया जाता मैं नहीं समझता हूं कि हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने 1977 की महत्वपूर्ण घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। 1983 में हमने एक स्वास्थ्य नीति अपनायी है जिसमें सन् 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य की घोषणा की गयी है।

आज तक हमने सिर्फ 2600 करोड़ रु० व्यय किये हैं। यह जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए नाम मात्र का प्रयास है। मेरे विचार से और बीर समिति के सिफारिशों के अनुसार सम्पूर्ण योजना के लिए दी गयी राशि का कम से कम 10% स्वास्थ्य विभाग को मिलना चाहिए और उसमें से 50% जनसंख्या नियंत्रण योजना में खर्च होना चाहिए।

ऐलोपैथी के वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया में और आयुर्वेदिक चिकित्सा में, जहां विरोध आते हैं इस देश में परिवार नियोजन पूर्ण रूप से अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इन आंकड़ों को देखिए, 1976-77 में 86,63000 लोगों का आपरेशन हुआ था।

1977-78 में राजनारायण फार्मूले के द्वारा इसे कम करके 12,42,000 कर दिया गया। 1978-79 में यह 18 लाख था। अब यह बढ़कर 50,28,000 हो गया है। अगर हम योग्य दम्पतियों का नसबन्दी आपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस पर गहन विचार करना होगा :

[डा० कृपासिंधु भोई]

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी यहां थी, तो वह विश्व के हर मंच पर यह कहा करती थीं कि वस्तुओं का उपभोग सम्पूर्ण मानव जाति में किया जाना चाहिए। हम दुनिया के हर मंच पर यह कहते हैं कि सम्पूर्ण मानव जाति ईश्वर द्वारा बनाई गई है। जब दूसरे पश्चिमी देश और चीन जैसे विकासशील देश अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हमें अपना लक्ष्य 200 ईसवीं तक प्राप्त कर लेना चाहिये। हमें 2000 ईसवीं तक शून्य प्रतिशत विकास दर जरूर प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये एक व्यापक विधान की आवश्यकता है: सामान्य जन सभी के प्यारे होते हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये नरसिंह नाथ आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र जैव औषधीय केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया है। जिससे हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

महोदय, दूसरी बात यह है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अनुभव के अनुसार अधिकारियों के अलावा, जो कि परिवार नियोजन विभाग में काम करेंगे, हमें डाक्टरों की भी जरूरत है जो कि इन उच्च पदों पर कार्य करेंगे। क्यों नहीं हम उनकी सेवाओं का उपयोग करके उन्हें सम्वर्ग में रख सकते हैं? खासकर, महिला डाक्टरों और महिला स्वयं सेवियों की सारे देश में से भरती करनी चाहिए ताकि वे लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दे सकें। महोदय मेरा सुझाव है कि समुदाय पर आधारित दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरे विचार से प्रत्येक गांव से एक ऐसे व्यक्ति को एजेन्ट चुनना चाहिए जिसकी योग्यता कम से कम मैट्रिक हो तथा उसे परिवार नियोजन की विभिन्न तकनीकों के लाभ और हानि के संबंध में 15 दिन का प्रशिक्षण देना चाहिए यह इसलिए जरूरी है कि प्रचार माध्यम और दूसरे माध्यम ऐसी अफवाहों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे यह बातें फैल रही है कि नसबंदी से नपुंसकता होती है। गर्भ निरोधकों के संबंध में विदेशी पत्रिकाओं में अनेक प्रतिकूल टिप्पणियां प्रकाशित रही हैं। एक आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक भी है। हो सकता है कि आयुर्वेदिक दवाएं स्वस्थ न कर पाएं पर इसके उपयोग से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिये, मेरा सुझाव यह है कि ऐसे प्रत्येक गांव से, जिसकी जनसंख्या दो हजार हो, कम से कम चार एजेंटों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कि लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। चार एजेंटों में से कम से कम दो महिला एजेंट होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 'विलेज गाईड' जिन्हें श्री राजनारायण ने अनावश्यक रूप से नियुक्त किया था, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को जिनकी योग्यता कम से कम मैट्रिक हो, और जो कुछ जानते हों, 15 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद यह रोजगार दिया जाना चाहिए। उनके लिये एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का भी इंतजाम करना चाहिये।

तब योग्य लोगों के द्वारा परिवार नियोजन उप केन्द्रों का बीच-बीच में दौरा करना चाहिये। एजेंटों द्वारा अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एजेंटों का चयन पंचायत प्रधान और गांव की अन्य सामाजिक महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वह लोगों को प्रोत्साहित करें और लोगों को इनके बारे में बताएं। ऊपरी स्तर पर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर डाक्टरों को साल में कम से कम चार बार दौरा करके इन कामों की देखभाल करनी चाहिए। विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है पर मेरे विचार से इसे और बढ़ाया जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए इसे 18 से बढ़ाकर 21 साल और पुरुषों से लिए 21 से बढ़ाकर 24 साल किया जाना चाहिये। यह लाभकारी सिद्ध होगा।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में लोगों को मुफ्त अनुदान दे रही है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक लोग परिवार में दो बच्चों के मानदण्ड को नहीं अपनाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का ऋण नहीं देना चाहिए। यहां तक जो किसान इन मानदण्डों को नहीं अपनाते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार के अनुदान के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि उन्हें हतोत्साहित ही किया जाना चाहिये। जहां तक विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का सवाल है तो जिन्हें पहले से ही दो बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं किया जा सकता पर जो 25-35 आयु वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अगर वे एक बच्चे का परिवार अपनाते हैं तो उन्हें कुछ वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे वे अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकें।

आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट प्रावधान को भी बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सभी योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। उन राज्य सरकारों को जो रिजर्व बैंक से ज्यादा 'ओवर ड्राफ्ट' लेते है परन्तु भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग द्वारा निश्चित लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें भी हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

जहां तक वृद्धावस्था का सवाल है तो लोग इसकी सुरक्षा के लिए पुत्र चाहते हैं। इसलिए जब तक वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, जिसका चीन और अन्य जगहों पर प्रावधान किया गया है, नहीं अपनाया जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो पायेगा।

दूसरी बात यह है कि अविवाहित व्यक्ति बच्चे नहीं पैदा करते। वर्तमान व्यवस्था में अविवाहित व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उन्हें राशन इत्यादि के रूप में कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐलोपैथी औषधी व्यवस्था में शुक्र वाहकों और फेलोपियन नली को जोड़ने की सफलता केवल 30 प्रतिशत है जबकि पश्चिमी देशों में यह 80 प्रतिशत है। इस दिशा में मेरे अन्य सुझाव हैं कि गैर-सरकारी और स्वयं सेवी संगठनों को भी शामिल करना चाहिए। कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं काम के बहाने केन्द्र सरकार से बहुत पैसे लेती है। स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए भी कुछ लक्ष्य निश्चित किया जाना चाहिए। अब इस कार्य में लगभग 300 स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। इसमें फैमिली प्लानिंग फाउंडेशन आफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रोटरी एण्ड लायनस क्लब, ट्रेड यूनियन्स, चेम्बरस ऑफ कामर्स इत्यादि हैं। ये सभी स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार से अनुदान की मांग करती हैं पर उनसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिये भी कहा जाना चाहिए। अनुसंधान का कार्य भी भारत में बहुत कम है। मैंने इसके ऊपर एक अलग नोट तैयार किया है जो मैं बाद में दूंगा। हमारे पास एक अनुसंधान संस्था है जिसे उत्तर प्रदेश बिहार और अन्य राज्यों में उपयोग में लाया जाना चाहिए क्योंकि वहां जनसंख्या में वृद्धि अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा ही स्त्री शिक्षा केरल में ज्यादा अच्छी है, और जिसके कारण वहां परिणाम अच्छे हैं।

4.00 म० प०

समुदाय पर आधारित परिवार-नियोजन दृष्टिकोण के बारे में स्थानीय लोग बाहर के स्वास्थ्य कर्मचारियों से ज्यादा जानते हैं कि घर में निर्णय लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है, परिवार का ब्यौरा क्या है और पारिवारिक संबंध कैसे हैं, और परिवार जाति और सामाजिक समूहों के महत्व तथा संख्या कितनी है, परिवार में निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है और वह ऐसे निर्णयों को बदलने

[डा० कृपासिंधु भोई]

में वह क्या सामाजिक दबाव डाल सकता/सकती है, वह गांव के विभिन्न समुदायों की मान्यताओं तथा प्रथा को समझता है या नहीं, समुदाय के लोगो की आर्थिक स्थिति कैसी है। समुदाय आधारित दृष्टिकोण का औचित्य और उद्देश्य परिवार नियोजन साधनों की स्वीकृति को बढ़ावा देना है, गर्भनिरोधकों की आपूर्ति में विलम्ब को दूर करना है। संस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को बदलना है, योग्य दम्पतियों को नसबंदी और बंध्यकरण के लिए दबाव डालने के बजाए उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश मे दोनों ही काफी प्रचलित हैं। यद्यपि नसबंदी थोड़ी कम है। मैं कहना चाहता हूं कि अब तक महिलाओं की दशा नहीं सुधारी जा सकी है। पिछली जनगणना के अनुसार कुल 50 लाख मामलों में से 40 लाख मामले महिलाओं की नसबंदी के थे और 10 लाख पुरुष नसबंदी के। महिलाओं को दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इसमें दृष्टिकोण में बदलाव लाना जरूरी है। प्रोत्साहन और अन्य बातें एक चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिएं।

योजना के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार कोई कानूनी उपाय तत्काल न उठाएं लेकिन उन्हें कम से कम राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से कुछ उपाय करने चाहिएं। यह संस्थान देश में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। इसका पूर्व-परीक्षण बोस द्वारा कहे गये "बी० आई० एम० आर० यू० अर्थात् राज्य बिहार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में से किसी में भी किया जा सकता है। यदि इसके परिणाम उत्साहजनक हों तो इसे पूरे देश में कार्यान्वित करें।

शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर कम करने में हम अधिक सफल नहीं हुए हैं। 2000 ईसवीं तक हमारा लक्ष्य प्रति हजार पर 21 जन्म दर तथा 9 मृत्यु दर होना चाहिए लेकिन यह अभी भी कम है। अन्य देशों में मृत्यु-दर कम हुई है। भारत में 76 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। हमने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की आयु में वृद्धि की है लेकिन 48 प्रतिशत जनसंख्या ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है। सिर्फ कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हमें इस सन्दर्भ में सोचना है। मैं उपाध्यक्ष महोदय और यहां बैठे सभी सदस्यों से कहता हूं कि जाति और धर्म को बीच में न लाकर भारत इस क्षेत्र में काफी उपलब्ध प्राप्त कर सकता है। जब 1976-77 में हम 80 लाख लोगों का बन्ध्यीकरण क्यों नहीं कर सकते हैं ? यही हमारा निश्चय होना चाहिए ताकि जनसंख्या घटाकर हम 2000 ईस्वीं तक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। आपकी कृपा और उदारता के कारण मुझे समय मिला है और मैं यह श्लोक कह कर भाषण समाप्त करता हूं।

"गंगा शतद्रु यमुना दिमद्य
यस्य प्रसूतिम परिपालयन्ति
यो राम सीता चरन प्रसूत:
सर्व प्रियो भारत भव्य देश; ।।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा देश में जनसंख्या वृद्धि, जिसके कारण सभी विकास प्रयासों में बाधा पड़ी है, पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करें :

(एक) परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में मान्यता देना;

(दो) जनता में प्रति-दम्पत्ति एक बच्चे के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनमत तैयार करना;

(तीन) महिलाओं का शैक्षिक स्तर बढ़ाना;

(चार) महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना;

(पांच) सभी नागरिकों के लिए, विशेष रूप से विवाह तथा परिवार कल्याण के संबंध में एक समान सिविल-संहिता निर्धारित करना; और

(छ) शताब्दी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि की दर को शून्य स्तर तक लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करना।

श्री शंकर लाल जी : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शंकर लाल (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में—

(एक) "(दो) जनता में प्रति दम्पति एक बच्चे के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय जनमत तैयार करना" का लोप किया जाए

(दो) "(छह) शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या वृद्धि की दर को शून्य स्तर तक लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करना।" का लोप किया जाये

(तीन) अन्त में यह जोड़ा जाये—

"(सात) प्रति दम्पत्ति दो बच्चों की सीमा निर्धारित करते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिए जाति मूलवंश अथवा धर्म का कोई भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना।" (1)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० सी० जैन···

श्री शंकर लाल : महोदय, मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न करना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : कि संकल्प में,—

"(पांच) सभी नागरिकों के लिए विशेष रूप से विवाह तथा परिवार कल्याण के संबंध में एक समान सिविल-संहिता निर्धारित करना;" का लोप किया जाए। (2)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वी० सी० जैन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० भोई ने जो प्रस्ताव रखा है वह राष्ट्र के हित में है, हमारी सरकार ने भी परिवार नियोजना कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाकर ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन हमको इस कार्यक्रम को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि इसमें जनता का सहयोग प्राप्त हो सके। हमने बहुत से सामाजिक कानून बनाए, जनता साथ नहीं चली और उनका कार्यान्वियन नहीं हो सका। परिवार नियोजन कार्यक्रम को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इससे संबंधित कानून को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार की नीति बनाएं, जिसका परिपालन सही तरीके से हो सके। अगर इस तरह का कानून प्रस्तुत किया गया जिसका परिपालन न हो सके तो इसमें हमारी असफलता होगी। अभी तो हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ ही इस बात पर एकमत नहीं हैं कि किस प्रकार जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। अभी जो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में और जिलों में चल रहा है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जनता के प्रतिनिधि दिलचस्पी नहीं लेते, सरपंच, प्रधान प्रमुख, एम०एल०एज०, एम० पीज दिलचस्पी नहीं लेते अगर ये लोग दिलचस्पी लें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत सफलता मिल सकती है। पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंगें होती हैं, उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन अभी तक जनता के प्रतिनिधियों में इस प्रकार का साहस नहीं है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब बैठकर अपनी एक राय बनाएं और उसके अनुसार कोई कानून बनाया जाए। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाया गया जिसका परिपालन न हो सका, दूसरों ने इसका विरोध किया जैसे 1977 में किया गया था तो पहले की तरह इसके भी परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। इसलिए इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिसके घातक परिणाम हों। अभी तक जनता इसके लिए तैयार नहीं है, जनता को तैयार करने के लिए सबसे बड़ा सुझाव यही है कि जनता के प्रतिनिधियों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहि। प्रश्न यह है कि हमारा लक्ष्य है—

[अनुवाद]

इस शताब्दी के अन्त तक शून्य की जनसंख्या वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करना।

[हिन्दी]

जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, उस तरह से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते शिक्षा के कार्यक्रम को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। केरल में यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ है। मेरे क्षेत्र में तीन प्रतिशत महिलाएं एजुकेटेड हैं और बारह प्रतिशत साक्षरता बाड़मेर जिले में हैं। चौबीस परसेंट साक्षरता राजस्थान में है। बारह परसेंट महिलाओं में साक्षरता है। जब तक महिलाओं में साक्षरता का कार्यक्रम नहीं बढ़ायेंगे तब तक परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा जोर दें। हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में प्राइमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता है तो वहां अवश्य खोले जाने चाहिए। जो बच्चा खुशी के साथ पढ़ना चाहता है उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उचित कदम उठाना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने जाए उसके लिए एक से दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्कूल नहीं होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था सारे देश में होनी चाहिए। हमारे राजस्थान में भी तीन हजार प्राइमरी स्कूल गत वर्ष खोले गए। वास्तव में वे स्कूल खुले ही नहीं क्योंकि मास्टर ही नहीं भेजे गए। वे लोग जब पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने का अवसर अवश्य दिया जाना

चाहिए। अगर उनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है तो उन्हें किस प्रकार से परिवार नियोजन का मतलब समझायेंगे। केन्द्र सरकार ने जो नार्म्स फिक्स किए हैं उसके अनुसार सभी स्थानों पर तीन हजार की आबादी पर सब-सेंटर होनी चाहिए। पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सब-सेंटर, फर्स्ट एड पोस्ट, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, रेफरल हास्पिटल तथा बड़े-बड़े हास्पिटल खोले जाने चाहिए। जहां पर डिस्पेंसरीज खुली हैं वहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंचते। अगर दो डॉक्टर हैं तो एक ही जाता है या एक भी नहीं होता है।

सभी स्थानों पर डॉक्टर्स, कम्पाउण्डर्स और ए० एन० एम० के पद भरे जाने चाहिए। पहाड़ी रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टर्स आदि नहीं जाना चाहते, उसके लिए उन्हें विशेष अनुदान मिलना चाहिए। उनके रहने के लिए मकान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर में सर्जन की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए जिनको दूरबीन नसबन्दी के बारे में ज्ञान हो और वे उसका पूरी तरह से अध्ययन करें। ट्यूबकटोमी, वैस्कटोमी दोनों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सारी व्यवस्थायें प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में ही होनी चाहिएं, वरना कार्यक्रम बनाया जाता है, कलेक्टर जाते हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं, कभी दस लोग आते हैं या 20-25 महिलायें आती हैं और बड़ा भारी खर्चा होता है। अगर हम प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर ही दूरबीन नसबन्दी की व्यवस्था करा दें तो यह सब नहीं होगा। प्रशिक्षित डाक्टर्स ग्रामीण इलाकों में भेजने चाहिएं और उन्हें शहरों के मुकाबले अच्छी तनख्वाह दी जाये, विशेष भत्ता दिया जाये जिससे वे अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। अभी जो प्रस्ताव रखा गया है कि परिवार में एक सदस्य होना चाहिए। हमारे देश में अभी इस फिलासफी को नहीं माना जा सकता। हम दो सदस्यों को तो मानने को तैयार हैं।

हमारे यहां के सभी धर्मों में इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं होगा कि एक लड़की हो या एक लड़का हो। इसलिए यह निर्णय लेना पड़ेगा कि दो सदस्यों का परिवार हो। वह छोटा परिवार हो इसके बारे में कंसेप्शन को माना जा सकता है और परिवार नियोजन को मान्यता दी जाये। हमारे यहां पर बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ रही है और इस प्रकार के धर्म हैं कि वे यह विश्वास नहीं करते हैं कि परिवार नियोजन हो। लोग तो यह समझते हैं कि यह भगवान की देन है। इसलिए उनको समझाने की आवश्यकता है और धर्मों में जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको समझाने की विशेष आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमने बहुत कम कोशिश की है। हमें इस प्रकार का साहित्य सृजन करना चाहिए चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो उनको यह बताया जाये कि आपके धर्म में इस पर कोई पाबन्दी या मनाही नहीं है और आपको इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिए। इसके लिए सस्ते साहित्य की रचना कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनके दिमागों में भी परिवर्तन हो, जो हम अभी तक नहीं कर सके हैं। यह भी हमारी एक कमजोरी है। हमें इस सम्बन्ध में कोशिश करनी चाहिए। यह कार्यक्रम हमें कानून बनाकर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे तो समझा-बुझाकर लोगों को बताया जाना चाहिए और वे स्वयं तैयार हों। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों के स्टाइपेंड की व्यवस्था करें चाहे पचास रुपये हो या एक सौ रुपये की सुविधा दें, लेकिन कानून बनाकर इसको लागू करें तो जनता इसके लिए तैयार नहीं होगी।

इसलिए कानून बनाने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रजातांत्रिक तरीके हमें इस कार्यक्रम को अपनाने पर बल देना चाहिये। शिक्षा का विस्तार करके, मेडिकल फैसिलिटीज का विस्तार

करके इस कार्य का प्रचार जन-जन तक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये । यदि हम इस नीति पर चलेंगे तो हमारा कार्यक्रम अवश्य ही कामयाब होगा, सफलीभूत होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

डा० जी० विजय रामाराव (सिद्दिपेट) : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने सही समय पर यह प्रस्ताव रखा है जिसमें हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव निहित हैं । पिछले 50 वर्षों से स्वतन्त्रता बाद के युग में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए उचित रूप से योजना नहीं बनाई गई । अब भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है । भारत हर क्षेत्र में पिछड़ा हो हो सकता है लेकिन जनसंख्या के क्षेत्र यह सारे विश्व में दूसरे स्थान पर है ।

दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से जनसंख्या की समस्या का समाधान का नियंत्रण नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं कि कुछ कानून बनाने से ही आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं । जनसंख्या नियंत्रित करने की बुनियादी इकाई परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है । ग्रामीण लोग, उनके परिवार जनसंख्या नियंत्रण के बारे में तथा अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं । और उन्हें नहीं पता कि अब एक परिवार में अधिक बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका पालन पोषण कैसे किया जाए । जब तक सरकार निचले स्तर पर परिवार के स्तर पर कार्य नहीं करती और हम उन्हें एक सीमित परिवार के प्रति जागरूक नहीं करते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता है । राष्ट्रीय जल नीति की तरह आप देश भर में जल के उपयोग पर कानून बनाकर इसे कार्यान्वित कर सकते हैं और इस प्रकार जल का उचित रूप से उपयोग कर सकते हैं । लेकिन एक व्यक्ति जल नीति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण एक व्यक्ति पर निर्भर है । यह एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को नियंत्रित रखने से शुरू होता है । इसलिए हर व्यक्ति को इसके प्रति सजग होना चाहिए । इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार, सामाजिक संगठनों, लोगों, जनता के प्रतिनिधि आदि सभी को अधिक से अधिक कार्य करना है ।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग अनपढ़ है । वे सोचते हैं कि नसबन्दी करवाएं तो वह कमजोर हो सकती है अथवा यदि पुरुष नसबन्दी करवाए तो वे अपनी क्षमता खो सकते है । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग परिवार नियोजन के तरीके नहीं अपनाते हैं । इस प्रकार जो लोग अधिक जिम्मेदारियों के नीचे आते है या जो जनसंख्या के प्रति और अधिक सजग हैं, वे आपके प्रोत्साहनों के बावजूद भी ऐसा करते हैं । लेकिन हमारे देश में लोग स्वेच्छा से इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं और वे परिवार नियोजन के तरीकों को नहीं अपना रहे हैं । इसलिए उनका विश्वास जीतने के लिए आपको उन्हें परिवार नियोजन के प्रति पूर्णतया सजग करना चाहिए । सबसे पहले आप लोगों से बात करें । ज्यादातर अशिक्षित लोग परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानते हैं । वे पूछते हैं कि वे परिवार नियोजन क्यों अपनाएं । जब तक एक परिवार नियोजित नहीं है वह राष्ट्रीय विकास में योगदान नहीं कर सकता है अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास में भाग नहीं ले सकता है ज्यादातर लोग नहीं जानते कि परिवार पर नियंत्रण कैसे किया जाए, परिवार को सीमित कैसे किया जाए । 60 या 70 या 50 वर्ष की उम्र होने तक वे परिवार नियोजन की आवश्यकता को महसूस नहीं कर पाते हैं वे केवल अपने बड़े परिवार की सोचते है । ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है । हमें प्रचार माध्यमों रेडियो, टी० वी० और अन्य माध्यमों से लोगों को शिक्षित करना चाहिए और जनता में जागरूकता

उत्पन्न करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पिछले चालीस वर्षों में, हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हमारे देश में लोगों की आयु में वृद्धि हुई है। मृत्यु-दर घटी है। बच्चों में मृत्यु-दर भी कम हुई है। इन सभी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1981 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या केवल 58.5 करोड़ थी जो 1985 में 75 करोड़ को पार कर गई। अब यह 90 करोड़ के आस-पास हो सकती है। 2000 ईस्वी तक हमारे देश की जनसंख्या एक सौ करोड़ से अधिक हो जाएगी। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए लोगों में स्पर्धा होगी। इसके अलावा, शिक्षित लोग अधिकतर ग्रामीण अशिक्षित लोगों का शोषण कर रहे हैं। यदि हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों का और अधिक शोषन करेंगे। फिर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का एक विशेष वर्ग परिवार नियोजन नहीं अपनाना चाहता है। वे समझते हैं कि बच्चे तो भगवान की देन हैं। इस गलत धारणा के कारण वे जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। हमें इन लोगों को अपने प्रचार माध्यमों द्वारा शिक्षित करना चाहिए। भारत तथा अन्य देशों में हर चीज के लिए एक सीमा है। भूमि-सीमा के अनुसार एक व्यक्ति अधिक जमीन नहीं रख सकता है। इसी प्रकार हम यह कानून बना सकते हैं कि एक व्यक्ति दो या तीन बच्चों से अधिक बच्चे नहीं रख सकता है। जब तक हम इसे अनिवार्य नहीं करते सम्भवतः हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। विद्यमान प्रोत्साहन आकर्षक नहीं हैं। जो व्यक्ति परिवार नियोजन का आपरेशन करवाता है उसे हम केवल 150/- रुपये दे रहे हैं और परिवार नियोजन का आपरेशन करवाने वाली महिला को हम 250/-रुपये दे रहे हैं। आपरेशन के बाद लोगों को लगभग 30 दिन का विश्राम करना होता है। इसके कारण वे अपनी आय खो देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आप प्रोत्साहन में वृद्धि करें और परिवार नियोजन के योग्य लोगों को आकर्षित करें। इसके साथ-साथ हमें अपने प्रचार माध्यमों द्वारा लोगों को शिक्षित करना चाहिए। हमें परिवार नियोजन के लिए अपने प्रचार माध्यमों से और अधिक जोरदार तरीके से प्रचार करना चाहिए ताकि कम से कम भविष्य में तो अच्छा जीवन एक स्वस्थ भारत और/एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था हो।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं।

*डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं डा० कृपासिंधु भोई को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस सभा के समक्ष यह महत्वपूर्ण संकल्प पेश करके हमें इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, हमारा देश विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। किन्तु यह खेद की बात है कि हमें आज भी उस अपेक्षित लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई है। इसीलिए हमें अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को और व्यापक बनाना होगा तथा उन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के साधनों के बारे में विचार करना होगा। मैं इस बारे में अधिक विस्तार में नहीं कहूंगी क्योंकि इसके लिए अधिक वक्त चाहिए। मैं केवल यही कहूंगी कि इस संबंध में अधिक व्यापक और प्रभावी कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। अपने संकल्प के दूसरे मुद्दे में डा० भोई ने इस संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता लाने की बात कही है। मुझे बड़े दुःख और शर्म से कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय जागरूकता और सम्पत्ति सम्भव नहीं है। क्योंकि हमारी अधिकांश जनता अशिक्षित है। गांवों में स्कूल हैं लेकिन इन स्कूलों में बहुत कम बच्चे जाते हैं। इसका

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० फूलरेणु गुहा]

मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति है। निःसंदेह वहां जागरूकता लाना जरूरी है किन्तु इसका मुख्य कारण निर्धनता है। हमें इस पहलू के बारे में भी सोचना होगा। इस संबंध में मैं कहूंगी कि हमारे देश में शिशुओं और बच्चों के लिए 'क्रैच' बनाए गए हैं। ये 'क्रैच' देश में हर जगह खोले जाने चाहिए। इन क्रैचों' में बढ़ते बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि बड़े होकर उन्हें क्या करना चाहिए औ माता-पिता को भी उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के फायदों के बारे में बताया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें इस समय इसके आर्थिकों कारणों का कोई महत्व नहीं नजर आए। लेकिन भविष्य में उनके बच्चों को समुचित शिक्षा का लाभ मिल पाएगा।

हमारे मित्र ने प्रत्येक दम्पत्ति का एक बच्चा होने का मानदंड अपनाने का जिक्र किया है। महोदय, हमारे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। मैं नहीं समझती कि ग्रामीण लोग 'एक-बच्चा' होने का मानदंड अपनाएंगे। विशेषकर तब जब पहला बच्चा कन्या हो, तब यह मानदंड बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि हम 'एक बच्चा' होने का यह मानदंड लागू करते हैं, तो कन्या के पिता को कई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि हमें प्रत्येक पति-पत्नी के दो बच्चे न कि एक बच्चा होने के बारे में विचार करना होगा। तीसरा मुद्दा उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के बारे में उठाया है। मुझे यह मानते हुए शर्म महसूस हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाएं बहुत पीछे हैं। शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। निश्चय ही हमारी सरकार ने महिलाओं तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए धनराशि आवंटित की है। और विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिला शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। मेरा यह सुझाव है कि प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकों में दिलचस्प कहानियों के रूप में परिवार नियोजन के विषय को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम पुस्तकों में परिवार नियोजन का समर्थन बड़े रूखे तरीके से करते है, तो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अतः हमें उन कार्यक्रमों का प्रचार दिलचस्प कहानियों के माध्यम से करना चाहिए।

संकल्प का चौथा मुद्दा महिलाओं के स्वास्थ्य की देख-रेख के बारे में है। महोदय, मुझे यह बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यद्यपि सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत कुछ किया है, तथापि गांवों में कई औषधालयों में दवाइयां नहीं हैं, डाक्टर और कंपाउडर नहीं हैं, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को देखकर हमें बहुत दुःख होता है। वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जब कुछ समय पहले प्रधान मंत्री हमारे राज्य में आए थे, तो उन्होंने कुछ स्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्वयं उन असामान्य परिस्थितियों को देखा। यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। ऐसी दयनीय परि-स्थितियां केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं हैं अपितु ऐसे कई अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यहां मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कई औषधियों की जड़ी बूटियां, जड़ें, पत्ते आदि उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से कई साधारण रोगों का इलाज किया जा सकता है। महोदय, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यदि गांवों में महिलाओं को आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो वे कई रोगों का इलाज प्राथमिक चरणों में ही कर सकती हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मेरा स्वास्थ्य मंत्रालय से यह अनुरोध है कि यदि वे इस पहलू के संबंध में ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनको ऐसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से मिला सकती हूं जो

इस अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। मुझे इस मामले में जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं आपकी सहायता भी कर सकता हूं।

पांचवें मुद्दे में सिविल कोड बनाने संहिता की बात कही गई है। महोदय, स्वतन्त्रता से पहले भी जब हमने 'नारी आन्दोलन' किए हमने सिविल कोड बनाए जाने की मांग की थी।

महोदय, मैं उन दिनों को गर्व से याद करती हूं जब मैंने भारत की महान बेटियों-जैसे सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अमृत कौर, हंस मेहता और अन्य कई स्त्रियों द्वारा इस संबंध में चलाए गए आंदोलनों में भाग लिया था। मुझे उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अच्छा मौका मिला था। हम आज भी उसी में विश्वास करते हैं और आज भी ऐसे आंदोलन करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा यथा शीघ्र एक समान सिविल कोड बनाया जाए।

छठा और अंतिम मुद्दा एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाने के बारे में है। इस बारे में मुझे यह कहना है कि इस आयोग के विचारणीय विषय विस्तारपूर्वक बताए जाने चाहिएं। ऐसे आयोग का गठन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लक्ष्यों में बहुत रहे हैं। हम परिवार नियोजन कार्यक्रम पर काफी धन खर्च कर रहे हैं। किन्तु स्लम क्षेत्र में पाए जाने पर आप क्या पाते हैं? हम देखते हैं कि असंख्य बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं। यदि हम गांवों में जाएं तो हमें अनगिनत बच्चे नजर आएंगे। विशेषकर यदि हम जीप में दूरवर्ती क्षेत्रों में जाएं तो असंख्य बच्चे जीप के पीछे दौड़ते हैं। हमें जीप चलाते हुए डर लगता है कि कहीं कोई इसके नीचे न आ जाए। यदि हम इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगा सकते तो हमारे विकास के सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनसे किसी को फायदा नहीं होगा। हमें जनता को परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा उसके फायदों के बारे में बताना होगा। हम सबका यह अनुभव रहा है कि सुशिक्षित तथा आर्थिक रूप से अच्छे परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है। जबकि अशिक्षित और निर्धन परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है। वे बड़े अंधविश्वासी होते हैं। उनमें से कई लोग यह समझते हैं कि परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को अपनाना पाप है। यदि वे परिवार नियोजन करते हैं तो उनके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका विचार है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वे उनके काम तथा उनकी आजीविका कमाने में उनकी सहायता देंगे। कई लोग यह बात मानने से ही इंकार कर देते हैं कि कम किन्तु स्वस्थ बच्चे परिवार की भलाई के लिए अधिक उपयोगी हैं मैंने इस मामले पर कई ग्रामीण महिलाओं के साथ चर्चा की है। वे कहती हैं। हम 4-5 बच्चों से कम बच्चों से कैसे गुजारा कर सकते हैं। यदि उनमें से 2-3 मर जाएं तो क्या होगा? उनमें बच्चों की मौत होना आम बात है। अतः ग्रामीण महिलाओं को सुशिक्षित करना बहुत जरूरी है। हमें इस समस्या के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाना होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम तदनुसार ही बनाया जाना चाहिए, हमें इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसे सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं समकालीन विश्व की स्थिति देखता हूं विशेषकर जब मैं अपने ही प्रदेश पर अपने देश पर नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के बीच होड़ सी लगी हुई है और पर्यावरण पर मनुष्य के नियंत्रण, उत्पादक शक्तियों की खोज मनुष्य द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के बावजूद मनुष्य जाति इस होड़ में पिछड़ रही है। सभी व्यक्तियों के लिए विकास और प्रगति के न्यूनतम उपाय करने तथा उनके लिए न्यूनतम जीवन स्तर तथा सम्मानपूर्वक जीवन बिताना सुनिश्चित करने के लिए जन-

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

संख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। किन्तु जबकि अंत के बारे में हमारी राय इतनी स्पष्ट है, मेरे विचार से हमसे इस अंत को पाने के साधनों के बारे में इतनी स्पष्टता नहीं है। यदि हमारा उद्देश्य मनुष्य का जीवन अधिक सुखी बनाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो हम सम्भवतः उन साधनों को नहीं अपना सकते जो उसके सम्मान के विरुद्ध हैं। यदि हमारा उद्देश्य मनुष्य की उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिनसे वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक बिता सके तो हम युद्ध, महामारी, सूखा आदि जैसे उपाय नहीं अपना सकते जिन्हें कि कुछ समय पहले सम्भवतः जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए राज्य-नीति के उपायों के रूप में अपनाया गया था। हमें वे उपाय स्वीकार्य नहीं है। हम इस समय उस शताब्दी में हैं जहां हम यह सोचते हैं कि राज्य सब कुछ कर सकता है और इसलिए हमने इस बात पर जोर डाला है कि इस संबंध में राज्य क्या कर सकता है। माननीय उपाध्य महोदय मेरा निवेदन है कि राज्य भी इस विशेष दृष्टि-कोण के संबंध में सही और असीम रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

राज्य जो भी करना चाहता है और जो भी करने का प्रस्ताव रखता है वह लोगों की स्वैच्छिक इच्छा से होना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से जनसंख्या नियंत्रण अथवा जनसंख्या सीमित करने का प्रश्न मूलतः एक प्रश्न होना चाहिये जो कि मानवीय प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

महोदय, भारत में या किसी अल्पविकसित समाज या किसी विकासशील देश में, सबसे मुख्य बात यह है कि लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जाए। हमें उन्हें यह आशा दिलानी होगी कि बच्चों की मृत्यु असामयिक नहीं होगी। हाल ही में सदन में एक चर्चा हुई जिसमें यह पाया गया कि यहां बच्चों की मृत्यु-दर काफी ऊंची है। फिर भी देश के विभिन्न भागों में अनेक सांख्यकीय विश्लेषण कराने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे की हम जहां कहीं भी या किसी भी स्थान या क्षेत्रों में बाल कल्याण परिवार नियोजन या फिर मातृ-कल्याण के स्तर को ऊपर उठा पाए हैं लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके। बच्चों को असामयिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वहां हम लोगों के ज्यादा बच्चे पैदा करने की इच्छा को कम कर पाए हैं और फलतः जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर सके हैं। इसलिये कुछ हद तक यह कार्य लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तथा स्वैच्छिक कार्यक्रमों द्वारा सही प्रकार का हस्तक्षेप करके सही प्रकार के मनोविज्ञान का निर्माण करना है।

दूसरे यह एक सूचना प्रदान करने की बात है। हमारे देश में अभी भी अज्ञानता के कारण हमारे देश में बहुत से लोगों को तो यौन संबंध और बच्चों का पैदा होने के बीच किसी भी प्रकार का सम्बन्ध है यह भी नहीं समझ पाते हैं। अतः इस प्रकार के सम्बन्ध से लोगों को भली-भांति परिचित कराना होगा जिसमें राज्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा एक खास उम्र के जोड़ों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।

महोदय, यह भी सिद्ध हो चुका है कि हमें जैसे-जैसे अपने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हैं वैसे-वैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भी समर्थ होते हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रहन-सहन के स्तर तथा सामाजिक आर्थिक विकास केन्द्र स्तर और प्रति परिवार बच्चों की संख्या के बीच सीधा सम्बन्ध होता है। महोदय, यह स्वाभाविक है कि हर उत्तरदायी माता-पिता अपनी संतान को अपने से अच्छी जिन्दगी प्रदान करना चाहते हैं, और इसलिए, हमारे समाज के उच्च वर्ग में जहां बच्चों का जिन्दा रहना बड़ा होना, सही शिक्षा पाना सुनिश्चित है वहां यह भी इच्छा रहती है कि बच्चों की उत्तम देखभाल के लिए जनसंख्या को सीमित करना जरूरी है। महोदय, जीवनयापन पद्धति

भी हर वर्ग में अलग-अलग है। ऐसा भी कहा गया है कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हुई है और बिजली प्रदान करके इसमें कमी की जा सकती है क्योंकि एक-बार बिजली प्रदान करने से हम पूरे समाजिक ढांचे में परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोगों को बिजली प्रदान करके जीने के अन्य साधन भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए, महोदय, अपने उद्देश्यों के लिए हम सभी उपायों को ध्यान में रखना होगा।

इसलिये हमारे देश में मूल प्रश्न है देश का आर्थिक विकास तथा विकास में असमानता का स्तर। अगर हम प्रत्येक मनुष्य के लिए विकास की न्यूनतम स्तर भी ला सकते हैं और अगर हम असमानता को कम कर सकते है जो कि अभी भी हमारे समाज में एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच तथा एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के बीच व्याप्त है तो मुझे विश्वास है कि जनसंख्या वृद्धि दर को एक समान रूप से कम किया जा सकता है।

हर हालत में हमें यह समझना है कि प्रजातंत्र क दबाव का कोई स्थान नहीं है और इसलिए बाध्यकारी तरीके लागू नहीं किए जा सकते। फिर भी अगर कानून इसे अनुमति देता है तो सम्पूर्ण समाज के हित में आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, पर प्रोत्साहन एक अलग बात है और दंड दूसरी बात है। क्या हम ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो यह कहता है कि तीसरे बच्चे को मार दिया जाना चाहिये या तीसरी बार गर्भधारण करने पर गर्भवती महिला को अनिवार्य रूप से गर्भपात करवाना चाहिये? क्या हम गर्भहत्या के समर्थक हैं? क्या हमारी नैतिकता इस हद तक बाहुमता को स्वीकारता है? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। इसलिये, हम जो भी करते हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इसमें बाध्यता कहीं नहीं हो। हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी प्रोत्साहन देते हैं, उसे हमें अपने नैतिक मूल्य, परम्परागत भावना और सांस्कृतिक आधार और धार्मिक धारणाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिये। किसी भी हालत में कानून समाज को नहीं बदल सकता है। हमने बहुत से सामाजिक विधानों को देखा है। जिसे देश में अपनाने के बाद वह कभी-कभी मात्र कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। वे कार्यान्वित नहीं किये जाते है। उदाहरण के लिए एक प्रभावी कार्य था कि शादी की उम्र को बढ़ाना या उसकी एक सीमा तय करना। हमने बाल-विवाह पर एक कानून पारित किया। हम जानते हैं कि यह कानून व्यर्थ सिद्ध हुआ है। लाखों की संख्या में आज भी बाल-विवाह देश के विभिन्न भागों में होता है। इसलिए मैं उदाहरण देकर यह कहना चाहता हूं कि अगर कानून समाज के नैतिक और परम्परागत ढांचे के विरुद्ध जाता है, मनुष्य की जागृति को नहीं बढ़ाता है, उनके शिक्षा के स्तर और विकास को नहीं बढ़ाता है तो यह कानून केवल संविधिक-पुस्तकों की ही शोभा बढ़ायेगा। मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव के पास चाहे जो भी हो राज्य सरकार की पुलिस सम्बन्धी शक्तियां है। वह समाज के रहन-सहन को नहीं बदल सकती है।

मैंने इस संकल्प के बारे में यहां संशोधन भी प्रस्तुत किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार अगर आप मानव गर्भाधान की अवधि को कम कर सकते हैं, अगर इसकी सम्भावना को कम करते हैं तो आप जनसंख्या की वृद्धि पर भी रोक लगा सकते हैं। एक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार भी अगर गर्भाधान की अवधि को प्रभावी रूप से कम किया जा सके, जिस समय वह बच्चे पैदा करने की स्थिति में होते हैं तो भी यह प्रभावी होगा। अब वे इसे अनेक वैज्ञानिक से चाहे वह शादी की उम्र बढ़ाकर या कोई रासायनिक प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया अपनाकर कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे है आप गर्भाधान के प्रभावी समय को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं।

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

अब मैं आपसे अपने संशोधन के कारणों का जिक्र करना चाहूंगा। मैं यहां सामान्य व्यवहार संहिता की आवश्यकता और आवश्यकता पर विचार करना नहीं आया हूं क्योंकि भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में हम उस बात पर बहस कर सकते हैं। मेरा मूल विचार यह है कि सामान्य व्यवहार संहिता जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कतई युक्ति-संगत नहीं है।

हमारे माननीय साथी जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया था उनके मन में शायद बहु-विवाह का प्रश्न था, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उनसे निवेदन है कि बहु-विवाह प्रथा एक संस्था के रूप में जनसंख्या वृद्धि के दर के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंगत है। ऐसा इसलिये क्योंकि समाज में महिलाओं की वास्तविक संख्या का निर्णय प्राकृतिक सिद्धांत आधार पर किया जाता है जो कि मनुष्य के बस म नहीं है। महिलाओं की संख्या को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता कि निवेचन एजेंट कौन है। इसमें पुरुष की भूमिका अत्यन्त सीमित है। महिलाए गर्भवती होती हैं और बच्चे की वाहक होती है। महिलाएं बच्चे को जन्म देती है। इसमें इसका कोई प्रश्न नहीं होता कि निवेचन एजेंट कौन है। निवेचन करने वाला एक मनुष्य है या दूसरा या फिर वह एक से ज्यादा महिलाओं को गर्भवती करता है, जनसंख्या वृद्धि दर वही रहेगी। इसलिये मेरे विचार से यदि मेरे माननीय मित्र के मन में केवल बहु-विवाह का प्रश्न है तो वैज्ञानिक दृष्टि कोण के अनुसार संकल्प का यह भाग जनसंख्या वृद्धि के इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णतया असंगत है।

मैं मूल रूप से उनसे यह कहता हूं कि एक पुरुष चाहें चार महिलाओं या दस महिलाओं अथवा सो महिलाओं से विवाह करता हैं तो यह अन्य पुरुषों को महिलाओं के लिए उनके अधिकार से वंचित कर देगा यह विवेचन की संभावना में परिवर्तन नहीं लाता है और इसलिए विवेचन का स्तर अथवा जनसंख्या विकास की दर किसी भी अर्थ में प्रभावकारी होती है। यही कारण है कि मैंने इस भाग का विरोध किया है और दूसरे दार्शनिक तथा अन्य संलग्न प्रश्नों से बिल्कुल अलग मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री बी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : बहुपत्नी विवाह विकास दर को कम करता है।

श्री सय्यद शाहबुद्दीन : यह एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। एक परिवार में जहां एक से अधिक महिलायें हैं, वहां प्रत्येक महिला पर औसतन बच्चे की संख्या कम करने की कोशिश की जाती है और ऐसा एक ही परिवार में उनके भरण-पोषण के भार के कारण किया जाता है। अत: मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा माना जाता है कि बहुपत्नी प्रथा वास्तव में जनसख्या विकास के दर में कमी ला सकती है। लेकिन मैं यहां बहुपत्नी विवाह का समर्थन करने अथवा उसका प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं मूल रूप से यह कहना चाहता हूं कि यहां इस प्रस्ताव के समरूप व्यवहार-संहिता पूर्णत: असंगत है। जनसंख्या वृद्धि पर यह प्रभाव नहीं डालता है। मेरी समझ से इस धारा को इस प्रस्ताव के सम्मिलित करना हानिकारक है क्योंकि यह एक संशय उत्पन्न करता है कि इसमें कोई राजनैतिक चाल है और यह किसी विशेष समूह के विरुद्ध, जो समरूप व्यवहार संहिता का एक या अन्य कारणों से विरोध कर रहा है, लाया गया है। कारण चाहे जो भी हो, मैं इन कारण की व्याख्या करने नहीं आ रहा हूं।

4.59 म० प०

(श्री एम० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

लेकिन वास्तविकता यह है कि इस देश में कुछ ऐसे लोगों का वर्ग है जो संविधान के निर्माता

डा० अम्बेडकर से भिन्न हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण के समय इस बात का समर्थन किया था कि राज्यों को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए लेकिन अगर राज्य ने लोगों की इच्छा के विरुद्ध इसे लागू करने का प्रयास किया तो राज्यों को ही नुकसान होगा। राज्य को अधिकार प्राप्त हो सकता है लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करने के राज्य को विवेकपूर्ण होना चाहिए। विशेषरूप से एकसमान व्यवहार-संहिता के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस संकल्प में यह विशेष खंड शामिल करने से हमारे विकास के समरूप दर का मूल लक्ष्य और भारत की जनसंख्या की तुलना में यहां के संसाधनों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे यहां एक प्रभावकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम और जनसंख्या सीमित करने का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि हमारे संसाधन समाप्त न हो जायें और हम आसानी पूर्वक एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और अपने सभी नागरिकों और लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और मैं माननीय सदस्य जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तावित किया है। से अनुरोध करता हूं कि संशोधन को जिस भावना से मैंने प्रस्तुत किया है उसी रूप में स्वीकार किया जाए।

5.00 म० प०

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : माननीय सदस्य डा० कृपासिंधु भोई द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। यह कोई नया विषय नहीं है। हम लोगों ने अक्सर इस विषय पर चर्चा की है। यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो गत वर्ष मई के महीने में नियम 193 के अन्तर्गत इसकी चर्चा की गयी है और हम लोगों ने कम या अधिक रूप में समान मुद्दों को उठाया था। लेकिन आज डा० भोई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कुछ सुझाव हैं विशेष रूप से इस बात के लिए कि प्रत्येक परिवार को इस मानदण्ड को अपनाना है कि एक परिवार या एक दम्पत्ति को एक बच्चा होना चाहिए।

अनेक महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। सुझाए गए उपायों के समर्थन में मैं प्रथम तो यह कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि किस अवधारणा से हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं। मंत्रियों, लोगों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले लोगों सहित इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं। जनसंख्या के नियंत्रण, जनसंख्या के विकास के संबंध में कानून बनाए गए हैं। एक विदेशी विशेषज्ञ द्वारा भारतीय स्थिति के अध्ययन पर आधारित एक अनुमान के अनुसार, कुछ वर्षों बाद दुनिया में एक उपमानव समुदाय होगा जिसमें किसी भी अर्थ में स्वावलंबी होने की क्षमता नहीं रहेगी। लोगों में अपने कपड़े खरीदने, अपने लिए भोजन खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी और उनके लिए अपना जीविकोपार्जन करना भी संभव नहीं होगा। उनके अध्ययन के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का 37 प्रतिशत आज उस स्तर पर है। इसका अर्थ यह होता है कि जनसंख्या का यह 37 प्रतिशत अपने भोजन की व्यवस्था करने और अपने लिए जीविकोपार्जन करने की स्थिति में नहीं है। यदि यह एक संकेत है तो विशेषज्ञ अवश्य ही यह संकेत कर रहे हैं कि कुछ वर्षों बाद भारत में इस उपमानव समुदाय में स्वयं जीवित रहने की क्षमता नहीं होगी। यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम इसे इतनी निराशा के साथ स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार के अध्ययन को स्वीकार करना हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश में उस निराशावादी दृष्टिकोण का एक तर्कपूर्ण अध्ययन हम पसंद करेंगे। अपने संविधान के निर्माण, 1951 में संविधान स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद यदि हम अपने बीते समय को देखें तो हमने अपने एक

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

परिवार नियोजन की नीति को अपनाया था जबकि उस समय कुछ अन्य विकासशील देशों ने परिवार नियोजन की नीति अपनाने की बात सोची भी नहीं थी। लेकिन हमने ऐसा किया। इसके बावजूद भी हर दशक में जनसंख्या की वृद्धि बिल्कुल नहीं रुकी। इसे रोका नहीं गया। यह सिर्फ इस बात का संकेत करता है कि हम समस्या का निदान कर पाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है ? यह हमारे लिए सोचने वाली बात है।

महोदय, भारत प्राचीन परम्पराओं का एक देश है। यह एक नूतन मानव जाति अथवा नूतन सभ्यता नहीं है। बहुत अधिक निवासियों और निवासों को लेकर बनी यह एक प्राचीन सभ्यता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज से करीब नौ वर्षों पूर्व 1980 में एक कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि इस परिवार कल्याण कार्यक्रम को आम विकास कार्यक्रम का ही एक भाग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सिद्धांत के रूप में हमने उस परिकल्पना को स्वीकार कर लिया है। हम यह नहीं कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने नये 20 सूत्री कार्यक्रम में और पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने कार्यक्रम में इसे उचित प्राथमिकता दी है। किसी भी योजना का औचित्य उसके कार्यान्वियन में है। हम नहीं जानते हैं कि और कितने सिद्धांत और कानूनों की आवश्यकता होगी। हम नहीं जानते है कि इस विषय पर हम और कितनी चर्चा करेंगे। हम चीन जैसे देश का मजाक उड़ा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि अधिक आबादी वाले इस बड़े देश में 24 घंटे के भयानक युद्ध में कुछ भाग में जनसंख्या के हताहत होने से यहां की आबादी कम होगी। आज के दर के अनुसार चीन स्वयं इस जनसंख्या की समस्या को नियंत्रित करने में सफल हो गया है। कुछ समय बाद चीन की आबादी भारत की आबादी से स्वयं कम हो जायेगी। अत: यह चीन को तरह के देश की इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय दृढ़ता को दर्शाता है। यह प्रशंसनीय है। यह बात बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। लेकिन क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं ? मैं समझता हूं कि हम चीन की नकल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहां अनेक छोटे-छोटे समुदाय, भिन्न-भिन्न प्रान्त अपने-अपने सामाजिक और पारम्परिक प्रथाओं के साथ विद्यमान हैं। आज हम परिवार नियोजन और जनसंख्या में वृद्धि की बात करते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री शाहबुद्दीन ने अभी एक शानदार भाषण दिया है। लेकिन हमने यह सोचा था कि वह अपने भाषण में लक्ष्यों का जिक्र करेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या हैं ? इसका उद्देश्य क्या है ? मैं उनका भाषण सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वे बहुत अच्छा भाषण देते हैं। मैं सिर्फ उस लक्ष्य को जानने की कोशिश कर रहा था जिसकी वह बात कर रहे थे। लेकिन लक्ष्य का जिक्र नहीं किया गया। वे कहीं और भटक रहे थे। मैं नहीं जानता हूं कि उस भाषण का उद्देश्य क्या था। यह इस बात का संकेत करता है कि अभी इस प्रकार के सम्प्रदाय, धार्मिक समूह हैं, जो अपने को अल्पसंख्यक महसूस करते हैं और जहां तक जनशक्ति की बात आती है वे अपने को कमजोर महसूस करते हैं। परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में वैधानिक स्तर और बुद्धिजीवि स्तर पर जो भी होता है, अभी भी उनके अचेतन मस्तिष्क बच्चे होने चाहिएं। हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सिर्फ एक मतिभ्रम है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा कही गयी बात कि बहुपत्नी विवाह जनसंख्या में कमी करता है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि क्या आपको कोई मतिभ्रम है क्योंकि उस बात को तथ्य सिद्ध नहीं करते हैं।

स्वाभाविक रूप से बहुपत्नी विवाह जनसंख्या में वृद्धि करता है। किंतु आपने और आपके मित्र श्री शाहबुद्दीन ने इसे अच्छे शब्दों में कहा है। मैं यह कहूंगा कि यह केवल वाक्चातुर्य था। हमने भी आप की तरह जीवन और समाज को देखा है।

अब मैं देश के अपने भाग की बात करूंगा जहां छोटे-छोटे जनजातीय समुदाय हैं। मैं नहीं जानता कि वास्तव में हमारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। उदाहरण के तौर पर कुछ समुदाय केवल अपनी भाषा को आकाशवाणी के माध्यम से सुनना चाहते हैं। आप उनकी जनसंख्या का पता लगाइए। विशेषकर नाग नागाओं में जिन्हें "कोकी" समूह कहते हैं, छोटे ग्राम, छोटे समुदाय बनाने की आदत है। फिर भी मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं और न ही मैं इन्हें रोक सकता हूं क्योंकि यह एक सत्य है। ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास क्या समाधान है? हमें ही समाधान का सुझाव देना है और हमी को कानून बनाने हैं और उन्हें उचित ढंग से लागू करना है। मैं यह उदाहरण सरकार के विचार के लिए दे रहा हूं। कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो सदा अपनी जनशक्ति बढ़ाना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि 5 हजार की जनसंख्या को बढ़ाकर 6 हजार करने से वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के सोच को दूर करना है। सरकार को इस प्रकार के भय तथा शंका को दूर करना है कि यदि आप की संख्या दस लाख से कम है तो आप को यह अवसर नहीं मिलेगा। हमें इस समस्या को शिक्षा और प्रचार माध्यमों तथा अनेक कार्यक्रमों के द्वारा सुलझाना है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी आदि के अपने प्रचार माध्यमों का उपयोग किया है। जनसंख्या वृद्धि संबंधी कार्यदल से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अब हर कोई इस काम को करने की बात कह रहा है। किंतु वास्तव में यह काम करेगा कौन? हम सभी लोग चूहों जैसे हैं—व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप में बिल्ली के गले में घंटी डालना चाहते हैं; किंतु बिल्ली के गले में घंटी डालेगा कौन? क्योंकि हर कोई भयभीत है।

कोई यह सुझाव दे रहा था कि यह एक नाजुक मुद्दा है और क्या हमें चुनाव वर्ष में इस पर चर्चा करनी चाहिए। चुनाव का अर्थ है जनता का कल्याण और जनसंख्या का नियंत्रण भी जनता के कल्याण के लिए है। हमें इस विषय में झिझक क्या होनी चाहिए और इस संबंध में हम पीछे क्यों रहें? हमें इस संबंध में अधिक व्यवहार्य होना चाहिए। मैं जो एकमात्र मुद्दा बताना चाहता हूं वह परिवार नियोजन की शिक्षा के संबंध में है। कार्यदल ने स्वयं कहा है कि यह काम बहुत धीरे चल रहा है। मैं कहता हूं कि उन्होंने जो कुछ अध्ययन किया है अभी तक केवल सैद्धांतिक है। इसको व्यावहारिक स्तर तक लाने के लिए हमें कुछ अन्य साधन आरम्भ करने हैं।

उदाहरणतः हमें गर्भ निरोधक तरीकों या गर्भ समापन की पद्धतियां आरम्भ करनी चाहिएं। जिनका वैध रूप से विवाह नहीं हुआ है उनकी हमें चिन्ता नहीं है। किंतु हमें उनकी चिंता है जो कानून विवाहित है। जिनका वैध रूप से ब्याह नहीं हुआ है उन्हें हम अवैध बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं। गर्भपात के लिए नर्सिंग होम, अस्पताल, गैर सरकारी क्लिनिक आदि हैं। ये अधिकतर उनकी सहायता कर रहे हैं जिनका ब्याह नहीं हुआ है। मेरी जानकारी पुष्ट नहीं है; यह सच भी हो सकता है। यह एक प्रकार से ठीक ही है क्योंकि हम अवैध सन्तानों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिनका ब्याह हो गया है वे परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वे विवाहित हैं और उनके बच्चे वैध सन्तान होंगे। अतः विवाहित जोड़ों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझाया जाना चाहिए। यह प्रेरणा दण्ड अथवा सजा के रूप में नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है; अपितु शिक्षाप्रद

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

तरीकों द्वारा और उन्हें समझाकर किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जा सकता है; किंतु राज्य सरकारें भी तो विवश हैं। उनकी अपनी परिस्थितियां हैं और वे साधारण नियन्त्रण से बाहर हैं।

सामाजिक और धार्मिक रुकावटें भी हैं और हम खुलकर इन पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इनको दूर करने और इस कठिन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक मात्र रास्ता यह है कि ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो दृढ़ धारणा और साहस से काम करें।

आरम्भ में मैंने कहा था कि हम में से उन लोगों की धारणा क्या है जो विधान सभा सदस्य और संसद सदस्य जैसे जन प्रतिनिधि हैं। समस्या यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की दृढ़ धारणा किस प्रकार की है। हम इस बात को डाक्टरों पर छोड़ देते हैं कि वही इस बात को स्पष्ट करेंगे जैसे कि सामाजिक इच्छा के वही एक मात्र एजेंट हैं। वे तकनीकी लोग हैं और वे अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं; किंतु हम उनसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। विशेषज्ञ राय के लिए और तकनीकी राय के लिए हम उनपर निर्भर कर सकते हैं। किंतु यह बात केवल उन्हीं पर छोड़ना पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य व्यवस्थाओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक रूप में इस में सम्मिलित करना चाहिए जो दृढ़ धारणा के साथ अनेक विचारों के साथ इस समस्या का और गहराई में जा सकें। केवल ऐसा करने पर ही हम अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और अंत में मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रीय नीति में कुछ विशेषाधिकारों और अधिकारों को निर्धारित करके लिए समुदायों और राज्यों की जनसंख्या पर अधिक जोर देना बन्द किया जाए तब समुदायों को उनके अवचेतन में अधिक से अधिक जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं इस उपाय का समर्थन करता हूं जिसका सुझाव इस संकल्प में किया गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस रिजोल्यूशन के प्रस्तावक डा० कृपासिन्धु भोई को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल को सदन के सामने रखा और हमें उस बहस में भाग लेने का मौका मिला। यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण कर लिया जाये तो उस देश की तरक्की, आर्थिक प्रगति अच्छे तरीके से हो सकती है। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है, उसे कैसे रोका जाये। इससे बहुत ही एलारमिंग सिचुएशन पैदा हो गयी है आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.: मिलियन पौपूलेशन इन्क्रीज हो रही है, जो कि पूरे आस्ट्रेलिया की पौपूलेशन से भी ज्यादा है। हिन्दुस्तान ही पहला देश था जहां सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरू की गयी थी लेकिन अभी तक हम इस समस्या को हल करने में सफल नहीं हो पाये हैं। इस देश में जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखने के लिए प्रभावी उपाय नहीं हुए हैं। राजस्थान पोपूलेशन ग्रोथ में सबसे टॉप पर है जहां प्रति हजार 40.7 व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं, यह 1985 के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद मध्य प्रदेश का नम्बर आता है जहां 40.3 ग्रोथ प्रति हजार है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, जहां 39.0 ग्रोथ है और उसके बाद बिहार का नम्बर आता है जहां 38.3 प्रति हजार की दर से पौपूलेशन ग्रोथ होती है। सर, जिस गति से पौपूलेशन

बढ़ती जा रही है, उससे हमारे सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहां बंगाल, केरल, गुजरात का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जब कि केरल, कर्नाटक, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और बंगाल आदि ऐसे स्टेट हैं, जहां की राज्य सरकारों ने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम अच्छी तरह से इम्पलीमेंट किया है, जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं, इन सारे राज्यों ने फैमिली प्लानिंग के लक्ष्य एचीव करने के लिये ठोस कार्य किया है। दूसरी ओर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये हैं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद चायना, जापान जैसे देशों ने अपने यहां किस सफलता से पोपूलेशन कन्ट्रोल किया था। मैं समझती हूं कि खाली कानून बना देने से ही यह समस्या हल नहीं हो जायेगी। कानून तो हमारे देश में पहले ही काफी बने हुए हैं परन्तु उन पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होता है। इसलिये कानून मात्र से ही सब कुछ नहीं किया जा सकता। इस समस्या के कारण हमारे देश में प्राइस-राइस होता है। सैन्टर की ओर से हर स्टेट को जो कोटा रिलीज किया जाता है, उससे स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जितना वे अपेक्षा करती है, उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी होती है और वे सारे लोगों को फूड उपलब्ध नहीं करा पातीं। पोपूलेशन इन्क्रीज होते रहने से हमारे देश के नौजवान बेरोजगारों को नौकरी नहीं, मिल पाती है। मैं समझती हूं कि जब तक पोपूलेशन कन्ट्रोल के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये जायेंगे हमारे सामने समस्याएं बढ़ती ही जायेंगी। आज स्थिति यह हो गयी है कि पोपूलेशन बकरी, कुत्ते की माफिक बढ़ती जा रही है। इससे एलारमिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। दो वर्ष पहले दिल्ली में जो डायरिया फैला था 600 आदमियों की डैथ हो गई थी, यह हमारे लिए कोई सुखकर बात नहीं है, दुख की बात है, शर्म की बात है। हमारे देश में पापुलेशन कन्ट्रोल होना चाहिए। इसके लिए देश में जो पापुलेशन है, उसकी देखभाल करने को रेस्पांसिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है। चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल बॉडीज हो। क्योंकि देश का जो डवलमेंट है वह स्टेगमेंट हो गया है। इसलिए मैं नामग्याल जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि होम मिनिस्ट्री में एक सेपरेट सैल कायम कीजिए। आपने पापुलेशन कन्ट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाएं हैं, लेकिन वे प्रोग्राम आपके प्रापरली इम्पलीमेंट होते हैं या नहीं इसकी देखभाल करने के लिए एक सैल होना चाहिए जो परि-स्थिति वर्तमान में है, उसको वह रिव्यू कर के क्या-क्या होना चाहिए, इस सब पर ध्यान दे।

शाहबुद्दीन जी का भाषण तो हमने सुना है यह तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन शाहबुद्दीन जी ने भी यूनिट फार्म सिविल कोड के बारे में कहा है इनकी चेयरमैनशिपमें एक कमेटी बना दो, लेकिन फिर भी हमारे शाहबुद्दीन जी इस देश में पापुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी कहा कि यह मत करो, वह मत करो, जब हाउस में ही कोई यूनिफार्म डिसीजन हम मेम्बर लोग नहीं कर पाते हैं, तो बाहर कैसे हो सकता है। इस पापुलेशन के कारण हमारे देश में आज खाद्य संकट हो सकता है। प्राइस-राइज होती हैं। हमारे देश में आज अनएंम्पलायमेंट बहुत बढ़ती जा रहती है। अनएम्पलायड यूथ की रजिस्ट्रेशन संख्या हमारे देश में लगभग 2 करोड़ है लेकिन अनएम्पलायड जो अनरजिस्टर्ड यूथ हैं उसकी संख्या क्या है, उसका हमको पता नहीं है। अन आर्गेनाइज्ड सैक्टर में किसी को पता नहीं है कि कितनी संख्या है। इसलिए हमारे देश में एक पापुलेशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जाए। उसमें आप देश के इंटेलिजेंट पीपुल, इंटेलैक्चुअल्स, राइटर्स, प्रेस रिपोटर्स आदि को रख सकते हैं जिसके जरिए आप देश के सब लोग का सजेशन ले सकते हैं।

[कुमारी ममता बनर्जी]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो पापुलेशन बढ़ रही है उसका एक कारण बार्डर स्टेट में बाहर से लोगों का आना भी है। बाहर से बहुत सारे आदमी हमारी कंट्री में आ रहे हैं। इस तरफ आप पूरा ध्यान दीजिए। चिदम्बरम, नार्थ बंगाल में, बंगाल में, त्रिपुरा में और आसाम में लोग सीमा पार से आते हैं। अन्य स्टेट्स का हमें पता नहीं है। जब से बंगला देश इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर हुआ है, तब से वहां से बहुत सारे आदमी हमारे देश में आ चुके हैं और आ रहे हैं। कितने आदमी आए हैं, इसका कोई रिकार्ड हमारे पास नहीं है। इस प्राब्लम से सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी वरीड है और स्टेट गवर्नमेंट भी वरीड है। आज तो आपको यह प्राब्लम मालूम नहीं हो रही है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद सन् 2000 में और जब आप इक्कीसवीं सदी में पहुंचेंगे, जब कि हमारा देश बहुत उन्नति कर चुका होगा, लेकिन पापुलेशन कन्ट्रोल आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप अभी से इस ओर ज्यादा ध्यान दीजिए और आप इसके लिए कुछ-न-कुछ कीजिए।

सर, पापुलेशन कंट्रोल के बारे में, मैं यह बतलाना चाहती हूं कि इस कार्य के लिए इंसेंटिव दिए जाएं। जो यह काम करता है या ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उसको डिस्करेज करने की भी बात कीजिए। लेकिन जो इसको एनकरेज करता है, उसको इंस्पीरेशन देने के लिए और लोग इस बारे में ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कीजिए। खाली कानून बना दिया इससे काम चलने वाला नहीं है। यह काम खाली आपका नहीं है। आप देश से इल्लिटरेसी को दूर कीजिए, लोगों की एजूकेशन दीजिए और जो मास-मीडिया है, उसके अन्दर आपको पब्लिक को समझाना चाहिए। इसके लिए पब्लिक इन्वाल्वमेंट बहुत जारी है। अगर पब्लिक का इन्वाल्वमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो आप पब्लिक में एवेयरनेस नहीं ला सकते हैं। मास मीडिया में आजकल टी० वी० आता है जो कि पोपुलर मीडिया है लेकिन आज कितने आदमी टी० वी० देखते हैं गांवों में रेडियो ज्यादा इम्पार्टेन्ट है जो कि दूर-दूर गांवों में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे गांव हमारे देश में हैं, जहां पेपर नहीं जाता है। जिन लोगों के पास रेडियो नहीं है, उनकी भी संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इन्टीरियर में जितने आदमी रहते हैं, उनमें एवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको स्कीम बनानी चाहिएं। वहां पर सेंट्रल से स्टेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन से टीमें भेजनी चाहिएं जो वहां पर लोगों को समझाएं।

सभापति महोदय, मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूं, लेकिन यह सबजैक्ट बड़ा इम्पार्टेन्ट है, जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, पोपूलेशन को कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी में हमारे देश डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जब श्री संजय गांधी जिन्दा थे, उस समय उन्होंने 5 प्वाइन्ट प्रोग्राम चलाया था उसमें 3-4 प्वाइन्ट ये थे—पोपूलेशन कन्ट्रोल, ब्लड डोनेशन, ट्री-प्लान्टेशन और टाक-लैस वर्क-मोर। जब श्री संजय गांधी ने काम करने के लिए ये नारे लगाए तो बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटीसाइज किया था, अपोजिशन के लीडर्स ने उनको अपोज किया था, लेकिन आज देश को मालूम हो गया है कि उन्होंने जो नारे लगाए थे, वह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी थे। इसलिए आज जब इस हाउस में हम डिस्कशन करते हैं तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी कोई कन्ट्रोवर्सी अब नहीं है, आप इन्सेंटिव दीजिए। मैं ज्यादा इन्सेंटिव्ज की बात नहीं बोलना चाहती जिससे कोई बड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। अगर मैं इस बारे में बोलूंगी तो हमारे शाहबुद्दीन साहब और बनातवाला साहब कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैं उनको कन्फ्यूज नहीं करना चाहती लेकिन यह कहना चाहती हूं कि जो गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग की पालिसी मानें, उनको आप प्रमोशन दीजिए, इन्सेंटिव

दीजिए। लेकिन जो गवर्नमेंट की पालिसी को नहीं माने, चाहे वह मन्त्री हों, एम० पी० हों, एम० एल० ए० हों, चाहे अपोजिशन के लीडर हों, गवर्नमेंट के आफिशियल हों, उनको इन्सैंटिव्ज मत दीजिए। अगर आप ठीक नहीं लेंगे तो पोपूलेशन को कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर पोपूलेशन कन्ट्रोल नहीं होगा तो इससे हमारे देश की आगे आनी वाली पीढ़ी अच्छी नहीं हो सकती है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे देश की इकनामी में स्टैबिलिटी होनी चाहिए, हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको रास्ते में भूखा नहीं मरना चाहिए, हमारे कारखाने के श्रमिकों को भूखा मरना चाहिए। हमारे देश में यह होना चाहिए। यह सब तभी हो सकता है, जब आप पोपूलेशन पर कन्ट्रोल करेंगे।

जो भी गुड सजेशन्स हों, उनको आप इम्लीमैंट कीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, रूलिंग पार्टी के हों, बाहर के किसी आदमी के हों। ऐसा मत सोच लीजिए कि खाली पोलिटिकल लीडर का ही अच्छा दिमाग होता है, यह ठीक नहीं है। बाहर के बहुत सारे आदमी हैं जो कि पोलिटिकल पार्टी में नहीं हैं और बहुत अच्छे हैं, उनकी संख्या हमारे देश में ज्यादा है, आप उन से सजैशन्स लीजिए, रिकमैंडेशन लीजिए लेकिन पोपूलेशन को कन्ट्रोल कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था, वह समाप्त हो गया है। किन्तु अभी भी कुछ और वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आप सदन का समय कम से कम दो घंटे बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : तो क्या सदन का यही सर्वसम्मति है कि इस चर्चा का समय दो घंटे और और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : अतः और दो घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने विद्वान मित्र डा० भोई को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प प्रस्तुत किया है, जो देश के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

महोदय, आरम्भ में उन्होंने जनसंख्या नियन्त्रण में परिवार नियोजन आवश्यकता तथा महत्व के सम्बन्ध में कहा था ताकि हमारे देश के लाखों लोगों को बेहतर सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उपलब्ध कराई जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने मुझसे पूर्व बोला है, अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं परन्तु निश्चित रूप से मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा। जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर से हमारा देश सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। पहले ही हमारी जनसंख्या लगभग 83 करोड़ है और 2001 ईस्वी के अन्त तक हमारे

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

देश की जनसंख्या 98.6 करोड़ हो जाएगी। ऐसा आकलन लगाया है कि वर्ष 2050 तक हमारे देश की जनसंख्या 159 करोड़ से अधिक हो जायेगी जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगभग 155 करोड़ ही होगी। सम्भवतः वर्ष 2040 तक ही हमारा देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। इसका मुख्य कारण हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि में है, यद्यपि मृत्यु दर में कुछ कमी से भी जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिली है। वर्ष 1941-51 के मध्य मृत्यु-दर 27.4 व्यक्ति प्रति हजार थी जो कि वर्ष 1981 तक घटकर 12.5 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है : निःसन्देह वर्ष 1,66 में 41 प्रति हजार की अपेक्षा नौवें दशक में जन्म दर भी घटकर 33 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है।

महोदय, सरकार और समझदार व्यक्तियों के लिए चिन्ता का मुख्य विषय यह है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 15 प्रतिशत है परन्तु इन सभी लोगों को विश्व में भू-क्षेत्र के केवल 2.4 प्रतिशत भाग में ही जगह देनी पड़ती है। जहां तक हमारे देश के भू-क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह हमारी भौगोलिक सीमा है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के भरकस प्रयासों के बावजूद अब भी भारत की जन्म दर 32 व्यक्ति प्रति हजार है जबकि चीन की जन्म दर केवल 20 व्यक्ति प्रति हजार है। हमारी जनसंख्या 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि चीन की जनसंख्या की वृद्धि दर केवल 1.3 प्रतिशत है।

इन परिस्थितियों में सरकार को क्या करना चाहिए? निःसन्देह इस बारे में बहुत से प्रयास किए गए हैं और उनका कुछ परिणाम भी सामने आया है। परन्तु इस बारे में अभी बहुत अधिक कार्य किया जाना है। जब हम अपने पड़ोसी देशों अथवा विश्व के अन्य देशों के बारे में विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत से देश काफी हद तक अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विफल हुए हैं। मैं विशेष रूप से अपने पड़ोसी देश इन्डोनेशिया का उदाहरण देना चाहूंगा। इन्डोनेशिया एक ऐसा देश है जिसके हमारे देश से सदियों पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। इस देश में बौद्ध संस्कृति तथा हिन्दू संस्कृति हैं। यद्यपि इन्डोनेशिया की 95 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है परन्तु फिर भी यह देश आबादी की वृद्धि को रोकने में सफल हुआ है। इन्डोनेशियाई सरकार ने अपने धार्मिक नेताओं अर्थात उलेमाओं से सम्पर्क करके उनमें यह धारणा उत्पन्न कर दी है कि यदि लोगों को अधिक सार्थक जीवन व्यतीत करना है तो जनसंख्या पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए। वे सरकार की राय से सहमत हो गये है। इन उलेमाओं और धार्मिक नेताओं ने लोगों में स्वयं यह प्रचार करना आरम्भ किया है कि उन्हें परिवार नियोजन प्रक्रिया और कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए। इससे भारी पैमाने पर सरकारी प्रयासों में सहायता मिली और इसके परिणामस्वरूप वे जनसंख्या वृद्धि की दर को कम कर सके। वहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में वहां परिवार नियोजन समन्वय बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड सीधे ही इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।

यह एक सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न निकाय है। यह परिवार नियोजन से सम्बन्धित सभी मुद्दों में सामंजस्य स्थापित करता है। यहां तक कि रूस और चीन जैसे साम्यवादी देश भी अपने धार्मिक नेताओं का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे हैं। रूस में भी पर्याप्त संख्या में मुस्लिम लोग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। चीन में भी पर्याप्त संख्या में धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं। इन देशों में भी उन्होंने धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं है। हाल ही में मेरे एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री

श्री रामनिवास मिर्धा ने कहा था कि "हम ऐसा कर रहे हैं।" अब तक मुझे ऐसी एक भी घटना का पता नहीं चला है जिसमें सरकार ने इन धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया हो। इन नेताओं को विश्वास में लेने में गलत बात क्या है? सरकार को उन्हें बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। मुस्लिम देशों ने भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है और उस सम्प्रदाय का कोई भी धार्मिक नेता यह नहीं कह सकता कि यह कुरान अथवा इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। अतः उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा है। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से लोगों की धार्मिक नेताओं अथवा गुरुओं में कुछ विश्वास अथवा आस्था है।

इसी प्रकार, भारी संख्या में हिन्दू लोगों की भी अपने गुरुओं में काफी आस्था है।

मेरा ठोस सुझाव यह है; कि पहले ही कई दशक गुजर चुके हैं। अब सरकार को हिन्दू, ईसाई अथवा किसी भी अन्य धर्म के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाना चाहिये और उन्हें सहमत करके उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। मुझे आशा है कि इससे निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि को कम करने के आपके प्रयासों में सहायता मिलेगी। फिलहाल नसबन्दी कराने वाले पुरुषों को 150 रुपये और महिलाओं को 250 रुपये दिए जाते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाता है तो उसे दो वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। यदि उसे सम्पूर्ण सेवा के दौरान इन दो वेतन वृद्धियों के कारण मिलने वाले वित्तीय लाभ की गणना की जाए तो वह कुछ हजार रुपये बैठती है। वह पहले ही शिक्षित, रोजगाररत और सामाजिक दृष्टि से अग्रणी व्यक्ति होता है। वह कम बच्चे होने के लाभ को समझता है। वह अपने परिवार को सीमित रख सकता है। ऐसा करके वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है। वह स्वयं इसके बारे में जानता है।

हम ऐसे प्रोत्साहन उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो पहले से ही इस बारे में जागरूक है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी गरीबी अथवा अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं कि अधिक बच्चे भगवान की देन है। जैसा मेरे मित्र श्री विजय रामा राव और कुछ अन्य मित्रों ने कहा है, बच्चे भगवान की देन होते हैं। वे एक गरीब और भूमिहीन व्यक्ति हैं। उसके पास बटवारा करने के लिए कोई मकान नहीं है। हो सकता है कि उसके छोटे से परिवार के लिए भी उसकी आय बहुत नहीं है। अतः सरकार को इस बारे में अधिक गम्भीरता से सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर व्यक्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के लिए कैसे राजी किया जाए। अतः मेरा सुझाव यह है वर्तमान समय में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर पुरुषों के लिए कम से कम 500 रुपये और स्त्रियों के लिए 250 रुपये कर देना चाहिए।

सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम अथवा परिवार नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा भारी संख्या में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं जो प्रत्येक गांव में फैले हुए हैं। वर्ष 1977 के दौरान जब जनता पार्टी सत्ता में थी और श्री राज नारायण स्वास्थ्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक नई स्वास्थ्य योजना आरम्भ की थी जिसके अन्तर्गत एक हजार से अधिक की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारी होगा। वह उन एक हजार लोगों के बीच काम करता है, जरूरतमन्द लोगों को सरकार द्वारा जो भी दवाइयां दी जाती है, उनकी सप्लाई करता है और उन्हें बिमारियों के बारे में कुछ सलाह भी देता है, उन्हें किसी अस्पताल में जाने के लिए कहता है अथवा उन्हें स्वयं वहां लेकर आता है। वे लोग उन स्थानों में रह रहे हैं और वे उन गरीब और अनपढ़ लोगों को बेहतर ढंग से यह बता सकते हैं, उन्हें राजी कर सकते हैं कि यदि वे परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

अपनाये अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम में भाग लें तो उन्हें क्या लाभ प्राप्त होंगे। अब आप उन्हें क्या दे रहे हैं। बहुत ही कम कुछ मामलों में केवल 150 रुपये अथवा इससे थोड़ा कम या अधिक। 150 रुपये के लिए आप उनसे किसी कार्य की आशा कैसे कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : यह केवल 50/- रुपये हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जी हां, यह राशि 50 रुपये हैं। हम अपने खेतों में चार अथवा पांच घंटों के लिए काम करने वाले पुरुष श्रमिक को एक दिन के लिए 30 रुपये और एक महिला श्रमिक को 25 रुपये देते हैं। यदि आप इन प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक माह के लिए केवल 50 रु० देते हैं तो आप उनसे किसी कार्य की आशा कैसे कर सकते हैं ? आप इस राशि को बढ़ाते क्यों नहीं हैं ? आखिरकार, सरकारी सेवा में निम्नतम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह 1200 रुपये अथवा 1500 रुपये मिल रहे हैं। फिर यदि आप इन प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति माह दे देंगे तो कौन सी आफत आजायेगी ?

इससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा सन्तुष्टि भी मिलेगी और इसके बदले वे और अधिक तेजी से लोगों के पास कार्य करेंगे और वे स्वयं प्रचार करेंगे और वे ऐसे सभी लोगों को लेंगे जो परिवार नियोजन का आपरेशन करवाने के योग्य हैं अर्थात् जिनके पहले से ही दो या तीन बच्चे हैं। वे जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं। वे ऐसे सभी व्यक्तियों को अस्पताल ले जा सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सुझाव पर विचार कर इसे स्वीकार कर ले।

कुछ देशों में कुछ प्रोत्साहन दिये जाते हैं। मेरे मित्र श्री शाहबुद्दीन ने कहा कि कोई अनिवार्यता, बाध्यता नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रोत्साहन दे और देखें कि लोग इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लोगों का कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करे, इससे उन्हें यह कार्यक्रम अपनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक बच्चे के बाद आपरेशन करवा लेता है और वह उस एक बच्चे से सन्तुष्ट है, यदि वह स्वयं या उसकी पत्नी परिवार नियोजन का आपरेशन करवाए तो मेरा सुझाव है कि जब वह बच्चा प्रारम्भिक स्कूल में जाता है तो सरकार उसे दो जोड़े वर्दी दे सकती है और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उस बच्चे को हर वर्ष दो जोड़ी वर्दी दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार दो बच्चे होने के बाद परिवार नियोजन अपनाता है तो ऐसे मामले में आप बच्चों को एक जोड़ा वर्दी दे सकते हैं।

अब आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार राज्य स्तर पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करके हरे कार्ड धारी गरीब लोगों को अनेक चीजें जैसे धोतियां तथा साड़ियां उपलब्ध करवा रही है। हाल ही के बजट में इसने घोषणा की है कि यह बेसहारा महिलाओं को साड़ियां देगी।

इसमें क्या गलत है यदि सरकार इस प्रकार गरीब लोगों को कुछ प्रोत्साहन दे। और मां-बाप के आपरेशन करवाने पर एक छोटे बच्चे को उस समय दो जोड़े वर्दी दे जब वह प्रारम्भिक स्कूल में जाए, इससे न सिर्फ मां-बाप को आपरेशन करवाने का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा क्योंकि हमारी सरकार सोचती है कि मानव संसाधनों का उपयोग होगा और इस देश के विकास के

लिए लोग और अधिक उपयोगी हो सकेंगे। और हम माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने को कम करने में सफल होंगे। यद्यपि प्रारम्भिक स्तर पर तो काफी बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन माध्यमिक स्तर तक आने पर ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। इससे स्कूल छोड़ने की दर कम होगी और बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर भी विचार करे।

इसी प्रकार हम मकानों का निर्माण कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार मकानों का निर्माण कर रही है। हमने 85 लाख मकानों का निर्माण किया है। अब सरकार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को मकान दे रही है। गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को सहायता देने की आवश्यकता को मानते हुए अब हमने गृह ऋण खाता तथा कुछ अन्य योजनाएं प्रारम्भ की है। इस कार्यक्रम के तहत आप एक गरीब आदमी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं जब वह एक बच्चे के बाद आपरेशन करवा ले तो आर्थिक नियमों के अन्तर्गत एक मकान के योग्य हो जाता है। चीन में लगभग सभी लोगों ने एक बच्चे के नियम को स्वीकार कर रखा है। सरकार को इस तरीके से ऐसे गरीब व्यक्ति को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए जो एक बच्चे के बाद आपरेशन करवा लेता है। मकान के लिए जमीन या मकान आवंटित करते समय आप ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं जिसने एक बच्चे के बाद आपरेशन करवा रखा हो और दूसरे नम्बर पर उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। जिन्होंने दो बच्चों के बाद आपरेशन करवाया हो। इस प्रकार निःसन्देह आप प्रोत्साहन दे सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते है। आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है जैसाकि सत्ता पक्ष की मेरी मित्र कुमारी ममता बनर्जी बता रही थी कि संजय गांधी के समय में क्या हुआ था। मैं आलोचना या दोष नहीं लगाना चाहता···
(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। आपको गलतफहमी है। सभी राज्यों में आयोग नियुक्त किए गए थे और पता लगा कि एक भी मृत्यु परिवार नियोजन की वजह से नहीं हुई···**(व्यवधान)**

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : अजय मुशरान जी, लोगों का निर्णय था···**(व्यवधान)**

मैं दोष लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं···**(व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान : आप तो उस परिवर्तन को क्षति पहुंचा रहे हैं जो इस देश में 1975-77 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारम्भ करने की वजह से आता। विपक्ष ने राजनैतिक लाभ उठाया···**(व्यवधान)**

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि क्या हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के आसार न लाकर आप इस प्रकार से प्रोत्साहन दें कि लोग स्वयं ही आगे आएं और परिवार नियोजन को अपनाएं।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। यद्यपि हमने संविधान में एक निदेशक सिद्धांत रखा है कि दस वर्ष के बाद कोई निरक्षरता नहीं रहेगी अथवा सभी जगह व्यस्क शिक्षा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से महिलाओं में साक्षरता बहुत ही कम है। एक अच्छी विशेषता यह है कि महिलाओं में अत्यधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल में जनसंख्या पर नियन्त्रण बढ़ा है। इसका यह मतलब है कि केरल में महिलाओं ने परिवार नियोजन को अनिवार्य रूप में स्वीकार कर लिए हैं और इसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि की

दर केवल 1.2 प्रतिशत है। मेरा अनुरोध है कि सरकार महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रयास करे जिससे जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

एक और सुझाव यह है कि सरकार यह प्रस्ताव ला सकती है कि दो बच्चों से अधिक वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी पाने के योग्य नहीं होगा···(व्यवधान)

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : संसद सदस्य बनने के लिए भी···(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संसद सदस्यों को छूट देने की जरूरत नहीं है। यदि यह अच्छा कार्य है तो हर व्यक्ति पर इसे लागू किया जा सकता है, जब तक हम ऐसे उपाय नहीं करते, हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह से सोचे।

अन्त में मैं कहता हूं कि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि निरोध जैसे परिवार योजना के उपाय लोग उपयोग में ला रहे हैं और यही तरीका कई दशकों से उपयोग में लाया जा रहा है जबकि अन्य देशों में नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार हमारे देश को सप्लाई हो रहे गर्भ-निरोधकों में ये तबदीलियां लाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ? इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अन्त में, मैं डा० भोई से सहमत हूं कि एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठित किया जाए। मेरा सुझाव है कि प्रधान मन्त्री इस आयोग की अध्यक्षता करें और मुख्य मन्त्री इसके सदस्य हों। इस आयोग को कई तरीके खोजने चाहिएं क्योंकि हम पहले ही कुछ उपायों पर अपने प्रयास कर चुके है। हमें परिवार नियोजन को नया स्वरूप देना चाहिए और परिवार नियोजन लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। केवल तभी हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते है, अपनी जनसंख्या की वृद्धि को सीमिति कर सकते हैं और इस प्रकार इस देश के गरीब तथा आम लोगों की मदद कर सकते हैं और महात्मा गांधी की इच्छा के मुताबिक हर व्यक्ति को इस समाज में बराबर का दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होंगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, जिस वक्त हम लोगों ने शादी ब्याह किए थे और बच्चे पैदा किए, उस वक्त हम लोगों में इसके प्रति इतनी जागृति नहीं थी। जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज जो नयी जेनरेशन के लोग बैठे हैं इनको तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

जैसा कि डा० भोई ने कहा है कि एक परिवार में एक बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर यह व्यवस्था हमारे देश में हो जाती है तो हम अपने देश का बहुत कल्याण कर सकते हैं। चीन ने इस प्वाएंट को अपनाया जो बहुत प्रशंसनीय बात है। चीन इतना बड़ा देश है। जिसकी कि 100 करोड़ की आबादी है। उसने इस उदाहरण को अपना कर हमारे सामने एक मिसाल रखी है। जब चीन जैसा देश इस चीज को अपना सकता है तो हम इसको क्यों नहीं अपना सकते हैं। हमें भी इसे अपनाना चाहिए। खास कर के उन्होंने जोर दिया है कि सभी देशवासियों के लिए एक ही सिविल कोड होना चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे जो कि यूनीफार्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे। उसके बाद ममता बहिन जी भी कह रही थी। उन्होंने भी इस बात को साफ नहीं किया। उन माननीय सदस्य का मकसद यही था कि जो चार-चार, पांच-पांच शादियां करते हैं उनसे पापुलेशन में कोई

इजाफा नहीं होता। उनका कहना था कि चार-पांच औरतें एक ही आदमी के होती हैं इसलिए पापुलेशन कम होता है। लेकिन निश्चित तरीके से यह गलत धारणा है। इस धारणा को अपनाने की कोशिश भी निश्चित तरीके से गलत है।

जो प्वाएंट माननीय भोई ने रखा है कि एक यूनीफार्म सिविल कोड देश के अंदर होना चाहिए, यह निश्चित तरीके से होना चाहिए। उन और तमाम देशों में भी ऐसा हुआ है जहां पर बहुत जातियों के लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, अनेक प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। उन्होंने यूनीफार्म ला को अपनाया। चाहे मेरिज हो, चाहे और कोई चीज हो, उन सब के लिए उन्होंने यूनिफार्म सिविल कोड को लागू किया। अगर यह व्यवस्था हमारे देश में भी हो जाती है तो हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। नहीं आजादी के पहले जो हमारी आबादी 33 करोड़ थी, वह अब 80 करोड़ हो गयी है और सन् 2000 तक बढ़कर वह सौ करोड़ के आसपास होगी।

जब 80 करोड़ आबादी होने पर हमारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से गड़गड़ा रही हैं 38 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं, जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं तो फिर इतनी बड़ी पापूलेशन को हम किस तरह से सारी व्यवस्थाएं दे पाएंगे। इसलिए इस बढ़ती हुई आबादी को रोकना नितांत आवश्यक है।

40 वर्षों में काफी प्रगति हुई है, जितनी प्रगति हमारे देश में हुई है, उतनी शायद ही किसी दूसरे देश में हुई हो, लेकिन ऐसे मालूम होता है जैसे कुछ नहीं हुआ है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, राजस्थान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ 36 परसेंट पुरुष तथा 12 परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। जहां पर इतनी बड़ी आबादी अशिक्षित होगी, वहां पर इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता एजूकेशन की है, तमाम बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए तभी हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकेंगे। प्राइमरी एजूकेशन बच्चे और बच्चियों के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए, भोई साहब ने महिलाओं को शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महिला तथा पुरुष, दोनों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से प्राइमरी एजूकेशन की तरह मिडल तथा सेकेण्डरी एजूकेशन भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दी जानी चाहिए। इसके बाद बी० ए० एम० ए० को ज्यादा प्राथमिकता न देकर टेक्नीकल एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हम अच्छे टेक्नीशंस पैदा कर सकें जो देश की उन्नति में योगदान दे सकें। जरूरत पड़ने पर वे लोग अपनी रोजगार भी कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएट या एम० ए० करने से रोजगार नहीं मिल सकता। इस ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। बच्चे और बच्चियों दोनों की शिक्षा पर ध्यान देने से ही हम इस कार्यक्रम में कामयाब हो सकेंगे, वरना हम अलग-अलग धर्मों के चक्कर में ही पड़े रहेंगे कि किस धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा होनी चाहिए और किस धर्म के लोगों की जनसंख्या कम होनी चाहिए। धर्म के चक्कर में फंसकर सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। अभी राव साहब बता रहे थे कि दूसरे देशों में, चीन, रशा यहां तक कि पड़ौसी देश पाकिस्तान में भी इस कार्यक्रम को अपनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहां पर लोग धार्मिक बातें करते हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में फतवे जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से आज पापूलेशन बढ़ रही है। इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिए।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

6.00 म० प०

कानून के जरिए से इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, चीन और हमारे देश में अंतर है, वहां पर जो कोई कानून बन गया तो वह सब पर लागू होता है, सब को इसका पालन करना होता है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, कर्नल साहब ने उसका विरोध किया, मगर यह बात सही है कि 1977 में पापूलेशन कंट्रोल पर जोर दिया गया।

सन् 77 में विरोधी दल के लोगों ने इस देश की आबादी को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की। जनता पार्टी की सरकार में स्व० राजनारायण जी हैल्थ मिनिस्टर थे जिनके प्रोग्राम के बारे में रावसाहब भी जिक्र कर रहे थे कि हैल्थ वर्कर मुकर्रर किए गए थे। आज कोई भी हैल्थ वर्कर फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम नहीं देखता है। राव साहब कह रहे थे कि कहीं पर मकान, कहीं पर कुंएं, कहीं पर बिजली या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता दें तो उसी बेसिस पर लोग तैयार होते हैं या राज्य सरकार इंसेंटिव दे एजूकेशन तो है नहीं लेकिन लोभ की वजह से और इन्सेन्टिव के जरिए इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पिछले वर्ष जो परिवार नियोजन कार्यक्रम हुए, वह हमने देखे। आंकड़ों में यह बताया गया कि एक-एक डाक्टर ने चार-चार वेसेकटोमी या ट्यूबकटोमी के आपरेशन करने हैं। एक दिन में एक डाक्टर के लिए इतने आपरेशन करना संभव ही नहीं है। इस प्रकार से गलत आंकड़े देने की कोशिश की जाती है। एक-एक आदमी ने दो बार नसबंदी करायी, यह उसके नाम में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की जाती है। इस तरह की व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से रोकी जानी चाहिए। यह काम तभी सफल हो सकता है जबकि इसमें सरकारी कर्मचारियों, चुने हुए लोगों और सोशल वर्कर्स को लगाया जाए। जब तक ईमानदारी से अपने काम को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह कामयाब नहीं होगा। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० या राज्य सरकार के अधिकारी या जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, वे केसेज लाकर देते हैं और पटवारी, तहसीलदार, बी० डी० ओ०, एस० डी० ओ० या कलेक्टर अपने नाम में बढ़ा लेते हैं, जब ईनाम लेने की बात आती है तो जिन्होंने ज्यादा प्रचार-प्रसार करके इस काम के लिए मेहनत की है वे पिछड़ जाते हैं। यह सारा ईनाम सरकारी अधिकारी ले लेते है। उसके बाद कार्यकर्ता का दिल टूट जाता है जिसने इस काम को सफल बनाने में अपनी शक्ति लगाई। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से बदलने की आवश्यकता है। इन्सेन्टिव मिलना चाहिए चाहे कलैक्टर या कोई भी अधिकारी हो या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला हो। जितना बड़ा अधिकारी होता है, वह अपना रोब डालने की कोशिश करता है। आज सुबह ही परिवार नियोजन के बारे में क्वेश्चन था और मैंने सप्लीमेंटरी की थी।

मैंने यह निवेदन किया था कि आपने जो कार्यक्रम बनाया है और आप कहते हैं कि सन् 2000 तक हम सब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा देंगे तो वह किस प्रकार से उपलब्ध करायेंगे? आप बतायें कि आपने कितनी जनसंख्या पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर कायम किए हैं, कितनी जनसंख्या पर सब-सेंटर कायम किए हैं, जिन गांवों के अन्दर आपने परिवार नियोजन के कार्यकर्ता रखते हैं क्या वे रहते हैं और जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए क्या उनकी व्यवस्था की है? इन सारी व्यवस्थाओं को करने के बावजूद आप कैसे यह सुविधा दे पायेंगे? हजारों की संख्या में केस होते हैं, कोई केस बिगड़ भी जाते हैं तो गरीब आदमी की आप आफ्टर ट्रीटमेंट के कैसे देखभाल करेंगे। यदि वह आदमी

तड़प-तड़प कर मर जाए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको दवा देने वाला नहीं है। शाबाशी लेने को तो सब तैयार हो जायेंगे, ईनाम लेने को सब तैयार हो जायेंगे, लेकिन गरीब आदमी को उसके केस के खराब हो जाने पर बाद में जो व्यवस्था चाहिए उसको कोई नहीं देखता है। इसलिए इसको देखने की नितांत आवश्यकता है। इससे आदमी को आत्म-विश्वास होगा कि हमारी सुरक्षा करने वाली सरकार है। अगर उसके एक बच्चा है या दो बच्चे हैं और वह मर जायें तो उसके बाद सरकार उस आदमी की सारी व्यवस्था करेगी, यह आत्म-विश्वास अगर जल्द आदमी में आ जाए तो वह अपने आप को निश्चित महसूस करेगा और उसको आशा बंधेगी कि ओल्ड ऐज पेंशन की सरकार व्यवस्था करेगी और उसे भूखों मरने की नौबत नहीं आयेगी। इन सारी व्यवस्थाओं के होने पर आपका कार्यक्रम पूरा होगा। उसके साथ-साथ सुविधायें देने की भी नितांत आवश्यकता है। जब तक आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वह इन बातों पर सोच नहीं सकता। इसलिए यह सारी व्यवस्थायें देखनी चाहिए। एक नेशनल पापुलेशन कमिशन मुकर्रर किया जाये जिसके जरिए हम सारे देश की आबादी को कंट्रोल कर सकें। इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करना चाहिए। इसमें सब धर्म के लोगों को लेकर चला जाए और सब व्यवस्थायें को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए तब जाकर यह व्यवस्था ठीक होगी। इसके लिए पैसे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप इसके लिए दो सौ करोड़ रुपया जो दे रहे हैं परिवार नियोजन को लागू करने के लिए तो इसमें से बहुत सा पैसा अधिकारियों के टी० ए०, डी० ए० के ऊपर खर्च हो जाता है और जो पैसा इसेंटिव के लिए देते हैं उसका भी दुरुपयोग होता है। इसलिए ईमानदारी से इस कार्यक्रम को लागू होना चाहिए और तमाम इसेंटिव मिलने चाहिएं जिससे ठीक प्रकार से काम हो सके।

गांवों के अन्दर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं जिनको सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सब सुविधायें देने की बात की है वह सुविधायें ठीक प्रकार से लोगों को दिला दें जैसे उनके लिए मकान की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी जमीन पर कुओं की व्यवस्था तो निश्चित तरीके से लोगों में इंसेंटिव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और लोग इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में किसी प्रकार कसर नहीं रखेंगे। अगर आपको इस कार्यक्रम को कामयाब बनाना है तो बहुत मजबूती से और खुले दिल से इसका लेना पड़ेगा। यहां पर केवल बजट रखकर और भाषण देकर हम चलें जायें तो कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जिस प्रकार आप देश को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पड़ते हैं इसी प्रकार से पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा… जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये से आप इस प्रोग्राम को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकें। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान देगी और तवज्जह देकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी। तभी जाकर देश का कल्याण होगा। आर्थिक डेवलपमेंट के हमारे देश में जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनमें भी हमें तभी सफलता मिलेगी, वे तभी कामयाब होंगे। हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं, हमने कई प्रोग्राम भी बनाए हैं, वे भी तभी कामयाब होंगे, सफल होंगे जब हम ठीक प्रकार से पोपूलेशन कन्ट्रोल करेंगे। उसके बाद ही देश में खुशहाली आयेगी, सम्पन्नता आयेगी। यही हमारा

सबसे बड़ा मकसद है जिसे प्राप्त करने के लिए इस देश की सरकार को, देश की जनता को और इस देश की तमाम पोलिटिकल पार्टियों को एकजुट होकर लग जाना चाहिए। तभी इस देश की आर्थिक ग्रोथ सही मायनों में बढ़ पाएगी। फैमिली प्लानिंग के जरिये, पौपूलेशन ग्रोथ को काबू में करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं और देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं।

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सभापति जी, मैं डा० भोई के प्रस्ताव की आत्मा से तो संपमत हूं लेकिन इसके सम्बन्ध में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, उससे सहमत नहीं हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि संसार में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो वह इस बात का सबूत है कि भगवान या अल्लाह-ताला इन्सानियत के मुस्तकबिल से, मानवता के भविष्य के प्रति अभी मायूस नहीं है। मेरा ख्याल है कि गुरुदेव टैगोर यदि आज हिन्दुस्तान में होते, जिसकी आबादी 80 करोड़ से भी ज्यादा हो गयी है तो शायद आज वे अपनी बात को कहने में कुछ संकोच करते। कम से कम भारत के सम्बन्ध में वे ऐसी बात नहीं कहते।

सभापति जी, जहां तक कानून बनाने का सवाल है, इतिहास साक्षी है कि संसार का कोई भी इंकलाब, दुनिया की कोई भी क्रान्ति, दुनिया के किसी हिस्से में कानून के द्वारा नहीं लायी गयी। जहां तक किसी धर्म, किसी मजहब या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का सम्बन्ध है, उसकी आड़ लेकर यह बात कहने की कोशिश की गई है तुलना करके कि मजहब के मानने वालों और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से सहमत होने वाले दोनों में वास्तविक रूप से कोई मतभेद है, मेरे ख्याल में यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। डा० भोई ने अभी शरियत के बारे में कुछ कहा। उन्होंने इस्लाम के बारे में बोलते हुए चार इमामों के बारे कुछ कहा, उनके मानने वालों के सम्बन्ध में कहा, उनकी टीचिंग्स या शिक्षा के बारे में कहा। मैं पहले तो यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि इसलाम के सिर्फ तीन बुनियादी सिद्धांत हैं, असूल हैं : (1) खुदा को मानना, (2) कुराने करीम को आसमानी किताब मानकर उस पर पूरा यकीन करना और (3) कुरातिब आ रहे सरकार आलम मुहम्मद साहब को आखिरी पैगम्बर मानकर उनकी तालीमात पर यकीन करना। जो आदमी इन तीनों बातों को मानता है, वही मुसलमान है, इस्लाम धर्म का मानने वाला है। किसी चौथी बात को मानने की, किसी मुसलान को जरूरत नहीं है। यह जो बातें इमाम की है, और लोगों की हैं, वह सिर्फ इंटर-प्रिटेशन है, अपने-अपने तरीके से, व्याख्या करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने कही हैं। जहाँ तक सवाल है कि इसलाम मानने वाले या मुसलमान फैमिली प्लानिंग के विरोधी हैं तो यह बात भी बिलकुल असत्य है, गलत है और मैं चाहता हूं कि हाउस के द्वारा इस बात को साफ किया जाये। 'कुरान में, हदीस में, पैगम्बर की टीचिंग्स में, कहीं कोई एक लफ्ज आपको नहीं मिलेगा जिसके जरिए फैमिली प्लानिंग को या इस प्रोग्राम का कहीं कोई विरोध होता हो। जहां इख्तिलाफ हुए, जहां विचार टकराए, जहां लोगों ने विरोध किया है, तो सिर्फ आपरेशन का विरोध किया है। चूंकि एक वर्ग का यह ख्याल है कि एक एक आदमी, एक जान, जब रूह में आ जाए, तो उस आदमी को मारने का, खत्म करने का, जान से मार डालने का अधिकार इंसान को नहीं दिया।

شری عزیز قریشی (ستنا) : سبھا پتی جی، میں ڈاکٹر بھوئی کے پرساد کی آتما سے تو سہمت لیکن اس کے سمبندھ میں انھوں نے جو سجھاؤ دیئے ہیں کہ سرکار کو قانون بنانا چاہیئے اس سے سہمت نہیں ہوں گورودیو رابندر ناتھ ٹیگور نے کبھی کہا تھا کہ سنسار میں جب بھی کوئی نیا بچہ جنم لیتا ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات ثبوت ہے کہ بھگوان یا اللہ تعالیٰ انسانیت کے مستقبل سے مانوتا کے بھوشیہ کے پرتی ابھی مایوس نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ گورو دیو ٹیگور اگر آج ہندوستان میں ہوتے جس کی آبادی اسّی کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو شاید آج وہ اپنی بات کو کہنے میں کچھ سنکوچ کرتے، کم سے کم بھارت کے سمبندھ میں وہ ایسی بات نہیں کہتے۔

سبھا پتی جی جہاں تک قانون بنانے کا سوال ہے تاریخ گواہ ہے کہ سنسار کا کوئی بھی انقلاب دنیا کی کوئی بھی کرانتی دنیا کے کسی حصّے میں قانون کے ذریعہ نہیں لائی گئی جہاں تک کسی دھرم، کسی مذہب یا فیملی پلاننگ پروگرام کا تعلق ہے اس کی آڑ لیکر یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے، تلنا کر کے کہ مذہب ماننے والوں اور فیملی پلاننگ پروگرام سے سہمت ہونے والے فرقوں میں حقیقی رو پ سے کوئی فرق ہے اور میرے خیال میں یہ بات تھیوں پر آدھارت نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ڈاکٹر بھوئی نے ابھی شریعت کے بارے میں کچھ کہا، انھوں نے اسلام کے بارے میں بولتے ہوئے چار اماموں کے بارے میں کچھ کہا ان کے ماننے والوں کے سمبندھ میں کہا اُن کی ٹیچنگس یا شکشا کے بارے میں کہا، میں پہلے تو یہ بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے صرف تین بنیادی سدھانت ہیں اصول ہیں :

(۱) خدا کو ماننا (۲) قرآن کریم کو آسمانی کتاب مان کر اس پر پورا یقین کرنا اور (۳) نبی آخر الزماں سرکارِ دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان کر ان کی تعلیمات پر یقین رکھنا۔ جو آدمی ان تینوں باتوں کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے اسلام دھرم کا ماننے والا ہے، کسی چوتھی بات کو ماننے کی کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے، یہ جو باتیں اماموں کی ہیں اور لوگوں کی ہیں وہ صرف انٹرپریٹیشن ہیں، اپنے اپنے طریقے سے وِیا کھیا کرنے کے لئے مختلف لوگوں نے کہی ہیں، جہاں تک سوال ہے کہ اسلام کو ماننے والے مسلمان فیملی پلاننگ کے ورودھی ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے استیہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کے ذریعے اس بات کو صاف کیا جائے قرآن میں حدیث میں یا پیغمبر کی ٹیچنگ کہیں کوئی ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا جس کے ذریعے فیملی پلاننگ پروگرام کا کہیں کوئی ورودھ ہوتا ہو۔ جہاں اختلاف ہوئے، جہاں دو چار ٹکرائے جہاں لوگوں نے ورودھ کیا ہے تو صرف ابارشن کا ورودھ کیا ہے چونکہ ایک ورگ کا خیال ہے کہ ایک آدمی ایک جان جب وجود میں آ جائے تو اس آدمی کو مارنے کا ختم کرنے کا جان سے مار ڈالنے کا ادھیکار انسان کو نہیں دیا ہے

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रखें।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाए।

6.16 म० प०

राज्य सभा में सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरन में, मुझे आयकर (संशोधन) विधेयक 1989 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 29 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

———

6.17 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 112/89/के० उ० शु० जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सौर प्रकाश वोल्टेइक सैलों को, जब उनका प्रयोग सौर सैलों के उत्पादन—कारखाने के बाहर भी विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में किया जाता है, सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 134/89-सी० शु० तथा 135/89-सी० शु० जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा अपतट तेल खोज/विदोहन के लिए आयातित विनिर्दिष्ट माल पर सीमा-शुल्क की शून्य दर बहाल की गई है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7667/89]

सभापति महोदय : सभा अब 3 अप्रैल, 1989 को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के के लिए स्थगित होती है।

6.18 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 3 अप्रैल, 1989/13 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

सनलाईट प्रिंटर्स डा० सेन मार्ग, 2265